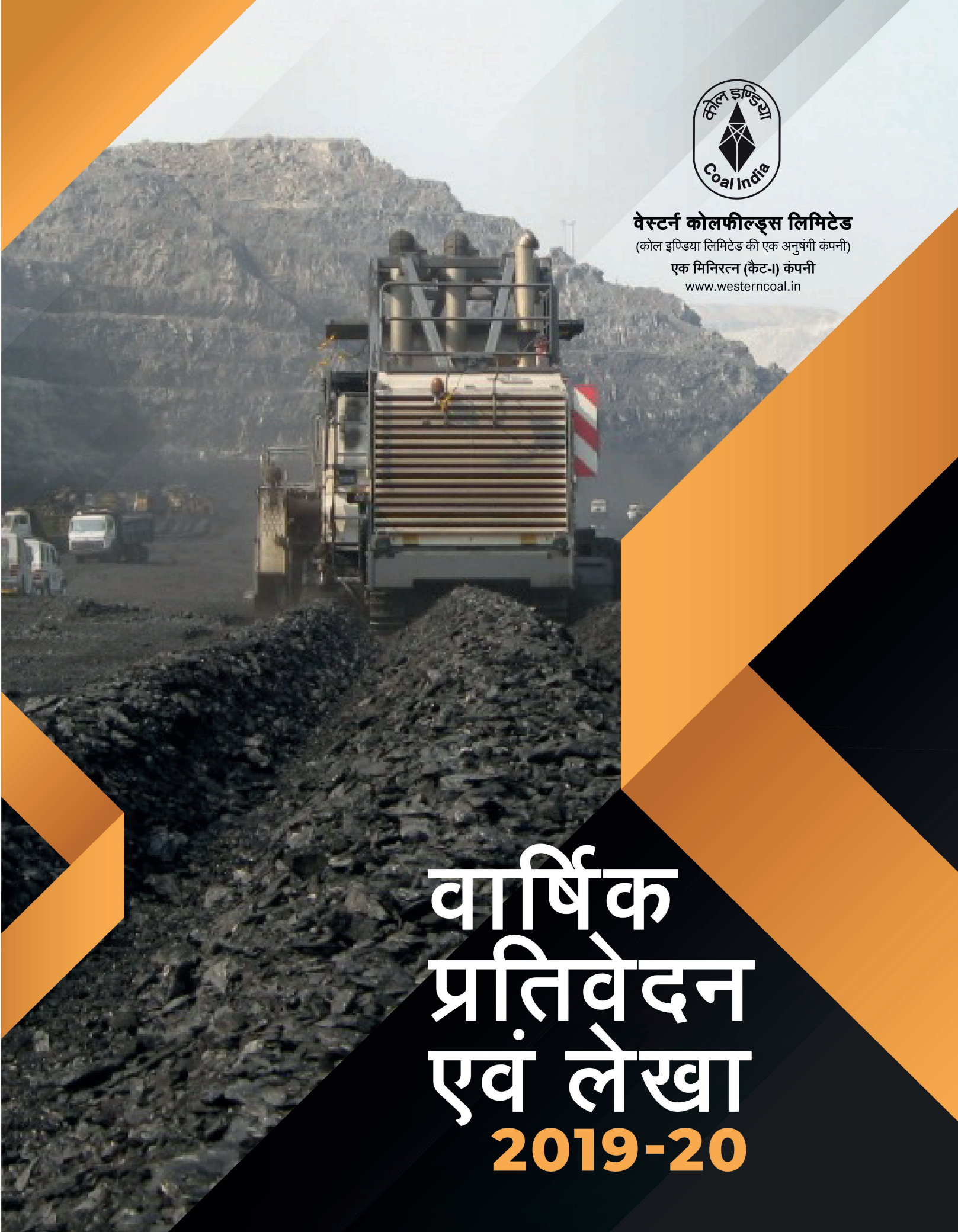

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

एक मिनिरत्न (कैट-I) कंपनी

www.westerncoal.in

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2019-20

लक्ष्य

कोल इण्डिया लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकुल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना।

सूचीपत्र

विषयवस्तु	पृष्ठ क्रमांक
कंपनी अवलोकन	
कॉर्पोरेट संबंधित जानकारी----------	01-02
निदेशक मण्डल----------	03-08
वार्षिक आमसभा की सूचना----------	09-13
अध्यक्षीय कथन----------	14-20
की ट्रेंड्स----------	21-21
प्रचालन के आंकड़े----------	22-37
सांविधिक रिपोर्ट	
निदेशकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण----------	38-97
निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध----------	98-113
निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट----------	114-140
वित्तीय विवरण	
तुलनपत्र----------	141-142
लाभ एवं हानि लेखा----------	143-144
कैस्फ्लो स्टेटमेंट----------	145-146
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण----------	147-148
वित्तीय विवरण के नोट्स----------	149-231

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा
www.westerncoal.in पर उपलब्ध

कार्पोरेट जानकारी

पंजीकृत कार्यालय
कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स,
नागपुर- 440001

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टड अकाऊटंटस्, दुर्ग

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स रोडी दाबीर एण्ड कंपनी चार्टड अकाऊटंटस्, नागपुर	मेसर्स रतन चांडक एण्ड कंपनी चार्टड अकाऊटंटस्, नागपुर

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स आर. एम. बंसल एण्ड कंपनी लागत लेखाकार कानपुर	मेसर्स जोशी आप्टे एंड असोशीएट्स, लागत लेखाकार पूना	मेसर्स एस.सी. मोहंती एंड असोशीएट्स, लागत लेखाकार भुवनेश्वर	मेसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, लागत लेखाकार बेंगलुरु

सचिवीय लेखा परीक्षक
श्री रामानुज सत्यनारायण असावा,
कंपनी सचिव,
नागपुर

अमानतदार
मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए)
मेसर्स एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, मुंबई

अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटीज पहचान क्रमांक (आईएसआईएन)
INE03XF01014

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बरोडा	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक	आयसीआयसीआय बैंक	इंडियन बैंक
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक		

इकाइयों की स्थिति

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन के लिए, खदानों को निम्नानुसार 10 (दस) क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया है। खदानों का जिला / राज्यवार वितरण इस प्रकार है:

क्षेत्र	जिला	राज्य	31.03.2020 को खदानों की स्थिति		
			भूमिगत	ओपन कास्ट	मिश्रित
नागपुर , उमरेड चंद्रपुर, बल्लारपुर, माजरी, वणी एवं वणी नार्थ	नागपुर, चंद्रपुर एवं यवतमाल	महाराष्ट्र	15	37	00
पेंच, कन्हान, पाथाखेड़ा	छिंदवाड़ा, बैतूल	मध्यप्रदेश	13	06	02
कुल खदानों की संख्या - 73			28	43	02

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)
निदेशक मंडल
(वर्ष 2019-20)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री राजीव आर. मिश्र	11.10.2014 से

कार्यकारी निदेशकगण

डॉ. संजय कुमार	कार्मिक (23.07.2015 से)
श्री एस.एम. चौधरी	वित्त (02.03.2016 से 12.10.2019 एवं 17.10.2019 से)
श्री मनोज कुमार	तकनीकी (29.11.2018 से)
श्री अजीत कुमार चौधरी	तकनीकी (14.12.2018 से)

सरकारी निदेशकगण (अंशकालिक)

श्री भबानी प्रसाद पति	संयुक्त सचिव , कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (17.03.2020 से)
श्री आर.पी. श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक और औ.सं.), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता (19.02.2018 से)
श्री अनिमेष भारती	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (16.03.2020 तक)

गैर-कार्यकारी निदेशकगण (अंशकालिक)

डॉ. दर्शना सी. देशमुख	(25.07.2019 से)
श्री किरिट एन. शेलॅट	(16.11.2019 तक)
श्री एन. रामाराव	(16.11.2019 तक)
श्री इंद्र घोष	(16.11.2019 तक)
श्री महेंद्रकुमार भट्ट	(16.11.2019 तक)

स्थायी आमंत्रिथि

श्री डी.के. सिंह	प्रधान मुख्य संचालन प्रबंधक, मध्य रेलवे, मुम्बई (07.05.2018 से)

कंपनी सचिव

श्री रामेहर	(01.02.2008 से)

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

निदेशक मंडल

(12 अगस्त 2020 को)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री राजीव आर. मिश्र

कार्यकारी निदेशकगण

डॉ. संजय कुमार	कार्मिक
श्री मनोज कुमार	तकनीकी
श्री अजीत कुमार चौधरी	तकनीकी
श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला	वित्त

सरकारी निदेशकगण (अंशकालिक)

श्री भबानी प्रसाद पति	संयुक्त सचिव , कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री आर.पी. श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक और औ.सं.), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता

गैर-कार्यकारी निदेशकगण (अंशकालिक)

डॉ. दर्शना सी. देशमुख

स्थायी आमंत्रिथि

श्री डी.के. सिंह	प्रधान मुख्य संचालन प्रबंधक, मध्य रेलवे, मुम्बई

कंपनी सचिव

श्री रामेहर

निदेशकों का संक्षिप्त पर्शिवका

श्री राजीव रंजन मिश्र (59), कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने भूविज्ञान में मास्टर डिग्री और कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। श्री मिश्र ने तीन दशक पहले अपने कैरियर की शुरुआत सीएमपीडीआईएल से की थी। इस लंबी यात्रा के दौरान, श्री मिश्र ने सीएमडी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के रूप में जिम्मेदारी संभालने लेने से पहले कोल इंडिया लिमिटेड, सीएमपीडीआईएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्मिक, मानव संसाधन विकास आदि क्षेत्रों में अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

श्री मिश्र अपनी टीम बिल्डिंग कैपेसिटी और रणनीतिक प्रबंधन कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भू अधिग्रहण एवं भूमि के भौतिक अधिपत्य, परियोजना योजना और उसका क्रियान्वयन, आउट ऑफ बॉक्स एप्रोच, व्यवसाय विविधता के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों के साथ आखिरकार बिज़नेस मॉडल के पुनरुद्धार और जीवनाधार के लिए श्रेय दिया जाता है। व्यवसाय से परे, वे दिल से एक सच्चे परोपकारी इंसान हैं। वह हमेशा सामाजिक कल्याण के कार्यो को प्रमुखता देते हैं। उन्हें भूमि प्रभावितों को रोजगार देने, भूमि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर और गुणवत्ता, ट्रस्ट बिल्डिंग के उपाय, कौशल विकास, खदानों से निकलने वाले पानी के लाभकारी उपयोग, इको पर्यटन सतत और समावेशी विकास में अपने व्यक्तिगत प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। श्री मिश्र को मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशासन, अभिशासन, प्रदर्शन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्टता पुरस्कारों से नवाजा गया है।

वर्तमान कार्यभार से पहले, आप सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) के पद पर आसीन थे। आपके पास सिंगरैनी कॉलियरी कंपनी लिमिटेड की डायरेक्टरशीप है तथा आप सीआईएल बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। श्री मिश्र विभिन्न क्षमताओं के रूप में अनेक व्यावसायिक निकायों से जुड़े हैं। सीएमडी, डब्ल्यूसीएल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें 23/11/2016 से 14/06/2017 तक सीएमडी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा 19/06/2017 से 18/02/2018 तक निदेशक (पी एंड आईआर), कोल इंडिया लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। उन्होंने 25/09/2018 से 14/06/2019 तक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है।

डॉ. संजय कुमार (57) 23 जुलाई, 2015 से हमारी कंपनी के निदेशक (कार्मिक) हैं। डॉ.कुमार ने राजस्थान विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से एचआर में एमबीए किया है और राजस्थान विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉ. कुमार ने डब्लूसीएल में उस समय अपना कार्यभार ग्रहण किया, जब वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपनी अभूतपूर्व बदलाव की पटकथा लिखना प्रारंभ किया था। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के साथ डॉ.कुमार ने वेकोलि में एक असाधारण परिवर्तन लाने में एक पथप्रदर्शक का कार्य किया। मार्केटिंग और सेल्स के अतिरिक्त प्रभार के साथ निदेशक (कार्मिक) के रूप में डॉ.कुमार ने अन्य क्षेत्रों के अलावा कर्मचारियों एवं भू-प्रभावितों के कल्याण, औद्योगिक संबंध, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, सुरक्षा, भूराजस्व हेतु नीति प्रतिपादित करने में अपना योगदान दिया। आप अपनी टीम के साथ कुछ नया सीखने का वातावरण निर्माण करने में कार्यशील रहें, जिसका न केवल कर्मचारियों बल्कि पणधारियों (स्टेक होल्डरों) को भी महत्व दिया गया। निदेशक(कार्मिक) के रूप में उत्थान के पूर्व डॉ. कुमार कर्मचारी संबंध, निष्पादन प्रबंधन एवं जीविका उन्नति से संबंधित कार्यान्वयन नीतिगत मामलों को देख रहे थे। कोल इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इन्होंने तेल और गैस सेक्टर के अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री एस. एम. चौधरी (58) हमारी कंपनी में 17/10/2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, श्री चौधरी 03/03/2016 से 12/10/2019 तक हमारी कंपनी के निदेशक थे और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति पर उन्होंने 12/10/2019 को प्रभार वापस कर दिया था और 17/10/2019 से उन्हें कंपनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।श्री चौधरी एक योग्य सनदी लेखाकार (सीए), लागत एवं प्रबंधन लेखाकार एवं कंपनी सचिव है। आपने इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया से आईएफआरएस एवं इन्डायरेक्ट टैक्स में सर्टिफाइड कोर्स भी किया है। आपने अपना व्यावसायिक जीवन सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड से प्रारंभ किया एवं वहां विभिन्न पदों पर कार्य किया। आप कोयला उद्योग में करीब 3 दशकों से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके पूर्व आप कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त) प्रभारी थे। उन्होंने 28/12/2018 से 04/04/2019 तक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्री चौधरी को कोल इंडिया द्वारा माइन क्लोजर प्लान से संबंधित अद्धितीय वित्तीय योजना की औपचारिकताओं के लिए विशेष पुरूस्कार प्रदान किया गया है।आप विभिन्न व्यावसायिक निकायों में विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं। मुंबई में 19 जनवरी, 2018 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अपने 11वें आईसीएआई अवार्ड 2017 की पीएसयू श्रेणी में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2019-20 के लिए नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल कमेटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक सर्विसेज (सीएमईपीएस) में सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

श्री मनोज कुमार (56) ने 29 नवंबर, 2018 को हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला। श्री कुमार इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद से 1985 बैच के डिस्टिंक्शन के साथ माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने वर्ष 1989 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने 1993-94 में आईएसएम, धनबाद से रॉक उत्खनन इंजीनियरिंग में एम.टेक किया है और वे उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
उन्होंने डब्ल्यूसीएल/ एसईसीएल से खनन उद्योग में अपना कैरियर शुरू किया। वे तीन दशकों से अधिक समय से कोयला उद्योग में सेवाएँ दे रहे हैं। उस अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और ईसीएल में कार्य किया। वे कठिन भूमिगत खनन विधियों और सतत खान प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। भूमिगत और ओपनकास्ट कोयला खनन के अपने व्यावहारिक अनुभव के साथ योजना और कुशल संविदा प्रबंधन में समृद्ध हैं । उन्होंने जिन स्थानों पर काम किया है, वहां वृद्धि और उत्पादन की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई पहल करने में गहरी रुचि है। उन्होंने परियोजना प्रबंधन और कोयला खनन पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिनेवा का दौरा किया है।

श्री अजीत कुमार चौधरी (58), 14 दिसंबर 2018 से हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। श्री चौधरी 1984 बैच के आईआईटी - इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद से माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने 1989 में आईआईटी -आईएसएम, धनबाद से "ओपनकास्ट माइनिंग" में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद, उन्होंने 1990-92 में फ्लाई ऐश मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के लिए साउथ इलिनोइस यूनिवर्सिटी, कार्बोंडेल, यूएसए में प्रवेश लिया।
उन्हें कोयला उद्योग में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर ईसीएल, एसईसीएल, सीएमपीडीआईएल, सीसीएल और एनसीएल में काम किया है। उन्होंने विभिन्न तकनीकी परियोजनाएं जैसे उच्च शक्ति एप्लीकेशन और संक्षारण प्रतिरोध रूफ बोल्ट, शार्ट वाल माइनिंग

प्रौद्योगिकी, फ्लाई ऐश प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता से उन्होनें री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया सीसीएल के राजरप्पा ओसीपी और एनसीएल के अमलोहरी, जयंत और निघाही ओसीपी में अपनाई है।

उन्होंने उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम और अपने शोध कार्य के लिए स्वीडन, जर्मनी और यूएसए का दौरा किया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तकनीकी संबंधी दस्ताबेज प्रस्तुत किए हैं। वे विभिन्न तकनीकी संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं।

श्री भबानी प्रसाद पति (49), संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, 17 मार्च, 2020 से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक हैं। श्री पति 03.10.2018 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बोर्ड में पार्ट टाइम सरकारी निदेशक भी हैं। श्री पति गुजरात कैडर से भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में एम.एस.सी की है। संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय के रूप में अपनी पदस्थापना से पहले उन्होंने मुख्य वन संरक्षक (वी एंड पी), गुजरात वन विभाग के रूप में काम किया और गुजरात खनिज विकास निगम में मुख्य महाप्रबंधक भी थे।

श्री आर. पी. श्रीवास्तव (59) ने कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) का कार्यभार दिनांक 31.01.2018 को ग्रहण किया। इससे पूर्व वे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के कार्मिक निदेशालय में कार्यकारी निदेशक (निगमित सेवाएं) के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने भारत के विशिष्ट संस्थानों में से एक एमडीआई, गुडगांव से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित होने के बाद श्री आर.पी. श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में करीब 35 वर्ष पूर्व प्रबंधन प्रशिक्षु (प्रशासन) के रूप में मानव संसाधन के क्षेत्र में अपने व्यावसायिक कैरियर की शुरूआत की।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य करने के दौरान इन्होंने मानव संसाधन के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इन्होंने संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन के सुचारू प्रशासन के लिए संगठनात्मक आवश्यकताओं तथा कर्मचारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों, दिशा निर्देशों तथा कार्य पद्धतियों को बनाने में अपना योगदान दिया है। श्री श्रीवास्तव ने कार्मिक नीतियों को बनाकर तथा उसे अद्यतन कर एवं संगठन के हित को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण तथा उनके विकास के अवसर पैदा करने के लिए सदैव प्रयास किया है।

इन्हें "लर्निंग एवं डेवलपमेंट" में विशेषज्ञता प्राप्त है और इन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम में नॉलेज मैनेजमेंट एंड टीक्यूएम की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है। इन्होंने मानव संसाधन का नियोजन, भर्ती एवं चयन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास, राजभाषा कार्यान्वयन, औद्योगिक संबंध, मजदूरी एवं वेतन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने कंपनी के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे संवाद अभ्यास तथा विश्वास निर्माण के उपायों/सत्रों के माध्यम से कर्मचारियों की मानसिकता विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है।

इन्होंने निगमित सामाजिक दायित्व, स्वच्छ भारत गतिविधियों, रणनीतिक प्रबंधकीय विषयों, नगर प्रबंधन भूमि एवं संपदा मामले, विस्थापित व्यक्तियों (परियोजना प्रभावित व्यक्तियों) के कल्याण, महामहिम राष्ट्रपति के निदेशों तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों के साथ अन्य सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में अहम भूमिका निभाई है।

डॉ. दर्शना चंदूभाई देशमुख (52), हमारी कंपनी के बोर्ड में 25/07/2019 से स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने एम. एस यूनिवर्सिटी, गुजरात से एम.बी.बी.एस. और एम.डी. (GYNEC) किया। डॉ देशमुख एक चिकित्सक के अलावा आदिवासी छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने, रक्तदान के लिए चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण की रोकथाम, शिक्षा के लिए गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को गोद लेकर समाज सेवा करने में लगी हुई हैं। उन्होंने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी काम किया। वे ग्रामीण और आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कई गैर-सरकारी संगठनों से भी जुड़ी हैं। डॉ देशमुख ने अपने सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृवत अभियान पुरस्कार 2018, गर्भवती माताओं के लिए सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए अनुकरणीय पुरस्कार, नर्मदा जिला कलेक्टर द्वारा सामाजिक कार्य 2018 के लिए प्रमाण-पत्र आदि।

श्री दिलीप कुमार सिंह (59), मध्य रेल, मुम्बई के प्रधान मुख्य संचालन प्रबंधक, कंपनी के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। श्री सिंह 1986 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के अधिकारी हैं। टेक्नालाजी स्नातक श्री सिंह ने एलएलबी उपाधि तथा प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया है। उन्हें विभिन्न पदों पर कार्य करने का व्यापक प्रशासकीय अनुभव है जैसे- मुख्य महाप्रबंधक, सीआर आईएस, मुंबई, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधन (यात्री विपणन) पश्चिम रेलवे और मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक, मध्य रेलवे। इन्होंने सरकारी कार्य के संबंध में मलेशिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सीआईएन : यू10100एमएच1975जीओआई018626
पंजीकृत कार्यालय : कोल ईस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440 001
दूरभाष क्र. : 0712-2511216, फैक्स : 0712-2511216
ई-मेल : ramehar@westerncoal.gov.in वेबसाईड : westerncoal.in

संदर्भ : WCL/OFFICE OF CS/AGM-45/2020-21/281 दिनांक : 08.08.2020

सूचना
45 वीं वार्षिक आमसभा

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 45 वीं वार्षिक आमसभा निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए दिन बुधवार दिनांक 12 अगस्त, 2020 को प्रात: 10.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विसुअल के माध्यम से होगी।

I. सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षण किए गए लेखाओं, 31 मार्च, 2020 तक परीक्षण किए गए तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा के प्रतिवेदन एवं उन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा मान्य करना।
2. श्री मनोज कुमार (डीआईएन 08298541) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो कंपनी अधि- -नियम, 2013 की धारा 152(6) के तहत रोटेशन से सेवानिवृत हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, ने पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित किया है।
3. श्री अजित कुमार चौधरी (डीआईएन 08319103) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो कंपनी अधि- -नियम, 2013 की धारा 152(6) के तहत रोटेशन से सेवानिवृत हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, ने पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित किया है।

II. विशेष कार्य:

<u>मद संख्या I</u>

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी के लागत परीक्षक के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि।

सामान्य संकल्प :

नीचे दर्शाए संकल्पों को पारित करने के लिए उपयुक्त पाए जाने पर संशोधन के साथ या उसके बिना सामान्य संकल्पों के रूप में विचार करते हुए पारित करना।

निर्धारित किया गया कि कम्पनी एक्ट 2013 की धारा- 148(3) तथा कंपनी (ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियम, 2014 के रूल 14 में पास तथा अन्य प्रावधानों के अनुसार नीचे दर्शाए गए ऑडिट फर्मों को लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें वेकोलि के लिए 2019-20 के लागत अंकक्षण हेतु नीचे दर्शाए गए विवरण अनुसार अंकेक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

क्र.	फर्म का नाम एवं पता	रजि. नं.	आवंटित जोन	लेखा परीक्षा शुल्क*
1	मेसर्स आर. एम. बंसल एण्ड कंपनी ,ए-201, ट्विन टावर , लखनपुर , कानपुर, उत्तरप्रदेश-208024	000022	जोन-I वेकोलि मुख्यालय तथा नागपुर क्षेत्र (लीड लेखा परीक्षक)	6,00,000/- रूपए
2	मेसर्स जोशी आप्टे एंड असोशीएट्स, सीएमए प्राइड , पहली मंजिल,प्लाट नंबर 6 , SR नंबर 16/6, इरानदवाना, पुणे -411004	000240	जोन- II वणी, माजरी, वणी नार्थ क्षेत्र तथा केन्द्रीय कर्मशाला, तडाली	3,21,000/- रूपए
3	मेसर्स एस.सी. मोहंती एंड असोशीएट्स नंबर 370/1861/2157, शक्ति भवन-पतिया, पीओ- केआईआईटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा - 751024	000114	जोन-III पेंच, कन्हान, पाथाखेड़ा क्षेत्र तथा नंदन वॉशरी	3,21,000/- रूपए
4	मेसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, पहली मंजिल, 4 मेन रोड़ , बोस्को माने रोड़ , छमाराजपेट, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560018	000648	जोन-IV उमरेड, चंद्रपुर तथा बल्लारपुर क्षेत्र	2,51,000/- रूपए
	कुल फीस (ए)			14,93,000/-
	जीएसटी @ 18 % (बी)			2,68,740/-
	यात्रा व्यय और आउट ऑफ पॉकेट खर्च , लेखा परीक्षा शुल्क का 50% तक (सी)			7,46,500/-
	जीएसटी @ 18 % , यात्रा व्यय और आउट ऑफ पॉकेट खर्च सहित कुल फीस (ए+बी+सी)			25,08,240/-

*(क)जीएसटी उपयुक्त अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रशन नं. आदि प्रस्तुत करने पर जैसा की लागू हो भुगतान किया जाएगा।

#(ख)शुल्क के अतिरिक्त यात्रा तथा आउट ऑफ पाकेट खर्च लेखा परीक्षा शुल्क का 50% अर्थात 7,46,500 रूपये दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।

"इस मामले में आंतरिक अंकेक्षण प्रमुख तथा कम्पनी सचिव आवश्यक कार्यवाही करेंगे।"

द्वारा निदेशक मंडल
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
(रामेहर)
कम्पनी सचिव

टिप्पणी :

1. वर्तमान कोविड -19 महामारी को देखते हुए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 मई, 2020 के परिपत्र को दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पढ़ा है (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) ने एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आमसभा (एजीएम / बैठक) की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 () अधिनियम) के एमसीए परिपत्रों और प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। एजीएम के लिए डीम्ड स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
2. अधिनियम के धारा 102 (1) के अनुसार विवरण, विशेष कार्य से संबंधित जो वार्षिक आमसभा में लेन-देन किया जाता है, उसे "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न किया जाता है।
3. बैठक में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने के हकदार सदस्य, बैठक में उपस्थित रहने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के भी हकदार होंगे तथा इस प्रतिनिधि को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि, यह वार्षिक आमसभा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को विमुक्त किया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आमसभा के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और अटेंडेंस स्लिप को संलग्न नहीं किया गया है।
4. चूंकि वार्षिक आमसभा को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, इसलिए बैठक के स्थल का रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।
5. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 / एसोसिएशन ऑफ कंपनी के लेखों की की धारा- 101(1) के तहत अल्प सूचना पर बैठक आयोजित करने हेतु अपनी सहमति देने का कष्ट करें।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) और 189 (4) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आमसभा में निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर,बैठक में शामिल होने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बैठक की निरंतरता के दौरान सुलभ हो सकता है।
7. इस बैठक में रोटेशन से निवृत / नियुक्ति / पुन : नियुक्ति होने वाले निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल “अनुलग्नक बी” में प्रदान की गई है।

प्रति,

कोल इंडिया लिमिटेड (द्वारा अध्यक्ष, सीआईएल), कोलकाता
श्री प्रमोद अग्रवाल , अध्यक्ष सीआईएल, कोलकाता
श्री आर.पी. श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक एवं औ.सं.), सीआईएल, कोलकाता
श्री राजीव आर मिश्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, डब्ल्यूसीएल, नागपुर
मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स, सांविधिक लेखा परीक्षक, डब्ल्यूसीएल
श्री रामानुज असावा, सचिवीय लेखा परीक्षक, डब्ल्यूसीएल
डॉ. दर्शना सी. देशमुख, चेयरमेन, ऑडिट कमेटी, डब्ल्यूसीएल

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वार्षिक आमसभा के नोटिस का अनुलग्नक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा - 102 (1) के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

विशेष कार्य : **अनुलग्नक-ए**
मद संख्या 1 :

विषय : वर्ष 2019-20 के लिए लागत संबंधी लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुमोदन ।

वेकोलि के निदेशक मंडल ने दिनांक 27.09.2019 को आयोजित अपनी 315 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत संबंधी लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया है । इन लागत लेखा परीक्षकों को कुल 25,08,240/- रूपये की लेखा परीक्षा फीस, जीएसटी 18% ,यात्रा व्यय तथा जेब खर्च के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया ।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उक्त फीस, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 148 की उपधारा- (3) तथा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक पर कंपनी (लेख परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमों, 2014 के नियम- 14 का अनुपालन करने के लिए आमसभा में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगी।

उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि वर्ष 2019-20 के लिए लागत संबंधी लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक आगामी आमसभा में अनुमोदन हेतु अंशधारकों द्वारा रखा जायेगा।

तद्नुसार वर्ष 2019-20 के लिए लागत संबंधी लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय फीस के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव विचार एवं अनुमोदन हेतु वार्षिक आमसभा में रखा जाता है।

किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी या उनके संबंधी या संबंधित व्यक्ति का इस प्रस्ताव में कोई हित नहीं है।

इस बैठक में रोटेशन से निवृत / नियुक्ति / पुन : नियुक्ति होने वाले निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

अनुलग्नक-बी

श्री मनोज कुमार (56) ने 29 नवंबर, 2018 को हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला। श्री कुमार इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद से 1985 बैच के डिस्टिंक्शन के साथ माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने वर्ष 1989 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने 1993-94 में आईएसएम, धनबाद से रॉक उत्खनन इंजीनियरिंग में एम.टेक किया है और वे उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
उन्होंने डब्ल्यूसीएल/ एसईसीएल से खनन उद्योग में अपना कैरियर शुरू किया। वे तीन दशकों से अधिक समय से कोयला उद्योग में सेवाएँ दे रहे हैं। उस अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और ईसीएल में कार्य किया। वे कठिन भूमिगत खनन विधियों और सतत खान प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। भूमिगत और ओपनकास्ट कोयला खनन के अपने व्यावहारिक अनुभव के साथ योजना और कुशल संविदा प्रबंधन में समृद्ध हैं । उन्होंने जिन स्थानों पर काम किया है, वहां वृद्धि और उत्पादन की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई पहल करने में गहरी रुचि है। उन्होंने परियोजना प्रबंधन और कोयला खनन पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिनेवा का दौरा किया है।

श्री अजीत कुमार चौधरी (58), 14 दिसंबर 2018 से हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। श्री चौधरी 1984 बैच के आईआईटी - इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद से माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने 1989 में आईआईटी -आईएसएम, धनबाद से "ओपनकास्ट माइनिंग" में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद, उन्होंने 1990-92 में फ्लाई ऐश मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के लिए साउथ इलिनोइस यूनिवर्सिटी, कार्बोंडेल, यूएसए में प्रवेश लिया।
उन्हें कोयला उद्योग में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर ईसीएल, एसईसीएल, सीएमपीडीआईएल, सीसीएल और एनसीएल में काम किया है। उन्होंने विभिन्न तकनीकी परियोजनाएं जैसे उच्च शक्ति एप्लीकेशन और संक्षारण प्रतिरोध रूफ बोल्ट, शार्ट वाल माइनिंग प्रौद्योगिकी, फ्लाई ऐश प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता से उन्होनें री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया सीसीएल के राजरप्पा ओसीपी और एनसीएल के अमलोहरी, जयंत और निघाही ओसीपी में अपनाई है।
उन्होंने उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम और अपने शोध कार्य के लिए स्वीडन, जर्मनी और यूएसए का दौरा किया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तकनीकी संबंधी दस्ताबेज प्रस्तुत किए हैं। वे विभिन्न तकनीकी संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं।

अध्यक्षीय कथन

मित्रों,

मैं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से कंपनी की 45 वीं वार्षिक आमसभा में आपका स्वागत करता हूं। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13465.97 करोड़ रुपये परिचालन से राजस्व अर्जित कर अपना प्रदर्शन बनाए रखा है और इस दौरान सबसे अधिक कोयला उत्पादन और ओवर वर्डन रिमूवल को विशिष्ट रूप से हासिल किया है। पिछला वित्त वर्ष ऐतिहासिक रहा है, आपकी कंपनी कोयले के उत्पादन में 55 मिलियन टन की सीमा को पार कर गई है।

मुझे बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि प्रतिकूल भौगोलिक खनन स्थितियां, बड़ी परियोजना के अधीन रिजर्व की कमी, सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में उच्चतम स्ट्रिपिंग अनुपात, भूमिगत खदानों में प्रतिकूल भू टेक्टोनिक पैरामीटरों से स्ट्राटा नियंत्रण समस्याओं को पार कर साल-दर-साल उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के बल पर देश में कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं।

दृष्टि:

देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है और कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य में सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत की करीब 70 प्रतिशत ऊर्जा उत्पत्ति कोयला/ लिग्नाईट आधारित है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कोयले से देश में 58% बिजली की खपत होती है। वर्तमान परिदृश्य में, अगले 3 दशकों तक कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्त्रोत रहेगा। यद्यपि इसका हिस्सा उतरोत्तर 2047 तक कम होकर 42 - 48 प्रतिशत तक होगा, क्योंकि पेरिस अनुबंध की प्रतिबद्धताओं के अनुसार देश नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है।

भारतीय कोयला उद्योग को सीआईएल के 1 बिलीयन टन के हिस्से सहित वर्ष 2023-24 तक 1.5 बिलीयन टन के नियोजित स्तर तक पहुंचने के लिए अभूतपूर्व दर से कोयला उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। आपकी कंपनी ने पूर्व के अपने दीर्घावधि प्रोजेक्शन का पुनः अनुमान भी लगाया है और वर्ष 2023-24 तक कोयला उत्पादन का लक्ष्य 75 मिलीयन टन निर्धारित किया है।

कंपनी ने खदान से बाजार तक बेस्ट प्रैक्टिस के जरिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक रूप से अनुकूल विकास कर देश को ऊर्जा के मामले में सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध रहकर प्राथमिक ऊर्जा सेक्टर में प्रमुख कोयला आपूर्ति ऊर्जा के रूप में उभरने का विजन निर्धारित किया है।

वर्ष 2019-20 कार्य निष्पादनः

वित्तीय वर्ष 2019-20 पूर्ण चुनौतियों और उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। टीम के तालमेल के प्रयासों के साथ, कंपनी ने पिछले साल के 53.18 मिलियन टन के मुकाबले 57.64 मिलियन टन का सर्वाधिक कोयला उत्पादन हासिल किया। आपकी कंपनी ने कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में कोयले के

उत्पादन में उच्चतम वृद्धि दर्ज की है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।

यह लगातार छठवा वर्ष है, जिसमें आपकी कंपनी ने कोयला उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। इसका कारण यह है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 20 परियोजनाओं को खोला गया है, जिससे वर्ष 2019-20 में 41.24 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन हुआ है।

वर्ष के दौरान सर्वाधिक 210.66 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवर बर्डन रिमूवल हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9.7 प्रतिशत अधिक है।

आपकी कंपनी ने गत वित्तीय वर्ष में 52.58 मिलियन टन का कोयला ऑफ-टेक किया। मॉनसून के दौरान भारी और लगातार बारिश के कारण बंद से काम प्रभावित हुआ, जो माह अक्टूबर अंत तक बढ़ा था। साथ ही कॉस्ट-प्लस स्रोतो यानी माजरी और वणी नार्थ क्षेत्रों से महाजेनको द्वारा कोयला उठाने में कमी और मार्च 2020 के महीने में कोविड -19 का प्रभाव भी रहा।

कंपनी ने एचईएमएम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना जारी रखा है, डब्ल्यूसीएल की सिस्टम क्षमता का उपयोग 82 % था, जो सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में दूसरा सबसे अधिक रहा है। कंपनी ने सर्वेड ऑफ उपकरण के विरुद्ध 86 नए उपकरण खरीदे हैं, जिनमें 60 टी डंपरों, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, ड्रिलस, ग्रेडर्स, क्रेन, टायर हैंडलर एवं वाटर स्प्रिंकलर का समावेश है।

वित्तीय कार्य निष्पादनः

पिछले वर्ष की कुल बिक्री 9022.33 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध बिक्री 9139.22 करोड़ रुपये की थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 116.89 करोड़ रुपये अधिक है।

भौतिक मापदंडों में अनुकरणीय प्रदर्शन बनाएं रखने के लिए आपकी कंपनी ने 12.12 करोड़ रुपये कर पूर्व लाभ दर्ज करते हुए अपने वित्तीय परिणाम को ग्रीन कलर में बनाए रखा है। इस बिंदु पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय प्रदर्शन की रूपरेखा ऑपरेटिंग वित्तीय मापदंडों में 34% से अधिक सुधार के कारण हुई है।

परिसंपत्तियों का निर्माणः

कंपनी ने पुरानी परिसंपत्तियों को बदलते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नई खदानों तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरी तरह से अपने आंतरिक संसाधनों से 470.13 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

योजना की तैयारीः

आपकी कंपनी 69.213 मिलीयन टन प्रतिवर्ष स्वीकृत क्षमता तथा 9875.27 करोड़ रुपए की स्वीकृत पूंजी की मौजूदा 34 परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। इनमें से 23 परियोजनाएं वर्ष 2019-20 की अवधि में कोयला उत्पादन के रूप में 41.34 मिलीयन टन का अपना योगदान दे रही है।

गवेषण तथा रिजर्व में वृद्धिः

वित्तीय वर्ष के दौरान सीआईएल ब्लॉकों में सीएमपीडीआईएल द्वारा 62547.31 मीटर की गवेषण ड्रिलींग की गई। सीआईएल और अतिरिक्त सीआईएल ब्लाकों में वर्ष के दौरान 76.7 मिलियन टन के सिद्ध भंडार स्थापित किए गए ।

भूमिगत खदानों में प्रौद्योगिकी समावेशनः

वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाए रखने और आने वाले वर्षों में लक्ष्य के अनुसार वृद्धि हासिल करने के लिए भूमिगत खदानों से उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। वेकोलि ने भूमिगत खदानों में व्यापक उत्पादन के लिए सतत खनन प्रौदयोगिकी अंगीकार की है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

कन्टीन्यूअस माइनरः

तवा II यूजी में काम करने के लिए कन्टीन्यूअस माइनर (सीएम) कार्य आवंटित कर दिया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होने की संभावना है। छतरपुर अंडर ग्राउंड में कंटीन्यूअस माइनर लगाने का भी प्रस्ताव है।

मैन राइडिंग सिस्टम स्थापित करनाः

भूमिगत खदानों में लंबा चलने से आने वाली थकान को दूर करने तथा कामगारों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान छतरपुर I और तवा II भूमिगत खदान में स्थापित की गई 2 मैन राइडिंग सिस्टम सहित कुल 16 भूमिगत खदानों में 17 मैन राइडिंग सिस्टम स्थापित किए गए। मुरपार भूमिगत खदान में 1 और मैन राइडिंग सिस्टम की जल्द स्थापना हो जाएगी।

भूमि अधिग्रहण एवं भूमि का कब्जाः

विवादास्पद मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न उपायों तथा विश्वास निर्माण के उपायों के द्वारा आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान खनन तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए 1023.98 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यक्ष कब्जा करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 762 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया, जिन्हें सीआईएल की आरएंडआर नीति के प्रावधानों के अनुसार भूविस्थापितों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार पुनर्वास अनुदान दिया गया। 1035 भूमि विस्थापितों को नौकरी तथा 72 भूविस्थापितों को नौकरी के बदले आर्थिक मुआवजा देने हेतु कंपनी बोर्ड द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वः

हमारे सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों विशेष रूप से हमारे कमांड क्षेत्र में रहने वाले आबादी और समाज के जीवन में सार्थक बदलाव लाने की दृष्टि से आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान व्यापक सीएसआर कार्य किए। समाज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास के साथ सतत विकास पर हमेशा ध्यान केंद्रित किया गया है और हमने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल रखने के लिए अपनी सीएसआर रणनीति को बनाये रखा है।

वित्त वर्ष 2019-20 में डब्लूसीएल ने हेल्थकेयर, स्वच्छता, पेयजल, स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण स्थिरता, ग्रामीण विकास, खेल को बढ़ावा जैसे विभिन्न विषयों पर सीएसआर कवरिंग परियोजनाओं के तहत 9.59 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 125% की वृद्धि) खर्च किए। हमारी फ्लैगशिप सीएसआर पहल "पंख" स्वच्छता को बढ़ावा देने और समाज में महिलाओं की स्वछता से जुड़ी वर्जनाओं को मिटाने के लिए एक परियोजना है, जिसे 30 व 31 जनवरी, 2020 को आईपीई, हैदराबाद में आयोजित 6 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सीएसआर में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास' पुरस्कार मिला।

आपकी कंपनी ने स्थानीय स्वसहायता समूहों के माध्यम से अपने 'कोल नीर' ब्रांड के बोतलबंद पानी की आपूर्ति का एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। इस तरह डब्ल्यूसीएल ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहा है और पानी के वितरण के माध्यम से आजीविका कमाने वाले नए युग के जल उद्यमी भी बना सकता है।

कल्याणः

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों एवं उनके बच्चों के लिए उनके जीवन की गुणवत्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा शैक्षिक सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए 112.88 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

इस वर्ष कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी घटनाओं के बीच डब्लूसीएल ने कोयला उत्पादन, डिस्पैच और ओवर बर्डन रिमूवल में रिकॉर्ड परिणाम प्राप्त करने में टीम डब्लूसीएल के सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत को मनाने के लिए एक अनूठा आयोजन 'श्रमोत्सव' मनाने की एक नई परंपरा शुरू की है।

इसके अलावा, डब्लूसीएल ने मुख्यालय में सीआईएल इंटर-कंपनी कबड्डी टूर्नामेंट और चंद्रपुर क्षेत्र में सीआईएल इंटर-कंपनी बॉडी बिल्डिंग, पावर एंड वेटलिफ्टिंग की मेजबानी की। महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए डब्ल्यूसीएल ने क्षेत्र के महाप्रबंधकों के साथ "चाय पे चर्चा", आउटडोर खेल गतिविधियों का संचालन, शारीरिक कल्याण पर केंद्रित करने के लिए ध्यान योग सत्र एवं मार्शल आर्ट कार्यक्रम का आयोजन सहित 15 विशेष पहल की।

ऊर्जा कार्यक्षमता के उपायः

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि प्रचालनों को तर्कसंगत बना कर ऊर्जा बचत की जा सकती है, आपकी कंपनी ने विभिन्न उपाय किए हैं।

नई खदानों के लिए बिजली का भार बढ़ने के बावजूद क्रियान्वित किए गए विभिन्न ऊर्जा संरक्षण के उपायों के कारण वर्ष के दौरान बिजली की खपत पिछले वर्ष की तुलना में 1.02 प्रतिशत घटी है।

सामग्री प्रबंधन:

कंपनी में ई-प्राइस बिड के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम से 2 लाख मूल्य से ऊपर के सामग्रियों की खरीदी के मामलों को अंतिम रूप दिया गया। उसी प्रकार कंपनी ने 1 करोड़ रूपयों से अधिक मूल्य के टेंडर के लिए ई-रिवर्स ऑक्शन अपनाया है।

कंपनी ने स्क्रैप निपटान के मामले में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 28.56 करोड़ रूपये की स्क्रैप नीलामी राशि रूप में दर्ज की है और वर्ष के दौरान 17.75 करोड़ रुपये की कुल बिक्री वसूली हुई है।

लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल खरीदी मूल्य के (एचईएमएम), एसडीएल, एलएचडी, पीओएल तथा आयरन एवं स्टील इत्यादि को छोड़कर) 45.76 प्रतिशत से अधिक के लिए आर्डर एमएसई फर्मों को दिया है।
इसी तरह, जीईएम पोर्टल से खरीद में 328.68% वृद्धि हुई है।

पर्यावरण प्रबंधन:

कोयला खनन पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील गतिविधि है और सतत विकास के लिए इसके विपरीत प्रभाव को कम करना अनिवार्य है। आपकी कंपनी अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति सचेत है और सभी प्रचालन खदानों में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदषण नियंत्रण के लिए उपाय किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 6 परियोजनाओं के 4.735 एमपीटीए विस्तार के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की गई।

आपकी कंपनी पुनर्वितरण, वनीकरण और ग्रीन बेल्ट विकास के माध्यम से डीग्रेडेड भूमि को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2019-20 में 1.35 लाख पौधे लगाने के साथ, 6855.75 हैक्टेयर क्षेत्र में उत्तरोतर 188.44 लाख पौधों का रोपण किया है।

सुरक्षा:

मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपकी कंपनी ने 16 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति से देश में सुरक्षा के लिए सर्वोच्च मान्यता प्राप्त 07 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह किसी भी सीआईएल सहायक कंपनी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सबसे अधिक संख्या है। आपकी बचाव टीम ने देश की 12 कोयला कंपनियों की 26 टीमों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, “डब्लूसीएल - बी” टीम सर्वश्रेष्ठ सदस्य और सर्वश्रेष्ठ कप्तान और अन्य पुरस्कारों के लिए व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने के अलावा पहले स्थान पर रही।

औद्योगिक संबंधः

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण रहा है।

नवीन पहल:

आपकी कंपनी ने कार्य में विविधता लाते हुए तथा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए "ओवर-बर्डन से रेत परियोजना" को बढ़ावा दिया। 2000 क्यूविक मीटर की क्षमता वाला नया वाणिज्यिक संयंत्र गोंडेगांव माइंस में स्थापित किया गया है और कार्य करने के लिए तैयार है। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस परियोजना के संचालन से राजस्व करोड़ों में दर्ज किया गया है जो वास्तव में इस पहल की भविष्य की संभावना को दर्शाता है। हमारी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, हमारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में से एक है, जो महाराष्ट्र राज्य में डब्ल्यूसीएल की

ओपन कास्ट खानों से 266 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर में स्पैरेबल ओवरबर्डन की बिक्री की अनुमति के लिए सुरक्षित है। यह न केवल अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करेगा, बल्कि ओबी डंपिंग के लिए भविष्य की भूमि की आवश्यकता को भी कम करेगा।

खदान के पानी की हर बूंद के सदुपयोग के जुनून ने राष्ट्रीय मंच पर सराहना दिलाई है और इससे ना केवल अलग पहचान मिली बल्कि अन्य खनन कंपनियों के लिए रोल मॉडल साबित हुआ।

कार्पोरेट गवर्नेंसः

लोक उद्यम विभाग द्वारा आपकी कंपनी को 2018-19 के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में "उत्कृष्ट" रेटिंग प्रदान की गई है। इस वर्ष 2019-20 में भी स्व मूल्यांकन के अनुसार आपकी कंपनी को कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन में 95.12 प्रतिशत (उत्कृष्ट रेटिंग) प्राप्त हुई है।

पुरस्कार एवं सम्मानः

मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैः-

- 16.12.2019को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समारोह के दौरान भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सात पुरस्कार दिए गये।
- 01.11.2019को सीआईएल के 45 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान" पुनर्वास और पुन स्थापन "के लिए प्रथम पुरस्कार।
- सीआईएल के 45 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान “उत्पादन, ऑफ टेक एवं ओबीआर में उच्चतम वृद्धि के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार” के लिए दूसरा पुरस्कार।
- जनवरी 2020 में इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन (IMMA) की ओर से IMMA एक्सीलेंस अवार्ड 2020।
- 30 और 31 जनवरी 2020 को हैदराबाद में सीएसआर पर 6 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सीएसआर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ।

कोविड -19 से निपटान

आपकी कंपनी हमेशा समाज से जुड़ी रही है और जरूरतमंद तबके की मदद के लिए ऐसा करती रहती है। महामारी "कोविड-19" के संक्रमण से उत्पन्न इन कठिन समय में, आपकी कंपनी बीमारी से लड़ने और हितधारकों को सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रही है। महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन को जरूरतमंदों के लिए आर्थिक मदद, भोजन और अनाज प्रदान करने से लेकर बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। समाज के सभी वर्गों की जरूरतों पर विचार किया गया। नीलामी में कोयले की कीमत पर प्रीमियम कम करने के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को भी ध्यान रखा, ताकि कठिन समय में हितधारकों की मदद करने के लिए अन्य उपायों के साथ मानदंडों को उदार बनाया जा सके।

अंतिम किंतु महत्वपूर्णः

हम सुरक्षा, कार्पोरेट गवर्नेंस, पर्यावरण तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मौजूदा दौर के विकास के लिए मौजूदा वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और उन्हें पार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कंपनी के प्रमुख स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों के लाभों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

मैं वेकोलि परिवार से अपील करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोयला उत्पादन एवं ढुलाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर अथक प्रयास करें जिससे हम देश को ऊर्जा प्रदान करने तथा देश की प्रगति में योगदान करने के अपने कर्तव्य को पूरा कर सकेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

(राजीव आर.मिश्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

मुख्य ट्रेंड्स

कोयला उत्पादन
(मिलियन टन)

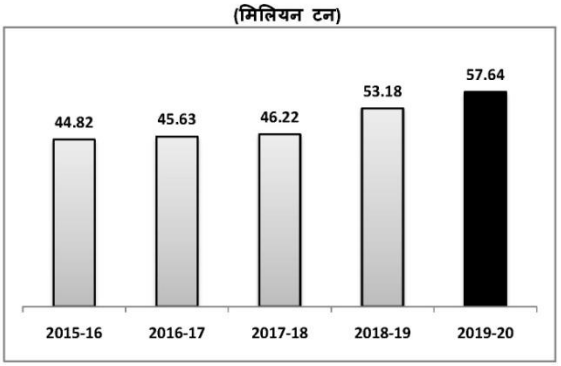

ऑफ टेक
(मिलियन टन)

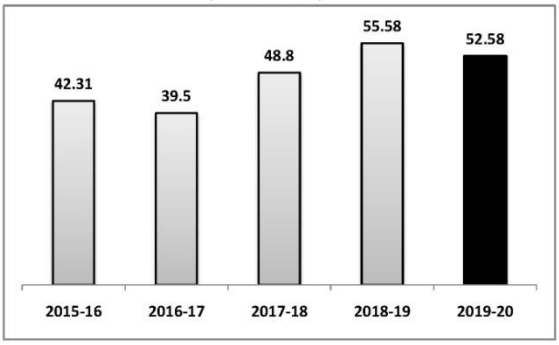

टर्नओवर
(रू करोड़ मे)

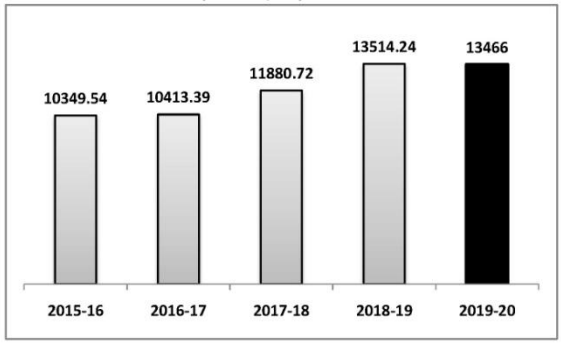

उत्पादकता
(ओ एम एस)

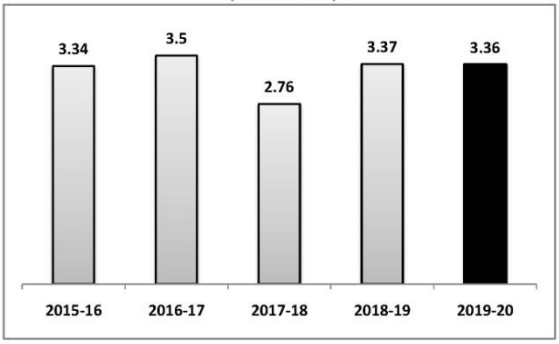

कर्मचारियों की संख्या

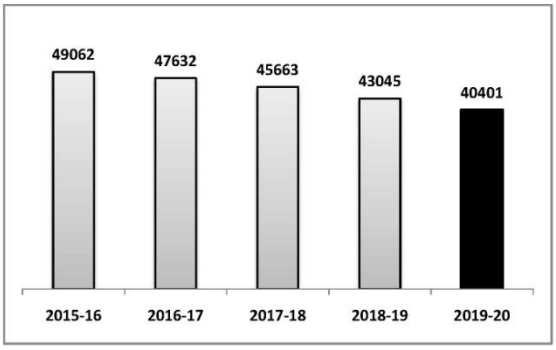

एक्सचेक़र को भुगतान
(रू करोड़ में)

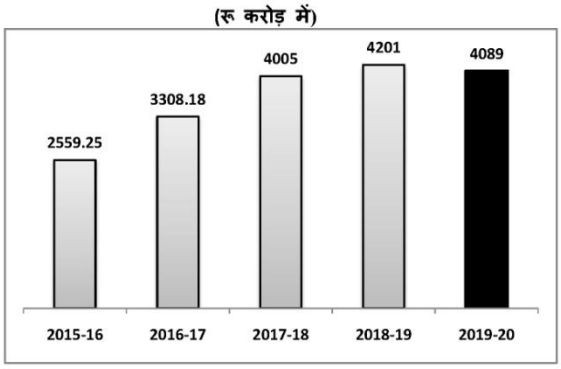

प्रचालन सांख्यिकी-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वित्तीय स्थिति

(रुपये करोड़ में)

31 मार्च तक	**31.03.2020**	**31.03.2019**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
ए .स्वयं का क्या है					
गैर चालू परिसंपत्तियां					
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5,838.62	5,428.36	4,843.56	4,334.83	3,462.46
(-): मूल्य-ह्रास एवं क्षति	1,655.40	1,253.35	1,041.72	793.73	389.55
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का निवल कैरिंग मूल्य	4,183.22	4,175.01	3,801.84	3,541.10	3,072.91
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस	291.76	339.31	360.67	372.75	237.40
गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां	892.05	866.91	841.75	300.41	259.99
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	10.23	10.01	10.02	10.03	9.99
वित्तीय परिसंपत्तियां					
i) ऋण	3.40	3.54	3.52	3.80	5.18
ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,029.82	2,235.86	1,946.03	1,675.96	1,244.41
आस्थगित कर परिसंपत्तियां)निवल(	1,449.61	1,913.22	1,830.53	806.24	520.88
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	76.58	72.72	72.05	80.03	87.75
1. **कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां**	**8,936.67**	**9,616.58**	**8,866.41**	**6,790.32**	**5,438.51**
चालू परिसंपत्तियां					
क .वस्तुसूचियां					
(i) कोयले की वस्तुसूची	1,342.12	791.22	1,240.12	1,681.66	957.52
(ii)स्टोर्स एवं पुर्जों की वस्तुसूची	72.51	70.80	70.56	63.67	61.09
(iii)अन्य वस्तुसूचियां	22.78	21.02	18.87	19.88	16.03
ख .वित्तीय परिसंपत्तियां					
i.निवेश	-	5.11	0.09	0.10	114.36
ii. ट्रेड प्राप्य	1,349.94	360.17	608.76	1,092.91	832.13
iii.नकद एवं नकद समकक्ष	229.04	76.65	24.05	57.15	402.06
iv.अन्य बैंक शेष	740.21	907.26	950.11	791.01	2,262.01
v.अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	117.89	170.02	135.84	605.29	188.85
ग .चालू कर परिसंपत्तियां) निवल(	204.27	242.65	951.95	926.56	871.90
घ् .अन्य चालू परिसंपत्तियां	772.13	586.16	399.55	215.72	269.14

2. 2. कुल चालू परिसंपत्तियां	**4,850.89**	**3,231.06**	**4,399.90**	**5,453.95**	**5,975.09**
चालू देयताएं क .चालू वित्तीय देयताएं					
i.उधारी	-	-	326.54	-	-
ii.ट्रेड देय	1,333.20	1,193.49	1,253.40	584.33	418.89
iii.अन्य वित्तीय देयताएं	483.81	344.67	302.12	476.14	144.04
ख .अन्य चालू देयताएं	1,872.29	2,042.83	1,861.72	1,947.15	1,648.09
ग .प्रावधान	1,133.60	1,186.24	1,876.11	1,547.84	1,027.12
3. कुल चालू देयताएं व प्रावधान	**4,822.90**	**4,767.23**	**5,619.89**	**4,555.46**	**3,238.14**
4. निवल चालू परिसंपत्तियां(3-2)	**27.99**	**(1,536.17)**	**(1,219.99)**	**898.49**	**2,736.95**
कुल) ए(4+1)=	**8,964.66**	**8,080.41**	**7,646.42**	**7,688.81**	**8,175.46**
बी .स्वयं का क्या है					
शेयर पूंजी	297.10	297.10	297.10	297.10	297.10
संचय एवं अतिरिक्त	84.19	827.79	571.65	2,247.13	3 0 2 4 . 5 0
अंशधारकों की निधि	381.29	1,124.89	868.75	2,544.23	3,321.60
दीर्घावधि उधारी					
अन्य दीर्घावधि देयताएं	3.96	3.56	5.10	6.42	6.54
दीर्घावधि प्रावधान	8,579.41	6,951.96	6,772.57	5,138.16	4,847.32
कुल (बी)	**8,964.66**	**8,080.41**	**7,646.42**	**7,688.81**	**8,175.46**

प्रचालन सांख्यिकी-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
वित्तीय स्थिति (भारतीय जीएएपी के अनुसार)

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च तक	2015	2014	2013	2012	2011
ए. स्वयं का क्या है					
कुल स्थायी परिसंपत्तियां (मूर्त एवं अमूर्त)	4,909.70	4,625.57	4,515.33	4,511.05	4,313.05
(-): मूल्य-ह्रास, क्षति एवं प्रावधान	3,188.07	3,017.29	2,956.57	2,989.41	2,871.37
स्थायी परिसंपत्तियों का निवल कैरिंग मूल्य	1,721.63	1,608.28	1,558.76	1,521.64	1,441.68
कैपिटल डब्ल्यूआईपी एवं विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	419.11	335.88	293.19	269.50	274.53
गैर-चालू निवेश	-	48.14	80.23	96.27	128.36
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	464.13	439.04	578.44	455.72	350.13
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	88.18	59.90	56.12	59.32	58.21
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	968.30	684.94	-	-	-
चालू परिसंपत्तियां					
i चालू निवेश	137.31	312.20	450.14	32.09	32.09
ii (क) कोयले की वस्तुसूची	668.48	663.47	584.54	488.14	360.37
ii (ख) स्टोर्स एवं पुर्जों की वस्तुसूची	64.46	58.04	64.76	70.38	65.83
ii (ग) अन्य वस्तुसूची	24.17	21.56	18.03	12.08	10.89
iii ट्रेड प्राप्य	672.92	468.93	471.27	13.97	25.20
iv नकद एवं बैंक शेष	4,170.31	3,941.87	4,243.83	5,503.40	4,063.78
v अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	988.19	991.40	1,104.50	864.83	704.54
vi अन्य चालू परिसंपत्तियां	372.24	320.14	427.52	430.60	351.20
कुल चालू परिसंपत्तियां	**7,098.08**	**6,777.61**	**7,364.59**	**7,415.49**	**5,613.90**
चालू देयताएं एवं प्रावधान					
i अल्पावधि उधारी	-	-	-	-	-

ii ट्रेड देय	106.60	84.14	82.01	91.32	66.60
iii अन्य चालू देयताएं	1,859.86	1,704.19	1,734.51	2,106.58	1,547.32
iv अल्पावधि प्रावधान	1,295.86	850.92	1,139.88	897.70	737.53
कुल चालू देयताएं एवं प्रावधान	**3,262.32**	**2,639.25**	**2,956.40**	**3,095.60**	**2,351.45**
9 निवल चालू परिसंपतियां (7-8)	3,835.76	4,138.36	4,408.19	4,319.89	3,262.45
कुल (ए)	**7,497.11**	**7,314.54**	**6,974.93**	**6,722.34**	**5,515.36**
बी. स्वयं का क्या है					
शेयर पूंजी	297.10	297.10	297.10	297.10	297.10
संचय एवं अतिरिक्त	3,264.19	3,229.39	3,162.92	3,066.29	2,973.48
1 अंशधारकों की निधि	3,561.29	3,526.49	3,460.02	3,363.39	3,270.58
2 दीर्घावधि उधारी	-	-	68.31	85.91	88.89
3 अन्य दीर्घावधि देयताएं	6.45	4.16	1.70	0.25	0.11
4 दीर्घावधि प्रावधान	3,929.37	3,783.89	3,444.90	3,272.79	2,155.78
कुल (बी)	**7,497.11**	**7,314.54**	**6,974.93**	**6,722.34**	**5,515.36**

प्रचालन सांख्यिकी-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
आय एवं व्यय विवरण

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
ए. निम्न से अर्जित					
1 कोयले की बिक्री (कुल)	13,465.97	13,514.24	11,880.72	10,413.39	10,349.54
(-): लेवी	4,326.75	4,491.91	3,977.23	3,256.10	2,394.56
कुल बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	9,139.22	9,022.33	7,903.49	7,157.29	7,954.98
2.i सैंड स्टोविंग एंड प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी	-	-	5.40	21.88	24.02
2.ii लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार (निवल)	348.54	369.87	351.97	286.07	257.25
2.iii इवेक्यूशन सुविधा प्रभार	261.51	277.86	77.29	-	-
2 अन्य प्रचालन राजस्व (निवल)	610.05	647.73	434.66	307.95	281.27
3.i जमा राशि एवं निवेश पर ब्याज	68.70	75.43	51.97	139.95	295.73
3.ii म्युच्युअल फंड से लाभांश	1.38	9.26	6.72	4.24	17.31
3.iii अन्य गैर प्रचालन आय	808.69	1,433.15	481.64	174.56	193.40
3 अन्य आय	878.77	1,517.84	540.33	318.75	506.44
कुल (ए)	**10,628.04**	**11,187.90**	**8,878.48**	**7,783.99**	**8,742.69**
बी. निम्न के लिए भुगतान किया गया					
1.i वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ	3,897.43	3,863.19	3,526.52	3,319.12	3,368.67
1.ii भविष्य निधि एवं अन्य फंड में अंशदान	675.30	680.53	400.93	382.39	392.62
1.iii ग्रेच्यूटी	146.74	237.82	1,452.66	141.81	161.38
1.iv छुट्टी का नकदीकरण	161.05	142.57	38.30	168.18	104.05
1.v अन्य	758.53	660.29	1,242.53	994.63	556.96
1 कर्मचारी लाभ व्यय	5,639.05	5,584.40	6,660.94	5,006.13	4,583.68
2 खपत की गई सामग्री की लागत	1,005.47	1,012.63	968.49	1,020.96	1,056.70
3 तैयार माल, वर्क इन प्रोग्रेस, तथा स्टॉक इन ट्रेड की वस्तुसूची में परिवर्तन	(545.77)	468.27	308.08	(695.84)	(290.89)

4 उत्पाद शुल्क	-	-	127.86	519.21	510.44
5 बिजली एवं इंधन	289.21	283.78	267.99	303.25	327.85
6 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	9.59	4.25	7.23	10.81	65.27
7 मरम्मत एवं रखरखाव	69.24	79.32	49.30	53.74	53.96
8 संविदात्मक व्यय	1,672.37	1,461.36	1,425.25	1,179.75	1,001.83
9 वित्तीय लागत	69.19	67.36	77.30	85.03	76.69
10 मूल्य-ह्रास एवं परिशोधन व्यय	542.09	481.40	418.28	369.57	371.61
11 प्रावधान	-	0.16	0.88	269.50	18.41
12 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	1,394.16	1,063.99	938.82	297.93	242.08
13 अन्य व्यय	471.32	487.26	457.34	439.46	330.86
कुल (बी)	**10,615.92**	**10,994.18**	**11,707.76**	**8,859.50**	**8,348.49**
कर पूर्व लाभ (ए-बी)	12.12	193.72	(2,829.28)	(1,075.51)	394.20
(-): कर व्यय	540.40	(75.61)	(1,072.78)	(298.24)	96.50
बंद हुए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-	-	(0.01)	(0.01)
कर पश्चात लाभ	**(528.28)**	**269.33**	**(1,756.50)**	**(777.28)**	**297.69**
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	**(215.32)**	**(13.19)**	**81.02**	**12.56**	**72.46**
कुल व्यापक आय	**(743.60)**	**256.14**	**(1,675.48)**	**(764.72)**	**370.15**

प्रचालन सांख्यिकी-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

आय एवं व्यय विवरण

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2015	2014	2013	2012	2011
ए	**एनिम्न से अर्जित .**					
	1 कोयले की बिक्री (कुल)	9,652.74	8,563.64	8,703.97	8,357.48	7,073.44
	(-): लेवी उत्पाद शुल्क एवं)अन्य लेवी(	2,327.35	1,949.81	1,998.82	1,607.47	1,079.17
	निवलबिक्री	7,325.39	6,613.83	6,705.15	6,750.01	5,994.27
	2.i सैंड स्टोविंग एंड प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी	20.48	23.41	24.27	21.59	20.95
	2.ii लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार(निवल)	202.65	136.67	98.58	104.91	107.98
	अन्य प्रचालन राजस्व (निवल)	223.13	160.08	122.85	126.50	128.93
	3.i जमा राशि एवं निवेश पर ब्याज	343.96	365.45	445.14	435.36	228.70
	3.ii म्युच्युअल फंड से लाभांश	32.16	26.57	8.05	-	-
	3.iii अन्य गैर प्रचालन आय	53.00	81.79	141.74	118.83	107.15
	4 अन्य आय	429.12	473.81	594.93	554.19	335.85
	कुल (ए)	**7,977.64**	**7,247.72**	**7,422.93**	**7,430.70**	**6,459.05**
बी	**बी निम्न के लिए भुगतान किया गया**					
	1.i वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ	3,257.63	3,195.35	3,018.11	2,641.32	2,107.16
	1. ii भविष्य निधि एवं अन्य फंड में अंशदान	376.27	367.52	338.26	268.18	246.47
	1.iii ग्रेच्यूटी	109.90	15.97	209.47	629.01	80.87
	1.iv छुट्टी का नकदीकरण	112.42	91.69	108.30	130.85	95.61
	1.v अन्य	597.82	570.58	668.24	547.84	419.49
	कर्मचारी लाभ व्यय	4,454.04	4,241.11	4,342.38	4,217.20	2,949.60
	खपत की गई सामग्री की लागत	1,149.93	1,143.82	998.24	920.45	863.43
	तैयार माल, वर्क इन प्रोग्रेस, तथा स्टॉक इन ट्रेड की वस्तुसूची में परिवर्तन	(0.63)	(84.15)	(89.31)	(128.96)	(129.60)
	बिजली एवं इंधन	309.72	329.95	330.20	281.94	259.20
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	20.15	23.95	21.31	7.65	7.03
	मरम्मत एवं रखरखाव	64.34	51.12	68.05	67.45	68.46
	संविदात्मक व्यय	708.83	604.97	537.90	497.65	467.51
	वित्तीय लागत	5.95	2.26	2.87	3.20	3.30
	मूल्यह्रास/ परिशोधन/ हानि	236.07	192.23	188.53	195.65	188.16
	प्रावधान एवं निरस्तीकरण	210.69	116.49	34.15	220.62	110.25
	ओवरबर्डन रिमूवल समायोजन	15.97	47.61	279.96	458.95	314.56
	अन्य व्यय	257.84	255.80	268.22	257.17	297.01
	पूर्व अवधि समायोजन असामान्य /एवं असाधारण मद	(0.05)	(3.30)	11.56	(8.77)	(7.84)
	कुल (बी)	**7,432.85**	**6,921.86**	**6,994.06**	**6,990.20**	**5,391.07**

	कर पूर्व लाभ (बी-ए)	544.79	325.86	428.87	440.50	1,067.98
	(-): कर व्यय	(231.64)	(102.27)	(104.56)	(133.78)	(529.66)
	बंद हुए प्रचालनों से लाभ/ (हानि)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
	कर पश्चात लाभ	**313.14**	**223.58**	**324.30**	**306.71**	**538.31**
	वर्ष के लिए लाभांश	188.06	134.29	194.60	184.04	323.24
	कारपोरेट लाभांश कर	37.60	22.82	33.07	29.86	50.94
	सामान्य संचय में हस्तांतरण	31.31	33.54	48.64	46.01	80.75
	सीएसआर/ सतत विकास संचय में हस्तांतरण	-	21.86	22.26	21.83	27.40
	वर्ष के लिए रखा गया अतिरिक्त (घाटा)	56.17	11.07	25.73	24.97	55.98
	पिछले वर्ष से संचित लाभ/ (हानि)	1,997.89	2,039.50	2,013.77	1,988.80	1,932.82
	तुलन पत्र में संचित लाभ/ (हानि)	2,054.06	2,050.57	2,039.50	2,013.77	1,988.80

प्रचालन सांख्यिकी-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
ए	**परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित**						
	1	i) प्रति 1000 रूपये के इक्विटी शेयरों की संख्या	2,971,000	2,971,000	2,971,000	2,971,000	2,971,000
		ii) शेयर धारकों की निधि					
		अ. इक्विटी अंश पूंजी	297.10	297.10	297.10	297.10	297.10
		ब. सामान्य संचय	2,224.96	2,224.96	2,224.96	2,224.96	2,224.96
		स. संचित लाभ / (हानि)	(2,140.77)	(1,397.17)	(1,653.31)	22.17	799.54
		नेट वर्थ	381.29	1,124.89	868.75	2,544.23	3,321.60
	2	निवल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4,183.22	4,175.01	3,801.84	3,541.10	3,072.91
	3	i. चालू परिसंपत्तियां	4,850.89	3,231.06	4,399.90	5,453.95	5,975.09
		ii.चालू देयताएं एवं प्रावधान	4,822.90	4,767.23	5,619.89	4,555.46	3,238.14
		iii.निवल चालू परिसंपत्तियां / वर्किंगकैपिटल	27.99	(1,536.17)	(1,219.99)	898.49	2,736.95
	4	**i.** लगाई गई पूंजी (2+3iii)	4,211.21	2,638.84	2,581.85	4,439.59	5,809.86
		ii. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस	291.76	339.31	360.67	372.75	237.40
		iii. गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां	892.05	866.91	841.75	300.41	259.99
		iv. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	10.23	10.01	10.02	10.03	9.99
		v. (4ii+4iii+4iv) सहित लगाई गई पूंजी	5,405.25	3,855.07	3,794.29	5,122.78	6,317.24
	5	i. ट्रेड प्राप्य	1,349.94	360.17	608.76	1,092.91	832.13
		ii. नकद एवं बैंक शेष	969.25	983.91	974.16	848.16	2,664.07
	6	i. कोयले का अंतिम स्टॉक (निवल)	1,342.12	791.22	1,240.12	1,681.66	957.52
		ii. स्टोर्स एवं पुर्जों का अंतिम स्टॉक	72.51	70.80	70.56	63.67	61.09
बी		**लाभ एवं हानि से संबंधित**					

	1	i. सकल मार्जिन(पीबीडीआईटी)	623.40	742.48	(2,333.70)	(620.92)	842.50
		ii. सकल मार्जिन (पीबीआईटी)	81.31	261.08	(2,751.98)	(990.49)	470.89
		iii. कर पूर्व लाभ(पीबीटी)	12.12	193.72	(2,829.28)	(1,075.52)	394.20
		iv. कर पश्चात लाभ(पीएटी)	(528.28)	269.33	(1,756.50)	(777.28)	297.69
		v. अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	(215.32)	(13.19)	81.02	12.56	72.46
		vi. कुल व्यापक आय	(743.60)	256.14	(1,675.48)	(764.72)	370.15
	2	i. कोयले की कुल बिक्री	13,465.97	13,514.24	11,880.72	10,413.39	10,349.54
		ii. कुल बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	9,139.22	9,022.33	7,903.49	7,157.29	7,954.98
		iii. उत्पादन का मूल्य	9,748.72	8,680.93	7,553.74	7,911.66	8,244.02
	3	बेचे गए माल की लागत (निवल बिक्री-पीबीटी)	9,127.10	8,828.61	10,732.77	8,232.81	7,560.78
	4	i. कुल व्यय (वस्तुसूचियों में परिवर्तन छोड़कर)	11,161.69	10,525.91	11,399.68	9,555.34	8,639.38
		ii. कर्मचारी लाभ व्यय	5,639.05	5,584.40	6,660.94	5,006.13	4,583.68
		iii. खपत की गई सामग्री की लागत	1,005.47	1,012.63	968.49	1,020.96	1,056.70
		iv. बिजली एवं ईंधन	289.21	283.78	267.99	303.25	327.85
	5	सामग्री की प्रति माह औसत खपत	83.79	84.39	80.71	85.08	88.06
	6	जोड़ा गया मूल्य	8,390.31	7,257.65	6,231.70	6,025.90	6,365.44
		i.प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य (000‘ रूपये)	2,076.76	1,686.06	1,364.72	1,265.09	1,297.43

प्रचालन सांख्यिकी-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना (भारतीय जीएएपी के अनुसार) (रुपए करोड़ में)

		31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2015	2014	2013	2012	2011
ए		**परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित**					
	1	i) प्रति 1000 रूपये के इक्विटी शेयरों की संख्या	2,971,000	2,971,000	2,971,000	2,971,000	2,971,000
		ii) शेयर धारकों की निधि					
		क. इक्विटी अंश पूंजी	297.10	297.10	297.10	297.10	297.10
		ब. सामान्य संचय	1,210.13	1,131.81	1,074.31	1,004.35	950.69
		स. संचित लाभ / (हानि)	2,054.06	2,050.57	2,039.50	2,013.77	1,988.80
		नेट वर्थ	3,561.29	3,479.48	3,410.91	3,315.22	3,236.59
		द. सीएसआर और सतत विकास रिज़र्व	-	47.01	49.11	48.17	33.99
		शेयरहोल्डर्स फण्ड	**3561.29**	**3526.49**	**3460.02**	**3363.39**	**3270.58**
	2	i. दीर्घकालीन उधारी, चालू परिपक्ताओ सहित	-	-	84.92	101.97	102.56
		ii.दीर्घकालीन उधारी, चालू परिपक्ताओ को छोड़कर	-	-	68.31	85.91	88.89
	3	निवल स्थाई परिसंपत्तियां	1,721.63	1,608.28	1,558.76	1,521.64	1,441.68
	4	i.चालू परिसंपत्तियां	7,098.08	6,777.61	7,364.59	7,415.49	5,613.90
		ii.चालू देयताएं	3,262.32	2,639.25	2,956.40	3,095.60	2,351.45
		iii.निवल चालू परिसंपत्तियां/ वर्किंगकैपिटल	3,835.76	4,138.36	4,408.19	4,319.89	3,262.45
	5	i.लगाई गई पूंजी(3+4iii)	5,557.39	5,746.64	5,966.95	5,841.53	4,704.13
		ii.कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एवं विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	419.11	335.88	293.19	269.50	274.53
		iii.लगाई गई पूंजी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सहित	5,976.50	6,082.52	6,260.14	6,111.03	4,978.66
	6	i.ट्रेड प्राप्य	672.92	468.93	471.27	13.97	25.20
		ii.नकद एवं बैंक शेष	4,170.31	3,941.87	4,243.83	5,503.40	4,063.78
	7	i.कोयले का अंतिम स्टॉक (निवल)	668.48	663.47	584.54	488.14	360.37
		ii.स्टोर्स एवं पुर्जो का अंतिम स्टॉक	64.46	58.04	64.76	70.38	65.83
बी		**लाभ हानि से/संबंधित**					
	1	i.सकल मार्जिन(पीबीडीआईटी)	786.81	520.35	620.27	639.35	1,259.44
		ii.सकल मार्जिन (पीबीआईटी)	550.74	328.12	431.74	443.70	1,071.28
		iii.कर पूर्व लाभ(पीबीटी)	544.79	325.86	428.87	440.50	1,067.98
		iv.कर पश्चात लाभ(पीएटी)	313.14	223.58	324.30	306.71	538.31

	2	i.कोयले की कुल बिक्री	9,652.74	8,563.64	8,703.97	8,357.48	7,073.44
		ii.निवल बिक्री	7,325.39	6,613.83	6,705.15	6,750.01	5,994.27
		iii.उत्पादन का मूल्य	7,361.22	6,728.53	7,338.11	7,280.74	6,096.69
	3	बेचे गए माल की लागत (निवल बिक्री -पीबीटी)	6,780.60	6,287.97	6,276.28	6,309.51	4,926.29
	4	i. कुल व्यय (वस्तुसूचियों में परिवर्तन छोड़कर)	7,433.48	7,006.01	7,083.37	7,119.16	5,520.67
		ii. कर्मचारी लाभ व्यय	4,454.04	4,241.11	4,342.38	4,217.20	2,949.60
		iii. खपत की गई सामग्री की लागत	1,149.93	1,143.82	998.24	920.45	863.43
		iv. बिजली एवं ईंधन	309.72	329.95	330.20	281.94	259.20
	5	सामग्री की प्रति माह औसत खपत	95.83	95.32	83.19	76.70	71.95
	6	जोड़ा गया मूल्य	5,866.37	5,224.21	5,466.02	5,676.58	4,895.92
		i. प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य (000' रूपये)	1,171.61	995.39	994.55	996.08	829.21
		कुल व्यय	**7432.85**	**6921.86**	**6994.06**	**6990.2**	**5391.07**

प्रचालन सांख्यिकी-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
महत्वपूर्ण वित्तीय तुलनात्मक अनुपात (भारतीय जीएएपी के अनुसार)

(रुपए करोड़ में)

		31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2020	2019	2018	2017	2016
ए	लाभ अनुपात						
	1	निवल बिक्री का प्रतिशत					
		i. सकल मार्जिन(पीबीडीआईटी)	6.82	8.23	(29.53)	(8.68)	10.59
		ii. शुद्ध लाभ (पीबीआईटी)	0.89	2.89	(34.82)	(13.84)	5.92
		iii. कर पूर्व लाभ(पीबीटी)	0.13	2.15	(35.80)	(15.03)	4.96
	2	कुल व्यय का प्रतिशत					
		i. कर्मचारी लाभ व्यय	50.52	53.05	58.43	52.39	53.06
		ii. खपत की गई सामग्री की लागत	9.01	9.62	8.50	10.68	12.23
		iii. बिजली एवं ईंधन	2.59	2.70	2.35	3.17	3.79
	3	लगाई गई पूंजी का प्रतिशत					
		i. सकल मार्जिन(पीबीडीआईटी)	14.80	28.14	(90.39)	(13.99)	14.50
		ii. शुद्ध लाभ (पीबीआईटी)	1.93	9.89	(106.59)	(22.31)	8.11
		iii. कर पूर्व लाभ(पीबीटी)	0.29	7.34	(109.58)	(24.23)	6.79
	4	प्रचालन अनुपात {(निवल बिक्री-पीबीटी)/(निवल बिक्री)}	1.00	0.98	1.36	1.15	0.95
बी	लिक्विडिटी अनुपात						
	1	चालू अनुपात	1.01	0.68	0.78	1.20	1.85
	2	क्विक अनुपात	0.48	0.28	0.28	0.43	1.08
सी	टर्न ओवर अनुपात						
	1	कैपिटल टर्न ओवर अनुपात	2.17	3.42	3.06	1.61	1.37
	2	**ट्रेड प्राप्य(निवल),महीनों की संख्या में**					
		i. कुल बिक्री	1.20	0.32	0.61	1.26	0.96
		ii. निवल बिक्री	1.77	0.48	0.92	1.83	1.26
	3	**निवल बिक्री का अनुपात**					
		i. ट्रेड प्राप्य	0.15	0.04	0.08	0.15	0.10
		ii. कोयले का स्टॉक	0.15	0.09	0.16	0.23	0.12
	4	**कोयले का स्टॉक**					
		i. उत्पादन का मूल्य, महीनों की संख्या में	1.65	1.09	1.97	2.55	1.39

		ii. बेचे गए माल की लागत, महीनों की संख्या में	1.76	1.08	1.39	2.45	1.52
		iii. निवल बिक्री, महीनों की संख्या में	1.76	1.05	1.88	2.82	1.44
डी	स्ट्रक्चरल अनुपात						
	1	निवल मूल्यः इक्विटी कैपिटल	1.28	3.79	2.92	8.56	11.18
	2	निवल स्थायी परिसंपत्तियाः नेट वर्थ	10.97	3.71	4.38	1.39	0.93
ई	शेयर धारकों का ब्याज						
	1	**प्रति शेयर लाभांश (रूपये)**	-	-	-	-	1,957.59

प्रचालन सांख्यिकी- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

महत्वपूर्ण वित्तीय तुलनात्मक अनुपात

(रुपए करोड़ में)

		31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2015	2014	2013	2012	2011
ए	लाभ अनुपात						
	1	निवल बिक्री का प्रतिशत					
		i.सकल मार्जिन(पीबीडीआईटी)	10.74	7.87	9.25	9.47	21.01
		ii.शुद्ध लाभ (पीबीआईटी)	7.52	4.96	6.44	6.57	17.87
		iii.कर पूर्व लाभ(पीबीटी)	7.44	4.93	6.40	6.53	17.82
	2	कुल व्यय का प्रतिशत					
		i.कर्मचारी लाभ व्यय	59.92	60.54	61.30	59.24	53.43
		ii.खपत की गई सामग्री की लागत	15.47	16.33	14.09	12.93	15.64
		iii.बिजली एवं ईंधन	4.17	4.71	4.66	3.96	4.70
	3	लगाई गई पूंजी का प्रतिशत					
		i.सकल मार्जिन(पीबीडीआईटी)	14.16	9.05	10.40	10.94	26.77
		ii.शुद्ध लाभ (पीबीआईटी)	9.91	5.71	7.24	7.60	22.77
		iii.कर पूर्व लाभ(पीबीटी)	9.80	5.67	7.19	7.54	22.70
	4	प्रचालन अनुपात {(निवल बिक्री- पीबीटी)/(निवल बिक्री)}	0.93	0.95	0.94	0.93	0.82
बी	लिक्विडिटी अनुपात						
	1	चालू अनुपात	2.18	2.57	2.49	2.40	2.39
	2	क्विक अनुपात	1.48	1.67	1.59	1.78	1.74
सी	टर्न ओवर अनुपात						
	1	कैपिटल टर्न ओवर अनुपात	1.32	1.15	1.12	1.16	1.27
	2	**ट्रेड प्राप्य (निवल), महीनों की संख्या में**					
		i.कुल बिक्री	0.84	0.66	0.65	0.02	0.04
		ii.निवल बिक्री	1.10	0.85	0.84	0.02	0.05
	3	**निवल बिक्री का अनुपात**					
		i. ट्रेड प्राप्य	0.09	0.07	0.07	0.00	0.0
		ii. कोयले का स्टॉक	0.09	0.10	0.09	0.07	0.06
	4	**कोयले का स्टॉक**					
		i.उत्पादन का मूल्य, महीनों की संख्या में	1.09	1.18	0.96	0.80	0.71
		ii. बेचे गए माल की लागत, महीनों की संख्या में	1.18	1.27	1.12	0.93	0.88
		iii. निवल बिक्री, महीनों की संख्या में	1.10	1.20	1.05	0.87	0.72

डी	स्ट्रक्चरल अनुपात						
	1	दीर्घावधि ऋणःइक्विटी शेयर पूंजी	-	-	0.23	0.29	0.30
	2	दीर्घावधि ऋणः निवल मूल्य	-	-	0.02	0.03	0.03
	3	निवल मूल्यः इक्विटी कैपिटल	11.99	11.71	11.48	11.16	10.89
	4	निवल स्थायी परिसंपतियाः निवल मूल्य	0.48	0.46	0.46	0.46	0.45
ई	शेयर धारकों का ब्याज						
	1	**प्रति शेयर लाभांश (रुपए)**	632.99	452.00	655.00	619.45	1,087.98

निदेशकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

प्रति,

सदस्य/अंधारक
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

आपके निदेशकों को सांविधिक लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की ४५वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1- <u>कार्य निष्पादन:</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कम्पनी ने कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों ने पिछले रिकार्डों को पार करते हुए सर्वाधिक वृद्धि दर के साथ कोयला उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित किए। अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी की उपलब्धियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

कोयला उत्पादन:

- सर्वाधिक कोयला उत्पादन- 57.64 मिलियन टन
- लक्ष्य की उपलब्धि- 103%
- कोल इंडिया में सर्वाधिक वृद्धि- 8.4%
- सर्वाधिक एवं एक दिन में कोयला उत्पादन- 5.02 लाख टन
- सर्वाधिक ओवर बर्डन रिमूवल- 210.66 मिलियन क्यूबिक मीटर
- सर्वाधिक तथा एक दिन का प्रषेण(2.09 लाख टन)

(आंकडे मिलियन टन में)

एपीपी लक्ष्य 2019-20		2019-20 में उपलब्धि	2018-19 में उपलब्धि	लक्ष्य पर परिवर्तन	% उपलब्धि	पिछले वर्ष से परिर्वतन	पिछले वर्ष से वद्धि
ओसी	51.25	53.48	48.61	2.23	104.3	4.86	10
यूजी	4.75	4.16	4.57	-0.59	87.6	-0.41	-8.9
कुल	56.00	57.64	53.18	1.64	102.9	4.45	8.4

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान डब्लूसीएल ने 56 मिलिययन टन कोयला उत्पादन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। मुझे गर्व तथा संतोष हो रहा है कि आपकी कम्पनी ने निर्धारित किए गए लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर लिया है।

कोयला उत्पादन के आंकडों का विश्लेषण करते हुए पिछले 5 वर्षों में खोली गई 20 नई/प्रतिस्थापन परियोजनाओं से हुए कोयला उत्पादन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 37.58 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले उपरोक्त परियोजनाओं से 41.24 मिलियन टन का कोयला उत्पादन हुआ है, जोकि डब्लूसीएल के कुल उत्पादन का लगभग 72% है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज करता है।

ओवर बर्डन:

(आंकडे मिलियिन घन मीटर में)

एपीपी लक्ष्य 2019-20		2019-20 में उपलब्धि	2018-19 में उपलब्धि	लक्ष्य पर परिवर्तन	% उपलब्धि	पिछले वर्ष से परिर्वतन	पिछले वर्ष से वद्धि
विभाग	49.00	44.11	48.88	-4.89	90.0	-4.77	-9.8
हायर्ड	170.00	166.55	143.2	-3.45	98.0	23.40	16.3
कुल	219.00	210.66	192.0	-8.34	96.2	18.63	9.7

आपकी कम्पनी ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 210.66 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवर बर्डन रिमूवल की सर्वाधिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए ओबीआर में भी वृद्धि ट्रेंड को कायम रखा है और पिछले वर्ष के मुकाबले ओवर बर्डन रिमूबल के मामले में 9.7% की वृद्धि दर्ज की है।
तथापि लक्ष्य के मुकाबले 8.34 मिलियन क्यूविक मीटर की कमी आई। लक्ष्य के मुकाबले ओवर बर्डन रिमूवल में हुई यह कमी मुख्यत: अक्टूबर 2019 तक हुई लगातार अत्यधिक वर्षा एवं कोलार पिम्परी ओसी, कोलगांव ओसी, यकोना-II ओसी, में एचओई ठेकेदार के कार्य निष्पादन में कमी तथा उरधन ओसी में कार्य निष्पादन नहीं होने से हुई।

कम्पोजिट वाल्यूम:
कंपनी ने पिछले वर्ष के 226.33 मिलियन क्यूबिक मीटर के मुकाबले 247.84 मिलियन क्यूबिक मीटर (कोयला तथा ओबी के लिए कंपोजिट) कंपोजिट वाल्यूम प्राप्त किया है, जो कि 9.50 % की वृद्धि दर्ज करता है।

कोयला उठाव:

(आंकडे मिलियन टन में)

लक्ष्य	2019-20 में वास्तविक	2018-19 में वास्तविक	वृद्धि
56.00	52.55	55.55	-5.4 %

कोयला उठाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:
क) वर्षा ऋतु के दौरान भारी और निरंतर बारिश, जो कि अक्टूबर माह के अंत तक चली । जिसने सडकों की हालत को प्रभावित किया और जिसके चलते कोयला परिवाहन करने वाले वाहन नही चल सके। इसके अलावा बारिश की वजह से भी बार-बार बिजली बंद होने से सीएचपी को चलाने में बाधा आई परिणामस्वरूप कोयला प्रेषण में रूकावटें आईं।
ख) महाजेनको द्वारा कास्ट प्लस सोर्स से कोयला लेने से इंकार करने पर माजरी और वणी-नॉथ क्षेत्रों से कोयला उठाव प्रभावित हुआ।
ग) एमपीपीजीसीएल द्वारा कोयला का कम उठाव।
ध) मार्च 2020 में कोविड-19 का असर

उत्पादकता तथा समग्र प्रणाली क्षमता उपयोगिता:
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी की समग्र उत्पादकता प्रति मेनशिफ्ट 3.36 टन रही है, जो कि पिछले वर्ष में 3.37 टन प्रति मेनशिफ्ट थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान भूमिगत खदानों की उत्पादकता प्रति मेनशिफ्ट 0.99 टन, जबकि खुली खदानों की उत्पादकता प्रति मेनशिफ्ट 4.14 टन रही है।

एसडीएल की उत्पादकता वर्ष के दौरान 60 टन/मशीन/दिन रही, जबकि पिछले वर्ष 70 टन/मशीन/दिन थी और एलएचडी उत्पादकता 108 टन/मशीन/दिन जबकि पिछले वर्ष एलएचडी मशीन की उत्पादकता 115 टन/मशीन/दिन थी। प्रतिकूल भू-खनन परिस्थिति और बार-बार भूवैज्ञानिक रूकावटों के कारण भूमिगत कोयला उत्पादन तथा उत्पादकता प्रभावित हुई (पिछले वर्ष से 0.41 की कमी आई)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी की समग्र प्रणाली क्षमता उपयोगिता 81.76% रही है, जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में यह 90.18 % थी। भूमिगत खानों की समग्र प्रणाली क्षमता उपयोगिता वर्ष 2019-20 में 76.49% रही है, जबकि पिछले वर्ष यह 71.40 % थी। खुली खदानों की समग्र प्रणाली क्षमता उपयोगिता वर्ष 2019-20 में 82% रही है, जबकि पिछले वर्ष यह 91.20 % थी। इस नकारात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण मानसून का अक्टूबर,19 तक बढ जाना और लगभग पूरी मानसून अवधि में बारिश के दिन बढ़ना है।

कोयला स्टॉक:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक कोयला स्टॉक 14.3 मिलियन टन रहा जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में यह 9.24 मिलियन टन था।

2- वित्तीय कार्य निष्पादन:

कंपनी ने 2019-20 में 12.12 करोड रूपये के कर-पूर्व लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में 193.72 करोड रूपये का कर- पूर्व लाभ अर्जित किया था। चालू वर्ष में कुल व्यापक आय(हानि) (743.60) करोड रूपये है, जबकि पिछले वर्ष यह 256.14 करोड रूपये थी।

वित्तीय कार्य निष्पादन के प्रमुख बिन्दु: (रूपये करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19
(क) विक्रय	13465.97	13514.24
(ख) अन्य परिचालन राजस्व	640.54	680.13
संचालन से राजस्व (क+ख)	**14,106.51**	**14,194.37**
(-): उगाही	4,357.24	4,524.31
परिचालनों से निवल राजस्व	**9749.27**	**9,670.06**
(-): व्यय (अन्य निवल आय)	9125.87	8,927.58
समग्र मार्जिन	**623.40**	**742.48**
(-): ह्रास/परिशोधन व्यय	542.09	481.40
समग्र लाभ (हानि)	**81.31**	**261.08**
(-): ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्क	69.19	67.36
कर के पूर्व लाभ (हानि)	**12.12**	**193.72**
(-): कर व्यय	540.40	(75.61)
कर पश्चात लाभ हानि	**(528.28)**	**269.33**
(+): अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	(215.32)	(13.19)
कुल व्यापक आय	**(743.60)**	**256.14**

अन्य इक्विटी में परिवर्तन: (रूपये करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रारंभिक आय	**827.79**	**571.65**
कुल व्यापक आय	(743.60)	256.14
(-): लाभांश	0.00	0.00
लाभांश कर	0.00	0.00
अंतिम शेष	**84.19**	**827.79**

लाभांश:

कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(1) के चतुर्थ प्रावधान अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश की घोषणा करने की अनुमति नहीं देती है।

पूंजीगत ढांचा:

शेयर पूंजी:

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 800 करोड रूपये है, जिसमें प्रत्येक 1000/- रूपये के 80 लाख इक्विटी शेयरों का समावेश है, इसमें से 297.10 करोड रूपये पेडअप इक्विटी शेयर पूंजी है(प्रत्येक 1000/- रूपये के 29.71 लाख इक्विटी शेयर) जो वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहे।

उधारी:

वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार, सीआईएल या किसी भी वित्तीय संस्था से कोई ऋण नहीं लिया है।

पूंजीगत खर्च:

वर्ष 2019-20 के दौरान तथा केपीटल वर्क-इन प्रोग्रेस वर्तमान और आगामी खदानों/परियोजनाओं की स्थाई परिसंपत्तियों में 536.99 करोड रूपये की राशि निवेश की गई (434.31 करोड रूपये की पूंजीगत प्रतिबद्धता को छोडकर)। पिछले वर्ष का पूंजीगत खर्च 872.38 करोड रूपये था।

सरकारी खजाने में भुगतान:

वर्ष के दौरान राज्यवार रॉयल्टी, एमएमडीआर रॉयल्टी, वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर, प्रवेश कर, स्टोइंग शुल्क, क्लीन एनर्जी सेस तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान सरकार को किया गया। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(रूपये करोड में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	कुल	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	कुल
रॉयलटी	88.44	1,187.16	**1,275.60**	122.97	1172.94	**1,295.91**
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	1.81	23.74	**25.55**	2.56	23.47	**26.03**
विवरण	**2019-20**			**2018-19**		
	मध्यप्रदेश	**महाराष्ट्र**	**कुल**	**मध्यप्रदेश**	**महाराष्ट्र**	**कुल**
जिला खनिज फाउण्डेशन	27.21	356.41	**383.62**	38.47	351.63	**390.10**
बिक्री कर - राज्य	-	-	-	-	-	-
बिक्री कर-केन्द्र	-	-	-	-	-	-
प्रवेश कर	-	-	-	-	-	-
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-
स्वच्छ पर्यावरण सेस	-	-	-	-	-	-
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-
सीजीएसटी	14.41	147.72	**162.13**	17.28	147.57	**164.85**
एसजीएसटी	14.41	147.72	**162.13**	17.28	147.57	**164.85**
आईजीएसटी	0.03	0.66	**0.69**	0.01	0.51	**0.52**
राज्य कंपनसेशन सेस	122.61	1,956.43	**2,079.04**	169.72	1989.23	**2,158.95**
कुल	**268.92**	**3,819.84**	**4,088.76**	**368.29**	**3,832.92**	**4,201.21**

3. कोयले का विपणन:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 56.0 मिलियन टन लक्ष्य के मुकाबले में कच्चे कोयले का उठाव 52.58 मिलियन टन रहा, जोकि लक्ष्य की 93.89 % उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के कोयले का उठाव 55.55 मिलियन टन था।

प्रेषण (विक्रय):

वर्ष 2019-20 एवं 2018-19 के लिए एमओयू लक्ष्य तथा रेल, रोड एवं अन्य साधनों से साधनवार कोयले का प्रेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:- (ऑकडे मिलियन टन मे)

वर्ष		वास्तविक प्रेषण						
समस्त साधनो से	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य	रेल	रोड	एमजीआर	अन्य साधन	कुल प्रेषण (विक्रय)	सीसी	ढुलाई
2019-20	56.0	32.774	17.314	0.474	2.014	52.576	0.004	52.580
2018-19	59.7	35.319	17.632	0.318	2.217	55.549	0.004	55.553

वर्ष 2019-20 के दौरान सेक्टरवार लक्ष्य एवं कोयला प्रेषण का विवरण:

वर्ष 2019-20 एवं 2018-19 के लिए सेक्टरवार एमओयू लक्ष्य तथा कोयला प्रेषण (विक्रय) का विवरण नीचे दिया गया है:- (ऑकडे मिलियन टन में)

सेक्टर	2019-20			2018-19		टिप्पणी
	एपीपी लक्ष्य	वास्तविक प्रेषण	प्रतिशत	वास्तविक प्रेषण	प्रतिशत	
आईपीपी सहीत पावर (रॉ कोल) और एसपीएफइ	46.00	43.00	93.5	45.085	-4.6	
सीमेंट एवं सीमेंट सीपीपी	1.20	1.82	152.1	1.566	16.5	
स्टील (रॉ)	0.23	0.01	3.2	0.056	-87.3	
स्पंज आयरन	0.28	0.46	163.7	0.163	181.1	
अन्य	8.29	7.29	87.9	8.680	-16.0	एफएसए और ई-ऑक्शन के साथ
कुल प्रेषण(इंटरनल रॉ)	55.99	52.58	93.9	55.549	-5.4	
सीसी	0.01	0.004	52.5	0.004	5.0	
कुल ढुलाई (रॉ कोल)	56.00	52.58	93.9	55.553	-5.4	

वैगन लादन(बॉक्सेस प्रतिदिन में) एवं रेल प्रेषण:

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू लक्ष्य दैनिक औसत आधार परा लादन और कोयला प्रेषण की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	लक्ष्य (बॉक्सेस)	वास्तविक (बॉक्सेस)	उपलब्धि का प्रतिशत	रेल डिस्पैच (ऑकडे मि.टन में)
2019-20	1664	1335	80	32.77
2018-19	1534	1506	98	35.32

डब्लूसीएल ने 38.613 मिलियन टन के एपीपी लक्ष्य के मुकाबले तथा पिछले वर्ष के वास्तविक 35.32 मिलियन टन की तुलना में रेलवे के माध्यम से 32.77 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया है।

विक्रय वसूली :

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विक्रय वसूली 13105.86 करोड रूपये रही जो पिछले वित्तीय वर्ष के 14728.84 करोड रूपये की तुलना में 11.42% कम है । पिछले वर्ष के मुकाबले वसूली 1622.98 करोड रूपये से कम हुई है। पिछले वर्ष के मुकाबले कुल कोयला उठाव में कमी होने से वसूली कम हई है।

वर्ष 2019-20 और 2018-19 में ई-ऑक्शन :

स्पॉट ई-ऑक्शन:

वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान स्पॉट ई-ऑक्शन के अंतर्गत ऑफर की गई कोयले की मात्रा सफल बोलियों के आधार पर आबंटित कोयले की मात्रा और कम्पनी को प्राप्त हुई अतिरिक्त राजस्व की राशि का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	ऑफर की गई कोयले की मात्रा (लाख टन में)	आवंटित कीगई कोयले की मात्रा (लाख टन में)	अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति (करोड रूपय में)
2019-20	75.92	43.26	344.89
2018-19	54.24	51.40	615.32

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्पॉट ई-ऑक्शन के अंतर्गत आबंटित की गई मात्रा से वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्पॉट ई.ऑक्शन के अंतर्गत आवंटित मात्रा अधिक है। ई-ऑक्शन का कार्यनिषादन बाजार के उतार-चढाव पर निर्भर करता है।

फॉरवर्ड ई-ऑक्शन:

फॉरवर्ड ई-ऑक्शन की योजना को सीआईएल द्वारा बंद कर दी गई।

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्शन:

वर्ष 2019-20 तथा 2018-19 के दौरान स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्शन के अन्तर्गत ऑफर की गई कोयले की कुल मात्रा, सफल बोलियों के आधार पर आवंटित की गई कोयले की मात्रा तथा आवंटित मात्रा के आधार पर प्राप्त अतिरिक्त राजस्व निम्नानुसार है:-

वर्ष	ऑफर की गई मात्रा (लाख टन में)	आवंटित कीगई मात्रा (लाख टन में)	अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति (करोड रूपय में)
2019-20	56.00	39.68	178.22
2018-19	27.00	21.20	154.97

एक्सक्यूसिव ई-ऑक्शन:

वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान एक्सक्यूसिव ई-ऑक्शन के तहत आफर की गई कोयले की कुल मात्रा, सफल बोलियों के आधार पर आवंटित मात्रा और आवंटित मात्रा के आधार पर प्राप्त अतिरिक्त राजस्व निम्नानुसार है:

वर्ष	ऑफर की गई मात्रा (लाख टन में)	आवंटित कीगई मात्रा (लाख टन में)	अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति (करोड रूपय में)
2019-20	निल	निल	निल
2018-19	निल	निल	निल

उपभोक्ता संतुष्टि:

डब्लूसीएल के पास दिनांक 21.09.2021 तक वैध कोयला आपूर्ति आईएसओ 9001: 2015 क्यूएमएस प्रमाणन है और उपभोक्ता संतुष्टि को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए:

i. क्षेत्र स्तर पर विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन।

ii. कोयला उत्पादन, आकार, गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रेषण गतिविधियों में लगे अधिकारियों की गुणवत्ता चेतना स्तरों के उन्नयन के लिए प्रेरक तकनीकों का अनुप्रयोग।

iii. कोयला निष्कर्षण के बिंदु से प्रेषण बिंदु एवं नमूने के सुचारू संचालन और कड़ाई से मानदंडों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 160 (पहले) से 183 तक तकनीकी निरीक्षकों के चयन के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करना।

iv. क्रेशिंग क्षमता को बढ़ाकर डिस्पैच से पहले कोयले की 100% क्रेशिंग सुनिश्चित करना।

v. इलेक्ट्रॉनिक वेजब्रिज द्वारा रेल और सड़क मोड द्वारा भेजे गए कोयले का 100% वजन।

vi. थर्ड पार्टी एजेंसी यानी सीआईएमएफआर और क्यूसीआई द्वारा डिस्पैच से पहले कोयले के नमूने और विश्लेषण के लिए एनएबीएल एक्रिडिटेड प्रयोगशाला और सभी क्षेत्रों के तैयारी कक्षों में स्थितियों को सक्षम करने का 100 प्रतिशत प्रावधान।

किये गये उपायों और उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i. वित्तीय वर्ष 2019-20 में पॉवर सेक्टर को भेजे गए 39.39 मिलियन टन की मात्रा में से 38.86 मिलियन टन की मात्रा यानी 98.65 प्रतिशत थर्ड पार्टी सैंपलिंग और संयुक्त नमूने के तहत कवर किया गया। (कोविड - 19 लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में 22 मार्च 2020 से थर्ड पार्टी सैंपलिंग नहीं हो सका है।)

ii. कोल ग्रेड मटेरियलाइजेशन में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है। जिससे उपभोक्ताओं की संतुष्टि बेहतर हुई है।

iii. पिछले वर्ष की तुलना में 9.11% (सीआईएमएफआर परिणामों के अनुसार) और 11.08% (क्यूसीआई परिणामों के अनुसार) की तुलना में कोयला ग्रेड के प्रतिशत में कमी आई है।

iv. जुलाई 2019 में वणी नार्थ, चंद्रपुर, उमरेर और पेंच क्षेत्र में कोयला गुणवत्ता सुधार उपायों पर चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और मानव संसाधन विकास विभाग, डब्ल्यूसीएल, इंदौरा कॉम्प्लेक्स में जूनियर तकनीकी निरीक्षकों / जूनियर केमिस्टों के लिए एक दिन का रिफ्रेशर कोर्स किया गया।

v. कोयला गुणवत्ता पर एक विर्चुल क्लास मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14 अगस्त 2019 को आयोजित किया गया था। सतह की नमी पर विशेष जोर देने के साथ कोयले की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे, ग्रेड स्लिपेज और सुधारात्मक उपायों के लिए खदानवार मूल कारण विश्लेषण, विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन और इसकी निगरानी सभी क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ गहराई से चर्चा की गई। परिचालन स्तर के विभिन्न चरणों में विभिन्न कोयला गुणवत्ता के मुद्दों पर उठाए गए कई सवालों का जवाब इंटरैक्टिव सत्र के दौरान प्रभावी ढंग से दिया गया।

vi. डब्लूसीएल के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण ड्राइव का आयोजन किया गया था ताकि ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर व्यापक प्रचार और प्रसार हो सके।

vii. डब्ल्यूसीएल, मुख्यालय, नागपुर में कोल इंडिया फाउंडेशन उत्सव के दौरान खदानों में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली विकास के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, गुणवत्ता के मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खदानों को सम्मानित किया गया (समूह ए, बी और सी जैसे तीन अलग-अलग खंडों में) ।

कोयले की तुलाई:

1.विभिन्न श्रेणियों/योजनाओं के तहत बिजली और गैर-बिजली क्षेत्रों को सभी माध्यमों से प्रेषित की गई 52.57 मिलियन टन मात्रा में से, समस्त माध्यमों द्वारा 52.512 मिलियन टन (99.98 प्रतिशत) की मात्रा को डिस्पेच से पहले लदान स्थलों में इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजो पर तौला गया ।

2. वर्ष 2019-20 में 06 अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज स्थापित किए गये । हालांकि अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत दो अतिरिक्त वे-ब्रिज के साथ 7 सर्वे-ऑफ वे-ब्रिज के प्रस्ताव प्रकिया में हैं। 10 वे-ब्रिज की नई खरीद का प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन है।

3.डब्लूसीएल में स्थापित सभी रेल एवं रोड वे-बिज सांविधिक प्राधिकरण अर्थात लीगल एवं मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा विधिवत केलीब्रेटेड, प्रमाणित कराये गये हैं और स्टैम्प लगवाए गए।

कोयले की क्रशिंग/साइजिंग

पावर सेक्टर को (-)100 एमएम आकार में 100% आकार के कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की गई।

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और निवारण:

1.उपभोक्ताओं की शिकयतों का समयवद्ध तरीके से निवारण करने के लिए उचित शिकायत निवारण मंच बनाया गया है।

2.पावर से सेक्टर से लम्पी कोल, बाहरी पदार्थ एवं गीला/चिपचिपायुक्त कोयला प्राप्त होने की कुल 184 शिकायते प्राप्त हुई। **शिकायतों के समय पर निवारण और निपटान के लिए तत्काल उपयुक्त कार्रवाई की गई और संबंधित उपभोक्ताओं को सूचित किया गया।**

4. योजना:

वर्ष 2019-20 के दौरान समूहवार उत्पादन कार्यक्रम तथा उपलब्धियां और वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है:

(आंकडे मिलियन टन में)

विवरण		2019-20		2020-21
		लक्ष्य मिलियन टन में	वास्तविक मिलियन टन में	लक्ष्य(वर्षिक कार्ययोजना के अनुसार) मिलियन टन में
1	वर्तमान/पूर्ण हुई परियोजनाएं	16.855	16.292	15.26
2	चल रही/भावी परियोजनाएं	39.145	41.344	46.740
	कुल	**56.00**	**57.636**	**62.00**

ड्रिलिंग और अन्वेषण:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएमपीडीआइएल, RI-IV द्वारा सीआईएल ब्लॉको में कुल 62547.31 मीटर ड्रिलिंग की गई। विभागीय साधनों के माध्यम से 33355.10 मीटर की ड्रिलिंग की गई, जिसकी समग्र उत्पादकता 648 मीटर रिंग प्रतिमाह अर्थात 102 प्रतिशत उपलब्धि है। आउटसोर्स के जरिये डब्लूसीएल के अधिकार क्षेत्र के तहत 29192.21 मीटर ड्रिलिंग ब्लाकों में प्राप्त की गई।

2019-20 के दौरान प्रस्तुत की गई जीआर/आईजीआर:

वर्ष 2019-20 दौरान तीन भू-वैज्ञनिक रिपोर्टस तैयार की गई:

विभागीय:

न्यू टाकली जीना बेल्लोरा ब्लॉक के पश्चिमी एक्सपांशन, वर्धा वेली सीएफ (सीआईएल)

आउटसोसिंग के माध्यम से:

क) तेढी-इमली,(सीआईएल)

ख) पाथाखेडा-पिपरिया ब्लॉक, (गैर-सीआईएल)

वर्ष 2019-20 के लिए संसाधन:

सीआईएल में स्थापित रिजर्व ब्लॉक और अतिरिक्त सीआइएल ब्लॉक निम्मानुसार है:

	प्रमाणित
न्यू टाकली जीना बेल्लोरा ब्लॉक के पश्चिमी एक्सपांशन, वर्धा वेली सीएफ (सीआइएल)	50.538 मिलियन टन
तेढी-इमली,(सीआइएल)	26.160 मिलियन टन
महा योग	76.698 मिलियन टन

रिपोर्ट बनाना:

वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित 7 खनन परियोजनाओं की रिपोर्ट बनाई गई है:

क्रं.	**परियोजना रिपोर्ट का नाम**	**लक्ष्य क्षमता (मिलियन टन)**	**वृद्धि क्षमता (मिलियन टन)**
1	बोरदा यूजी	6.00	6.00
2	सास्ती ओसी एक्सपांशन	2.50	1.10
3	न्यू बल्लारपुर ओसी	1.50	1.50
4	गौरी-पौनी ओसी एक्सपांशन	3.50	1.10
5	धनकसा यूजी	1.00	1.00
6	जमुनिया यूजी	0.90	0.90
कुल		15.4	11.6

योजना तैयारी:

वर्तमान में 69.213 मिलियन टन स्वीकृत क्षमता की 34 परियोजनाएं चल रही है, जिसकी कुल स्वीकृत पूंजी 9875.272 करोड रूपये है। वर्ष 2019-20 के दौरान 23 परियोजनाओं से 41.344 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन है।

वर्ष 2019-20 में पिछले 5 वर्षो में खोली गई 20 नए/रिप्लेसमेंट खदानों से 41.20 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ और डब्लूसीएल के अन्य खदानों से 16.44 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया गया ।

दीर्घकालिक योजना: योजना उत्पादन के प्रोजेक्शन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कोयला (मिलियन टन)
2021-2022	65
2022-2023	70
2023-2024	75

वर्ष 2019-20 में परियोजनाओं/योजनाओं और खनन योजना का अनुमोदन:

क्रं.	नाम	अनुमोदन की तिथि	क्षमता (मिलियन टन)	डब्ल्युडीवी सहित पूंजी करोड में
1.	न्यू माजरी यूजी टू ओसी	25.05.2019	3.00	496.3829
2.	गांधीग्राम यूजी	31.08.2019	1.26	414.1575
3.	दिनेश (एमकेडी-३)	31.08.2019	8.00	1184.3331
4.	भाटाडीह	31.08.2019	2.00	729.86
5.	नरायनी योजना ओसी	14.10.2018 वेकोलि सीएमडी द्वारा	1.65	73.575
6.	आरपीआर धनकसा	03.02.2020	1.00	289.2998
कुल			16.91	3187.608

टीएच- टोटल हायरिंग और पीएच- पारशियल हायरिंग

सीआईएल बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु सीआईएल को प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट

दिनांक 11 फरवरी 2020 को आयोजित 339 वीं सीआइएल बोर्ड में अनुमोदित भाटाडी एक्सपांशन (पीएच) परियोजना दिनांक 11 फरवरी 2020 को आयोजित 339वीं सीआइएल बोर्ड में अनुमोदित दिनेश एक्सपांशन (टीएच) परियोजना

खनन योजना का अनुमोदन :

क्र.	नाम	क्षमता मिलियन टन	टिप्पणी
1.	सिंघोरी ओसीपी(पुनरीक्षित)	1.12	311वीं डब्लूसीएल बोर्ड में अनुमोदित
2.	मखरडोगरा-1	3.5	313वीं डब्लूसीएल बोर्ड में अनुमोदित
3.	खनन योजना में संशोधन एएमजी गोंदेगांव घाटरोहना	3.5	314वीं डब्लूसीएल बोर्ड में अनुमोदित
4.	नीलजय डीप	पीएच-1 के लिए 4.50 & पीएच-1 के लिए 4.90	315वीं डब्लूसीएल बोर्ड में अनुमोदित
5.	एकीकृत यकोना 1 और 2	2.75	315वीं डब्लूसीएल बोर्ड में अनुमोदित वन भमि को छोडकर

कास्ट प्लस परियोजनाएं :

क्रं.	परियोजना	एसीक्यू मिलियन टन में	से अनुबंध
1	धोपतला(सास्ती यूजी से ओसी)	0.4371	एनटीपीसी गाडरवाडा

अन्य उपभोक्ताओं, महाजेनको (चंद्रपुर) और एमपीजीसीएल (खण्डवा,म.प्र) को परियोजना रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए कोस्ट प्लस अनुबंध पर अभी हस्ताक्षर करना बाकी है।

परियोजना की पूर्णता :

क्रं.	परियोजना	अनुमोदन की तिथि
1	धुरवासा एक्सपांशन योजना के लिए	311वीं डब्लूसीएल बोर्ड
2	जुन्नाद एक्सटेंशन ओसीपी	315वीं डब्लूसीएल बोर्ड

कैपेक्स:

वित्तय वर्ष 2019-20 के लिए कैपेक्स 1050 करोड रूपए के लक्ष्य के मुकाबले 536.99 करोड रूपए था **(434.31 करोड़ रूपये की पूंजीगत प्रतिवद्त्ता को छोडकर)**। नए ब्लॉक के लिए रखे गए पूंजीगत व्यय के मटेरियलाइजेशन और एचइएमएम, सिविल कार्यो आदि के अंतिम भुगतान पर कोविड- 19 का प्रभाव कैपेक्स में कमी के मुख्य मुख्य कारण हैं।

आइएसओ में उपलब्धियां:

डब्लूसीएल में वर्तमान में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रमाणित 83 इकाइयां हैं जो आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 पालन करती हैं ।

वर्ष 2019-20 में प्रमाणित 40 इकाइयां और 2018-19 में प्रमाणित 43 परियोजनाएं अभी जारी हैं।

एमओएसपीआई द्वारा मॉनिटर परियोजनाओं का कार्यान्वयन:

ओसीएमएस पोर्टल पर 23 परियोजनाओं को मॉनिटर किया गया और यह सभी परियोजनाएं बिना किसी लागत और समय से चल रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में 71.25% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चल रहे/पूर्ण हुए कैपेक्स अनुबंधो का कुल मूल्य के साथ वर्ष के दौरान बिना किसी समय/कास्ट ओवररन के कैपेक्स अनुबंध/चल रही परियोजना/पूरी हुई परियोजना का प्रतिशत मूल्य 91.87% था।

डब्लूसीएल के सभी 59 ऑपरेटिंग खदानों को पंजीकृत किया गया और 2019-20 में कोयला खदानों के लिए स्टार रेटिंग पोर्टल में स्व-मूल्यांकन के लिये पंजीकृत किया गया था।

5. **भूमि अधिग्रहण:**

केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कोल बेअरिंग एरियाज(अधिग्रहण और विकास) एक्ट 1957 एक मुख्य अधिनियम हैं और कोयला खनन गतिविधियों के लिए इस अधिनियम को डब्लूसीएल में लागू किया गया। आरएफसीटी-एलएआरआर एक्ट, 2013 बनने के बाद से इस अधिनियम की अनुसूची एक और दो के प्रावधानों के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार सीबीए(ए एण्ड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 14(1) के अनुसार तथा सीआईएल की आर एण्ड आर पॉलिसी 2012 के अनुसार भूमि मालिक द्वारा चयनित अधिक लाभकारी विकल्प के आधार पर भूमि मुआवजा तथा आर.एंड आर. के लाभ निर्धारित किए जाते हैं। संबंधित जिला कलेक्टर को शामिल करते हुए भूमि का अधिग्रहण प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रभावित लोगों को भूमि मुआवजा की राशि तथा आर.एंड आर. के लाभ दिए जाते हैं।

राज्य सरकार के माध्यम से आरएफसीटी-एलआरआर अधिनियम, 2013 के तहत भी भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और आरएफसीटी-एलआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची- 1 और 2 के अनुसार सभी लाभ दिए जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की भूमि राजस्व संहिता के प्रावधानों को भी उन मामलों में लागू किया गया, जहां खनिज रियायत नियम के तहत खनन लीज प्राप्त किया गया। कई बार भूमि की अति आवश्यकता होने पर सीधे खरीदी के माध्यम से भी भूमि अधिग्रहण किया जाता है।

राष्ट्रीयकरण से अब तक कुल 31950.30 हैक्टेयर भूमि विभिन्न माध्यमों से अधिग्रहित की गई और 27694.81 हैक्टेयर भूमि कंपनी के प्रत्यक्ष कब्जे में है। इसमें वर्ष 2019-20 के दौरान अधिग्रहित की गई 72.20 हैक्टेयर तथा 1023.98 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यक्ष कब्जा शामिल है ।

विभिन्न माध्यमों से भूमि अधिग्रहण एवं प्रत्यक्ष कब्जे का विवरण: (आंकडे हैक्टेयर में)

कं.	अधिग्रहण का माध्यम	2019-20 के दौरान		31 मार्च 2020 तक (राष्ट्रीयकरण के बाद से)	
		प्राप्त	अधीन	प्राप्त	अधीन
1	कोल बेअरिंग एरियाज(अधिग्रहण और विकास) एक्ट, 1957	71.77	1023.55	23154.09	18987.73
2	भूमि अधिग्रहण एक्ट, 1984	-	-	4184.642	4175.862
3	मध्यप्रदेश की भूमि राजस्व संहिता और महाराष्ट्र की खनिज रियायत नियमों के तहत	-	-	1594.329	1585.149
4	प्रत्यक्ष खरीद	0.43	0.43	2129.75	2129.75
5	कार्यकारी आदेश वन संरक्षण एक्ट के तहत (वन भूमि का डायवर्जन)	-	-	887.22	816.32
कुल :		**72.20**	**1023.98**	**31950.03**	**27694.81**

वन भूमि:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमोदन के पश्चात वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार से वन भूमि परिवर्तित डायवटेड की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20, में डब्लूसीएल द्वारा प्रथम चरण में तवा-III यूजी के लिए 101.60 हैक्टेय भूमि के लिए प्रथम चरण की वन मंजूरी प्राप्त करने में सफल रहा है और छतरपुर-1 भूमिगत एक्सपांसन के लिए 39.817 हैक्टेयर भूमि के लिए द्वितीय चरण की वन मंजूरी प्राप्त की गई।

पुनर्वास एवं पुन:स्थापन:

2019-20 में कुल 762 परियोजना प्रभावित परिवारों को सीआईएल की आर एंड आर पॉलिसी, 2012 के प्रावधान के तहत पुनर्वास लाभ प्रदान करके उनका पुनर्वसन किया गया ।

वर्ष 2019-20 के दौरान टेनन्सी लैंड के लिए आर एंड आर लाभों का अनुमोदन :

वर्ष	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रोजगार	अनुमोदित रोजगार के बदले आर्थिक मुआवजे की संख्या	कृषि भूमि के लिए आर. एंड आर. लाभों की संख्या
2019-20	1035	72	1107

भूमि अधिग्रहण में आने वाली बाधाएं:

1 राज्य सरकार के अधिकारियों ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिये सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ परामर्श करने के पुनर्वास के लिये जमीन चिन्हित करने के कारण पुनर्वास स्थल को अंतिम रूप देने में विलम्ब होता है।

2 ग्रामीणों की उच्च आकांक्षाओं तथा ग्राम सभा आदि में उनकी उपस्थिति के सख्त शर्तो को ध्यान में रखते हुए, वन भूमि डायवर्जन प्रस्तावों के लिए एफआरए-2016 के तहत एनओसी प्राप्त करने में कठिनाई आती है/अधिक समय लगता हैं।

पुनर्वसन कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए परियोजना प्रभावित लोगों (ग्राम पंचायत) के साथ परामर्श करके वैकल्पिक स्थान के रूप में निजी भूमि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। वन मंजूरी संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के साथ पीएमजी पोर्टल के अन्तर्गत नियमित बैठकें की गई। संबंधित डीएफओ/सीसीएफ तथा एपीसीसीएफ/नोडल अधिकारियों के साथ भी मासिक समीक्षा बैठकें की गई। इसके अलावा डब्लूसीएल से संबंधित वन मंजूरी संबंधी मामलों के समय पर निपटान के लिए तकनीकी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहायक महानिरीक्षक और महानिरीक्षक-फॉरेस्ट क्लीयरेंस के साथ बार.बार बैठकें की गई।

एफआरए 2016 के तहत एनओसी के मुद्दे के समाधान के लिए डब्लूसीएल ने वन विभाग महाराष्ट्र के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से निरंतर अनुरोध और नियमित फॉलो-अप के माध्यम से वन विभाग को आश्वस्त करने में सफलता प्राप्त की है कि वन संरक्षण संशोधन नियम 2017 के अनुसार एफआरए-2006 की आवश्यकता स्टेज-1 के वन मंजूरी के अनुपालन के समय होगी अर्थात सिद्धांतत: अनुमोदन के बाद और अंतिम अनुमोदन (वन मंजूरी के द्वितीय चरण) के पूर्व होगी। परिणामस्वरूप स्टेज- 1 वन मंजूरी के अनुमोदन के प्रस्तावों को एफआरए- 2006 के तहत एनओसी के अभाव में रोका जा रहा है। संबंधित गांवों के पुनर्वास के मुद्दे के समाधान के लिए जिला अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम सभाओं (ग्रामीणों सहित) के साथ बार-बार बैठकें आयोजित की गई।

करीबी निगरानी तथा मासिक समीक्षा के लिए वन भूमि संबंधी मंजूरी और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को नियमित रूप से कोल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल (ई-सीपीएमपी) पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

6. उपकरणों की संख्या एवं कार्य निष्पादन:

उपकरणों की संख्या

स.क्रं.	उपकरण	31 मार्च को उपकरणों की संख्या	
		2020	2019
1	ड्रेगलाइन	2	2
2	इलेक्ट्रीक रोप शॉवेल	19	19
3	हाईड्रोलिक एक्सैवेटर	115	105
4	डम्पर	379	414
5	डोजर	144	132
6	ड्रिल	69	75
कुल		**728**	**747**

एचईएमएम का कार्य निष्पादन :

एचईएमएम की उपलब्धता

1. शॉवेल, डम्पर, डोजर और ड्रील उपलब्धता के लिए सीएमपीडीआईएल मानको को प्राप्त किया है (विवरण संलग्न है एनेक्षचर–ए)
2. वित्तीय वर्ष 2019–20 (प्रोग्रेसिव मार्च 2020) के दौरान शॉवेल, डम्पर, डोजर और ड्रील की उपलब्धता पिछले वर्ष (यानी प्रेग्रेसिव मार्च 2019) की तुलना मे अधिक है।
3. शॉवेल और ड्रील की उपलब्धता में डब्लूसीएल का श्रेणीवार प्रदर्षन सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में पहले स्थान पर है, डम्पर के मामले मे दूसरे और डोजर के मामले में तीसरे स्थान पर है।

एचईएमएम की उपयोगिताः

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 (प्रोग्रेसिव मार्च 2020) के दौरान डम्पर की उपयोगिता पिछले वर्ष (यानी प्रोग्रेसिव मार्च 2019) की तुलना मे अधिक है।
2. डब्लूसीएल में डम्पर की उपयोगिता के श्रेणीवार प्रदर्षन में सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में दूसरे स्थान पर है।

डब्ल्यूसीएल की ओपन कास्ट माइंस की विभागीय प्रणाली क्षमता उपयोगः

वर्ष	क्षमता क्यूबिक मीटर में	क्षमता उपयोग	टिप्पणी
2018–19	74.72	91.21 %	1 अप्रैल 2018 के अनुसार सीएमपीडीआई क्षमता के आधार पर
2019–20	78.20	82.00 %	1 अप्रैल 2019 के अनुसार सीएमपीडीआई क्षमता के आधार पर

विशेष उपलब्धियां :

1- डब्लूसीएल में डम्पर की उपयोगिता के श्रेणीवार प्रदर्षन में सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में द्वितीय स्थान पर है।

2- वित्तीय वर्ष 2019.20 के दौरान सर्वे ऑफ हुए उपकरणों के प्रतिस्थापन के रूप में खरीदे गए 86 नए उपकरण, जिसमें 60टी डम्पर, हाईड्रोलिक एक्सैवेटर, डोजर, ड्रिल, ग्रेडर्स, क्रेन और वाटर स्प्रिंकलर शामिल हैं।

3- वित्तीय वर्ष 2019–.20 के दौरान केन्द्रीय वर्कषाप, तडाली ने लक्ष्य के मुकाबले इंजन रिपेयरिंग में 108.51%, ट्रांसमिषन रिपेयरिंग में 100.56% स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग में 118.33% , हेवी रिपेयरिंग में 140.80% सब–असेंबली रिपेयरिंग में 107.29% , और इलेक्ट्रीकल रिपेयरिंग में 110.23% की उपलब्धि प्राप्त की है।

4- सीआइएल की सभी सहायक कंपनियों में डब्ल्यूसीएल का श्रेणीवार प्रदर्षन उसकी क्षमता उपयोगिता के आधार पर द्वितीय रहा है।

टिप्पणीः

1 कोल इंडिया से प्राप्त आंकडों के अनुसार।

7 **बिजली की उलब्धता एवं खपत**

	2019-20	2018-19	विविधता
औसत कॉन्ट्रेक्ट डिमांड एम वी ए में	141.84	143.99	(-) 1.49 %
औसत अवेल्ड डिमांड एम वी ए में	105.01	106.09	(-) 1.02 %

मेन राइडिंग सिस्टमः

वर्तमान में डब्ल्यूसीएल में 17 मेनराइडिंग सिस्टम स्थापित किये गये है जिसमें से 4 रेल कार और 13 चेयर लिफ्ट प्रकार के है। चेयर लिफ्ट प्रकार के तीन मेन राइडिंग सिस्टम वित्तीय वर्ष 2019.20 के दौरान स्थापित किये गये है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

1) महाकाली–स्थापित और 08.04.2019 को शुरू किया गया
2) डीआरसी– स्थापित और 16.01.2020 को शुरू किया गया
3) सावनेर–2– स्थापित और 10.09.2019 को शुरू किया गया

8. सुरक्षा

यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि डब्ल्यूसीएल को देष में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त 07 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिले हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति से 16 दिसम्बर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह प्राप्त हुए। यह सीआईएल की किसी सहायक कंपनी को प्राप्त सबसे उच्चतम संख्या है। कुषल कामगार कंपनी की महत्वपूर्ण सम्पत्ति है और इसीलिए उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी कंपनी में एक ही तरह के बार–बार होने वाली दुर्घटनाओं और लापवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निचले स्तर पर सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढाने के लिए विषेष बल दिया जाता है। प्रतिमाह सुरक्षा समिति की बैठके आयोजित कर इकाई स्तर पर सहभागिता हेतु सुरक्षा प्रबंधन सक्रिय है इसके अलावा क्षेत्र तथा कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठके आयोजित की जाती है, जिसमें डीजीएमएस के अधिकारी भी सक्रियता से भाग लेते है। नियमित सुरक्षा विषयागत जागरूकता अभियान के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें सामूहिक जागरूकता और व्यवस्थित सुधार के लिए विषेष सुरक्षा ड्राइव वर्षभर चलाए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राण–घातक और दुर्घटनाओं की सांखिकी :

विवरण	2019.20	2018.19
प्राण–घातक दुर्घटनाओं की संख्या	2	01
मृत्यु संख्या	2	04
मृत्यु संख्या दर प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.03	0.08
मृत्यु संख्या दर प्रति 3 लाख मैनषिफ्ट	0.04	0.08
गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	11	15
गंभीर रूप से घायल	12	15
गंभीर रूप से घायल की दर प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.21	0.28
गंभीर रूप से घायल की दर प्रति 3 लाख मैनषिफ्ट	0.22	0.29
इंजूरी फ्रिक्वेंसी (10 एफ+एस)	32	55

संक्षेप में सुरक्षा संख्यिकीः

1- पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या में 50 प्रतिषत की कमी आई
2- पिछले वर्ष की तुलना में घातक चोटों की संख्या में कमी आई
3- पिछले वर्ष की तुलना में घातक चोटों की आवृत्ति में 14.82 कमी आई वर्तमान
4- वर्तमान वर्ष 2019–20 में प्राण घातक दुर्घटनाओं में 53.3 प्रतिषत की कमी दर्ज की हुई, 5 वर्षों में से पिछले 3 वर्षों में औसत से अधिक कमी आई।

5- वर्तमान वर्ष 2019.20 में गंभीर दुर्घटनाओं में 33ण्3 प्रतिषत की कमी दर्ज की गई, 5 वर्षों में से पिछले 3 वर्षों में औसत से अधिक कमी दर्ज की गई।

6- जनवरी, 20 से मार्च,20 के बीच न ही कोई प्राण घातक दुर्घटना हुई और न ही कोई गंभीर दुर्घटना हुई।

खदानों में सुरक्षा संबंधी उपायों में सुधार लाने वर्ष 2019-20 **के दौरान उठाये गए कदमः**

1- पर्यावरण टेली–मॉनिटरिंग सिस्टम भूमिगत खदानों में स्थापित किया गया। वर्तमान में 6 पर्यावरण टेली मॉनिटरिंग सिस्टम डब्ल्यूसीएल की निम्न 6 भूमिगत खदानों में स्थापित किये गये वीसी–3 और 4, डीआरसी, सिल्लेवारा नंदगांव, सास्ती यूजी और महाकाली।

2- लम्बी और कठिन यात्रा के लिए भूमिगत खदानों मे मेन राइडिंग सिस्टम स्थापित किए गए । वर्तमान में 16 खानो में (तानसी, मोहन, सावनेर–1, तवा–1, शोभापुर, वल्लारपुर 3 और 4, छतरपुर–1, नहेरिया, राजुर इनक्लाइन, सावनेर–2, सावनेर–3, माहाकाली और डीआरसी) 17 मेन राइडिंग सिस्टम स्थापित है अतिरिक्त मेनराइडिंग सिस्टम तवा–2 और छतरपुर–1 में लगाए गए। मूरपर यूजी माइंस से मेन राइडिंग सिस्टम सारली कॉलरी को पहुंचाया जा रहा है।

3- भूमिगत खानों मे एलईडी केपलैंप का उपयोग, वर्तमान में 16380 की संख्या में एलइडी केपलैंप और 158 चार्जिग रेक उपलब्ध है जो की 100 प्रतिषत भूमिगत कामगारों के लिए है,

4- ड्रीलिंग का मषीनीकरणः 104 मषीनीकृत ड्रीलिंग सिस्टम 55 यूडीएम समेत मौजूद है, भूमिगत खानों के लिए।

5- डब्ल्यूसीएल की किसी भी भूमिगत खदान में मैन्युअल लोडिंग मौजूद नहीं है।

6- माइनिंग शूः 44767 जोडी केनवास शूज खरीदे गए और 2019.20 के दौरान 43827 जोडी केनवास शूज इषू किए गए।

7- सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) डब्ल्युसीएल की सभी खदानों से तैयार करके आइएसओ, डब्ल्युसीएल द्वारा पुनरीक्षण के बाद डीजीएमएस को प्रस्तुत किए गए। इसका समय समय पर खान अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है। इकाई स्तर पर सुरक्षा समिति में बैठक के दौरान, और आईएसओ अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर उनके खान के निरीक्षण के दौरान इसके अलावा डीजीएमएस तकनीकी सर्कुलर नंबर–3 2019 के अनुसार परिवर्तन किए जाते है।

8- जोखिम प्रबंधन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका समीक्षा मूल्यांकन सीएमआर 2017 के रेगूलेशन 104 के आधार पर किया जाता है।

9- डब्ल्यूसीएल द्वारा डीजीएमएस को विधियों के तहत आवष्यक स्टाटा कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान सभी भूमिगत खदानों के लिए तैयार करके प्रस्तुत किया गया।

10- डब्ल्यूसीएल टीएससी सदस्यों द्वारा खान प्रबंधक, एएसओ, और क्षेत्रीय महाप्रबंधक को खान के व्यापक निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा अवलोकन और सुझाव के साथ प्रस्तुत की जाती है। अवलोकन की गई कमियों के सुधार और एटीआर संबंधित माइन्स को प्रस्तुत की जाती है।

11- सभी खदानों के लिए सेफ्टी ऑडिट 01.08.2019 से 30.09.2019 के बीच अंतर क्षेत्रीय बहु अनुषासनिक टीम द्वारा वर्ष 2019.20 के लिए आयोजित किया गया। खदानवार बडी कमियों का ऑडिट टीम द्वारा अवलोकन कर उनके सुधार की अनुपालन रिपोर्ट 31.01.2020 के पहले एसआर डिविजन, सीआईएल को प्रस्तुत की गई।

12- एक स्लोप स्थिरता रडार (एसएसआर) सस्ती ओसी बल्लारपुर खेत्र में कार्यरत है, स्लोप स्थिरता की मॉनिटरिंग के लिए, पहले चरण में 7 (एसएसआर) की खरीद सीआईएल हेडक्वाटर में की जा रही है। इसके साथ ही संषोधित बोर होल एक्सटेंषन मीटर घर में ही विकसित किया गया और नीलजय ओसी, मंगोली ओसी और उमरेर ओसी में स्थापित किया गया 24ग7 बेंच/डम्प की मॉनिटरिंग के लिए।

13- डम्प में बेहतर पर्यवेक्षण के लिए रोषनी मानकों को बढाया गया, जिसकी सराहना डिप्टी डीजीएमएस, वेस्टर्न जोन द्वारा की गई।

14- डब्ल्यूसीएल के ओपनकास्ट खदानों का वैज्ञानिक अध्ययनः सीएमआर 2017 के रेगुलेषन नं. 106 के अनुसार डब्ल्यूसीएल की सभी ओपनकास्ट खदानों का वैज्ञानिक अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है। वैज्ञानिक अध्ययन अलग–अलग वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा कराया गया, मुख्य रूप से आईआईटी खडगपुर ओर आईआईटी बीएचयू वैज्ञानिक अध्ययनों की षिफारिषों का अनुपालन सभी ओपनकास्ट खदानों में कर लिया गया।

15- फायर सेलः डब्ल्यूसीएल हेडक्वाटर के एस एंड सी विभाग में फायर सेल स्थापित किया गया। हाईपावर टीम द्वारा सभी खदानों का निरीक्षण और अध्ययनों से उपचारात्मक उपायों का खानों में आग से रोकथाम किया जा सका।

16- इमरजेंसी रिस्पोंस सिस्टम का परीक्षण सभी भूमिगत खदानों में किया गया, समय–समय पर यूजी और ओसी खदानों में मॉक अभ्यास आयोजित किए जाते है। मॉक अभ्यासो की विडियोग्राफी की गई चंद्रपुर, वणी, उमरेर, वल्लारपुर और पाथाखेडा क्षेत्र में। अगले अभ्यासो में देखी गई मामूली कमियों का सुधार किया गया।

17- ऑनलाइन सेफ्टीपोर्टल सीआईएल द्वारा शुरू किया गया सीएसआईएस के नाम से, डब्ल्यूसीएल की खदानें इसमें सुरक्षा संबंधी जानकारी, डाटा, रिपोर्ट आदि इस पोर्टल पर भेजते है जिसमें निरीक्षण रिपोर्ट पीएससी की बैठकों के सारवृत्त, स्टेट्यूरी मेनपावर, मषीनरी, दुर्घटनाओं/घायलों आदि की जानकारी डाली जाती है।

18- स्टेट्यूरी मेनपावर, की कमी पर काबू पाने के लिए वर्ष 2019 में विभागीय चयन से 9 और 333 माइनिंग सरदारों का चयन भर्ती द्वारा किया गया। 30 माइनिंग सरदारों का चयन प्रक्रियाधीन है। ओवरमैन की कमी पर काबू पाने के लिए योग्य माइनिंग सरदारों को ओवरमैन के लिए पदोन्नत किया गया ।

19- **विशेष सुरक्षा जागरूकता कैम्पेनः** सुरक्षा संबंधी जागरूकता लाने प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किए गए स्किट/नाटक को खदानों मे कामगार, उनके परिवारों तथा आवासीय कालोनियों में दिखाया गया। प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किए गए इन सुरक्षा संबंधी जागरूकता स्किट/नाटक के विडियों को उनसे संबंधित क्षेत्रों मे प्रदर्षन के लिए अन्य सभी क्षेत्रों में किया गया।

20- 7 एनीमेषन फिल्म तात्कालीक प्राण घातक घटनाओं पर आईएसओ डब्ल्यूसीएल द्वारा बनाई और कामगारों को उनके क्षेत्रों मे दिखाई गई जिससे एक ही तरह की दुर्घटनाओं की पुनर्रावृत्ति को रोका जा सके।

21- डब्ल्यूसीएल में रॉक मेकेनिक लेबोरेट्रीक की स्थापना की गई, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर) सभी डिस्ट्रीको का समय पता लगाने और स्टाटा कंट्रोल एण्ड मॉनिटरिंग प्लान आरएमआर के अनुसार तैयार किया गया। एससीएएमपी के अनुसार सभी खदानों का ग्रीन रूप सपोर्ट किया गया, 2019 के दौरान 22 डिस्ट्रीको के आरएमआर का पता लगाया गया और अब तक वर्ष 2020 में 02 डिस्ट्रिक्ट का पता लगाया गया।

22- **सुरक्षा समिति को खदान स्तर पर मजबूत बनाने के लिएः** सभी खदानों में सुरक्षा समिति को मजबूत बनाने के लिए इसमें ठेकेदार के श्रमिकों के प्रतिनिधि को विषेष स्थाई सदस्य के रूप में जोडते हुए समावेष किया गया। सुरक्षा समिति द्वारा माह के दौरान बैठकों में सभी गंभीर दुर्घटनाओं और जरा सी चूक की घटनाओं की जॉच पडताल और उस पर चर्चा और विष्लेषण किया जाता है, प्रत्येक बैठक में एसएमपी पर भी चर्चा की जाती है। आइएसओ अधिकारियों को कमेटी की मजबूती के लिए नियमित अंतराल पर पीएससी की बैठक शमिल किया जाता है।

23- आईएसओ अधिकारियों द्वारा सभी संचालित खदानों की सुरक्षित संचालन प्रक्रिया/कोड ऑफ सेफ पेक्टिस के निर्माण और कार्यान्वयन की जांच की जाती है। एसओपी की चर्चा सभी जमीन स्तर पर काम करने वाले कर्मियों और फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों की जागरूकता को बढाया और प्रोत्साहित करते हुए सख्ती से कार्यान्वयन किया गया।

24- कामगारों और सुपरवाइजरों को खदान में कार्य करने से पहले सुरक्षा शपथ दिलाई जाती है और सभी खदानों में सुरक्षा वार्ता की जाती है। वही हर दिन खदान अधिकारियों द्वारा वाट्सएप ग्रुप में फोटोग्राफ पोस्ट किए जाते है।

25- विशेष सुरक्षा ड्राइव कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए गए, मानसून प्रिप्रेषन, रूफ सपोर्ट, एसडीएल/एलएचडी, हॉलेज और बेल्ट, डम्प और हाइवॉल, एसओपी और संविदा कर्मी की सुरक्षा जागरूकता, प्रषिक्षण, वेन्टीलेषन, डस्ट सप्रेषन, एक्सप्लोसिव, स्टेट्यूरी प्लान, रिकार्डो पर।

26- मान्ना इंक्लाइन द्वारा 30.8.2019 को घटित गंभीर दुर्घटना और मूंगोली ओसी द्वारा 11.06.2019 को घटित प्राणघातक दुर्घटनाओं पर इनहाउस डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई।

27- गहन सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा प्रचार–प्रसार को बढाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया गया जैसे पिट सुरक्षा वार्ता, विषेष सुरक्षा प्रषिक्षण ठेकेदार के षिविरो में, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर्स, सुरक्षा संचालन प्रक्रियाओं के पेम्पलेट आदि, क्षेत्रों द्वारा सभी ठेका श्रमिकों को सुरक्षा के मद्दो पर संवेदनषील बनाने के लिए सुरक्षा कार्यषाला का उनके स्तर पर आयोजन किया गया।

28- **संविदा कर्मियों को प्रषिक्षण और सुरक्षा जागरूकताः** संविदा कर्मियों को शुरू में एमवीटी रूल्स और वीटीसी के मॉड्यूल्स के अनुसार बुनियादी प्रषिक्षण दिया जाता है सुरक्षा जागरूकता बढाने के लिए ठेकेदार श्रमिकों को उनके षिविरों में नियमित रूप से सुरक्षा वार्ता दी जाती है। संबंधित एसओपी के कार्यान्वयन पर भी सुरक्षा वार्ता के दौरान चर्चा की जाती है। ठेकेदार मषीनरी के लिए ओ.ई.एम इंजीनियर, ठेकेदार श्रमिको के लिए सुरक्षा कार्यषालाएं और सुरक्षा वार्ता आयोजित करते है। ठेकेदार श्रमिको को उनके षिविर में उचित और सुरक्षित संचालन प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाता है।

29- द्विपक्षीय सुरक्षा समीक्षा की बैठकों का आयोजन 16 जनवरी 2019, 22 फरवरी 2019, 20 मार्च 2019 और 7 मई 2019 को डीडीजी और निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में डीजीएमएस अधिकारी, वेस्ट जोन के साथ सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मुख्यालय के विभागाध्यक्षों और आईएसओ अधिकारियों के साथ किया गया।

30- डीडीजी, वेस्ट जोन, नागपुर द्वारा एक अनोखी पहल डिजीटल एप्प तैयार करके की गई, जिसका उद्देष्य कोयला सेक्टर और गैर कोयला सेक्टर के कर्मचारियों को जो कि लगभग 1 लाख मेनफोर्स है, वे इसके माध्यम से सुरक्षा उपायों और अच्छे अभ्यासों को एक दूसरे से आदान–प्रदान कर सके। डब्ल्यूसीएल इस विकसित एप्प पर सक्रिय रूप से प्रतिभागिता करता है, इस एप्प को 'खनन मित्र' कहा जाता है जिसका शुभारंभ 19 जुलाई 2019 को हुआ था। 'खनन मित्र' पर व्यक्तियों की प्रतिभागिता का प्रति–परीक्षण आईएसओ अधिकारियों के द्वारा वार्षिक सुरक्षा पखवाडा 2019 में किया गया।

9. बचाव

आपातकाल में शीघ्र सेवा एवं फिर से संचालन शुरू करना :–

वर्ष 2019.20 के दौरान निम्नलिखित आपरेषन (संचालन) बचाव कवर के तहत किए जाए ।

क्र.	दिनांक		कालरी / क्षेत्र	विवरण
	कब से	कब तक		
1	21.04.19	21.04.19	माथनी / पेंच	पुनः खोलना (बंद सीम ट.। की 18सै)
2	14.07.19	14.07.19	चांदामेटा / पेंच	छोड़े गए क्षेत्र में संदिग्ध मिसिंग व्यक्ति की तलाष की गई एवं चांदामेटा नं .6 इनक्लाइन को सील किया।
3	18.07.19	18.07.19	खुभांरखानी / वणी नार्थ	फंसे व्यक्तिय को बाहर लाया (आक्सिजन की कमी वाले वातावरण से) खुभांरखानी की नं.1 बंद इनक्लाइन ।
4	04.08.19	05.08.19	माथनी / पेंच	सीलिंग आपरेषन स्पोंटनियस हिंटिंग सील–सीम वी–ए की एलएस–18
5	18.11.19	19.11.19	पाटनसांवगी / नागपुर	सीलिंग आपरेषन स्पोंटनियस हिंटिंग सीम.11 के पेनल सी–2 में

इन–हाउस में गैस डिटेक्टरों का केलिब्रेषन एवं परिणामी लागत बचत :–

विभिन्न प्रकार के गैस डिटेक्टरों के मेंटेनेंस और केलिब्रेषन के लिए इन–हाउस विशेषज्ञता हासिल करने के लिए की गई पहल से न केवल खदानों में गैस डिटेक्टरों की विश्वसनीयता, उपलब्धता और दक्षता बढ़ी है, बल्कि रू. 37ण्05 लाख की परिणामी बचत भी हुई है, 2019.20 में वर्ष के दौरान जो बाहरी एजेंन्सीयों को भुगतान किया गया होता । वर्ष 2019.20 में कुल 910 उपकरणों का केलिब्रेषन किया गया ।

एम.आर.एस. पर गैस डिटेक्टरों से लागत बचत

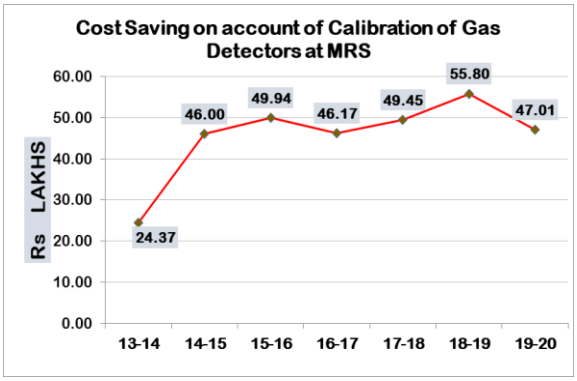

वेकोलि के बाहर के व्यक्तियों को बचाव प्रषिक्षण प्रदान करने के कारण रेवेन्यू जनरेषन

माइंस रेस्क्यूस्टेषन, नागपुर द्वारा भुगतान के आधार पर निम्नलिखित कम्पनियों के कर्मचारियों को बचाव एवं स्वास्थलाभ में प्रषिक्षण प्रदान किया ।

(i) मे. सनफ्लेग आयरन एवं स्टील कम्पनी
(ii) मे. सीलगोरी कोल माइन (आरसीसीचीएल)
(iii) एमओआईएल लिमिटेड
(iv) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

इससे 2019–20 के दौरान रू. 20.21 लाख की आय अर्जित की ।

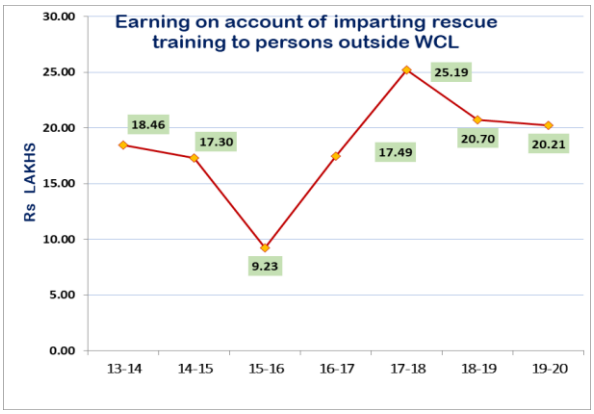

अन्य खदानों को बचाव कवर प्रदान करना :–

बचाव एवं रिकवरी कार्यों में प्रषिक्षण प्रदान करने के अलावा निजी खानों को बचाव कवर (माइन रेस्क्यू साल 1985 के अनुसार) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के प्यचात् शुरू किया गया । वर्तमान में दो खदान की

सिआल गोगरी कोल माईन (1 अप्रेल 2019 से) और सनफ्लेग आयरन और स्टील की बेलगाम कोल माईन (1 फरवरी 2019 से) को रेस्क्यू कवर, माइन रेस्क्यू स्टेषन नागपुर द्वारा प्रदान किया गया ।

बचाव कवर प्रदान करने के लिए एमआरएस नागपुर प्रतिटन कोयले का 3 रू. तथा 2019-20 में वेकोलि के खाते में 13.34 लाख रू. का भुगतान किया गया ।

बचाव सेवा में प्रतियोगिता/ड्राइव

(1) अंतर क्षेत्रीय बचाव कक्ष प्रतियोगिता– 2019.20 माह फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था । प्रतियोगिता के विजेता इस प्रकार हैः–

प्रथम पुरस्कार– आरआरआरटी समूह– परासिया,

आरआर समूह के प्रथम पुरस्कार– आरआर माथनी

(2) जोनल/अंतर क्षेत्रीय बचाव प्रतियोगिता– 2019

जेनल बचाव प्रतियोगिता पेंच क्षेत्र की महादेवपुरी खान में 23 व 24 अक्टूबर 2019 को आयोजित की गई। प्रतियोगिता एआईएमआरसी की शर्तों के अनुसार भूमिगत खदान में आयोजित की गई थी ।

अंतर क्षेत्रीय बचाव प्रतियोगिता के वितेजा इस प्रकार थे :–

कुल मिलाकर प्रथम पुरस्कार–	माजरी–वणी क्षेत्र संयुक्त टीम ।
ओवर ऑल द्वितीय –	कन्हान क्षेत्र
ओवर ऑल तृतीय–	पेंच क्षेत्र
प्रथम बचाव व रिकवरी–	कन्हान क्षेत्र
द्वितीय बचाव व रिकवरी–	माजरी–वणी क्षेत्र

(3) 50 वीं ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता
(एआईएमआरसी 2019 कोल एंड मेटल)

वेकोलि की रेसक्यू टीम 19 से 22 नवम्बर 2019 तक एम सी एल द्वारा आयोजित की गई 50 वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता–2019 में विजेता टीम बनकर उभरी, 12 कोल कम्पनियों व 6 मेटल कम्पनियों की कुल 26 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और वेकोलि की टीम ने 33 में से 11 पुरस्कार जीते, जिससे वे प्रतियोगिता में सबसे अधिक सम्मानित टीम बनी ।

वेकोलि द्वारा जीते गए पुरस्कार इस प्रकार थे :–

(i)	ओवर आल प्रथम–	एल– बी
(ii)	ओवर आल चतुर्थ–	डब्ल्यूसीए डब्ल्यूसी ल–ए
(iii)	टर्न–आउट और ड्रील में सर्वश्रेष्ठ टीम–	डब्ल्यूसीएल– बी

(iv) सिद्धांत परीक्षण में दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम– डब्ल्यूसीएल–ए

(v) एफएबी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम– डब्ल्यूसीएल–ए

(vi) बचाव व रिकवरी में पांचवी– डब्ल्यूसीएल–ए

(vii) सर्वश्रेष्ठ टीम– बचाव व रिकवरी– डब्ल्यूसीएल–बी

(viii) तृतीय सर्वश्रेष्ठ सदस्य– श्री तेज बाहदुर यादव, डब्ल्यूसीएल–ए

(ix) दूसरा सर्वश्रेष्ठ सदस्य– श्री संतोष पटेल, डब्ल्यूसीएल–बी

(x) सर्वश्रेष्ठ सदस्य–श्री आषीष शेलारे, डब्ल्यूसीएल–ए

(xi) सर्वश्रेष्ठ कप्तान–श्री एम.विष्णु, डब्ल्यूसीएल–बी

(4) <u>प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता</u> –

2019.20 में लगातार दूसरे साल बचाव सेवाओं में वेकोलि के सभी क्षेत्रों में फर्स्ट एड–प्रतियोगिता ने सफलतापूर्वक आयोजन में सहयोग किया ।

नवम्बर–2019 में विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित प्रतियोगिताओं में महिलाओं (26 टीमे) और संविदा कर्मियों की (18 टीमें) से कुल 107 टीमों ने भाग लिया, जो वेकोलि में इस तरह की प्रतियोगिताओं में अब तक का सबसे उच्चतम था ।

<u>नया बचाव कक्ष स्थापित करना–</u>

अप्रेल 2019 में मुरपर यूजी माइन (उमरेर क्षेत्र) में एक नया बचाव कक्ष स्थापित किया गया । यह मौजूदा बचाव इकाइयों से संसाधनों के पुनर्गठन और अनुकूल के द्वारा किया गया था ।

<u>गैस क्रोमैटोग्राफ</u>

एक पौर्टेबल गैस क्रोमैटोग्राफ, शीघ्र और सटीक खान गैस विष्लेषण के लिए माइन्स बचाव स्टेषन नागपुर में स्थापित किया गया है । वर्ष 2018–19 में वेकोलि की विभिन्न खानों से कुल 2450 खदान के हवा के नमूनों का विष्लेषण किया गया ।

भुगतान के आधार पर वेकोलि ने कोयला खनन कंपनियों मे. सनफ्लेग आयरन और मे. स्टील कम्पनी तथा मे. सिलगोगरी कोल माइन में खान वायु नमूनों के विष्लेषण की सुविधा का विस्तार किया है । वर्ष 2019–20 के दौरान इन कंपनियों के द्वारा रू.1.20 लाख की राषि (148 नमूनों) के विष्लेषण के लिए जमा की गई थी ।

10.दूर संचार (टेलीकम्युनिकेशन)

आवाज एवं डेटा सम्प्रेषण प्रणालीः

(i) कुषल संचार नेटवर्क उच्च गति एमपीएलएस–वीपीएन नेटवर्क पर आधारित है जो सभी एएचक्यू, सभी क्षेत्रीय भंडार, केन्द्रीय भंडार, केन्द्रीय कर्मषाला और वेकोलि मुख्यालय नागपुर के साथ सभी क्षेत्रीय चिकित्सालय को सेंट्रलाइज्ड सर्वर और कोल नेट एप्लिकषन को सक्षम करने के लिए जोड़ता है ।

(ii) वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली कंपनी मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय मुख्यालय और एम.ओ.सी. के साथ एमपीएलएस वीपीएस और नियमित इंटरएक्षन की सुविधा के लिए सार्वजनिक आईपी विडियो के साथ 19 विभिन्न स्थानों पर अंत बिन्दु तक आधारित है।

(iii) कम्पनी मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में इंटरनेट के सुगम उपयोग के लिए उच्च गति वाई फाई प्रणाली की स्थापना की गई है ।

(iv) वेकोलि के कर्मचारियों के लिए वाइस और डेटा सेवाओं के लिए मोबाइल संचार हेतु पोस्ट पेड सीम प्रदान की गई है ।

(v) मुख्यालय के सभी क्षेत्रों और खान में आईपी आधारित इपीएबीएक्स सिस्टम की स्थापना की गई है ।

आई टी पहल क्रियान्वयन

(i) जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग सिस्टम (व्हीटीएस) के साथ 570 नग, जी खदानों में वाहनों की प्रभावी, निगरानी और कोयले की ढुलाई में बाधा को रोकने के लिए खदान क्षेत्र के जीपीएस सेट और जियो–फेसिंग (भूमि पर बाढ लगाने) का काम जारी है ।
वजनी/पुलों जैसे सभी संवेदनशील बिन्दुओ पर केन्द्रीकृत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ ।

(ii) सभी वजनी संवेदनषील जगह (बिन्दुओं) जैसे– तौलसेतु, आवक/जावक बिंदु, स्टाक यार्ड, मैगजीन, भंडार आदि जगहों पर इलेक्ट्रानिक संविलेंस (जांच/निगरानी) प्रणाली में वृद्धि के साथ केन्द्रीकृत सीसीटीवी सरवालेंस प्रणाली लगाई गई है ।

(iii) सभी रोड तौलसेतु पर आरएफआईडी पर आधारित वेटमेंट एकीकृत का क्रियान्वयन किया गया है।

(iv) खान में अनाधिकृत वाहनों के प्रवेष को रोकने के लिए चेकपोस्ट पर आरएफआईडी पर आधारित बूम बैरियर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया है ।

(v) दूरस्थ इकाईयों से क्षेत्रीय मुख्यालय सर्वरों के लिए उपरोक्त सभी प्रणालियों के एकीकरण के लिए अत्याधुनिक तकनीक के साथ आई पी रेडियो नेटवर्क स्थापित किए गए ।

(vi) कोल स्टॉक, रेल्वे साइडिंग और ओपन कास्ट माइंस की निगरानी के लिए पीटीजेड कैमरों के द्वारा निगरानी प्रणाली स्थापित की गई ।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रमुख पहल

(i) एम/एस बीएसएनएल द्वारा प्रबंधित एमपीएलएस, वीपीएम प्रबंधित नेटवर्क सेवाएं 389 विभिन्न स्थानों की कनेक्टिविटी के लिए जो मध्यप्रदेष व महाराष्ट्र राज्य में डब्ल्यू.सी.एल. के सभी क्षेत्रो में फैली हुई है, जिसमें मुख्यालय/डेटा सेंटर महाराष्ट्र शामिल है, जो डब्ल्यू.सी.एल में इपीआर हेतु कोल नेट एप्लीकेषन/क्रियान्वयन के लिए है ।

(ii) डब्ल्यू.सी.एल की सभी ओपनकास्ट माइन के कोलफेस तक कम्युनिकेषन को बेहतर बनाने के लिए व्हीएचएफ 728 नग वाकी–टाकी सेट तथा 30 नग व्हीएचएफ रिपीटर्स की खरीद और परिचालन किया गया ।

(iii) डीजीएमएस के अनुमोदन के बाद आंतरिक रूप से सुरक्षित आटो सह मैनुअल युजी संचार प्रणाली का एकीकृत डिजिटल स्विच के साथ आपूर्ति, आदेष स्थापित किया गया । और इसी तरह इन्हें 6 युजी माईंस पर फिर से सर्वेक्षण ऑफ और पुरान प्रणालियों के प्रतिस्थापना से चालू किया गया ।

(iv) अतिरिक्त 1846 नगो जी.पी.एस. सेट की खरीद के लिए आपूर्ति आदेष रखा गया । कोयले के उत्पादन/ ओबी हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कोयले के वाहनों और संविदात्मक, डब्ल्यू.सी.एल. डांपरों के लिए सेट इन्स्टालेषन का कार्य प्रगति पर है ।

(v) न्यू आई.पी. पर आधारित इपीएबीएक्स प्रणाली की खरीद के लिए तथा साथ ही सर्वर गेट वे आर्किटेक्ट मात्रा 04 नग के लिए आपूर्ति आदेष रखा गया है और पुराने इपीएबीएक्स को बदलने तथा उसके जैसा ही नया स्थापित करना ।

(vi) (मानवरहित एरियन व्हीकल) ड्रोन तकनीक जो डब्ल्यू.सी.एल. की ओपन कास्ट माइन की निगरानी करेगा, इसको लागू करने के लिए भी डब्ल्यू.सी.एल. ने पहल की है तथा 05 नग यू.ए.वी. प्रणाली की खरीद का काम भी प्रगति पर है ।

11.वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आई.टी. पहल

क्र.	गतिविधियों का विवरण	स्थिति
1.	केन्द्रीय सर्वर के द्वारा कोल नेट की व्यवस्था ।	नियमित अनुप्रयोंगों के अलावा, लिखित क्रियाए शामिल है । व्यापार को आसान बनाने तथा डेटा को सुरक्षित रखने के साथ अनुप्रयोग के महत्व का मानकीकरण ।
		कोलनेट के माध्यम से फार्म–16, फार्म–24 को आयकर से संबंध किया गया ।
		कोलनेट के द्वारा वार्षिक व्ही.व्ही. जनरेट किया गया ।
		कोलनेट के द्वारा वर्ष 2018–19 में पी.आर.पी. प्रक्रिया व बिलिंग ।
		कोलनेट द्वारा रिफंड विवरण, डी.आर. नोट्स/सी.आर. नोट्स बनाना।
		डब्ल्यू.सी.एल. के वेबसाइट पर जो मासिक अपलोड होने वाली सेल्स इन वाइस (विक्रय चालान) कोलनेट के द्वारा बनती है ।
		वित्तीय एवं बिक्री के लिए अंडर/ओवर लोड विष्लेषण के आंकडे बिक्री चालान के द्वारा ।
		कोलनेट के द्वारा डी.ओ. चालान
		त्रैमासिक खातों के साथ–साथ वार्षिक अकाउंट के लिए तैयार किए गए माड्यूल के माध्यम से नोट्स और अनुबंध के साथ–साथ बैलेंस शीट/लाभ और हानि ।
		वेकोलि का फाइनल व लोवर कोलनेट द्वारा तैयार होता है ।
		आन लाइन एमएमएस माड्यूल ने अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और ई.आर.पी. अनुरूप बना दिया।
		सभी क्षेत्रों में बिल ट्रेकिंग प्रणाली लागू की गई ।
		चिकित्सा विभाग के लिए अनुकूलित बिल ट्रेकिंग एप्लीकेषन प्रदान की गई।
2.	सेंड बिलिंग पोर्टल	रेत विक्रय एवं चालान तैयार करने हेतु एक हैंडी एवं अत्याधिक उपयोगी पोर्टल का वर्तमान में नागपुर क्षेत्र ओ.बी. के द्वारा निकाल रहा है । उपभोक्ता मास्टर का निर्माण/अद्यतन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है । बिक्री आदेष के साथ ओ.बी. बिलिंग पोर्टल भी उसी पोर्टल के माध्यम से एकीकृत किया गया ।
3	बायोमेट्रिक अटेंडेंस	फेस रिकोगनाइजेषन आधारित बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स कैप्चरिंग को मौजूदा फिंगर आधारित बायोमैट्रिक डिवाइस की तरह पेष किया गया । वेतन प्रक्रिया प्रणाली के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा का एकीकरण स्थापित किया गया है । इन–हाउस के रूप में विसकिस अटेंडेंस पोर्टल को बायोमेट्रिक और सैलरी सिस्टम के इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जा रहा है ।
4	आनलाइन मेडिकल रेफरल प्रणाली	सी.एम.एस मुख्यालय में आनलाइन समीक्षा की गई । रोगियों के रेफरल डेटा दर्ज करने के लिए डब्ल्यू. सी.एल. में आनलाइन मंच प्रदान करने के लिए चिकित्सा विभाग की बहुत ही वांछित आवष्यकता को पूरा करने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अग्रणी सिस्टम है । क्षेत्र के अनुमोदित उपयोगकर्ता इसे उस रोगी के लिए डाउनलोड कर सकते है, जो उपचार के लिए संदर्भित अस्पताल में जाते है । यह आने वाले ई. आर.पी. अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए एक मॉडल संदर्भ बन गया है ।
5	लिगल इन्फोरमेंषन प्रणाली का क्रियान्वयन (एलआईएस सिस्टम)–	वेकोलि सिस्टम विभाग की एक अग्रणी पहल/प्रसारण जो मार्गदर्षन व सलाह द्वारा आई.टी. के तहत आने वाले स्नातक छात्रों के लिए कानूनी प्रभाग के लिए एक उपयोगी पोर्टल है । इसने अन्य सहायक कंपनियों में भी रूचि उत्पन्न की है । लीगेसी डेटा एन्ट्री इंटरफेस भी उपलब्ध है । एरिया, यूनिट के उपयोगकर्ता डेसटाप/लेपटाप/मोबाइल के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते है ।
6	ई–आफिस एप्लिकेषन	ई–आफिस एप्लिकेषन क्षेत्रीय मुख्यालय तक बढ़ा दिया गया है । सभी फाइले भौतिक या इलेक्ट्रानिक ई–आफिस के माध्यम से ट्रेक की जाती है । पेंडेंसी और फाइल मूवमेंट की निगरानी की जाती है । वेकोलि मुख्यालय के 266 प्रतिभागी तथा सभी 10 क्षेत्रों व सी.डब्ल्यू.एस. तड़ाली को दिसम्बर 2019 में एफएमपी द्वारा प्रषिक्षित किया गया है ।
7	ग्रेच्यूटी पोर्टल	कार्यकारी और गैर कार्यकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी गणना पे–रोल डेटा के साथ एकीकृत कर पोर्टल के माध्यम से सभी क्षेत्रो द्वारा किया जाता है । एल.आई.सी. को डेटा भी पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाता है ।
8	असेट्स प्रबंधन पोर्टल	इसे सीवीओ सीआईएल के निर्देष पर विकसित व डिजाइन किया गया और पोर्टल को औपचारिक रूप से अगस्त 2017 में माननीय सीवीसी द्वारा लांच किया गया । मानक प्रणाली के माध्यम से सहायक कम्पनी का फिक्सड एसेस्ट डेटा को अपलोड करना तथा मूल्यहास गणना की जाती है । यह एक पहला प्रयास है जो एक ही डेटाबेस में सभी सहायक कंपनियों के सभी निष्चित परिसम्पत्तियों के केन्द्रीकरण के लिए है।
9	ई.आर.पी. क्रियान्वयन	वेकोलि पहले चरण में ई.आर.पी. के कार्यान्वयन के लिए कमर कस रहा है। 'सेवन कोर माड्यूल' के साथ अस्पताल प्रबंधन प्रणाली भी एकीकृत हो रही है। सितम्बर–2020 में 'गो–लाइव' की योजना बनाई गई है । सी.आई.एल. के दिषा निर्देषानुसार उपयोगकर्ताओं और एसएमई के लिए आवष्यक प्रषिक्षण चल रहा है। यह ई.आर.पी. आवष्यकतानुसार डब्ल्यू.सी.एल. के पास हर स्तर पर लेनदेन/परिचालन डेटा की अहम दृष्यता सुनिष्चित करेगा।

12.इन्वेंटरी मैंनेजमेंट

एम.एस.ई. खरीद–

डब्ल्यू.सी.एल. ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एम.एस.ई. फर्मो पर कुल खरीद मूल्य (भ्त्डवछ्एॅक्सए स्म्च्ए च्व्स- और आयरन एंड स्टील आदि को छोड़कर) के कुल खरीद मूल्य का 45.78 प्रतिशत रखने के आदेष दिए है ।

स्क्रेप निपटान–

इसके निपटान के लिए स्वीकृत लॉट का कुल मूल्य रू. 28.56 करोड़ और कुल बिक्री वसूली तथा वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 17.749 करोड़ ।

भंडार सूची–

पिछले वर्ष के वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान उत्पादन में लगभग 8.4 प्रतिषत की वृद्धि के बावजूद केन्द्रीय भंडार और क्षेत्रीय भंडार की समग्र सूची में पिछले वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 1.84 प्रतिषत की वृद्धि हुई है ।

वित्त वर्ष 2018–19 मुकाबले 2018–20 के दौरान नान–मूविंग इन्वेन्टरी में 1०58 करोड रूपए की कमी आई है।

'जेम पोर्टल' के माध्यम से खरीद–

पिछले वर्ष की तुलना में जेम पोर्टल पर खरीद मूल्य में 328.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है ।

वर्ष	आदेश की संख्या	(लाख में)
2019-20	350	995.62
2018-19	228	232.25
2017-18	45	54.50

कैपेक्स– एचईएमएम :

वित्त वर्ष 2018-19 के **सीआईएल** द्वारा खरीद को छोडकर रू. 170 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत रखे गए आदेशों का कुल मूल्य 209.27 करोड़ है और कुल आपूर्ति रू. 192.84 करोड़ है, 180 दिनों के मानक वैधता के विरूद्ध 124 दिनों का एक औसत लीड समय के साथ।

13. मानव संसाधन:

श्रम शक्ति की स्थिति

क्र. सं.	श्रेणी	श्रम शक्ति	
		31.03.2019	31.03.2020
1	अधिकारी	2214	2393
2	पर्यवेक्षक	5101	5236
3	लिपिक	2094	2323
4	विशेष कुशल / कुशल	16144	17811
5	अर्धकुशल/अकुशल	14327	15052
6	कंपनी प्रशिक्षु	521	230
	कुल	**40401**	**43045**

<u>मानव संसाधन विकास विभाग (मासंवि)</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, डब्ल्यूसीएल में कार्यकारी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के लिए आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों, सुपरवाइजरों और कामगारों को कुल 144529 प्रशिक्षण श्रमदिवस हासिल किए गए। लक्ष्य श्रमदिवस था - 120218 कुल 26624 प्रशिक्षण संख्या हासिल किए गए, प्रशिक्षण संख्या का लक्ष्य था - 22370।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण हेतु खर्च की गई राशी - रू॰ 29.47 करोड़ रूपये।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल प्रशिक्षण ब्यौरा निम्ननुसार हैं : -

आंतरिक प्रशिक्षण दिवस				बाह्य कम्पनी प्रशिक्षण दिवस				कुल	
व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण संस्थान		आई आई सी एम		इंस्टीट्यूशन आधारित और सेमिनार		विदेश में प्रशिक्षण दिवस			
कुल संख्या	श्रमदिवस	कुल संख्या	श्रमदिवस	कुल संख्या	श्रमदिवस	कुल संख्या	श्रमदिवस	कुल संख्या	श्रमदिवस
25899	141150	158	832	561	2506	6	41	26624	144529

<u>इन कम्पनी प्रशिक्षण</u>

मानव संसाधन के समग्र विकास के लिए अग्रणी ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में सुधार लाने में इन कम्पनी प्रशिक्षण,एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के लिए पॉच प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) नागपुर, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण संस्थान(एसटीआई) - छिंदवाड़ा, श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान(डब्ल्यू टी आई) वर्धा और एच ई एम एम प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुर, कौशल विकास केंद्र, इंदौरा नागपुर तथा 11 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यात्मक, मिश्रित कार्यात्मक और अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं इसके अलावा अधिकारियों को विशेष प्रासंगिक प्रशिक्षण हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कोल मेनेजमेंट, रांची में भेजे जाते हैं |

(अ) नीचे सारणीबद्ध रूप में 05 संस्थानों और 11 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों की 141150 प्रशिक्षण श्रमदिवस हासिल किया गया:

	अधिकारी	सुपरवाइजर	कामगार	कुल	प्रशिक्षण श्रमदिवस
मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नागपुर	2481	200	388	3069	5514
श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान, वर्धा	0	128	392	520	12248
पर्यवेक्षी प्रशिक्षण संस्थान, छिंदवाड़ा	0	1408	373	1781	8243
एच ई एम एम प्रशिक्षण संस्थान, दुर्गापुर	90	222	1158	1470	4059
कौशल विकास केन्द्र, नागपुर	0	0	219	219	4463
क्षेत्रीय आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण	983	854	8544	10381	16542
प्रारंभिक प्रशिक्षण	0	0	679	679	21186
पुनश्चर्या प्रशिक्षण	0	0	5998	5998	64537
विशेष प्रशिक्षण	0	0	1782	1782	4358
कुल	**3554**	**2812**	**19533**	**25899**	**141150**

ब. वर्ष 2019-20 में इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, राँची में 158 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया जोकि 832 श्रम दिवस है।

<u>बाह्य कंपनी के प्रशिक्षण</u>:

विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में संस्थागत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवम मूल उपकरण निर्माता द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों,में कर्मचारियों की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारियों को वैश्विक और क्षेत्रीय औद्योगिक वातावरण से परिचित कराने हेतु, मानव संसाधन विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है|

देश में प्रशिक्षण : वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जिन शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया है उनमें इंडियन स्कूल आफ टेक्नालॉजी (आईएसएम), धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, खडगपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ, आईआईएम, अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी(एनआईटी), इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी(आईआईटी), (बी.एच.यु) से हैं| राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विभिन्न संगठनों जैसे औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (आईआईआईई) मुंबई, इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक इंटरप्राइसेस, हैदराबाद, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पर्सनल मेनेजमेंट, एम जी एम आई, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), गांधी लेबर फाउंडेशन पुरी के साथ साथ मूल उपकरण निर्माता जैसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एवम एल & टी| अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामागारों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए तथा प्रबंधकीय तकनीकी और कार्यात्मक कौशल बढाने हेतु प्रशिक्षण के लिए मनोनीत किया जाता है. बाह्य कम्पनी प्रशिक्षण हेतु भेजे गये अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों का ब्योरा निम्ननुसार हैं:

बाह्य कंपनी के प्रशिक्षण	अधिकारी	सुपरवाइजर	कामगार	कुल	प्रशिक्षण श्रमदिवस
	385	94	82	561	2506

विदेश में प्रशिक्षण : वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में विभिन्न प्रकार बाह्य कंपनी के प्रशिक्षण के अलावा, कर्मचारियों को अध्ययन पर्यटन, प्रशिक्षण, विकास के पाठ्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ एक्सपो आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु विदेश भी भेजा जाता है। 06 कर्मचारियों ने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जोकि 41 श्रम दिवस हैं, जिसका ब्योरा निम्ननुसार हैं:

विदेश प्रशिक्षण	अधिकारी	सुपरवाइजर	कामगार	कुल	प्रशिक्षण श्रमदिवस
	6	0	0	6	41

सुरक्षा प्रशिक्षण:

डब्ल्यूसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 11 व्हीटीसी में खानों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए माइंस वोकेशनल ट्रेनिग रूल्स, 1966 के तहत प्रारंभिक, पुनश्चर्या और विशेष प्रशिक्षण के रूप में विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं । साथ ही, ठेकेदार श्रमिक जो आज के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण

भूमिका निभाते हैं को भी हमारे व्हीटीसी में प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार,पर्यवेक्षकों संबंधित संस्थानों में सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदान किये गये विभिन्न प्रकार के सुरक्षा प्रशिक्षण निम्नानुसार सारणीबद्ध है

प्रशिक्षण का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या
1. प्रारंभिक प्रशिक्षण	679
2. पुनश्चर्या प्रशिक्षण	5998
3. विशेष प्रशिक्षण	1782
4. क्षेत्रीय आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण	10381
पर्यवेक्षकों के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम(सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार)	
अ) खनन	406
ब) विद्युत एवम यांत्रिकी	108
स) उत्खनन	31
6. डम्पर आपरेटरों के लिए सिमुलेटर प्रशिक्षण (एनसीएल में)	37
ठेकेदार श्रमिकों के लिए प्रशिक्षुण	
अ) प्रारंभिक प्रशिक्षण	5270
ब) पुनश्चर्या प्रशिक्षण	198
स) क्षेत्रीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण	532

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रशिक्षण :

अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रशिक्षण, कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इन कम्पनी आऊट कम्पनी प्रशिक्षण में भाग लिये एससी-एसटी- ओबीसी कर्मियो की संख्या नीचे दर्शयी गयी हैं: -

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का कंपनी में तथा कंपनी के बाहर प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति - 3680

अनुसूचित जनजाति - 1831

अन्य पिछड़ा वर्ग - 7030

कुल - 12541

<u>विशेष उपलब्धि</u>

कौशल विकास गतिविधियाँ 2019-20

अ)"प्रगति" - डब्ल्यूसीएल की सामुदायिक सामाजिक जिम्मेदारियाँ - एक पहल

कुल 5927 परियोजना प्रभावित एवं खदान परिक्षेत्र के पात्र बेराजगार युवकों को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

उपलब्धि (2019-20)	लिंगानुसार			श्रेणी			समूह	
	पुरूष	महिला	उभयलिंगी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	पीएपीएस	ग्रामीण युवा
5927	4600	1327	0	1232	790	2882	1023	'0

मानव संसाधन - एमओयू के पैरामीटर

2393 अधिकारी (01.04.2019 की स्थिति में) में से 140 अधिकारी यानी 5.85% विभिन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सीबीआई अकादमी गाजियाबाद और भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान रांची आदि में एक सप्ताह के टैलेंट मैनेजमेंट और करियर प्रोग्रेस से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।

निरंतर स्वरूप के मानव संसाधन पैरामीटर:

i.निर्धारित समय के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों के संबंध में एसीआर एपीएआर ऑनलाइन / जमा करने की निरंतरता।

ii. वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता मंजूरी अद्यतन की निरंतरता।

iii. सीआईएल के कार्यकारी प्रतिभा प्रबंधन नीति के अनुसार उत्तराधिकार योजना का संचालन।

iv. डीपीसी के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों के बायोडाटा और उसके सत्यापन की तिथि कटऑफ - 30.09.2019 दिनांकतक तक। 30.10.19

v. कम से कम %5 अधिकारियों को सप्ताह का प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर प्रशिक्षण प्रदान 1 करना।

vi. ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का नियमित अपडेशन।

vii. 50-55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों के लिए प्रारंभिक समीक्षा समिति की सिफारिश प्रस्तुत करना।

viii. एचआर ऑडिट सिफारिश का कार्यान्वयन।

निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन किया गया:

एमओयू कैलेंडर के अनुसार कार्य जीवन संतुलन और महिला कर्मचारियों के बीच नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 पहलें निर्धारित समय सीमा के भीतर की गई थीं।

प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी :

संचालन समिति कंपनी स्तर पर कार्य कर रही है। कार्यकारी निदेशक तथा डब्ल्यूसीएल में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संघों बीएमएस, एटक, एचएमएस, सीटू और सीएमओएआई के प्रतिनिधि शामिल है, तथा महाप्रबंधक(कार्मिक/औसं) समन्वयक के रूप में शामिल है। संचालन समिति के विस्तृत कार्यकारी क्षेत्र में निम्न शामिल है।

(I) कार्य योजना/बजट का प्रतिपादन एवं मूल्यांकन

(ii) संसाधनों का उपयोग

(iii)लागत/लाभप्रदता

(iv) कोयले की गुणवत्ता

(v) सुरक्षा

(vi) कर्मचारियों का कल्याण एवं

(vii) पर्यावरण संरक्षण

संचालन समिति की आवधिक बैठके नियमित रूप से की गई है जिससे न केवल सौहार्द पूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में बढ़ावा मिला है बल्कि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति में भी मदद मिली है।

आश्रितों को रोजगार :

पिछले दो वर्षों में डब्ल्यूसीएल में एनसीडब्ल्यूए के अंतर्गत आश्रितों को रोजगार एवं आर्थिक मुआवजों के स्वीकृति आदेश निम्नानुसार दिये गये -

	2019-20
रोजगार	248
आर्थिक मुआवजा	13
विशेष महिला स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	12
	-

आर.एंड आर. नीति के तहत भू-अधिग्रहितो को दिये गये रोजगार -

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**
रोजगार	410	1035

भर्ती:

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**
माइनिंग सरदार	333	निल
स्टाफ नर्स	निल	98

औद्योगिक संबंध :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डब्ल्यूसीएल में औद्योगिक संबंध दृश्य शांति स्नेह एवं सौहार्दपूर्ण रहा।

विगत दो वर्षों का औद्योगिक संबंध स्थिति का विवरण नीचे दर्शाया गया है

विधि एवं कानून घटनायें	**2018-19**	**2019-20**
श्रमिक भुख हड़ताल	निरंक	निरंक
घेराव	निरंक	निरंक
हमला	निरंक	निरंक
धरना/मोर्चा/प्रदर्शन	निरंक	निरंक
कुल	निरंक	निरंक
हड़ताल/काम रोको		
हड़ताली की संख्या	01*	02**
श्रम दिवसों की हानि	17458	33849
उत्पादन हानि(टन)	71430	87849

* राष्ट्रीय मुद्दों पर केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा 8 और 9 जनवरी 2019 को दो दिवसीय राष्ट्र व्यापी सामान्य हड़ताल नोटिस।

** पांच दिन जनरल स्ट्राइक 23 से 27 सितंबर 2019 तक (एबीकेएमएस / बीएमएस) द्वारा और इस बीच 24 सितंबर 2019 को एक दिन की सामान्य हड़ताल 5 सीटीयू द्वारा बुलाया गया। 25.09.2019 को एबीकेएमएस / बीएमएस द्वारा हड़ताल बंद की गई ।

8 जनवरी 2020 यानी बुधवार को इंटक , एटक, एचएमएस, सीटू, एआईसीसीटीयू और अन्य द्वारा एक दिन की सामान्य हड़ताल बुलाई गई , जो महाराष्ट्र क्षेत्र की खदान के लिए ऑफ का साप्ताहिक दिन है।

पदोन्नतियाँ:

वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारियों की जीविका(कैरियर) वृद्धि के लिये 2696 गैर अधिकारियों को पदोन्नति दी गई।

एससी/एसटी/ओबीसी :

दिनांक 31.03.2020 तक कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी
40401	7199	2501	13632

भर्ती तथा पदोन्नति में एससी, एसटी तथा ओबीसी से संबंधित महामहिम राष्ट्रपति के निदेशों का पालन किया जा रहा है।

शिकायत निवारण :

शिकायत निवारण कक्ष (जीआरसी)

डब्ल्यूसीएल के कर्मचारियों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के शिकायतों के निवारण के लिए अच्छा सिस्टम मौजूद है।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त हुई 400 शिकायतों में से 388 (97 %) का निपटारा किया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ एरिया तथा मुख्यालय स्तर पर 73 बैठकें आयोजित की गईं।

आंतरिक शिकायत समिति :

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी में लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति है ।

लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई। सभी कर्मचारी (स्थाई, ठेकेदारी, अस्थाई, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। समिति को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

<u>कल्याण उपाय एवं सामाजिक सुविधायें</u>:

ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम:

वेकोली ने प्रतिवर्ष ग्रेच्युटी दायित्व एवं कर लाभ के दावे प्रदान करने के लिए ठोस वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के रूप मे एलआईसी की ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम को अंगीकार किया है। नौकरी में रहते मृत्यु होने पर पूरी पेंशन मिलना इसकी विशेषता है। ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम 10 मार्च 2003 से प्रचलित है। दिनांक31.03.2020 को वास्तविक देय राशि 3270 करोड़ रुपये है एवं लाइफ इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोई भी अदत्त देयताए नहीं है। ट्रस्ट ने 2019-20 मे पुरानी स्कीम के तहत 8.05% की ब्याज दर से 154.22 करोड़ रुपये तथा आईआरडीए प्रारूपित नयी स्कीम के तहत 0.37 करोड़ रुपए ब्याज के रूप अर्जित किए।

ग्रेच्युटी का भुगतान:

डब्ल्यूसीएल एम्पलॉइज ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम के तहत वित्तिय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 3540 सेवानिवृत्त/ पृथक कर्मचारियोंकों 571.43 करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी रशि एवं 458 मृतक कर्मचारियों के नामितों को 57.92 करोड़ रुपये ग्रेच्युटी की राशि के अतिरिक्त 6.25 करोड़ रुपए लाईफ कवर की राशि का भुगतान किया गया।

डब्ल्यूसीएल अपने कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है। कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	**ब्यौरा**	**31.03.20 को**
1	आवास - मानक - 43864 अमानक-10086	53,950
2	जल आपूर्ति (कुल आबादी)	3,23,855
3	विद्यालय (आवर्ती-गैर आवर्ती, अनुदान एवं सुविधा प्राप्त)	15
4	को-आपरेटिव स्टोर	24
5	को-आपरेटिव सोसायटी	45
6	बैंक शाखा / एक्सटेंशन काउंटर	113
7	एम्बुलन्स	82
8	चिकित्सालय	35
9	अस्पताल	10
10	कैन्टीन	75
11	व्यायाम शाला	27
12	स्टेडियम	13

खेलकुद:

डब्ल्यूसीएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान कोल इंडिया स्तर के अंतर कंपनी टूर्नामेंट के दो खेलों यानी बॉडी बिल्डिंग, पावर एंड वेट लिफ्टिंग और कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। डब्ल्यूसीएल ने विभिन्न कोल इंडिया स्तर की प्रतियोगिताओं में निम्न स्थान हासिल किए हैं:-

प्रतियोगिता	स्थान
बॉडी बिल्डिंग, पावर एंड वेट लिफ्टिंग	प्रथम (विजेता)
कबड्डी	द्वतीय (उपविजेता)
क्रिकेट	द्वतीय (उपविजेता)
थेलेटिक्स	द्वतीय (उपविजेता)

चिकित्सा शिविर:

डब्ल्यूसीएल में 45 शिविर जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, परिवार नियोजन शिविर (एलटीटी) आदि का आयोजन किया गया, जिसमें 5902 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

पेंशन :

पेंशन दावों पर प्रक्रिया और स्वीकृति :

डब्ल्युसीएल सीएमपीएस 1998 के प्रावधानों को लागू करने में सीआईएल में अग्रणी है। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त हुए पेंशन के सभी दावों को निपटाया गया।

यह योजना लागू होने के बाद से 31 मार्च 2020 तक कुल 78652 दावे प्राप्त हुए, जिनमे से 78499 दावे सीएमपीएफ कार्यालय, नागपुर तथा छिन्दवाडा रिजन द्वारा निपटाए गए और शेष 153 दावे (62 दावे नागपुर और 91 दावे छिंदवाड़ा) प्रक्रियाधीन है।

पेंशन दावों की प्रक्रिया का कम्प्यूटीकरण :

पेंशन/भविष्य निधि के दावों की प्रक्रिया का पूरी तरह से कम्प्यूटीकरण कर दिया गया है और सभी दावों के संबंध में भावी संदर्भ के लिए डाटा बेस बनाया गया है। हर एक व्यक्ति /दावेदार का डाटाशीट बनाया जाता है और भविष्य में संदर्भ के लिए सिस्टम विभाग के सर्वर में सहेजा गया है।

पेंशन विभाग डब्ल्यूसीएल मुख्यालय द्वारा प्रक्रिया किए गए पेंशन/भविष्य निधि दावे: -

दावों के प्रकार	दावों की संख्या
मिशन विश्वास के अंतर्गत पेंशन विभाग, डब्ल्यूसीएल , मुख्यालय द्वारा प्रक्रिया किए गए तथा सीएमपीएफ कार्यालय (नागपुर एवं छिंदवाडा रीजन कार्यालय) को अग्रेषित कुल पेंशन दावे	2937
मिशन विश्वास के अलावा दावे अर्थात ऑन रोल कर्मचारियों की मृत्यु होने पर/ त्याग पत्र/ सेवा समाप्ति/ बर्खास्तगी तथा मेडिकल अनफिट होने पर पेंशन दावे	565
पेंशनर की मृत्यु होने पर प्राप्त किए गए विधवा एवं चिल्ड्रन पेंशन दावे	724
सीएमपीएफ कार्यालय (नागपुर एवं छिंदवाडा रीजन कार्यालय) को अग्रेषित किए गए कुल पेंशन दावे	4226

पेंशन हेल्प लाइन:

पेशनभोगियों को आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिये पेंशन हेल्प लाइन कर्यरत है और कोई समस्या होने पर उसे हल करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाते है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लिखित शिकायत समेत लैंड लाइन, व्हाट्सएप, मोबाइल और ई-मेल आदि पर कुल 435 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें से 413 मामलों पर कार्यवाई की गई और इसकी जानकारी टेलीफ़ोन, व्हाट्सएप, मोबाइल और ई-मेल पर दी गई। पेंशनभोगी के शिकायत को निपटाने के लिए सीएमपीएफ कार्यालय, नागपुर एवं छिन्दवाडा तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुरोध किया है कि शेष मामलों के निपटान के लिए यथोचित कार्रवाई की जाए। शेष मामलों में क्लियरेंस के लिए कार्यवाही की जा चुकी है।

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए व्ही व्ही स्टेटमेंट प्रस्तुत करना:

डब्ल्यूसीएल ने दिनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए व्ही व्ही स्टेटमेंट प्रस्तुत करने में उच्च प्राथमिकता दी है और तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर और छिन्दवाडा के अंतर्गत आने वाले सभी इकाइयों । डब्ल्युसीएल के क्षेत्रों ने समय के अंदर व्ही व्ही स्टेटमेंट प्रस्तुत कर दिया। उसी प्रकार डब्ल्युसीएल के सभी क्षेत्रों को निर्देश दिया जा चुका है कि 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए उनकी सभी इकाइयों के व्ही व्ही स्टेटमेंट निर्धारित समयावधि में संबंधित सीएमपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

14. हिंदी का प्रगामी प्रयोग : 2019-20

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसारने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे , -: के दौरान किए गए कार्य इस प्रकार हैं 20-2019 तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वर्ष

1. यह वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए गर्व की बात है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर (कार्यालय-2) के अध्यक्ष का दायित्व वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सौंपा है। इस समिति के अंतर्गत नागपुर शहर में स्थित 77 कार्यालय आते हैं।
2. वर्ष के दौरान मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें कुल 608 अधिकारियों /कर्मचारियों ने भाग लिया।
3. मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 04 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति तथा राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। वर्ष के दौरान 08 क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हिंदी की प्रगति तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
4. दैनंदिन सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय के प्रवेश द्वार के पास तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में "आज के शब्द" के अंतर्गत अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय नियमित रूप से प्रदर्शित किए गए।
5. वर्ष के दौरान पाक्षिक "वॉल पोस्टर" के 24 अंक हिंदी में निकाले गए, जिनमें कंपनी की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

6. 14 सितंबर, 2019 को 'हिंदी दिवस' के उपलक्ष्य में मुख्यालय में 14 से 30 सितंबर 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके दौरान विविध प्रतियोगिताओं जैसे तात्कालिक भाषण, टिप्पण एवं आलेखन, स्वरचित काव्य स्पर्धा, सामान्य ज्ञान, निबंध, स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, जेन नेक्स्ट के अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला, प्रश्नमंच तथा अंताक्षरी का आयोजन किया गया।
7. हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। बोर्ड परीक्षा 2019 में 10 वीं /12 वीं कक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।'पारंगत' पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले कर्मियों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
8. हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में 'क' और 'ख' क्षेत्रों में वर्ष के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए दो क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा शील्ड / प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।उसी प्रकार वर्ष के दौरान तीन समूहों में हिंदी में सर्वाधिक पत्राचार के लिए मुख्यालय के विभागों और हिंदी में सर्वाधिक डिक्टेशन देने वाले कर्मियों को राजभाषा शील्डप्रशस्ति पत्र प्रदान / किया गया। डब्लूसीएलके क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथसाथ - राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया।
9. कर्मचारियों के उपयोग हेतु 'दिनकर हिंदी पुस्तकालय' में विविध विषयों पर कुल 6756 हिंदी पुस्तकें और 07 हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध कराई गईं।
10. कर्मचारियों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी शिक्षण योजना, नागपुर के साथ मिलकर डब्लूसीएल मुख्यालय के मानव संसाधन विकास विभाग में 5 माह अवधि के अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम 'पारंगत' के 7 बैच आयोजित किये जा चुके हैं और आठवां बैच चल रहा है।
11. हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र यादव और हरिवंशराय बच्चन के जन्म दिवस पर उन्हें आदरांजलि अर्पित की गई और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से हिंदी भाषा के प्रचार को बढ़ावा मिला। कार्मिकों में उनकी साहित्यिक पुस्तकों का वितरण किया गया।
12. प्रत्येक माह प्रवेश द्वार पर मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ पर्ची देकर कार्यालयीन कार्य केवल हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया गया।

15. पर्यावणीय उपाय

आपकी कंपनी परियोजना प्रबंधन के "पर्यावरण और पारिस्थितिकी" के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और सभी परिचालित खानों में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के मितव्ययी उपायों के लिए उचित देखभाल कर रही है। 31-03-2020 को पर्यावरण प्रबंधन के तहत विभिन्न गतिविधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

नई परियोजनाओं / मौजूदा परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) / पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) - पर्यावरणीय मंजूरी की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से छह परियोजनाओं के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) को सुरक्षित किया गया है। परियोजनाएं हैं - सिंघोरी ओसी विस्तार (विस्तार के लिए, उत्पादन क्षमता में 0.80 एमटीपीए से 1.12 एमटीपीए तक), धनकसा यूजी माइन (582.651 हेक्टेयर के एमएल क्षेत्र में 1.20 MTPA की पीक क्षमता के लिए), अदासा यूजी से ओसी कोयला खदान (उत्पादन क्षमता में 0.50 एमटीपीए से उत्पादन क्षमता के विस्तार तक)। 1.85 MTPA भूमि क्षेत्र में वृद्धि के साथ 221 हेक्टेयर से 594.41 हेक्टेयर), मुंगोली निर्गुण विस्तार का विस्तार। डीप ओसी (4.00 से 4.375 एमटीपीए के साथ भूमि क्षेत्र में 818.05 हेक्टेयर से 1317.55 हेक्टेयर तक की वृद्धि), भाटडी ओपेकैस्ट कोयला खदान का विस्तार (0.975 एमटीपीए से 1.465 एमटीपीए तक 847.37 हेक्टेयर के खदान क्षेत्र में) और नीलजाई विस्तार (डीप) ओसी (1761.22 हेक्टेयर के एमएल क्षेत्र में 3.50 एमटीपीए से 4.50 एमटीपीए तक उत्पादन क्षमता में विस्तार के साथ)।

इसके अलावा, दो परियोजनाओं के संबंध में एमओईएफ और सीसी से ई.सी. में संशोधन किया गया है, अर्थात् जमुनिया यूजी (एमएल क्षेत्र में 376.94 हेक्टेयर में 0.828 एमटीपीए की चरम क्षमता पर) और दुर्गापुर एक्सटेंशन में डीप ओसी चरण - II उत्पादन भूमि परियोजना (उत्पादन क्षमता 3.00 एमटीपीए में) कुल परियोजना क्षेत्र 1622.50 हेक्टेयर)।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वैध ईसी के साथ खान संचालन को जारी रखने के लिए अपेक्षित मंजूरी भी उनकी वैधता अवधि के भीतर चार परियोजनाओं के लिए सुरक्षित है। ये परियोजनाएँ हैं - उमरेर ओपनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का विस्तार (3.50 से 4.90 एमटीपीए), पेनगंगा ओपनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का विस्तार (उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए 4.50 से 6.30 एमटीपीए 763.06 हेक्टेयर के क्षेत्र में), गोंडेगाँव एक्सटेंशन कोल का विस्तार खदान परियोजना (791.40 हेक्टेयर की खदान लीज क्षेत्र में 2.50 से 3.50 एमटीपीए) और पौनी - II ओपनकास्ट कोल माइनिंग परियोजना का विस्तार (1095.52 हेक्टेयर के लीज खदान क्षेत्र में 0.60 से 3.25 एमटीपीए तक)।

सार्वजनिक सुनवाई:

एमओईएफ और सीसी के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई ए) के टीओआर / निर्देश में निर्धारित शर्त की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पांच परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई सफलतापूर्वक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से पूरी की गई है जो येकोना - I & II मिश्रित ओसी , भताड़ी ओसी विस्तार हैं, नई माजरी यूजी से ओसी विस्तार, मकरधोकरा - I ओसी विस्तार और तवा- III भूमिगत खान ।

संदर्भ की शर्तें (टीओआर):

कंपनी ने विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए तीन परियोजनाओं के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त की हैं, नई माजरी यूजी से ओसी , मकरधोखरा- I ओसी और गांधीग्राम यूजी (संशोधन) का विस्तार एमओईएफ और सीसी से EIA अधिसूचना , 2006 के अनुसार 2019-20 के दौरान । इसके अलावा, टीओआर की वैधता का विस्तार भी येकोना - I और II एकीकृत ओसी के लिए सुरक्षित था और पिछले वित्त वर्ष के दौरान अदासा यूजी से ओसी परियोजनाओं के लिए ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ईएमपी का कार्यान्वयन:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ईएमपी वाली परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं और संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) में दिए गए एमओईएफ और सीसी की शर्तों के अनुपालन पर रिपोर्ट आईएए डिवीजन, एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली और नागपुर और भोपाल में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में हर छह महीने में प्रस्तुत की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 10 खानों यानी येकोना - I और II एकीकृत ओसी , गोंडेगांव विस्तार ओसी, मकरधोखरा - I ओसी, नई माजरी यूजी से ओसी विस्तार, पौनी - II ओसी विस्तार, नीलजई विस्तार (डीप) ओसी, उमरेड ओसी विस्तार, पेनगंगा ओसी विस्तार, मंगोली निरगुडा एक्सटेंशन (डीप) ओसी और कामठी डीप ओसी के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफ और सीसी, नागपुर से ईसी अनुपालन के प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे।

इसके अलावा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, नागपुर (सीएसआईआर - एनईईआरआई) के माध्यम से ईसी की शर्तों के अनुपालन का तीसरा पक्ष सत्यापन भी सफलतापूर्वक तीन परियोजनाओं के लिए पूरा किया गया, जैसे कि पेनगंगा ओसी विस्तार, उमरेर ओसी विस्तार और पौनी - द्वितीय ओसी विस्तार ।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र :

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा अधिसूचित शासनादेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सभी खानों के भूजल उन्मूलन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 15 परियोजनाओं पेनगंगा ओ सी , उमरेर ओ सी , मकरधोकरा - **III** (दिनेश) ओ सी , गोंडेगाँव ओ सी, इंदर यू जी से ओ सी, कांपटी डीप ओ सी, सिंघौरी ओ सी, दुर्गापुर ओ सी, नई माजरी यू जी से ओ सी,, येकोना- **I & II** एकीकृत ओ सी , न्यू माजरी - **II (A)** ओ सी , पौनी- **II** ओ सी विस्तार, निल्जय डीप ओ सी , मुंगोली निरगुड़ा विस्तार (डीप) ओ सी और भटाड़ी विस्तार ओ सी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र सुरक्षित कर लिया गया है ।

कोयला नियंत्रक द्वारा प्रगतिशील खदान बंद करने की गतिविधियों की प्रतिपूर्ति:

पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कोल नियंत्रक ने प्रगतिशील खदान बंद करने की गतिविधियों के दावे के खिलाफ 24 परियोजनाओं / खानों के एस्क्रो खाते से रुपये 383.88 करोड़ की राशि जारी की है ।

वनीकरण:

राज्य विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण कार्य निष्पादित किया जा रहा है यथा मध्य प्रदेश राज्य मे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा । वराश 2019-20 के दौरान, खनन क्षेत्रों में कुल 1,35,000 पौधे लगाए गए हैं। लगाया गया कुल क्षेत्रफल बाहरी ओबी डंप पर 10 हेक्टेयर से अधिक है और अन्य क्षेत्रों अर्थात कालोनी, एवेन्यू, रेलवे साइडिंग्स आदि में 44 हेक्टेयर से अधिक है। इस प्रकार, डब्ल्यू खनन क्षेत्रों में अब तक कुल रोपण 6855.75 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 188.549 लाख पौधे हैं।

2019-20 में किए गये अन्य पर्यावरणीय शमन उपाय

रिमोट सेंसिंग तकनीक के जरिए लैंड रिक्लेमेशन मॉनिटरिंग:

5 मिलियन क्यूबिक मीटर (कोल + ओबी) की खुदाई करने वाली 10 प्रमुख ओपनकास्ट खदानों में भूमि के उत्थान की प्रगति पर सीएमपीडीआईएल द्वारा वार्षिक आधार पर, सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल द्वारा सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर (कोल + ओबी) से कम की खुदाई करने वाली 11 ओपनकास्ट खदानों की भी निगरानी (3 वार्षिक अंतराल पर की गई) की गई है।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता:

हमारी कंपनी मे मुख्यालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और परियोजना स्तरों पर पर्यावरण सप्ताह (1 जून से 7 जून, 2019) और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2019 को मनाया गया।

सप्ताह के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ - इस प्रकार थे: -

1. पर्यावरण संरक्षण पर यूएनईपी - थीम के अनुसार "वायु प्रदूषण को हराओ।" की प्रतिज्ञा कॉर्पोरेट (मुख्यालय) और सभी क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों द्वारा ली गई।
2. कर्मचारियों के वार्डों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। ड्राविंग, स्लोगन आदि।
3. कर्मचारियों को 'बीजों' का वितरण ।

16. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

1. सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य सीएसआर को समाज के सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया बनाना है। इसका उद्देश्य उनकी गतिविधियों के तात्कालिक और दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने में सरकार की भूमिका को पूरा करना है।
2. सीएसआर गतिविधियों के प्राथमिक लाभार्थी, परियोजना क्षेत्रों की जमीन से बेदखल होने वाले परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) और 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हैं। देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग माध्यमिक लाभार्थी हैं।
3. सीएसआर एक्शन प्लान जिला प्राधिकरणों / सरकारी अधिकारी / स्थानीय निकाय / ग्राम पंचायत / सरपंच / ग्राम सेवक और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि के परामर्श से तैयार किया जाता है।
4. सीएसआर गतिविधियों को लागू करते समय डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 30/12/2015 को तैयार सीएसआर नीति का पालन करता है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की विशेषताएं और और 27/02/2014 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं शामिल हैं साथ ही साथ सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा सीएसआर और स्थिरता पर जारी दिशा-निर्देश भी निम्नानुसार शामिल हैं:

i. केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान सहित भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना।
ii. विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विभिन्न विकलांग और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।
iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर

और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की गई असमानताओं को कम करने के उपाय।

iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ गंगा निधि' में योगदान सहित मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना।

v. राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की बहाली और कला के कार्यों सहित कला और संस्कृति; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास।

vi. सशस्त्र बलों के शहीदों , युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।

vii. ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिम्पिक्स खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

viii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या किसी अन्य निधि में योगदान।

ix. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को योगदान या धन प्रदान किए गए।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

xi. गंदगीयुक्त क्षेत्र का विकास।

5. सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर के लिए फंड को कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए या, पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का रु .2.00 प्रति टन, जो भी अधिक हो, के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।

2019-20 के दौरान सीएसआर पर निधि प्रावधान और व्यय (लाख में)	
उत्पादन के आधार पर वर्ष 2018-19	वास्तविक व्यय
10.64	9.59

वर्ष 2019-20 के दौरान डब्लूसीएल द्वारा किए गए प्रमुख सीएसआर पहल:

1. विभिन्न मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नागपुर को 83.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

2. जिला परिषद, नागपुर को नागपुर जिले के 13 जिला परिषद स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए 13 एकल इकाई शौचालय एवं 11 जिला परिषद स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए

11 ब्लाक इकाई शौचालय के लिए वित्तीय सहायता । कुल परियोजना लागत रु 114.98 लाख है।

3. ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 73.19 लाख रुपये की राशि।

4. स्वच्छ्ता एक्शन प्लान की गतिविधियाँ के लिए 46.31 लाख रुपये की राशि।

5. जिला प्रशासन, नागपुर को पालक मंत्री पंधान / शेट रास्ते योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

6. डब्ल्यूसीएल के तत्वावधान में डायबिटीज रेटिनोपैथी के निदान एवं उपचार के लिए तथा मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी के बाद नेत्र शिविर आउटरीच गतिविधियों का संचालन करने के लिए एस.एम.एम. आई वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर को 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता ।

7. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को हैंड सैनिटाइज़र, साबुन, फेस मास्क आदि जैसे खाद्य उपकरणों की खरीद के लिए 50 लाख रुपये की राशि दी गई है।

सीएसआर गतिविधियों के विषयगत क्षेत्रवार व्यय को दर्शाने वाली तालिका 2019-20:

क्र	सी एस आर गतिविधियों के नाम	व्यय का आंकड़ा रुपये लाख तक हैं
1	स्वास्थ्य देखभाल	3.83
2	पीने का पानी	0.08
3	स्वछता	0.37
4	शिक्षा	1.94
5	कौशल विकास	0.87
6	अलग से कल्याण किया गया	0.21
7	राष्ट्रीय धरोहर,कला और संस्कृति का संरक्षण	0.64
8	खेल को बढ़ावा	0.34
9	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1.31
	कुल	**9.59**

निर्धारित सीएसआर व्यय की राशि खर्च नहीं करने के कारण:

वर्ष 2019-20 के दौरान नई कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीएसआर व्यय (सीएसआर बजट) निल है।

हालाँकि, डब्ल्यूसीएल सीआईएल की सीएसआर नीति का अनुसरण करता है, वर्ष 2018-19 के 2.00 प्रति टन कोयले के उत्पादन के आधार पर वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित निर्धारित सीएसआर व्यय राशि 10.64 करोड़ रुपये है।

2019-20 के लिए कुल सीएसआर व्यय 9.59 करोड़ रुपए है।

कुल राशि अनपेक्षित 1.05 करोड़ है।

अनिर्दिष्ट सीएसआर राशि का कारण:

अनिर्दिष्ट सीएसआर राशि का कारण नीचे दिया गया है:

1. कुछ गतिविधियों के लिए निविदा प्रक्रिया के दौरान बोली लगाने वालों की रूचि नहीं होने के कारण निर्धारित समय के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

2. कुछ गतिविधियाँ प्रगति पर हैं और कोविड -19 लॉकडाउन के कारण निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हो सकीं।

सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में उत्तरदायित्व वक्तव्य:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर पहलों के तहत कवर की गई सभी परियोजनाओं / कार्यक्रमों के संबंध में सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों और सीआईएल के अनुपालन में है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएसआर नीति तैयार की गई।

पुरस्कार:

30-31 जनवरी, 2020 को आईपीई, हैदराबाद में आयोजित सीएसआर पर 6 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डब्ल्यूसीएल को सीएसआर परियोजना "पंख" के लिए आईपीई की 'बेस्ट प्रैक्टिस' और सीएसआर अवार्ड्स में बेस्ट प्रैक्टिस पुरस्कार मिला।

17. सतर्कता

निवारक सतर्कता:

सार्वजनिक मामलों से निपटने में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन शिकायत से निपटने की प्रणाली शुरू की गई है ताकि किसी भी जगह से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सके। प्राप्त शिकायतों को ऑनलाइन संसाधित किया जा रहा है। इसमें तीन उपयोगकर्ता इंटरफेस हैं जहां एक

शिकायतकर्ता और कंपनी के शीर्ष अधिकारी सीधे शिकायत को देख सकते हैं। शिकायत तब तक संबंधित अधिकारी के पास रहती है जब तक कि उसके तार्किक निष्कर्ष के लिए सीवीओ को रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती।

सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान 2 सीटीई प्रकार के निरीक्षण, 23 औचक निरीक्षण और 31 नियमित निरीक्षण किए हैं।

सतर्कता विभाग द्वारा प्रणालीगत सुधार और परिपत्रों के लिए पहल की गई जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

i पत्र क्रमांक 1056 दिनांक 26.04.2019 के अनुसार महिला कर्मचारियों के मामले में सास / ससुर को लाभ ।

ii वाहनों की भर्ती के लिए निविदाओं में व्यवस्थित सुधार जारी पत्र 3790 दिनांक 07 / 09.10.2019 के अनुसार ।

iii वैधानिक आवश्यकता / चिह्नों वाले उत्पाद / दुकानों की खरीद में व्यवस्थित सुधार जारी पत्र संख्या 72 दिनांक 09.05.2019 के अनुसार ।

iv किसी भी साझेदार की फर्म के आधार पर एक साझेदारी फर्म की योग्यता का सुझाव दिया जाता है।

v समय विस्तार और अनुबंध में तरल क्षति का सुझाव दिया गया है।

स्टेकहोल्डर्स की बैठकें और प्रशिक्षण:

i वर्ष के दौरान, डब्ल्यूसीएल के वणी क्षेत्र में 01 स्टेक होल्डर कस्टमर्स मीट का आयोजन किया गया।

ii 06 (छह) सतर्कता जागरूकता और व्यक्तित्व विकास पर कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमे 98 कर्मचारियों ने भाग लिया था।

iii सीवीओ, सीएमपीएफओ, धनबाद द्वारा कोल माइंस प्रोविडेंट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें 100 कर्मचारियों ने भाग लिया।

सतर्कता में आईटी पहल:

I सामाग्री/ पुर्जों की खरीद के लिए क्षेत्रों द्वारा ई-टेंडर के फ्लोटिंग के संबंध में सुझाव दिया गया है।

ii पीबीजी (परफॉरमेंस बैंक गारंटी) क्लॉज और अन्य क्लॉज को स्वीकार करने के संबंध में एनआईटी में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को निविदा अस्पष्टता से बचने के लिए बोली में ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

iii विभिन्न आई टी मुख्य जीपीएस / जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली, सीसीटीवी आधारित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर प्रणाली आदि के अंतर्गत ली जाती हैं। उपरोक्त प्रणालियों के प्रभावी कार्य के लिए एसओपी को पहले ही सभी क्षेत्रों में डब्ल्यूसीएल मुख्यालय के माध्यम से परिचालित किया जाता है। उपरोक्त प्रणाली के काम करने और उपयोग की निगरानी के लिए समय-समय पर एक समिति के माध्यम से आईटी पहल की विस्तृत तकनीकी लेखा परीक्षा के लिए जोर दिया गया था।

iv निम्नांकित लोड सुधार के लिए निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार का सुझाव दिया गया है:

• जिम्मेदारी मैट्रिक्स के साथ कोयला लोड करने से पहले बॉक्स प्रकार की पहचान के लिए तंत्र बनाया जाना चाहिए।

• लोडिंग की सख्त निगरानी के लिए सिस्टम होना चाहिए और विशेष रूप से उचित जवाबदेही परिभाषित लंबी दूरी की रेक के लिए ।

• सभी क्षेत्रों में लोडिंग मात्रा गणना के तहत और लोडिंग शुल्क के तहत एकरूपता हो ।

• पॉलिसी और समय के अनुसार डब्ल्यूसीएल प्रणाली के साथ एफओआईएस सॉफ्टवेयर के एकीकरण का कार्यान्वयन ।

• मानविक हस्तक्षेप से बचने के लिए स्वचालित रूप से लोडिंग गणना के तहत सॉफ्टवेयर का उपयोग।

• लोडिंग मात्रा और शुल्क के तहत स्थानांतरित करने की संभावना तलाशना और कार्यान्वित करना और किसी भी मानविक हस्तक्षेप से बचने के लिए सिस्टम से कोलनेट तक शुल्क स्वचालित रूप से।

• वे-ब्रिज सॉफ्टवेयर के साथ किसी भी छेड़छाड़ की संभावना से बचने के लिए भविष्य में वेमेंट प्रिंटआउट और आरआर के साथ क्रॉस चेकिंग के लिए डिजिटाइज़र में डेटा के बैकअप की संभावना तलाशना।

• प्रत्येक रेक के लिए 3% से अधिक अंडरलोडिंग के साथ क्षेत्र द्वारा जांच और सीवीओ सीआईएल द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में सुझाए गए अनुसार करने के लिए संबंधित निदेशक को एमयूएम भेज दिया गया ।

• 4% से अधिक मामलों की रिपोर्टिंग सीवीओ डब्लूसीएल और सीवीओ सीआईएल को जैसा कि सीवीओ सीआईएल द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में एमयूएम के संबंध में विस्तार से बताया गया है

"एमयूएम" में सुझाए अनुसार सीवीओ के साथ निदेशकों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक।

• अनुबंध डिजाइन / एनआईटी में सुधार ताकि उचित दंड खंड और वसूली, "एमयूएम" में उल्लिखित जिम्मेदारी के साथ बोलीदाता की साख और विशेषज्ञता शामिल हो सके।

दंडात्मक सतर्कता:

वर्ष के दौरान 64 जांच की गई, जिनमें से 25 का निस्तारण किया गया। सतर्कता गतिविधियों के परिणामस्वरूप 03 मामलों में 15 कर्मचारियों के खिलाफ नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए) हुई है। आरडीए का प्रारंभिक संतुलन 06 मामलों में 23 कर्मचारियों के खिलाफ था, जिसमें से 03 मामलों में 12 कर्मचारियों को बड़ा जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 01 मामलों में 01 कर्मचारियों को मामूली जुर्माना लगाया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवलोकन, "सहमत सूची" की तैयारी और "संदिग्ध वफ़ादारी सूची के अधिकारी" और संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों के रोटेशन जैसी अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा गया है।

ई-सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत ईमानदारी की प्रतिज्ञा:

इस वर्ष ई-प्रतिज्ञा सीवीसी वेबसाइट पर उपलब्ध थी और साथ ही डब्ल्यूसीएल के कार्य क्षेत्रों में स्थित विभिन्न स्कूलों के ग्राहक, हितधारक और अन्य छात्रों जैसे व्यक्तिगत कर्मचारी, परिवार के सदस्य या अन्य नागरिकों के लिए डब्ल्यूसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक भी उपलब्ध थी । वर्ष के दौरान ई-प्रतिज्ञा की कुल 10300 गणना दर्ज की गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, भ्रष्टाचार विरोधी नारों के 4000 पैम्फलेट / पोस्टर, कर्मचारियों के लिए डू और डोंट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के डब्ल्यूसीएल कमांड क्षेत्रों में दिग्गजों के उद्धरण वितरित किए गए थे। 200 बैनर होर्डिंग्स और बैनर रणनीतिक बिंदुओं पर प्रदर्शित किए गए थे। सप्ताह के दौरान बहस / कार्यशालाएं और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

18. निदेशकगण

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति आपकी कंपनी के निदेशक बने रहे:

1. श्री राजीव आर. मिश्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री आर.पी. श्रीवास्तव, निदेशक
3. डॉ संजय कुमार, निदेशक (कार्मिक)
4. श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी) संचालन
5. श्री अजीत कुमार चौधरी, निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना

रिपोर्ट के अधीन डॉ दर्शना चंदूभाई देशमुख, गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक वर्ष के दौरान 25/07/2019 को जुड़ी ।

रिपोर्ट के अधीन श्री भबानी प्रसाद पति, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक वर्ष के दौरान 17/03/2020 से शामिल हुए ।

रिपोर्ट के अधीन कंपनी के निदेशक के पद पर श्री एस.एम., चौधरी निदेशक (वित्त) को दिनांक 12/10/2019 से प्रभार से मुक्त कर दिया गया और उन्हें निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 17/10/2019 को सौंपा गया ।

रिपोर्ट के अधीन श्री किरीट एन शेलट, श्री एन रामाराव, श्री इंद्र घोष और श्री महेंद्रकुमार भट्ट गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 17/11/2019 से अंशकालिक निदेशक नहीं रहे ।

रिपोर्ट के अधीन श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक आपकी कंपनी दिनांक 17/03/2020 से अंशकालिक निदेशक नहीं रहे ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी का दर्शनशास्त्र :

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रतिबद्धता है जो किसी संगठन के सभी घटकों के बीच कामकाज, मूल्य और पारस्परिक विश्वास में पारदर्शिता का समर्थन करती है। यह एक आत्म-लगाया हुआ अनुशासन है जो प्रबंधन और कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

इसमें अनिवार्य रूप से एक रचनात्मक, पीढ़ीगत और सकारात्मक सोच गतिविधि शामिल है जो हितधारकों के लिए मूल्य जोड़ता है।

आपकी कंपनी में, कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन हमारे इस विश्वास से उपजा है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस दक्षता और वृद्धि को बेहतर बनाने के साथ-साथ बाहरी लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम कॉरपोरेट गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास को अपनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमारा मानना है कि कंपनी के लिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं वह नियामक ढांचे के पालन से परे होगा।

कोयला मंत्रालय को सौंपी गई कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के अनुपालन पर स्व मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए उत्कृष्ट रेटिंग यानी 95.12% हासिल की।

निदेशक मंडल

बोर्ड का आकार:

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में, बोर्ड की शक्ति दो निदेशकों से कम नहीं होगी और पंद्रह निदेशकों से अधिक की होगी। ये निदेशक या तो पूरे समय कार्यात्मक प्रत्यक्ष या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

बोर्ड की संरचना:

31 मार्च, 2020 तक, बोर्ड में आठ निदेशक शामिल थे, जिनमें से पाँच अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित पूरे समय के कार्यात्मक निदेशक थे। दो निदेशक भारत सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड और प्रत्येक गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक से नामित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सेंट्रल रेलवे के एक प्रतिनिधि को डब्ल्यूसीएल के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया है। बोर्ड के संविधान के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सरकार से दो दो स्थायी गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक कुल चार की नियुक्ति अभी होना शेष है । निदेशक मंडल व्यापक स्तर पर अनुभव और कौशल लाते हैं।

बोर्ड बैठक:

निदेशक मंडल की बैठकें आमतौर पर नागपुर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। कंपनी ने निदेशक मंडल और समितियों की बैठक के लिए प्रक्रिया को परिभाषित किया है ताकि सूचित और कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो सके। ग्यारह (11) बोर्ड की बैठकें वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमशः16.04.2019, 25.05.2019, 27.06.2019, 01.08.2019, 31.08.2019,

27.09.2019, 30.10.2019, 13.11.2019, 24.12. 2019, 17.01.2020 और 03.02.2020 को हुई थीं ।

निदेशकों द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र	निदेशक	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड की बैठक में भाग लिया	2019-20 में कंपनी में समिति की सदस्यता की संख्या	
				अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री राजीव आर मिश्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	11	11	-	-
2	डॉ. संजय कुमार निदेशक (कार्मिक)	11	9	1	1
3	श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त)	11	11	-	3
4	श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी) संचालन	11	9	-	4
5	श्री अजित कुमार चौधरी, निदेशक (तकनीकी) /परी एवं यो	11	10	1	2
6	श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय	11	7	-	1
7	श्री आर पी श्रीवास्तव , निदेशक (पी एंड आईआर), कोल इंडिया लिमिटेड	11	10	-	2
8	श्री किरीट एन शेलट, गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक	8	8	1	-
9	श्री एन रामाराव, गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक	8	8	1	1
10	श्री इंद्रा घोष, गैर- कार्यकारी अंशकालिक निदेशक	8	8	1	1
11	श्री महेंद्र कुमार भट्ट, गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक	8	8	-	1
12	डॉ. दर्शना सी. देशमुख, गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक	8	7	2	-

निदेशक मंडल के सामने रखी गई जानकारी:

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर किसी भी जानकारी का पूरा उपयोग है। बोर्ड को नियमित रूप से आपूर्ति की जाने वाली जानकारी में शामिल हैं: -

i वार्षिक परिचालन योजना और बजट और कोई भी अपडेट ।

ii पूंजीगत बजट और कोई भी अपडेट।

iii कंपनी का तिमाही परिणाम ।

iv वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।

v सभी बोर्ड उप-समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।

vi घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटना आदि।

vii संचालन पर प्रकाश डाला गया।

viii बड़े अनुबंधों का पुरस्कार।

ix प्रमुख निवेश, संयुक्त उद्यम आदि।

x निदेशकों द्वारा ब्याज के प्रकटीकरण के बारे में निर्देशन और अन्य कंपनियों में उनके द्वारा कब्जा की गई स्थिति।

xi किसी भी नियामक, वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं करना।

xii उपकरणों का उपयोग।

xiii अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र, संविधान आदि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

लेखा परीक्षा समिति का दायरा:

i आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना

ii अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना

iii आंतरिक ऑडिट फ़ंक्शन की पर्याप्तता की समीक्षा करना

iv संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा

v आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर चर्चा

vi लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश

vii सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा

viii चेयर की अनुमति से कोई अन्य मामला

संविधान:

लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नांकित सदस्यों के साथ किया गया है -

i स्वतंत्र निदेशक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते;

ii डब्लूसीएल के बोर्ड में नामित कोयला मंत्रालय के नामिती;

iii कोल इंडिया लिमिटेड के उम्मीदवार, डब्ल्यूसीएल के बोर्ड में नामित और

iv निदेशक (तकनीकी), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

v निदेशक (वित्त) एक आमंत्रित के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेंगे।

संयोजन :

वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल थे: -

डॉ दर्शना सी. देशमुख, गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशक दिनांक 24.12.2019 से	: अध्यक्ष
डॉ किरीट एन शेलट, गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशक दिनांक 16.11.2019 तक	: अध्यक्ष
श्री भबानी प्रसाद पति , सरकारी अंशकालिक निदेशक दिनांक 17.03.2020 से	: सदस्य
श्री अनिमेष भारती , सरकारी अंशकालिक निदेशक दिनांक 17.03.2020 तक	: सदस्य
श्री आर. पी . श्रीवास्तव , सरकारी अंशकालिक निदेशक	: सदस्य
श्री एन रामाराव , गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशक दिनांक 16.11.2019 तक	: सदस्य
श्री इंद्र घोष, गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक दिनांक 16.11.2019 तक	: सदस्य
श्री महेंद्र कुमार भट्ट, गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशक दिनांक 16.11.2019 तक	: सदस्य
श्री मनोज कुमार , निदेशक (तकनीकी), संचालन	: सदस्य

निदेशक (वित्त) एक आमंत्रित के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेंगे।

बैठक और उपस्थिति:

वर्ष 2019-20 के दौरान, समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं। सदस्यों द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है: -

लेखा परीक्षा के सदस्य	उनके कार्यकाल के दौरान बैठक हुई	बैठक में भाग लिया
डॉ दर्शना सी देशमुख	1	1
डॉ किरीट एन शेलट	6	6
श्री अनिमेष भारती	7	2
श्री आर पी श्रीवास्तव	7	5
श्री एन रामाराव	6	6
श्री इंद्रा घोष	6	6
श्री महेंद्र कुमार भट्ट	6	6
श्री मनोज कुमार	7	6

सीएसआर समिति

सीएसआर समिति का दायरा और गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है। वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसआर समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

डॉ. दर्शना सी देशमुख, गैर सरकारी , अंशकालिक निदेशक दिनांक 24.12.2019 से	: अध्यक्ष
श्री एन रामाराव, गैर सरकारी , अंशकालिक निदेशक दिनांक 16.11.2019 तक	: अध्यक्ष
डॉ. संजय कुमार, निदेशक (कार्मिक)	: सदस्य
श्री एस एम चौधरी, निदेशक (वित्त), दिनांक 24.12. 2019 से	: सदस्य
श्री अजित कुमार चौधरी, निदेशक (तकनीकी) परियोजना / योजना	: सदस्य

बैठक और उपस्थिति:

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गईं। सीएसआर समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा भाग लेने का विवरण निम्नानुसार है: -

सीएसआर समिति के सदस्य	उनके कार्यकाल के दौरान बैठक हुई	बैठक में भाग लिया
श्री एन रामाराव	3	3
डॉ. संजय कुमार	3	3
श्री अजित कुमार चौधरी	3	3
डॉ. दर्शना सी देशमुख	-	-

जोखिम प्रबंधन नीति और समिति

कंपनी के पास जोखिम के विभिन्न तत्वों की पहचान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है और जोखिम के शमन के लिए आवश्यक कार्य योजना है । बोर्ड ने एक जोखिम प्रबंधन समिति, डब्ल्यूसीएल बोर्ड के तहत एक उप समिति का गठन किया है, एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में जो डब्ल्यूसीएल में समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित शामिल थे:

श्री इन्द्र घोष, गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक 16.11.2019 तक	: अध्यक्ष
श्री आर पी श्रीवास्तव, सरकारी अंशकालिक निदेशक	: सदस्य
श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी)	: सदस्य

बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें हुईं। सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है: -

जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित हुई बैठके	बैठकों में उपस्थित रहे
श्री इन्द्र घोष	4	4
श्री आर पी श्रीवास्तव	4	0
श्री मनोज कुमार	4	4
श्री पी एम प्रसाद	1	1
श्री मनोज कुमार	1	1

सामान्य निकाय बैठकें / वार्षिक आम बैठकें

दिनांक, समय और स्थान जहाँ पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित की गई थीं, निम्नानुसार हैं:

दिनांक	जुलाई 10, 2017	जुलाई 10, 2018	जुलाई 11, 2019
समय	पूर्वाह्न 10.30 बजे	पूर्वाह्न 10.30 बजे	पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान	कोल इस्टेट सिविल लाइंस नागपुर	कोल इस्टेट सिविल लाइंस नागपुर	कोल इस्टेट सिविल लाइंस नागपुर
विशेष प्रस्ताव	-	-	-

पारिश्रमिक समिति / निदेशकों का पारिश्रमिक:

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक तय किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड बैठक के साथ-साथ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर केवल बैठे शुल्क का भुगतान किया जाता है। रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रपत्र एमजीटी -9 में 2019-20 के लिए कार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक का विवरण दिया गया है।

प्रकटीकरण:

कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कोई भी पार्टी से संबंधित सामग्री का लेन-देन जो कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव है, नहीं था । वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक वर्तमान आवश्यकता के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

ऑडिट योग्यता:

यह हमेशा कंपनी का प्रयास है कि वह अयोग्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे। मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रबंधन उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुविभाग 143 (6) के तहत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खातों पर भी संलग्न है।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

आपकी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कोल इंडिया ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की और अपनाई जो उसकी सभी सहायक कंपनियों पर भी लागू है। इसके अलावा, आपकी कंपनी की एक स्वतंत्र सतर्कता शाखा है, जिसकी अध्यक्षता एक मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है। सतर्कता शाखा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के समग्र मार्गदर्शन में कार्य कर रही है, मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर जोर दे रही है। ड्रॉप बॉक्स रखा गया है, जहां कर्मचारी और अन्य सतर्कता शाखा को रिपोर्ट कर सकते हैं, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी आदि के बारे में चिंताएं और दर्ज की गई शिकायतों की सतर्कता शाखा द्वारा शिकायतकर्ताओं की पहचान की रक्षा करते हुए समीक्षा की जाती है और आवश्यक कार्रवाई, जैसा कि उचित माना जाता है, की जाती है। ।

आचार संहिता:

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता को मंजूरी दी है।

संहिता आचरण के मानक का पालन करती है, जो उनके व्यवसाय व्यवहार में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा और विशेष रूप से कार्य स्थल पर अखंडता से संबंधित मामले पर, व्यवसाय प्रथाओं में और हितधारकों के साथ व्यवहार करने के लिए किया जाता है।

सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने कोड के अनुपालन की पुष्टि की है।

लेखा परीक्षक :

30 अगस्त, 2001 को आयोजित कंपनी की साधारण-साधारण बैठक में कंपनी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कंपनी अधिनियम, 2013 के निदेशक मंडल की धारा 142 (1) के प्रावधानों के अनुसार 27 एवं 28 सितम्बर 2019 को आयोजित अपनी 315 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और

महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया।

वार्षिक लेखा परीक्षकों के अलावा, वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त हुए लेखा परीक्षकों को 30.06.2019 को समाप्त तिमाही, 30.09.2019 को समाप्त द्वितीय तिमाही तथा 31.12.2019 को समाप्त तृतीय तिमाही के लेखाओं की समीक्षा हेतु वार्षिक के 25 प्रतिशत की दर से प्रत्येक तिमाही के लिए नियुक्त किया गया।

नियुक्त हुए लेखा परीक्षकों का ब्यौरा, उनकी फीस एवं अन्य व्यय जोकि वार्षिक लेखा परीक्षा हेतु अनुमोदित है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही का पुनरीक्षण नीचे दिया गया है।

	वैधानिक / शाखा आडिटर	ईकाई	ऑडिट फी	टी ए /डी ए और आउट ऑफ पॉकेट
अ	वैधानिक आडिटर			
	मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएटस, चार्टेड अकाउंटस, दुर्ग		रुपये 7,88,670 /- + लागू कर वार्षिक निरीक्षण एवं 3,94,336/- रुपये द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की समीक्षा हेतु + लागू कर	नागपुर शहर के बाहर स्थित क्षेत्रो / कार्यालयों के लेखा परीक्षकों के लिए भागीदारों/ सुयोग्य सहायको को वास्तविक किराया/ अधिकतम वास्तविक किराए के अधीन + प्रतिदिन 140/- दैनिक भत्ता और लेखा परीक्षा सहायको को लगे श्रम दिनों के लिए प्रतिदिन 120/- की दर से दैनिक भत्ता
	मेसर्स शाह बहेती चांडक एंड कंपनी, चार्टेड अकाउंटेंट्स, नागपुर		रुपये 1,97,168/- + लागू कर प्रथम तिमाही की समीक्षा हेतु	उपरोक्तानुसार
ब	शाखा लेखक परीक्षक			
	मेसर्स रोढ़ी ड़बीर एंड कंपनी, चार्टेड अकाउंटस,	चंद्रपुर, बल्लारपुर, उमरेर, वणी	वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए रुपये 7,50,000/- एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमही की समीक्षा के लिए 5,62,500 /-	उपरोक्तानुसार

	नागपुर	नार्थ, माजरी क्षेत्र तथा सी डबल्यू एस, तडाली	रुपये हेतु + लागू कर	
	मेसर्स रतन चांडक एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटस, नागपुर	पेंच, कन्हान, पाथाखेड़ा क्षेत्र और नन्दन वाशरी	वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए रुपये 4,21 ,875/- एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमही की समीक्षा के लिए 3,16,406 /- रुपये हेतु + लागू कर	उपरोक्तानुसार
	कुल		वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए रुपये 19,60,545/- एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमही की समीक्षा के लिए 14,70,411 /- रुपये हेतु + लागू कर	वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए वास्तविक टी ए /डी ए 1,50,000/- रुपये तक सीमित तथा प्रत्येक, , द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के पुनरीक्षण के लिए वास्तविक टीए / डीए रुपये 75,000 /- तक सीमित तथा रुपये 50,000/- प्रथम तिमाही हेतु ।

निदेशकों द्वारा उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की गई है:

क 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री के प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

ख निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय दिए हैं और जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण समीक्षा के तहत वर्ष के लिए कंपनी का नुकसान दिया जा सके ;

ग निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए; तथा

घ निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर खाते तैयार किए हैं; तथा

ड उस निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से चल रहे थे; तथा

च निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही थी। कंपनी ने सभी लागू कानूनों का अनुपालन किया है।

आपकी कंपनी के खाते सीआईएल के शेयरधारकों को मांग पर, यदि कोई हो, की जानकारी देने के लिए कंपनी मुख्यालय में उपलब्ध होंगे।

आभार:

आपके निदेशक समय-समय पर उनके बहुमूल्य सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक केंद्र सरकार और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक , इस अवसर पर संगठनों और खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं।

कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। निदेशक ट्रेड यूनियनों और अधिकारियों एसोसिएशन और सभी संचालन समिति के सदस्यों, श्रम मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए टीम भावना के सभी स्तरों पर उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंपनी मामलों के विभाग, कंपनी लॉ बोर्ड और कंपनियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

निदेशक समय-समय पर अपने सहयोग के लिए कोलफील्ड्स में तैनात नागपुर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों के साथ साथ डब्ल्यूसीएल की संचालन समिति में भी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और शामिल प्रबंधन के लिए भी धन्यवाद देते हैं

परिशिष्ट:

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के कंपनी नियम (8), उप-नियम (3) के साथ पढ़ें, जानकारी के संबंध में इस रिपोर्ट

में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो का संरक्षण अनुबंध- I में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी के सचिव से 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन में, कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एफ) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

आपके निदेशकों ने आगे कहा कि "कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक एंटी सेक्शुअल हैरासमेंट पॉलिसी है। यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों का निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। सभी कर्मचारियों (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी और प्रशिक्षुओं) को इस नीति के तहत कवर किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है:

प्राप्त शिकायतों की संख्या: निल

शिकायतों का निपटारा: लागू नहीं

निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव आर मिश्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

अनुबंध- I

ए. ऊर्जा का संरक्षण

i कदम उठाए गए

1. बाहरी एजेंसी द्वारा डी आर सी यू जी एवं दुर्गापुर ओ सी खदान में विद्युत ऊर्जा खपत की ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंच मार्किंग।
2. 0.95 से ऊपर पावर फैक्टर को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए 73 नंबर कैपेसिटर का जोड़ना ।
3. कार्यालयों में और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 13606 नग एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।
4. स्ट्रीट लाइट सर्किट में ऑटो टाइमर की अतिरिक्त 73 नगों की स्थापना। ।
5. भूमिगत खदानों में बेल्ट कन्वेयर के निष्क्रिय चलने को खत्म करने के लिए यूजी बंकर (01-राजुर इंक्लाइन, 01-तवा यूजी) 02 नग की स्थापना। ।
6. जहाँ तक व्यावहारिक हो स्टेज पम्पिंग की उन्मूलन या कमी ।
7. उपयुक्त आकार की पाइपलाइन के साथ मौजूदा पुराने / अंडरसिज्ड व्यास के पाइप लाइन का प्रतिस्थापन।

ii ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

1. वर्ष 2019-20 के दौरान, डब्लूसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों से 1099654 किलोवाट प्रति घंटे की सौर ऊर्जा उत्पन्न हुई है।
2. डब्लूसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के 27 स्थानों पर 700 किलोवाट प्रति घंटे के सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना के लिए आगे की योजना।
3. कोल इस्टेट एंड इंडोरा कॉम्प्लेक्स डब्ल्यूसीएल में 700 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना नेट ज़ीरो एनर्जी कंपनी की ओर मंजूरी की प्रक्रिया के तहत है।

iii वर्ष 2019-20 के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों पर 2.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

बी फॉर्म - बी , प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण, संलग्न है।

सी विदेश मुद्रा की कमाई और खर्च :

i निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने की पहल, उत्पादों और सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएँ: कंपनी निर्यात गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

ii वर्ष के दौरान वास्तविक प्रवाह के संदर्भ में अर्जित विदेशी मुद्रा और वास्तविक बहिर्वाह के संदर्भ में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का बहिर्गत निम्नानुसार है:

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(ए)	विदेश मुद्रा की कमाई	0.00	0.00
(बी)	विदेश मुद्रा खर्च	0.03	0.17

फॉर्म 'बी'

प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए संक्षिप्त प्रयास:

सुरक्षा, पर्यावरण नियंत्रण, संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार पर जोर देने के साथ खनन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

ए . विशेष परियोजनाएं: सैंड सेग्रीगेशन प्लांट

1. ओवरबर्डन से रेत का अलगाव: एक व्यवसाय विविधीकरण के रूप में, रीजनल वार्कशॉप नागपुर एरिया में स्क्रेप से निर्मित 2 नग पायलट स्केल सैंड सेग्रीगेशन प्लांट, नागपुर क्षेत्र के भानेगाँव ओसीएम (क्षमता: 250 मीटर घनमीटर / दिन प्रत्येक) पर प्रचालन में हैं। भणेगांव से अलग रेत को नागपुर सुधार ट्रस्ट, नागपुर को एमओयू के तहत (31.12.2019 तक) 160 रूपये प्रति घनमीटर (रॉयल्टी और अन्य करों को छोड़कर) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने आवास परियोजनाओं के लिए आपूर्ति की गई है। पीएमएवाई को कुल 57,460 घनमीटर रेत की आपूर्ति की गई है, जिससे 91.93 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
2. 402.672 एम 3 बालू को प्लांट से भानेगांव ओसीएम में सरकारी संगठनों द्वारा लगे अन्य ठेकेदारों को 797.06 रुपये प्रति एम 3 (रॉयल्टी, अन्य लागू कर और परिवहन शुल्क को छोड़कर) से लगभग 3.20 लाख रु राजस्व की आपूर्ति की गई है।
3. नागपुर क्षेत्र के गोंडेगांव ओसीएम (क्षमता: 2000 घनमीटर प्रति दिन) के आधार पर ओबी से रेत को अलग करने के लिए ओबी प्रसंस्करण संयंत्र जनवरी 2020 से परिचालन में है।
4. डब्ल्यूसीएल ने 797.06 रुपये प्रति घनमीटर (रॉयल्टी को छोड़कर, अन्य लागू करों) की परियोजनाओं से 1,00,000 घनमीटर और 15,000 घनमीटर की आपूर्ति के लिए एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर और कैम्पटी नगर परिषद, नागपुर (सरकारी संगठन) के साथ परिवहन शुल्क क्रमशः दिनांक 12.03.19 और 12.06.19 को एमओयू निष्पादित किया गया है । एमओआईएल लिमिटेड को सैंड डिस्पैच 03.07.19 को शुरू किया गया है और अब तक सेग्रेटेड सैंड के 34098.467 घनमीटर को एमओआईएल लिमिटेड को भेज दिया गया है जिसने लगभग 2.71 करोड़ रु राजस्व अर्जित किया है। इसके अलावा, रेत का 489.643 घनमीटर एनआईटी, नागपुर को आपूर्ति की गई है, जिसने वित्त वर्ष 2019-20 में 3.90 लाख रुपये का राजस्व उत्पन्न किया है।

बी. नई पहल: सेपरेटबल ओवरबर्डन की बिक्री

कोल इंडिया लिमिटेड में पहली बार, महाराष्ट्र राज्य में डब्ल्यूसीएल की ओपन कास्ट खदानों से 263 / - रुपये प्रति घनमीटर (लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर, यदि कोई हो, तो स्परेबल ओवरबर्डन को बेचने की अनुमति प्राप्त की गई है) ।

सी. माइन वाटर यूटिलाइजेशन

1. डब्ल्यूसीएल में खान जल का उपयोग भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल संरक्षण अभियान के लिए जल शक्ति अभियान के अनुरूप है।
2. डब्ल्यूसीएल के पास कुल 1378 लाख क्यू मी / वर्ष का निर्वहन है, जिसमें से 428 लाख घन मीटर / वर्ष का आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है और वर्तमान में 808 लाख क्यू मी / वर्ष का उपयोग विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और राज्य सरकार के संगठनों के साथ समझौते के माध्यम से सामुदायिक उपयोग (पीने / घरेलू) सिंचाई) के लिए किया गया है
3. पीने की योजनाएँ लागू - 04 नग यानी एक (01) आर.ओ. इंदर ओसीएम (क्षमता 1000 लीटर प्रति घंटे) और एक (01) प्रेशर फ़िल्टर इंदर ओसीएम (क्षमता: 30000 लीटर प्रति घंटे), 01 प्रेशर फ़िल्टर हिन्दुस्तान लालपेठ यूजी (कैपेसिटी 22750 लीटर प्रति घंटे) और 01 प्रेशर फ़िल्टर पद्मपुर में प्लांट ओसीएम (क्षमता: 45,000 लीटर प्रति घंटे) ।
4. सिंचाई योजनाएं लागू - माना खदान / एचएलओसी और पद्मपुर ओसीएम की परित्यक्त खदान पर लागू की गई 02 योजनाएं
5. डब्ल्यूसीएल कोल इंडिया की पहली सहायक कंपनी है, जिसने भानेगांव ओसीएम से क्वांटम 10.76 मिलियन क्यू मी / वर्ष (107.6 लाख क्यूमी / वर्ष) का खदान पानी उपलब्ध कराने के लिए महजेंकों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद निष्पादन भाग को पूरा किया है।
6. पाटन सावंगी में आरओ प्लांट की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए, प्रति दिन 15000 बोतल (1 लीटर की 10500 बोतलें और 500 मिलीलीटर की 4500 बोतल) क्षमता वाला एक बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है। व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (बीआईएस और एफएसएसएआई सर्टिफाइड) को "कोल नीर " 500 मिलीलीटर वाली 7 रूपये प्रति बोतल और 1 लीटर वाली 10 रूपये प्रति बोतल पास के सरकारी कार्यालयों में और डब्ल्यूसीएल में आंतरिक उपयोग के लिए डब्ल्यूसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में बोतलों के 3000 नग आंतरिक रूप से उपयोग किए गए हैं।

डी. नॉन कोकिंग कोल बेनीफिशिएशन डीसेलिंग प्लांट्स

चिह्नित किए गए ओसी खदानों में ग्रेड के स्लीपेज को रोकने के लिए नॉन कोकिंग कोल 4 डीसेलिंग प्लांट लगाना प्रस्तावित है। नागपुर क्षेत्र के इन्दर कामठी ओसी माइन के /बेनीफिशिएशन) 2ई का परीक्षण पूरा हो चुका है। शेष लिए कोयले की विशेषता तथा धुलादोके लिए कोयले की (विशेषता तथा धुलाई परीक्षण प्रक्रियाधीन है। वणी क्षेत्र के मुंगोलीओसी खदान .निरगुड़ा डीप एक्स- में डीसेलिंग प्लांट की स्थापना के लिए संकल्पनात्मक रिपोर्ट सीएमपीडीआई , रांची में तैयार की जा रही है।

ई. खनन प्रौद्योगिकी / कन्टीन्यूअस माइनर प्रौद्योगिकी

कन्टीन्यूअस माइनर (सीएम) को तवा ।I-और छतरपुर ।-के साथसाथ आगामी भविष्य की - परियोजनाओं जैसे जमुनिया, धनकसा और गांधीग्राम में उपयोग किए जाने की योजना है।

तवा में सतत।I -कन्टीन्यूअस माइनर (सीएम)को उपयोग में लाने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और उसी के लिए तहत पाथाखेड़ा क्षेत्र द्वारा मेसर्स ट्रिंडेंट चपर लिमिटेड और अरबिंदो रियलिटी एवं इन्फा प्राइवेट लिमिटेडकंसोर्टियम के साथ अनुबंध - समझौता किया गया । कार्य प्रगति पर है।

इसी तरह, छतरपुर ।-में कन्टीन्यूअस माइनर (सीएम) को उपयोग में लाने की योजना को वीं बैठक में अनुमोदित 312को आयोजित डब्ल्यूसीएल के निदेशक मंडल की 27.06.2019 वीं एफडी की बैठक में लागत अनुमान और 849को आयोजित 29.02.20किया गया और वैश्विक बोली दस्तावेज को मंजूरी दी गई थी।

एफ. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ

कंपनी ने चार अनुसंधान और विकास गतिविधियां की हैं, जिसमें दो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य दो प्रगति पर हैं। कोयला विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना विज्ञान और (एस एंड टी) प्रमुख बारहमासी"परियोजना (एसएंडटी)प्रौद्योगिकी नदी से सटे ओपनकास्ट में गैरचिपकने वाली - तकनीकी और जल भूवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित -रेत को स्थिर करने के लिए भू /दानेदार मिट्टी जो कि नागपुर क्षेत्र के "हैभानेगांव ओसी माइन में, फरवरी में पूरी हो चुकी है और अंतिम 2020 ,रिपोर्ट आईआईटी मुंबई में प्रस्तुत की जानी है।

इसी तरह, सीआईएल एसएंडटी प्रोजेक्ट “कोयला खदानों में ब्लास्टिंग के लिए कम घनत्व वाले पोरस प्राइडेड अमोनियम नाइट्रेट के साथ एएनएफओ के तकनीकीव्यावसायिक प्रभावकारिता का - अध्ययन” फरवरी में पूरा हो चुका है। 2020ब्लास्टिंग का ट्रायल चंद्रपुर क्षेत्र के दुर्गापुर ओसीएम में किया गया है और अंतिम रिपोर्ट सीएमपीडीआई, रांची में प्रस्तुत की जाएगी।

डब्ल्यूसीएलसारनी खदान -, पाथाखेड़ा क्षेत्र के यूजी माइंस में कोयले की निकासी के लिए कोयले की राख और ओबी कचरे के साथ पेस्ट फिल तकनीक का एक नया आरएंडडी प्रोजेक्ट, सीआईएल आरएंडडी बोर्ड की अपीलीय समिति की दिनांक विमर्श के -वीं बैठक में विचार 30को 24.09.2019 एमपीपीजीसीएल ,बाद अनुमोदित किया गया है। प्रारंभिक सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य पर एएचक्यू , सारनी और सीईएमएफआर के साथ विचार-विमर्श चर्चा जारी है। /

प्रपत्र - एमजीटी 9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा- 92(3) तथा कम्पनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियम, 2014 के अनुसार

I.पंजीयन एवं अन्य विवरण :

1	सी आई एन	यू10100एमएच1975जीओआई018626
2	पंजीयन दिनांक	29 अक्टूबर, 1975
3	कंपनी का नाम	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी	प्राइवेट कंपनी/ शासकीय कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरा	कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) संपर्क नं.- 0712-2511216 नं. 0712-2511216 ई-मेल आईडी : रामेहर / वेस्टर्न कोल.गव.इन
6	क्या लिस्टेड कंपनी है	नहीं
7	रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट यदि कोई हो तो उसका नाम, पता एवं संपर्क विवरण	एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड चौथा फ्लोर, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 दूरभाष: 022 - 49142700

- **कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियॉ :**

(कम्पनी की कुल बिक्री के 10 प्रतिशत या इससे अधिक समस्त व्यावसायिक योगदान को दर्शाया जाए)

क्रमांक	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोर्ड	कंपनी के कुल बिक्री का प्रतिशत
	कोयला खनन	051-05101 एवं 051-051-05102	100

III. नियंत्रण कंपनी, अनुषंगी एवं सह-कंपनियों का विवरण :

क्र.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रण/अनुषंगी/ सह कंपनी	प्रतिशत शेयर है	एप्लीकेबल सेक्शन
1	कोल इंडिया लिमिटेड	L23109WB1973GOI028844	होल्डिंग	100	2(46)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर कॅपिटल का ब्यौरा :

i) शेयर होल्डिंग श्रेणी - अनुसार :

अंशधारकों की श्रेणी	वर्षारंभ में धारण किए अंशों की संख्या (01.04.2019 को)				वर्षान्त में धारण किए अंशों की संख्या (31.03.2020)				वर्ष के दौरान बदलने का प्रतिशत
	डीमैट	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमैट	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तकगण :									
(1) भारतीय									
(क)वैयक्तिक/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख)केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग)राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ)निकाय, निगम	0	2971000	2971000	100	0	2971000	2971000	100	0
(ड)बैंक/ एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च)कोई अन्य उप योग(क) (1)	0 0	0 2971000	0 2971000	0 100.0	0 0	0 2971000	0 2971000	0 100.0	0 0.00
2. विदेश :									
(क)एनआरआई-व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख)अन्य वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग)निकाय, निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ)बैंक/ एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ड)कोई अन्य उप योग(क) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुलअंशधारक(क) प्रवर्तकगण (क)(1)+(क)(2)	0	2971000	2971000	100	0	2971000	2971000	100	0
कुल शधारक(क)	0	2971000	2971000	100	0	2971000	2971000	100	0

अंशधारकों की श्रेणी	वर्षारंभ में धारण किए अंशों की संख्या (01.04.2019 को)				वर्षान्त में धारण किए अंशों की संख्या (31.03.2020)				वर्ष के दौरान बदलने का प्रतिशत
	डीमैट	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमैट	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ख) अंशधारक जनता :									
(क)म्यूचूअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख)बैंक/ एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग)केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ)राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ड)वेंचर पूंजी फंड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च)बीमा कंपनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(छ)एफआईआईएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ज)फारेन वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ)अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग(ख)(1)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) असंस्थागत: **क) निकाय निगम**									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिक									
i) 1 लाख रूपये तक के शेयर वाले व्यक्तिक अंशधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख रूपये से ज्यादा शेयर वाले व्यक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ग) अन्य (कृपया ब्यौरा दें):									
एनआरआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी नागरिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क्लीयरिंग सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ट्रस्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी संस्था-डीआर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप योग(ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल अंशधारक जनता ख=ख(1)+ख(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग कस्टोडियन के पास अंश जीडीआर एवं एडीआर के लिए	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (क+ख+ग)	0	2971000	2971000	100	0	2971000	2971000	100	0

ii) प्रवर्तकों का शेयर होल्डिंग :

क्र.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में अंशधारण (01.04.2019) को			वर्ष के अंत में अंशधारण (31.03.2020) को			वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन का प्रतिशत
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों को बंधक/ भारित अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों को बंधक/ भारित अंशों का प्रतिशत	
1	कोल इंडिया लिमिटेड	2971000	100	0	2971000	100	0	0

iii) प्रवर्तकों के अंश धारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.	विवरण	वर्ष के आरंभ में अंशधारण (01.04.2019) को		वर्ष 2019-20 के दौरान संचयी अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्षारंभ पर	2971000	100	2971000	100
2	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि/ कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	-			
3	वर्ष के अंत में	2971000	100	2971000	100

iv) सर्वोच्च दस अंशधारकों के अंशधारण का पैटर्न (निदेशकों,प्रवर्तकों और जीडीआर तथा एडीआर धारणकर्ताओं को छोड़कर):

क्र.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में अंशधारण (01.04.2019) को			वर्ष के अंत में अंशधारण (31.03.2020) को			वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन का प्रतिशत
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों को बंधक/ भारित अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों को बंधक/ भारित अंशों का प्रतिशत	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

v) निदेशकगण एवं प्रधान प्रबंधकीय पदाधिकारीगण का अंशधारण:

क्र.	विवरण	वर्ष के आरंभ में अंशधारण (01.04.2019) को		वर्ष 2019-20 के दौरान संचयी अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	सर्वश्री राजीव रंजन मिश्र, अप्रनि, वेकोलि				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	निल	1	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	निल	1	निल

2	श्री अनिमेष भारती, शासकीय निदेशक (अंशकालीन) 17.03.2020 तक				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
3.	श्री भबानी प्रसाद पति शासकीय निदेशक (अंशकालीन) 17.03.2020 से				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
4.	श्री आर.पी. श्रीवास्तव शासकीय निदेशक (अंशकालीन)				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	निल	1	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	निल	1	निल
5	श्री संजय कुमार, निदेशक (कार्मिक)				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल

6	श्री एस.एम. चौधरी, निदेशक (वित्त) 12.10.2019 तक एवं 17.10.2019 से				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
7	श्री मनोज कुमार, निदेशक (तकनीकी)				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
8.	श्री अजीत कुमार चौधरी निदेशक (तकनीकी)				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
9.	श्री किरिट एन. शेलॅट, स्वतंत्र निदेशक 16.11.2019 तक				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल

	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
10	श्री एन. रामाराव, स्वतंत्र निदेशक 16.11.2019 तक				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
11	श्री इन्द्र घोष, स्वतंत्र निदेशक 16.11.2019 तक				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
12	श्री महेन्द्रकुमार भट्ट, स्वतंत्र निदेशक 16.11.2019 तक				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
13.	डॉ. दर्शना चंदूभाई देशमुख स्वतंत्र निदेशक				

	25.07.2019 से				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल
14	श्री रामेहर, कंपनी सचिव				
	वर्ष के प्रारंभ में	निल	निल	निल	निल
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंश धारण में तारीख अनुसार वृद्धि / कमी एवं इसके कारणों का भी उल्लेख करें (उदाहरण आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	निल	निल	निल	निल

V. ऋणग्रस्तता :

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया / उपार्जित ब्याज किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं, भी सम्मिलित है।

	जमा को छोड़कर सुनिश्चित ऋण	असुनिश्चित ऋण	जमा	कुल
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	निल	निल	निल	निल
1. मूलधन राशि	निल	निल	निल	निल
2. ब्याज देय कितुं अदा नहीं किया गया है।	निल	निल	निल	निल
3. उपार्जित ब्याज किंतु देय नहीं	निल	निल	निल	निल
कुल 1+2+3	निल	निल	निल	निल
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
जोड़	निल	निल	निल	निल
घटोती	निल	निल	निल	निल
निवल परिवर्तन	निल	निल	निल	निल
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
1. मूलधन राशि	निल	निल	निल	निल
2. ब्याज देय कितुं अदा नहीं किया गया है।	निल	निल	निल	निल
3. उपार्जित ब्याज किंतु देय नहीं	निल	निल	निल	निल
कुल 1+2+3	निल	निल	निल	निल

VI. निदेशकगण और प्रधान प्रबंधकीय पदाधिकारीगण का पारिश्रमिक :

(क) निदेशकगण और प्रधान प्रबंधकीय पदाधिकारीगण का पारिश्रमिक :

क्र	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबं.निदे./पूर्ण निदे./प्रबंधकगण					कुल राशि
1		श्री राजीव रंजन मिश्र	श्री संजय कुमार	श्री एस.एम. चौधरी	श्री मनोज कुमार	श्री अजीत कुमार चौधरी	
	सम्पूर्ण वेतन						
	ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वेतन	38,00,979.62	31,54,191.97	16,85,505.00	36,11,395.40	36,27,084.00	1,58,79,155.99
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियां की कीमत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में हितलाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टॉक आप्शन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	स्वीट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कमीशन -लाभ के प्रतिशत अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्य, कृपया ब्यौरा दें						
	अवकाश नकदीकरण	0.00	3,25,130.66	0.00	0.00	4,66,280.00	7,91,410.66
	पीएफ एवं एफपी	5,70,997.00	4,74,009	2,52,201.00	5,42,812.00	5,41,853.00	23,81,872.00
	अन्य*	42,850.00	16,400.00	63,267.00	28,217.00	30,137.00	1,80,871.00
	ग्रेच्युटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ए)	44,14,826.62	39,69,731.63	20,00,973.00	41,82,424.40	46,64,354.00	1,92,33,309.65
	अधिनियम के अनुसार सिलिंग						

*चिकित्सा प्रतिपूर्ति, प्राफिट संबंधी वेतन एवं न्यू पेंशन स्कीम

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि रू.
1	स्वतंत्र निदेशक	श्री किरिट एन. शेलॅट	श्री रामाराव नुथक्की	श्री इंद्र घोष	श्री महेन्द्रभाई टी. भट्ट	डॉ दर्शना सी देशमुख	
	प्रमंडल समिति की बैठकों में उपस्थित	3,20,000.00	3,60,000.00	4,00,000.00	3,00,000.00	2,20,000.00	16,00,000.00

	होने का शुल्क						
	कमीशन						
	अन्य, कृपया उल्लेख करें						
	योग (1)	3,20,000.00	3,60,000.00	4,00,000.00	3,00,000.00		16,00,000.00
2	अन्य नॉन एक्जीक्यूटिव निदेशक	इस वर्ष कोई भी नॉन-एक्जीक्यूटिव निदेशक उपस्थित नहीं रहा।					लागू नहीं
	प्रमंडल समिति की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क	0					0
	कमीशन	0					0
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	0					0
	योग (2)	0					0
	कुल (बी)=(1+2)						16,00,000.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक						2,08,33,309.65
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग						

सी) प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्ण कालिक निदेशकों को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों का पारिश्रमिक :

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारीगण	कुल राशि रू. में
		(श्री रामेहर), सीएस	
1	सम्पूर्ण वेतन		
	ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वेतन	37,04,290.60	37,04,290.60
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों की कीमत	0.00	0.00
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में हितलाभ		
2	स्टॉक आप्शन		
3	स्वीट ईक्वीटी		
4	कमीशन		
5	अन्य, कृपया ब्यौरा दें	5,54,177.00	5,54,177.00

	अवकाश नकदीकरण	0.00		
	पीएफ एवं एफपी	4,85,748.00		
	अन्य*	68,429.00		
	ग्रेच्युटी	0.00		
	कुल		42,58,467.60	42,58,467.60

* चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि, परिवार पेंशन और पीआरपी समेत ।

VII. जुर्माना/सजा/अपराधों का संयोजन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना का विवरण/ सजा/ लगाया गया यौगिक शुल्क	प्राधिकार (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
ए. कंपनी					
जुर्माना	कुछ नहीं				
सजा					
संयुक्त					
बी. निदेशकगण					
जुर्माना	कुछ नहीं				
सजा					
संयुक्त					
सी. त्रुटिकर्ताओं में अन्य अधिकारी गण					
जुर्माना	कुछ नहीं				
सजा					
संयुक्त					

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) एवं 143 (3) के तहत
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टः

हमने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ('कंपनी')(सीआईएल की अनुषंगी) के संलग्न विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक का तुलन पत्र, उस समय की समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (जिसे इसके पश्चात 'वित्तीय विवरणों' के रूप में उल्लेखित किया गया है) सम्मिलित हैं। हमारे द्वारा की गई भारतीय लेखाकरण मानक वित्तयी विवरणों की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण सम्मिलित हैः-

(क) हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए 5 क्षेत्र(शाखाएं)

(ख) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षण किए गए 11 क्षेत्र (शाखाएं) निम्नानुसार हैः-

ए) i) पेंच ii) माजरी iii) पाथाखेड़ा iv) कन्हान v) वणी(ऊर्जाग्राम) vi) वणी नॉर्थ vii) केंद्रीय कर्मशाला, तड़ाली viii) उमरेड ix) बल्लारपुर x) चंद्रपुर xi) नंदन वॉशरी, कन्हान

भारतीय लेखाकरण विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा- 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट यथा संशोधित भारतीय लेखाकरण मानक तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (द एक्ट) की धारा- 134 (5) में उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जोकि अन्य व्यापक आय, कैश फ्लो तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन के बारे में सही और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख-रखाव, अन्य धोखाधड़ी एवं अनियिमतताओं को रोकना एवं उसका पता लगाना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चुनाव एवं उनको लागू करना, निर्णय करना एवं अनुमान लगाना भी शामिल है और आंतरिक वित्तीय अभिलेखों की रूपरेखा, क्रियान्वयन एवं रख-रखाव जो कि लेखा अभिलेखों की यथार्थता एवं निःशेषता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी तथा जो भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुत करने से संबंधित है और सही व स्वच्छ दृश्य प्रकट करती है, साथ ही सामग्री अयथार्थता से मुक्त हो, चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्वः

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इस भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण तथा लेखाकरण मानको और अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अधिनियम की धारा 143 (11) के अंतर्गत जारी आदेश के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों पर विचार किया।

हमने अपनी भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है, उन मानकों के अनुसार आवश्यक है कि हम नीतिपरक

आवश्यकताओं का अनुपालन करें एवं ऑडिट को सुनियोजित एवं निष्पादित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण, सामग्री अयथार्थता से मुक्त है या नहीं।
लेखा परीक्षा में कार्यविधियों का पालन करना सम्मिलित होता है जिससे राशियों एवं भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के बारे में ऑडिट एवीडेंस प्राप्त हो सके। इसके लिए जो कार्यविधि चयनित की जाती है वह अंकेक्षण के निर्णय पर निर्भर होती है, इसमें चाहे धोखे से अथवा त्रुटि से भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों का मटेरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिम का निर्धारण भी सम्मिलित होता है। इन जोखिम निर्धारणों को बनाते समय, अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो कंपनी के विनिर्माण और भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के स्वच्छ प्रस्तुतीकरण से संबंधित होते हैं, जिससे ऐसी अंकेक्षण प्रक्रिया डिजाइन की जा सके जो परिस्थितियों के उपयुक्त हो। अंकेक्षण में लेखाकरण नीतियों का उचित मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गये लेखाकरण प्राक्कलनों का युक्तिकरण साथ ही साथ भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।
हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त है जो भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करता है।

अभिमत :

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी के अनुसार हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार उसमें अपेक्षित तरीके से सूचना प्रदान करते हैं और भारतीय लेखाकरण मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2020 तक की कंपनी के कार्यो की स्थिति तथा उसकी हानि, अन्य व्यापक आय सहित उसके वित्तीय निष्पादन, उसके कैश फ्लो तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों की स्पष्ट एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करता है।

महत्व के मामले:

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैः -

क्रम संख्या	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
क)	कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान नई आयकर दर को चुना है जिससे 535.25 करोड़ रुपये आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) को कम कर दिया है।	यह तथ्य का विवरण है।
ख)	31 मार्च 2020 को अधिकांश मामलों में ऋण और अग्रिमों, व्यापार प्राप्तियों, अन्य चालू परिसंपत्तियों, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देयताओं की शेष राशि प्राप्त नहीं है और वही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय विवरणों में नोट 37 (5) (एन) को देखें।	देनदारों के साथ बकाया राशि के आवधिक सामंजस्य की एक अंतर्निर्मित प्रणाली है। हालांकि, पार्टियों को पुष्टि पत्र भी जारी किए गए हैं। इसी तरह लेनदारों को भी बैलेंस कन्फर्मेशन लेटर जारी किए गए हैं।

इस मामले के बारे में हमारी राय में संशोधन नहीं हुआ है।

प्रमुख ऑडिट मामले:

मुख्य ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में संबोधित किया

गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

क्र सं.	प्रमुख ऑडिट मामले	ऑडिटर की प्रतिक्रिया
क)	स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय समायोजन ओपनकास्ट खनन के मामले में, कोयले निकालने के लिए खदान अपशिष्ट सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान होती है, को हटाया जाना आवश्यक है। अपशिष्ट को हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। ओपनकास्ट खदानों में, कंपनी को खदान के जीवन के दौरान इस तरह के खर्चों को उठाना पड़ता है।(तकनीकी रूप से अनुमानित) इसलिए, एक नीति के रूप में, एक मिलियन टन प्रति वर्ष और इससे अधिक की क्षमता वाले खदानों में, स्ट्रिपिंग की लागत का मूल्यांकन तकनीकी रूप से मूल्यांकन औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोल) पर किया जाता है, जिसमें प्रत्येक खदान में खदानों को राजस्व में लाने के बाद विचरण खाता स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और अनुपात के लिए उचित समायोजन होता है। बैलेंस शीट की तारीख में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेश्यो वेरिएशन की शेष राशि को अलग-अलग नॉन-करेंट प्रोवीजन / अन्य नॉन-करेंट एसेट्स के तहत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में दिखाया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के लिए अनुपात की गणना करने में माना जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापा मात्रा के बीच विचरण अनुमेय सीमा के भीतर है। हालाँकि, जहाँ विचरण ऊपर की अनुमेय सीमाओं से परे है, मापी गई मात्रा को माना जाता है। वित्तीय विवरणों में लाभ और हानि एवं नोट 21 का विवरण देखें।	प्रधान ऑडिट प्रक्रिया हमने निम्नलिखित मूल प्रक्रियाएं अपनाई: • स्ट्रिपिंग एडजस्टमेंट के काम के आंकड़ों को प्राप्त किया और परीक्षण किया कि वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में किए गए खर्चों की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया है। • परीक्षण ने जाँच की कि अनुपात भिन्नता की गणना ओवरबर्डन को आवंटित राशि के आधार पर की जाती है और वर्ष के दौरान ओबी मात्रा को सही ढंग से निकाला जाता है। • अलग-अलग विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया और अलग-अलग गतिविधि समायोजन गणना पर विचार किए गए खर्चों के तर्क के लिए विवरण का परीक्षण किया। • जाँच की गई कि गतिविधि समायोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीति लागू और प्रबंधन के निर्णय उपयुक्त हैं। निष्कर्ष प्रदर्शन की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, कोई मटेरियल इशू नहीं है।

अन्य मामले:

हमने कंपनी के भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में शामिल 11 क्षेत्रों(शाखाओं) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं 31 मार्च 2020 तक 5506.61 करोड़ रुपए कुल परिसंपत्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 9109.71 करोड़ रुपए का कुल राजस्व दर्शाता है। क्षेत्रीय (शाखा) लेखा परीक्षकों द्वारा इन क्षेत्रों(शाखाओं) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है, जिसकी रिपोर्ट हमें दी गई और इन क्षेत्रों(शाखाओं) के संबंध में राशि एवं प्रकरण से संबंधित हमारी राय मुख्यतः इन क्षेत्रीय(शाखा) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं हुआ है।

शाखा प्रबंधकों की रिपोर्ट हमें दी गई है एवं हमने रिपोर्ट बनाने में उस पर उपयुक्त विचार किया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताएं

1- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यकतानुसार हमने अनुलग्नक 'क' में लेखा परीक्षा की सुधाई पद्धति के अनुपालन के उपरांत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशकों का विवरण, उस पर की गई कार्रवाई एवं कंपनी के लेखाओं एवं वित्तीय विवरण पर उसका प्रभाव दर्शाया है।

2- अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के उपबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनीज (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2016 (द ऑर्डर) द्वारा आवश्यकतानुसार आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण अनुलग्नक 'ख' में दर्शाया गया है।

3- अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक समस्त जानकारी एवं विवरण प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया है।

ख) हमारी राय में विधि द्वारा आवश्यक सही लेखा पुस्तिका कंपनी द्वारा रखी गई है जैसा कि उन पुस्तकों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) क्षेत्रीय (शाखा) लेखा परीक्षकों द्वारा धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षित कंपनी क्षेत्रों (शाखाओं) के लेखा पर रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और रिपोर्ट तैयार करने में हमने यथावश्यक रूप से उस पर विचार किया है।

घ) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण, कैश फ्लो विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा पुस्तिका के अनुसार है।

ड) हमारी राय में उपरोक्त भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक तथा उसके तहत जारी संबंधित नियमों का पालन करते हैं, किंतु वे निम्नलिखित के अधीन होंगेः -

	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
(i)	जैसा कि नोट संख्या 3 के फुट नोट 3.3 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में 'कंपनी के राष्ट्रीयकरण पर ली गई परिसंपत्तियां' में दर्शाया गया है, ली गई 9.07 करोड़ रुपए के समग्र मूल्य, 9.06 करोड़ रुपए के संचित मूल्य-ह्रास एवं 0.01 करोड़ रुपए के कैरिंग मूल्य को स्थायी परिसंपत्तियों के उचित उपशीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया गया है।	हस्तांतरित परिसंपत्तियों का कोई विस्तृत रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तथापि ऐसी समस्त परिसंपत्तियों का निवल अवशेष मूल्य 1.00 लाख रुपए है। इन परिसंपत्तियों का मूल्य बहुत अल्प है, इसलिए सारहीन है।
(ii)	जैसा कि नोट सं. 3 के फुटनोट 3.4 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में बताया गया है, कोल माईन्स लेबर वेलफेयर ऑरगनाईजेशन से कंपनी द्वारा हस्तांतरित की गई कुछ स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय विचार को अंतिम रूप देना अभी लंबित है। इसका प्रभाव इन संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और रिटेंड अर्निंग के रिपोर्टेड आंकड़ों पर पड़ा है। साथ ही संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रस्तुतिकरण पर भी प्रभाव पड़ा है। तथापि, प्रभाव निश्चित नहीं है और आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।	संबंधित मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के तहत परिसंपत्तियां कोल माईन्स लेबर वेलफेयर ऑरगनाइजेशन से ली गई एवं क्रय का विचार निर्धारित नहीं है।

(iii)	नोट 3 के फुटनोट 3.10 में अंकित: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्लांट एई उपकरण के तहत कुछ एचईएमएम के उपयोगी जीवन को संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान मूल्यह्रास में 12.95 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
(च)	सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी पर कंपनीज अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) लागू नहीं है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
(छ)	कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रण के प्रभावी रूप से कार्य करने के संदर्भ में अलग से रिपोर्ट अनुलग्नक 'ग' देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रभावी संचालन पर असंशोधित अभिमत प्रकट करती है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
(ज)	कंपनीज(ऑडिट एवं ऑडिटर्स) नियम 2014,यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामलों को समाविष्ट करने के संदर्भ में हमारी राय एवं जानकारी हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
	(I) कंपनी ने अपने भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित वाद के प्रभाव को प्रकट किया है- भारतीय लेखाकरण मानक विवरणों के नोट 37(4) देखें।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
	(ii) कंपनी का डिरिवेटिव ठेकों सहित कोई दीर्घावधि ठेका नहीं है, जिसमें मटेरियल पूर्वानुमान हानियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
	(iii)कंपनी द्वारा कोई भी राशि इनवेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड को स्थानांतरण नहीं की जाती है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
भागीदार
सदस्यता नं.093434
फर्म पंजीकरण नं. 009189सी
नागपुर, 10 जून, 2020

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 143 (5) के तहत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों तथा उप-निदेशों के विवरण पर हमारी रिपोर्ट अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लिखित)

1) कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 143(5) के तहत निर्देश

क.	विवरण/ निर्देश	की गई कार्रवाई और लेखा परीक्षकों का उत्तर	लेखाओं तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव	प्रबंधन का उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि, हाँ, वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, तो कहा जा सकता है।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अपने खातों को वित्त मॉड्यूल में बनाए रख रही है, लेकिन कुछ आईटी मॉड्यूल वित्त मॉड्यूल के साथ एकीकृत नहीं हैं, जो निम्नानुसार हैं: 1) वेतन मॉड्यूल 2) उपस्थिति मॉड्यूल 3) एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम इसके अलावा, कंपनी ने सिस्टम के बाहर जीएसटी रिटर्न के रिकॉर्ड को बनाए रखा है (यानी स्प्रेडशीट पर)। इसके अलावा, क्लोजिंग स्टॉक और ओवर बर्डेन रिमूवल (ओबीआर) के मूल्यांकन से संबंधित गणनाओं को मैन्युअल रूप से स्प्रेड शीट में बनाया जाता है और फिर जर्नल एंट्रीज के माध्यम से सिस्टम में दर्ज किया जाता है। ऑडिट के दौरान कोई प्रमाणित मुद्दे नहीं देखे गए।	वित्तीय विवरणों पर कोई असर नहीं।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
2	चाहे मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान देनदार/ ऋण/ ब्याज के	चाहे मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

	द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ ऋण/ ब्याज आदि के छूट/ लिखने के मामले? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।		ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ ऋण/ ब्याज आदि के छूट/ लिखने के मामले? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	
3	क्या केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/ प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धन वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं किया गया था। इसलिए लागू नहीं।	वित्तीय विवरणों पर कोई असर नहीं।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

2. कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 143(5) के तहत आंतरिक निर्देश

क.	विवरण/निर्देश	की गई कार्रवाई और लेखा परीक्षकों का उत्तर	लेखाओं तथा वित्तीय विवरणों पर प्रभाव	प्रबंधन का उत्तर
1	क्या स्टॉक का माप सम्मोच नक्शे को ध्यान में रखते हुए किया गया है? क्या समस्त मामलों में प्रत्यक्ष स्टॉक मापन रिपोर्ट के साथ सम्मोच नक्शा संलग्नित है? क्या वर्ष के दौरान नए अंबार, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है ?	1. स्टॉक मापन सम्मोच नक्शे को ध्यान में रखकर कराया गया है। 2. प्रत्यक्ष स्टॉक मापन के साथ सम्मोच नक्शा संलग्न है। 3.हाँ निम्नलिखित इकाइयों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बनाए गए नए अंबार के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया।	वित्तीय विवरणों पर कोई असर नहीं।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
2	क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय/ विभाजन/ पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया था, यदि हां तो क्या संबंधित अनुषंगी ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया था?	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी विलय/ विभाजन/ पुनर्गठन नहीं किया गया, अतएव लागू नहीं।	वित्तीय विवरणों पर कोई असर नहीं।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

3	क्या प्रत्येक माइन के लिए अलग एक्सक्रो खाते को सीआईएल तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों में बनाये रखा जा रहा है ? खाते के निधि की जाँच भी की जाये।	हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, मुख्यालय में प्रत्येक खदान के लिए अलग एक्सक्रो खाता बनाये रखा जाता है । सीसीओ प्रमाणीकरण के आधार पर एस्क्रो खातों में रखे गए धन में से वर्ष के दौरान 494.84 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया ।	माइन क्लोजर प्रोविजन से 494.84 करोड़ रुपये की राशि कम की गई है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। सीसीओ के अनुमोदन के बाद वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एस्क्रो खाते से 494.84 करोड़ रुपये की राशि वापस ले ली गई है।
4	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए दण्ड के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया तथा उसे खाते में दर्शाया गया ।	हमें की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया गया है ।	वित्तीय विवरणों पर कोई असर नहीं।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
भागीदार
सदस्यता नं.093434
फर्म पंजीकरण नं. 009189सी
नागपुर, 10 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंकेक्षणों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'बी'

(अन्य विधिक एवं रेग्यूलेटरी आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2 में संदर्भित किए अनुसार जो कि सम तारीख की हमारी रिपोर्ट का एक भाग है।)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 143 (11) के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आर्डर 2016(दा आर्डर) में के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण:

क्र.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1 (क)	कंपनी ने मात्रात्मक ब्यौरा तथा अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखा है, राष्ट्रीयकरण पर कोयला खदान बचाव केंद्र तथा कोयला खदान श्रम कल्याण संगठन से हस्तांतरित हुई परिसंपत्तियों को छोड़कर जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया है, संदर्भित खानों में स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति केवल संबंधित खानों में स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर में ही वर्णित है।	कोल माइन्स वेलफेयर ऑरगनाइजेशन (सीएमएलडब्ल्यूओ) से संपत्तियां संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी प्रशासनीय आदेशों के माध्यम से ली गई है और कोई भी क्रय विचार निर्धारित नहीं थी। कोल माइन्स(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत राष्ट्रीयकृत कोल माइन्स पट्टा भी सांविधिक आदेशों से 345 दिनांक 9 जुलाई 1973, नई दिल्ली द्वारा कोल माइन्स एथारिटी लिमिटेड के पास था और गजट अधिसूचना संख्या 45/2000 दिनांक 8.12.2000 के अनुसार समस्त हक/पट्टा पत्र संबंधित अनुषंगी के पास पाए गए हैं।
	हालांकि, मुख्यालय में फर्नीचर और स्थिर वस्तु में पहचान चिह्न नहीं दिखाती है।	मुख्यालय में परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी की नीति के अनुसार किया गया है और किसी भी प्रकार की सामग्री विसंगतियों ध्यान में नहीं आई है।
	(ख)प्रति वर्ष एक लाख रूपये तथा उससे अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन और शेष परिसंपत्तियों के लिए, पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित की गई परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन संबंधित क्षेत्रों की विभागीय समिति द्वारा किया जाता है, जोकि हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
	सीबीई प्लांट, भंडारा की अचल परिसंपत्तियों की कस्टडी ऑर्डिनेंस फैक्टरी के प्रबंधन के पास है और बताया गया कि उनका प्रबंधन प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। इस सत्यापन में कोई मटेरियल विसंगति नहीं पाए जाने की सूचना है।	उपरोक्तानुसार

	डीएफडी प्लांट, हिंगनघाट की अचल परिसंपत्तियों की प्रमुख वस्तुओं काइस प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया। इस सत्यापन में कोई मटेरियल विसंगति नहीं पाए जाने की सूचना है।	उपरोक्तानुसार
	(ग)हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार नागपुर क्षेत्र में 1273.64 हैक्टेयर जमीन (मूल्य ज्ञात नहीं) और पेंच क्षेत्र में 0.99 करोड़ रूपये की जमीन (क्षेत्र ज्ञात नहीं) को छोड़कर अधिकतर अचल संपत्तियों के टाइटल डीड/लीज डीड कंपनी के नाम पर है। कंपनी के राष्ट्रीयकरण पर कोल माइंस अथारिटी से ली गई जमीन के रिकार्ड और कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन से ली गई परिसंपत्तियों के रिकार्ड कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त जमीन के टाइटल डीड का संकलन भूमि एवं राजस्व विभाग के प्रकियाधीन है। भूमि के कुछ टाइटल डीड्स/लीज डीड्स भवन एवं चल अधिकार (मूविंग राइट्स) कोल इंडिया लिमिटेड एवं नेशनल कोल डेवलपेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से हैं।	नागपुर क्षेत्र के 1273.64 हेक्टेयर भूमि के संबंध में टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं क्योंकि ऐसी भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया तहसीलदार के पास है। इन जमीनों का अधिग्रहण फरवरी और मार्च 19 के महीने में किया गया था और म्यूटेशन को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आगे कुछ मामलों में भुगतान 31/03/2020 तक नहीं किया गया है और इस प्रकार टाइटल डीड का प्रश्न ही नहीं उठता है। पेंच क्षेत्र में टाइटल डीड का संकलन प्रक्रिया में है।
II	हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुमापी मापदंड अपनाकर उचित अंतराल पर कोयले के स्टॉक को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है। 31.3.2020 तक के कोयले का प्रत्यक्ष सत्यापन कंपनी की नीति के अनुसार सीआईएल द्वारा नियुक्त टीम द्वारा किया गया। मापन की पद्धति के अनुमानित प्रकार के कारण यदि कोयले के बुक्स स्टॉक एवं आयतनी रूप से मापित प्रत्यक्ष स्टॉक के बीच भिन्नता (+/-)5 प्रतिशत के भीतर है तो लेखा पुस्तिका में उसका समायोजन नहीं किया गया है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, कोयले के स्टॉक को अनुमापी रूप से मापा गया है तथा आईडेंटिफाइड कन्वर्शन फैक्टर लागू करके वजन(टन) में परिवर्तित किया गया है। अनुमापी मानदंड की स्वाभाविक/ मोटे अनुमान की त्रुटि का ध्यान रखते समय तदनंतर गणितीय ढंग से निर्धारित परिवर्तन घटकों के प्रयोद द्वारा उसको वजन में परिवर्तन करते समय कंपनी की लेखा नित के अनुसार बुक स्टॉक एवं प्रत्यक्ष स्टॉक में (+/-) 5 प्रतिशत की भिन्नता पर विचार नहीं किया जाता है।
	क्षेत्रीय स्टोर्स एवं चार्ज्ड ऑफ स्टोर्स के 31 मार्च 2020 तक के भंडार एवं कलपुर्जे के भंडार का प्रत्यक्ष/सत्यापन कंपनी द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त सनदी लेखाकारों लागत	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

	लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जाता है, जोकि हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उचित है।	
	ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कोई भी वस्तुपरक विसंगति रिपोर्ट नहीं की गई है।	उपरोक्तानुसार
III	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में कंपनियों फर्मों एलएलपी या अन्य पार्टियों को कोई भी प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिए गए हैं। अतः ऑर्डर का पैराग्राफ 3 (iii)क,3 (iii)ख एवं (iii)(ग) लागू नहीं है।	उपरोक्तानुसार
IV	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के भीतर कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं दी है अतः ऑर्डर का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं है।	उपरोक्तानुसार
V	कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा स्वीकार नहीं की है अतः ऑर्डर का पैराग्राफ(V) लागू नहीं है।	उपरोक्तानुसार
VI	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागू लागत रिकार्डों को विनिर्दिष्ट किया है। हमें सूचना दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपेक्षित लेखा एवं अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। अतएव हमने इस रिकार्ड की विस्तृत जांच नहीं की है।	संबंधित क्षेत्रों द्वारा लागत रिकार्डों का रखरखाव किया जा रहा है, जैसा कि अधिसूचना में अपेक्षित है।
VII	**क)** हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, कस्टम शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैल्यू एडेड कर, सेस सहित अन्य अविवादित सांविधिक देय राशि और अन्य सांविधिक देय राशि कंपनी को लागू उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित जमा कर रही है। जैसा कि हमें बताया गया है कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी को लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार	कंपनी नियमित रूप से समय पर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सांविधिक देय जमा करती है।

	मूल्य वर्धित कर (वैट) 31 मार्च 2019 तक कोई भी सांविधिक देयराशि की मटेरियल अविवादित बकाया राशि जिस तारीख में वह देय है, उस तारीख में वह छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है। **ख)**हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा शुल्क की राशि देय नहीं है और विवादों के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं की गई । आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैल्यू एडेड कर की देय राशि का ब्यौरा तथा फोरम जहां विवाद लंबित है, का ब्यौरा इसके साथ संलग्न अनुलग्नक-1 में दिया गया है।	चूंकि यह तथ्य कथन है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
VIII	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों से लिए गए ऋण या उधारी की अदायगी में कंपनी ने कोई चूक नहीं की है । वर्ष के दौरान कंपनी वित्तीय संसाधनों, सरकार से कोई ऋण या उधारी नहीं ली है और न ही डिवेंचर जारी किया है ।	उपरोक्तानुसार
IX	कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या पब्लिक ऑफर(ऋण इंस्ट्रूमेंट सहित) एवं मियादी ऋण के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठाई है। तदनुसार ऑर्डर का पैराग्राफ 3 (ix) लागू नहीं है।	उपरोक्तानुसार
X	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा कोई मटेरियल, धोखाधड़ी नोटिस नहीं दी गई या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान रिपोर्ट की गई।	उपरोक्तानुसार
XI	निगमित मामले के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) दिनांक 5.6.2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार, ऑर्डर का 3(XI) लागू नहीं है।	उपरोक्तानुसार
XII	हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, ऑर्डर का पैराग्राफ 3 (XII) लागू नहीं है।	उपरोक्तानुसार

XIII	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकार्डों की जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, राज्य द्वारा नियंत्रित उन उद्यमों को छोड़कर, जिनके विरुद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के प्रावधान लागू नहीं हैं। तद्यपि भारतीय लेखाकरण मानक 24 के पैरा 25 के अनुसार छूट के लिए आवेदन करते समय, जैसा की भारतीय लेखाकरण मानक 24 के पैरा 26 के अनुसार आवश्यक है, कंपनी ने सरकार का नाम, कंपनी के साथ उसका संबंध का स्वरूप तथा अपने संबंधित पार्टी के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन का स्वरूप एवं राशि के बारे में जानकारी दी है।	उपरोक्तानुसार
XIV	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर कंपनी ने कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है या शेयरों का पूर्ण या आंशिक विनिमेय डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट किया है। तदनुसार ऑर्डर का पैराग्राफ 3(XIV)लागू नहीं है।	उपरोक्तानुसार
XV	हमारी राय तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नॉन-कैश लेन-देन नहीं किया है। अत: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं । तद्नुसार आदेश का पैरा 3(XV) लागू नहीं होता है ।	उपरोक्तानुसार
XVI	कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45-1 के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।	उपरोक्तानुसार

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
भागीदार
सदस्यता नं.093434
फर्म पंजीकरण नं. 009189सी
नागपुर, 10 जून, 2020

अनुलग्नक-1

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर से संबंधित हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'बी' के खंड (vii) (बी) में उल्लिखित विवादित सांविधिक देय राशि का विवरण।

विवादित देयताओं का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः -

(राशि करोड़ में)

अधिनियम/ नियम का नाम	देय राशि का प्रकार	जिसके पास विवाद लंबित है	अवधि,जिससे राशि संबंधित है	सकल विवादित राशि करोड़ में	विरोध स्वरूप जमा राशिकर / प्राधिकारियों द्वारा समायोजित राशि करोड़ में	जमा नहीं की गई राशि करोड़ में	अधिनियम/ नियम का नाम
केंद्रीय आबकारी विभाग	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सीईएसटीएटी, मुंबई	2015-16	2422.18	0.00	0.00	2422.18
	सेनवेट	सीईएसटीएटी, मुंबई	मार्च 13 - अप्रैल 14 एवं 18-19	8.10	0.19	0.00	7.92
वित्त अधिनियम	सेवा कर	सीईएसटीएटी, मुंबई	2015-16 & 2016-17	293.16	3.76	0.00	289.41
	एलडी/ईएमडी फॉरफ्यूचर पेनाल्टी	सीईएसटीएटी, मुंबई	जुलाई 12 - मार्च 16 एवं 2019-20	26.17	0.00	0.00	26.17
		आयुक्त (अपील)	2019-20	0.23	0.00	0.00	0.23
महाराष्ट्र वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट	बिक्री कर	असेसिंग आफिसर	2006-07 एवं 2007-08	33.42	2.61	0.00	30.81
		जीसीएसटी (अपील), नागपुर	2010-11 एवं 2013-14 से 2014-15	37.01	0.79	0.00	36.22
		एमएसटीटी, मुंबई	2005-06 एवं 2008-09 से 2009-10 एवं 2011-12 से 2012-13	170.51	6.40	0.00	164.11

मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 1978	प्रवेश कर	हाईकोर्ट नागपुर	1988-89 से 1996-97 एवं 2005-06 से 20018-09	114.52	0.00	0.00	114.52
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	असेसिंग आफिसर	2006-07, 2007-08 एवं 2013-14	15.72	0.67	0.00	15.05
		अति. आयुक्त जबलपुर	1998-99 एवं 2010-11 से 2016-17	13.83	3.54	0.00	10.29
		उपायुक्त	2008-09 एवं 2009-10	1.28	0.37	0.00	0.91
		आयुक्त (अपील)	2007-08	0.72	0.18	0.00	0.54
		एपीलेट बोर्ड	2005-06 से 2006-07	2.05	0.45	0.00	1.60
		जीसीएसटी (अपील), नागपुर	2003-04 एवं 2014-15	4.06	0.07	3.57	0.41
		एमएसटीटी, मुंबई	2002-03, 2004-05 से 2005-06 एवं 2008-09 से 2012-13	53.77	1.33	5.91	46.53
		एस टी ट्रिब्यूनल, मुंबई	1989- 90, 1994-95 एवं 1997-98	0.93	0.00	0.00	0.93
		हाईकोर्ट, जबलपुर	2008-09 एवं 2012-13	4.32	2.39	0.00	1.93
बॉम्बे सेल्स टैक्स अधिनियम	बिक्री कर	एमएसटीटी, मुंबई	2001-02 से 2004-05	41.38	0.85	0.00	40.54
		एस टी ट्रिब्यूनल , मुंबई	1993-94 से 1994-95	2.11	0.00	0.00	2.11

मध्यप्रदेश राज्य सरकार बिक्री कर विभाग	प्रवेश कर	असेसिंग आफिसर	2004-05	0.21	0.06		0.15
	बिक्री कर	प्रथम अपील	2012-13 से 2016-17	1.59	0.62	0.00	0.97
		आयुक्त (अपील)	2006-07 से 2007-08 एवं 2010-11	1.56	0.48	0.00	1.08
		अति. आयुक्त	2009-10, 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15	1.96	0.63	0.00	1.33
		उपायुक्त	2008-09	0.21	0.11	0.00	0.10
		एपीलेट बोर्ड	2005-06 एवं 2008-09	0.97	0.57	0.00	0.40
		हाईकोर्ट, जबलपुर	2004-05, 2006-07 से 2007-08, 2009-10 से 2012-13 एवं 2014-15	7.23	4.18	0.00	3.35
मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	2010-11 से 2011-12 एवं 2013-14 से 2014-15	1.38	0.38	0.00	0.99
		एपीलेट बोर्ड, भोपाल	2002-03 एवं 2006-07	0.43	0.09	0.00	0.34
		हाईकोर्ट, जबलपुर	2000-01, 2008-09 से 2009-10 एवं 2012-13	2.08	1.01	0.00	1.07
मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम,	प्रवेश कर	प्रथम अपील	2016-17	0.01	0.00	0.00	0.01
		आयुक्त (अपील)	2007-08	0.01	0.00	0.00	0.01

		अतिरिक्त आयुक्त	2005-06, 2007-08, 2010-11 से 2011-12 एवं 2013-14 से 2014-15	0.91	0.22	0.00	0.69
		एसी , जबलपुर	2011-12	0.10	0.04	0.00	0.06
		डी. सी. छिन्द्वाडा	2005-06	0.03	0.01	0.00	0.02
		एपीलेट बोर्ड, भोपाल	2006-07 एवं 2012-13	1.00	0.52	0.00	0.48
		हाईकोर्ट, जबलपुर	2000-01 एवं 2008-09	1.67	0.78	0.00	0.89
आयकर अधिनियम	कॉर्पोरेट कर	आईटीएटी , नागपुर	2006-07, 2010-11 , 2015-16 से 2016-17	50.63	50.63	0.00	0.00
		हाईकोर्ट नागपुर	2006-07 से 2008-09	6.59	6.59	0.00	0.00
		सीआईटी (अपील), नागपुर	2012-13 एवं 2017-18	22.40	22.40	0.00	0.00
कुल विवादित दायित्व				**3,346.21**	**112.84**	**9.48**	**3,224.18**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'सी'

(जैसा कि अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 3, (जी) में उल्लिखित है, जो कि हमारी सम तारीख की रिपोर्ट का भाग है)

कंपनी अधिनियम 2013 'अधिनियम' की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 'कंपनी'(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्न समावेश हैः-

क) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 5 क्षेत्र(शाखाएं)

ख) क्षेत्रीय(शाखा) लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 11 क्षेत्र (शाखाएं)

i) पेंच ii) माजरी iii) पाथाखेड़ा iv) कन्हान v) वणी(ऊर्जाग्राम) vi) वणी नॉर्थ vii) केंद्रीय कर्मशाला, तड़ाली viii) उमरेड ix) बल्लारपुर x) चंद्रपुर xi) नंदन वॉशरी, कन्हान

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उसे उचित तरीके से काम में लाया गया

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के गाइडन्स नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने तथ उसे कायम रखने के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, क्रियान्यवयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को कायम रखना शामिल है, कंपनी की नीतियों का पालन करना, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना तथा उसकी रोकथाम, लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करना, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित है, सहित उसके व्यवस्थित एवं कार्यक्षम व्यवसाय को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें प्रभावशाली ढंग से संचालित किया गया।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारीः

हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग 'गाइडेन्स नोट' पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर 'गाइडेन्स नोट' और लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार हमने हमारी लेखा परीक्षा की है और जिसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा को लागू होने की सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा को लागू किया है और दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। इन मानकों और गाइडन्स नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा हमें लेखा परीक्षा की इस तरह की योजना बनानी है और उसे निष्पादित करना है कि यह उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा उसे कायम रखा गया और क्या ये नियंत्रण सभी मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसके प्रभावी संचालन के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यविधि निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का समझौता प्राप्त करना, मौजूदा कमी को जोखिम का आकलन करना और आकलन किए जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल

है। चयन की गई कार्यविधि भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिमों के आकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि कारण हो, सहित लेखा परीक्षण के निर्णय पर निर्भर है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार देने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थः

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन देने तथा बाहरी प्रयोजनों के लिए भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीतियां तथा कार्यविधियां शामिल हैं, जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित है, जो कंपनी के लेन-देन एवं परिसंपत्तियों के नियंत्रण को उचित तरीके से विस्तृत रूप से, परिशुद्धता से व अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करती है, (2) यह उचित आश्वासन देती है कि सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने के लिए यथाआवश्यक व्यय किया जा रहा है, और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की परिसंपत्तियों के नियंत्रण का यथासमय पता लगाना या रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन देना, जिसका भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएः

नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण हो सकता है और जिसका पता नहीं लग सकता है। भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान उस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या कार्यविधियों के अनुपालन में कमी आ सकती है।

अभिमतः

हमारी राय में, कंपनी की सभी मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण आधारित दिनांक 31 मार्च 2020 तक ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से संचालित हुए।

अन्य मामलेः

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक वह11 क्षेत्रों (शाखाओं) जो कि कंपनी के क्षेत्र (शाखाएं) हैं, से संबंधित है, की उपयुक्तता एवं प्रभावी संचालन पर धारा 143(3)(I) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट क्षेत्रीय (शाखा) लेखा परीक्षकों की तदुनुरुप रिपोर्टों पर आधारित हैं।

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
भागीदार
सदस्यता नं.093434
फर्म पंजीकरण नं. 009189सी
नागपुर, 10 जून, 2020

रामानुज असावा
बी.कॉम, एफ सी एस
कंपनी सचिव

205, द्वितीय मंजिल, 'हिमालया इन्क्लेव',
1, शिवाजी नगर, गांधी नगर चौक,
लॉ कॉलेज के समक्ष, नॉर्थ अंबाझरी रोड,
नागपुर, -440010
मोबाइल 9423880361, 9422095636, 9422803662
फोन नंबर-0712-2221217
e-mail: asawaramanuj@gmail.com
ramanuj.asawa@gmail.com

कार्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
कोल इस्टेट, नागपुर-440001

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अ.शा.पत्र संख्या 18(8)/2005 - जीएम दिनांक 14 मई 2010 में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यपद्धति एवं उसके क्रियान्वयन तक ही सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा परीक्षा (ऑडिट) है, और न ही विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त अ.शा. पत्र दिनांक 14 मई 2010 में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन (कुछ को छोड़कर जो कि प्रगति के अंतर्गत हैं) किया है।

हम यह भी बताना चाहते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की व्यवहार्यता और न ही कंपनी की कार्यकुशलता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है, जिसमें प्रबंधन कंपनी के कार्यों संपादित करती है।

स्थानः नागपुर
दिनांकः 24/06/2020

हस्ताक्षर

(रामानुज असावा)
कंपनी सचिव
एफसीएस नं 3107
सी.पी.नं. 1872

रामानुज असावा
बी.कॉम, एफ सी एस
कंपनी सचिव

205, द्वितीय मंजिल, 'हिमालया इन्क्लेव',
1, शिवाजी नगर, गांधी नगर चौक,
लॉ कॉलेज के समक्ष, नॉर्थ अंबाझरी रोड,
नागपुर, -440010
मोबाइल 9423880361, 9422095636, 9422803662
फोन नंबर-0712-2221217
e-mail: asawaramanuj@gmail.com ramanuj.asawa@gmail.com

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(फॉर्म नं एमआर-3)

[कंपनी अधिनियम 2013 की रा 204(1) के तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम 2014) के नियम 9 के तहत]

प्रति,

सदस्यगण,

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

कोल इस्टेट, नागपुर-440001

मैंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मिनीरत्न कैट-I कंपनी सार्वजनिक उपक्रम, (यहां इसे कंपनी कहा के गया है) के उत्तम निगमित कार्यप्रणालियों के अनुवर्तन तथा इसे लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस पद्धति से किया गया है कि उससे हमें युक्तिसंगत आधार प्राप्त हो जिससे निगमित व्यवहारों/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन किया जा सके तथा उस पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकें।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकें, कामकाज, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्रों, फाइल किए गए रिटर्न्स, अन्य अभिलेखों एवं कंपनी तथा उसके अधिकारीगण, एजेंट्स, अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारियों की इस सचिवीय अंकेक्षण के दौरान मेरे द्वारा जांच की गई। इन सबके आधार पर मैं यह व्यक्त करता हूं कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष (अंकेक्षण अवधि) के अंकेक्षण के दौरान कंपनी ने वैधानिक प्रावधानों जो कि नीचे दर्शाए गए हैं, का अनुपावंलन किया है तथा कंपनी ने उचित बोर्ड-प्रोसेस एवं अनुपालन मैकेनिज्म रखा है। अतएव नीचे दिए अनुसार रिपोर्टिंग की जाती हैः-

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे गए पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक्स, फॉर्म एवं भरी गई रिटर्न तथा अन्य रिकार्डों की जांच की हैः-

1) कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियम और कंपनी अधिनियम 1956 के लागू अन्य प्रावधान जो अभी भी प्रभावी हैं;

2) सिक्यूरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) अधिनियम 1956(एससीआरए) एवं इसके अधीन बनाए गए अन्य नियम (अंकेक्षण की अवधि के दौरान कंपनी को लागू नहीं);

3) जमाकर्ता अधिनियम 1996 एवं इसके अंतर्गत निर्मित विनिमय एवं उपनियम (अंकेक्षण अविध के दौरान कंपनी को लागू नहीं);

4) विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए अन्य नियम एवं विनिमय/ प्रत्यक्ष समुद्रपार निवेश एवं विदेशी व्यावसायिक ऋण (अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी को लागू नहीं) ;

5) सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) 1992;

6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) नियम, 2015;

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और परीक्षण के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से पहचाने और पुष्टि किए गए प्रबंधन के रूप में कंपनी के लिए लागू कानूनों का अनुपालन निम्नानुसार किया है:

क. दा माइंस एक्ट, 1952
ख. इंडियन एक्स्प्लोसिव एक्ट, 1884
ग. कॉलरी कंट्रोल आर्डर, 2000 एंड कॉलरी कंट्रोल रूल्स, 2004
घ. दा कोल माइंस रेगुलेशन, 2017
ङ. दा पेमेंट ऑफ वैजेस (माइंस) रूल्स, 1956
च. कोल माइन्स पेंशन स्कीम 1998
छ. कोल माइंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1974
ज. माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966
झ. दा माइन्स क्रेचे रूल्स, 1961
ञ. दा रेस्क्यू रूल्स, 1985
ट. कोल माइंस पिथहेड रूल्स, 1948
ठ. मेटरनिटी बेनिफिट (माइंस एंड सर्कस) रूल्स, 1963
ड. दा एक्स्प्लोसिव रूल्स, 2008
ढ. मिनरल कंसेशन रूल्स, 1960
ण. कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, 1948
त. माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957
थ. दा पेमेंट ऑफ अन डिसबर्ड वेजेस (माइंस) रूल्स, 1989
द. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट,2003 एंड दा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956
ध. पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट,1986 एवं पर्यावरण प्रोटेक्शन रूल्स,1986
न. दा हेजर्डअस एंड अदर वेस्टेज (मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट) रूल्स, 2016
प. दा वॉटर (प्रीवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 और इसके तहत बनाए गए नियम
फ. दा एयर (प्रीवेंशन एंड कंट्रोल आफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981
ब. पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991 के और इसके तहत बनाए गए नियम

मैंने निम्नलिखित लागू अधिनियमों के अनुपालन की भी जांच की हैः-

- इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड तथा सामान्य बैठकों के संबंध में जारी क्रमशः सचिवीय मानक-1 और सचिवीय मानक-2

समीक्षा की अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त वर्णित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों इत्यादि का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि

कंपनी ने निदेशक मंडल में उचित रूप से कार्यकारी निदेशकों, गैर अधिकारिरक निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों का गठन करके समुचित संतुलन स्थापित किया है। समीक्षा के तहत अवधि के दौरान निदेशक मंडल की रचना में जो भी परिवर्तन हुए हैं, वे अधिनियमों के अनुपालन में हुए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 4 स्वतंत्र निदेशक कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हुए।

यह सूचित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा नए पदग्राही की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

समस्त निदेशकों को पर्याप्त समय पहले बोर्ड बैठकों की अनुसूचित तारीख, कार्यसूची, कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां आदि सात दिनों पहले अग्रिम रूप से दी जाती है तथा बैठक में एक अर्थपूर्ण भाग लेने हेतु तथा बैठक होने से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगामी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सक्षम कार्यप्रणाली कार्यरत है।

मैं आगे यह बताना चाहता हूं कि कंपनी के प्रचालन कार्यों में तथा कंपनी के आकार के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रिया विद्यमान है, जिससे कंपनी को लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

स्थानः नागपुर हस्ताक्षर

दिनांकः 17/07/2020

(रामानुज असावा)

नोटः इस रिपोर्ट को सम तारीख के मेरे पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो कि अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक ए

प्रति,
सदस्यगण,
मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
कोल इस्टेट, नागपुर-440001

मेरी सम तारीख की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाएः-

क) सचिविय रिकार्डों का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिविय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना मेरी जिम्मेदारी है।

ख) मैंने लेखा परीक्षा की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिविय रिकार्ड की विषयवस्तु के सही होने के बारे में उचित विश्वास प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। सचिविय रिकार्डों में सही तथ्यों को दर्शाना सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया। मेरा विश्वास है कि मैंने जिन प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए उचित आधार हैं।

ग) मैंने वित्तीय रिकार्डों तथा कंपनी की खाता बही की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

घ) जहां भी आवश्यकता हुई, मैंने अनुपालन, कानून, नियम एवं विनियम तथा घटित हुई घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

ङ) कार्पोरेट के प्रावधानों तथा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना कंपनी की जिम्मेदारी है। मेरी जांच परीक्षण आधार पर कार्यपद्धतियों के सत्यापन तक ही सीमित थी।

च) सचिविय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में और न ही कार्यकुशलता या प्रभावशीलता से प्रबंधन द्वारा दिए गए कंपनी के कार्यों के बारे में आश्वासन नहीं है।

स्थानः नागपुर
दिनांकः 17/07/2020

हस्ताक्षर

(रामानुज असावा)
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 3107
सी.पी.नं.1872

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रति,

निदेशक मंडल

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र

हम, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक एवं निदेशक(वित्त) जो कि वित्तीय क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी हैं, यह प्रमाणित करते हैं किः-

क) हमने सेबी (उत्तरदायित्वों एवं प्रकटन की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) विनियम 2015 के विनियम 33 के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा लेखाकरण नीतियों एवं 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उस पर अतिरिक्त टिप्पणियों व वित्तीय परिणामों की समीक्षा की है और हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसारः-

i)इन विवरणों में विषय की दृष्टि से कोई भी विवरण असत्य नहीं है, न ही कोई तथ्य छोड़े गए हैं और न ही ऐसे कोई विवरण निहित हैं, जो भ्रामक हों।

ii) इन विवरणों में कंपनी के कार्यों की सच्ची व स्वच्छ छवि प्रस्तुत की गई है और प्रचलित लेख मानकों, लागू विधि एवं विनियमों के अनुरूप है।

ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान इसमें कंपनी के द्वारा ऐसे कोई कार्य विवरण की प्रविष्टि नहीं की गई है जो गलत, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करती हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण के संस्थापन एवं अनुसरण की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिचालन में कोई कमियां, यदि हैं, जिनकी उन्हें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं या उठाने वाले हैं, को लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रगट किया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है कि,

i. नीचे दिए संदर्भों में वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग तक आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं।

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उचित स्थानों पर पर्याप्त रूप से दर्शाया गया है।

iii. हमें वित्तीय रिपोर्टिंग तक कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी के धोखाधड़ी में लिप्त होने के किसी दृष्टांत की जानकारी नहीं है।

(सी.ए. एस.एम.चौधरी)	(राजीव आर.मिश्र)
निदेशक (वित्त)/ सीएफओ	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/ सीईओ
(डीआईएन 07478302)	(डीआईएन 05103300)

दिनांकः 10/06/2020

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) बी के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक उनकी व्यावसायिक निकाय दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग तथा निश्चित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग तथा निश्चित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। बताया जाता है कि उन्होंने यह अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 जून 2020 में किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। सांविधिक लेखा परीक्षकों वर्किंग पेपरों के बिना यह लेखा परीक्षा की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांच तथा कंपनी के कर्मीगण एवं कुछ लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है। लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिससे कोई टिप्पणी की जा सके या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ जोड़ा जा सके।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता

कोलकाता
दिनांक: 03, अगस्त 2020

तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट नंबर	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
	परिसंपत्तियां			
क.	**ए – नॉन-करंट परिसंपत्तियां**			
	(ए)संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	4,183.22	4,175.01
	(ब)(पूंजीगत कार्य प्रगति में	4	291.76	339.31
	(सी) पूर्वेक्षण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	892.05	866.91
	(डी)अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	10.23	10.01
	(ई)वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(I) ऋण	8	3.40	3.54
	(II)अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	2,029.82	2,235.86
	(एफ) (आस्थगित कर परिसंपत्तियां) निवल		1,449.61	1,913.22
	(जी) (अन्य नॉनकरंट परिसंपत्तियां)	10	76.58	72.72
	कुल नॉन-करंट परिसंपत्तियां (क)		**8,936.67**	**9,616.58**
ख.	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(ए) वस्तुसूची	12	1,437.41	883.04
	(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(I) निवेश	7	-	5.11
	(II)ट्रेड रिसीवेबल	13	1,349.94	360.17
	(III)नकद एवं नकद समतुल्य	14	229.04	76.65
	(IV) अन्य बैंक बैलेंस	15	740.21	907.26
	(V)अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	117.89	170.02
	(सी) चालू कर संपत्तियां(निवल)		204.27	242.65
	(डी) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	772.13	586.16
	कुल चालू परिसंपत्तियां (ख)		**4,850.89**	**3,231.06**
	कुल संपत्तियां (क + ख)		**13,787.56**	**12,847.64**

तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट नंबर	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
	इक्विटी एवं देयताएं			
क.	इक्विटी			
	(ए) इक्विटी शेयर केपिटल	16	297.10	297.10
	(बी) अन्य इक्विटी	17	84.19	827.79
	कंपनी के इक्विटी धारकों से संबंधित इक्विटी		**381.29**	**1,124.89**
	कुल इक्विटी (क)		**381.29**	**1,124.89**
ख	देयताएं			
ख.1	नॉन-करंट देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	अन्य वित्तीय देयताएं	20	3.96	3.56
	(ख) प्रावधान	21	8,579.41	6,951.96
	कुल नॉन-करंट देयताएं(ख.1)		**8,583.37**	**6,955.52**
ख.2	चालू देयताएं			
	(ए) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	18	-	-
	(ii) ट्रेड देय	19		
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया		1.17	2.84
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		1,332.03	1,190.65
	III) अन्य वित्तीय देयताएं	20	344.67	302.12
	(बी)अन्य चालू देयताएं	22	483.81	344.67
	(सी) प्रावधान	21	1,872.29	2,042.83
	कुल चालू देयताएं (ख.2)		1,133.60	1,186.24
	कुल देयताएं(ख=ख.1+ख.2)		**13,406.27**	**11,722.75**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं(क+ख)		**13,787.56**	**12,847.64**

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
पार्टनर (एम नं 093434)

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

सीए एस.एम.चौधरी
निदेशक, वित्त एवं सीएफओ
(डीआईएन 07478302)

सीए एम.के. बालुका
महाप्रबंधक वित्त

राजीव आर.मिश्र
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05103300)

रामेहर
कंपनी सचिव

दिनांकः10.06.2020

स्थानः नागपुर

लाभ एवं हानि का विवरण

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट नंबर	इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
			31.03.2020	**31.03. 2019**
	संचालन से राजस्व	23		
(क)	बिक्री		9,139.22	9,022.33
(ख)	अन्य संचालन राजस्व(उत्पाद शुल्क सहित)		610.05	647.73
(I)	संचालन से राजस्व(क+ख)		**9,749.27**	**9,670.06**
(II)	अन्य आय	24	878.77	1,517.84
(III)	कुल आय (I+II)		**10,628.04**	**11,187.90**
(IV)	व्यय			
	खपत की गई सामग्री का मूल्य	25	1,005.47	1,012.63
	तैयार माल, स्टॉक इन ट्रेड एवं पूंजीगत कार्य प्रगति में की सूची में परिवर्तन	26	(545.77)	468.27
	कर्मचारी लाभ-व्यय	27	5,639.05	5,584.40
	विद्युत एवं इंधन		289.21	283.78
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	28	9.59	4.25
	मरम्मत	29	69.24	79.32
	संविदात्मक व्यय	30	1,672.37	1,461.36
	वित्तीय लागत	31	69.19	67.36
	मूल्य-ह्रास एवं परिशोधन व्यय		542.09	481.40
	प्रावधान	32	-	0.16
	बट्टेखाते में	33	-	-
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		1,394.16	1,063.99
	अन्य व्यय	34	471.32	487.26
	कुल व्यय(IV)		**10,615.92**	**10,994.18**
(V)	कर पूर्व लाभ/(हानि) **(III-IV)**		**12.12**	**193.72**
(VI)	कर व्यय	35		
	चालू कर		-	-
	आस्थगित कर		536.03	(75.61)
	पूर्व वर्ष कर		4.37	-
(VII)	**जारी प्रचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(528.28)**	**269.33**

लाभ एवं हानि का विवरण

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट नंबर	इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
			31.03.2020	**31.03. 2019**
(VIII)	असंचालित गतिविधियों से लाभ/(हानि)		-	-
(IX)	असंचालित गतिविधियों का कर व्यय		-	-
(X)	असंचालित गतिविधियों से (कर के उपरांत) लाभ/(हानि) (VIII-IX)		-	-
(XI)	**अवधि (VII+X) के लिए लाभ/ (हानि)**		**(528.28)**	**269.33**
(XII)	**अन्य व्यापक आय**	36		
	क. मद जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		**(287.74)**	**(20.27)**
	घटावःऐसे मद जो लाभ एवं हानि में वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे, संबंधित कर		**(72.42)**	**(7.08)**
	कुल अन्य व्यापक आय (XII)		**(215.32)**	**(13.19)**
(XIII)	**(XI-XII) अवधि के लिए कुल व्यापक आय**			
(XIV)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (चालू प्रचालनों के लिए)**		**(743.60)**	**256.14**
	(1) **बेसिक**			
	(2) **डायल्यूटेड**		**(2,502.86)**	**862.13**
(XV)	प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद प्रचालनों से):		**(2,502.86)**	**862.13**
	(1) बेसिक			
	(2) डायल्यूटेड		-	-
(XVI)	प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद एवं चालू प्रचालनों से):		-	-
	(1) बेसिक			
	(2) डायल्यूटेड		**(2,502.86)**	**862.13**

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग है।

ईपीएस की गणना के लिए नोट 37(5) (डी) को देखें।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
पार्टनर (एम नं 093434)

सीए एस.एम.चौधरी
निदेशक, वित्त एवं सीएफओ
(डीआईएन 07478302)

सीए एम.के. बालुका
महाप्रबंधक वित्त

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राजीव आर.मिश्र
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05103300)

रामेहर
कंपनी सचिव

दिनांकः10.06.2020

स्थानः नागपुर

कैश फ्लो विवरण (इनडायरेक्ट मेथड)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए			
	31.03.2020		**31.03. 2019**	
संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर पूर्व कुल व्यापक आय	**12.12**		**193.72**	
निम्न के लिए समायोजन				
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	542.09		481.40	
ब्याज आय	(204.44)		(471.06)	
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्तीय लागत	2.71		(12.23)	
म्युचुअल फंड से प्राप्त लाभांश	(1.38)		(9.26)	
स्ट्रिपिंग गतिविधि का समायोजन	1,394.16		1063.99	
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन का प्रतिलेखन	-		(618.21)	
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान (कोल ग्रेड वेरियस सहित)	(114.28)		39.94	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.96)		(1.18)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	2.91		3.93	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**1632.93**		**671.04**	
परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन				
ट्रेड प्राप्य	(876.66)		208.00	
वस्तु सूची	(553.26)		447.02	
ऋण अन्य वित्तीय संपत्तियां एवं अन्य परिसंपत्तियां	68.62		(510.49)	
ट्रेड प्राप्य, अन्य वित्तीय देयताएं, अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1.61		(814.32)	
संचालित गतिविधियों से नकद	**273.24**		**1.25**	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(26.73)		(23.34)	
प्राप्त आयकर रिफंड	60.75		732.64	
असाधारण मदों के पूर्व कैश फ्लो	**307.26**		**710.55**	
असाधारण मद	-		-	
संचालित गतिविधियों से निवल कैश फ्लो (क)	**307.26**	**307.26**		**710.55**

निवेशी गतिविधियों से कैश फ्लो				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(536.99)		(872.38)	
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त	6.85		10.59	
फिक्स डिपॉजिट एवं म्युचुअल फंडों को मिलाकर निवेशों से प्राप्त (खरीद)	172.16		37.83	
प्राप्त ब्याज	204.44		471.06	
म्युचुअल फंड से प्राप्त लाभांश	1.38		9.26	
निवेशी गतिविधियों से निवल कैश फ्लो (ख)		**(152.16)**		**(343.64)**
वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो				
अल्प अवधि उधारी से लाभ(रीपेमेंट)	-		(326.54)	
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्तीय लागत	(2.71)		12.23	
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नगद (ग)		**(2.71)**		**(314.31)**
नकद एवं नकद सम में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		**152.39**		**52.60**
अवधि के प्रारंभ में नकद एवं नकद सम (नकद और नकद सम के घटकों के लिए नोट- 14 देखें)		**76.65**		**24.05**
अवधि के अंत में नकद एवं नकद सम(नकद और नकद सम के घटकों के लिए नोट- 14 देखें)		**229.04**		**76.65**

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग है।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
पार्टनर (एम नं 093434)

दिनांकः10.06.2020
स्थानः नागपुर

सीए एस.एम.चौधरी
निदेशक, वित्त एवं सीएफओ
(डीआईएन 07478302)

सीए एम.के. बालुका
महाप्रबंधक वित्त

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राजीव आर.मिश्र
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05103300)

रामेहर
कंपनी सचिव

31मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**01.04.2018** तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर में परिवर्तन	31.03.2019 तक शेष	01.04.2019 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर में परिवर्तन	31.3.2020 तक शेष
इक्विटी शेयर	**297.10**	-	**297.10**	**297.10**	**-**	**297.10**

ख. अन्य इक्विटी (रुपए करोड़ में)

विवरण	सामान्य आरक्षित	सुरक्षित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2018 तक शेष	2,224.96	(1,819.35)	166.04	**571.65**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	**-**
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	**-**
01.04.2018 तक पुनः निश्चित	**2,224.96**	**(1,819.35)**	**166.04**	**571.65**
अवधि के लिए लाभ	-	269.33	-	**269.33**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का निवल)	-	-	(13.19)	**(13.19)**
विनियोग				
सामान्य आरक्षित/ रिटेंड अर्जन में हस्तांतरण	-	-	-	**-**
अंतरिम लाभ	-	-	-	**-**
अंतिम लाभ	-	-	-	**-**
निगमित लाभांश कर				
31.03.2019 तक शेष	**2,224.96**	**(1,550.02)**	**152.85**	**827.79**
01.04.2019 का शेष	2,224.96	(1,550.02)	152.85	**827.79**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन	-	-	-	**-**
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	**-**
01.04.2019 तक पुनः दर्शाइ गई शेष	**2,224.96**	**(1,550.02)**	**152.85**	**827.79**

विवरण	सामान्य आरक्षित	सुरक्षित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
अवधि के लिए लाभ	-	(528.28)	-	**(528.28)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन(कर का निवल)	-	-	(215.32)	**(215.32)**
विनियोग				
सामान्य आरक्षित/ रिटेंड अर्जन में हस्तांतरण	-	-	-	**-**
अंतरिम लाभ	-	-	-	**-**
अंतिम लाभ	-	-	-	**-**
निगमित लाभांश कर				
31.03.2020 तक शेष	**2,224.96**	**(2,078.30)**	**(62.47)**	**84.19**

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
पार्टनर (एम नं 093434)

दिनांकः10.06.2020
स्थानः नागपुर

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

सीए एस.एम.चौधरी
निदेशक, वित्त एवं सीएफओ
(डीआईएन 07478302)

सीए एम.के. बालुका
महाप्रबंधक वित्त

राजीव आर.मिश्र
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05103300)

रामेहर
कंपनी सचिव

नोट1: कॉर्पोरेट सूचना

वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, (डब्ल्यूसीएल), एक मिनीरत्न (कैटेगरी-1) कंपनी है, जिसका मुख्यालय नागपुर है और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज(बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) की पूर्ण स्वामित्व की एक अनुषंगी कंपनी है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात डब्ल्यूसीएल कंपनी अस्तित्व में आई है और कोल माइन्स एथरिटी लिमिटेड के पश्चिमी डिविजन में 1 नवंबर 1975 तक निहित परिसंपत्तियों एवं देयताओं के हस्तांतरण के बाद इसे 29 अक्टूबर 1975 को समाविष्ट किया गया। कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं कोयला उत्पादन के कार्य में लगी हुई है और कोल वाशरी का भी संचालन करती है। बिजली और स्टील सेक्टर कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता हैं। सीमेंट, उर्वरक, ब्रिक किल्न्स आदि समेत अन्य सेक्टर भी कंपनी के उपभोक्ता हैं। डब्ल्यूसीएल में कोयले का उत्पादन करने वाले 10 (दस) क्षेत्र हैं और एक (1) सर्विस यूनिट(केन्द्रीय कर्मशाला) है, जिसका खनन क्षेत्र भारत के 2 राज्यों (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) में फैला हुआ है।

नोट 2: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

कंपनी के विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 में अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को आकलन के ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है,जिसमें निम्नलिखित का समावेश नहीं है:-

-कुल वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है(पैरा 2.14 में उल्लिखित विवरण पर लेखाकरण नीति देखें)।

-परिभाषित लाभ योजनाएं- उचित मूल्य पर आकलन की गई योजना की परिसम्पत्तियां

-लागत की वस्तुसूचियां या एनआरवी, जो भी कम हो (पैरा संख्या 2.20 में उल्लिखित लेखाकरण नीति देखें)

2.1.1 राशि को पूर्ण रुपए में परिवर्तित करना

इन वित्तीय विवरणों में राशि को करोड़ रुपए में दो डेसिमल पॉइंट तक परिवर्तित किया गया है।

2.2 चालू और गैर चालू व गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी ने चालू/ गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलना पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को दर्शाया है। कंपनी द्वारापरिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्ति माना जाता है जब :

(क) परिसंपत्ति को प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है, या उसे उसके सामान्य प्रचालन चक्र में बेचने का इरादा है या उसका उपभोग किया जाना है;

(ख) मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए परिसंपत्ति को रखा जाता है;

(ग) सूचना अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर परिसंपत्ति प्राप्त होने की उम्मीद है; या

(घ) परिसंपत्ति नकद है या नकद के समतुल्य है (जैसा कि लेखाकरण मानक-7 में परिभाषित है) जब तक कि सूचना अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए परिसंपत्ति का विनिमय करने से रोका जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू संपातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा देयता को चालू देयता के रूप में माना जाता है जब,

(क) देयता को उसके सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान करने की उम्मीद की जाती है,

(ख) मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए परिसंपत्ति को रखा जाता है,
(ग) सूचना अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर देयता का निपटान किया जाता है; या
(घ) सूचना अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।काउंटर पार्टी के विकल्प पर, देयता की शर्तों से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जारी कर देयता का निपटान करने से उसके वर्गीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व:

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तु या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो यह प्रतिफल दर्शाता है, जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने सामान्यतया यह माना है कि वह अपनी राजस्व व्यवस्था में सर्वोपरि है क्योंकि वह वस्तु या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।
Ind As 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है :-

चरण 1: अनुबंध को चिह्नित करना :

कंपनी द्वारा ग्राहक के साथ अनुबंध तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदण्डों को पूरा किया जाता है:-
क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों को चिह्नित कर सकती है;
ग) कंपनी हस्तांतरित किए जानेवाले वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान की शर्तों को चिह्नित कर सकती है;
घ) अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व है (जैसे, कंपनी के भविष्य के भावी कैश फ्लो का जोखिम, समय या राशि अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है); तथा
ड) यह संभावना है कि कंपनी उस प्रतिफल को प्राप्त करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तु या सेवाओं के बदले में हकदार होगी। जिस प्रतिफल की राशि के लिए कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में दर्शाई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य में रियायत, छूट, रिबेट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, कार्य- निष्पादन , बोनस या इसी प्रकार की छूट की हकदार हो सकती है।

संविदा का संयोजन:

कंपनी ग्राहक के साथ किए गए दो या दो से अधिक अनुबंधों या एक ही समय में ग्राहक (ग्राहक से संबंधित पक्ष) के साथ किए गए अनुबंधों को एक साथ जोड़ती है, यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है:
क) अनुबंधों पर एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है;
ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या कार्य-निष्पादन पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में वस्तु या सेवाओं के संबंध में किया गया वादा एकल कार्य-निष्पादन दायित्व है (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ वस्तु या सेवाओं के संबंध में किया गया वादा)।

अनुबंध में संशोधन:

कंपनी अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध में संशोधन कर सकती है, याने निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

क) वादा किए गए वस्तु और सेवाओं में वृद्धि होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाता है और

ख) प्रतिफल की राशि से अनुबंध की कीमत बढ़ जाती है, जो अतिरिक्त वादा किए गए वस्तु या सेवाओं की बिक्री मूल्य तथा अनुबंध की परिस्थितियों में उसके मूल्य के उपयुक्त समायोजन के बारे में कंपनी का स्टैण्ड दर्शाया है।

चरण 2: कार्य-निष्पादन के दायित्वों को चिह्नित करना:

अनुबंध के शुरूआत में ही समय, कंपनी ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में किए गए वस्तु या सेवाओं के वादे आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए प्रत्येक वादे की कार्य-निष्पादन के दायित्व को चिह्नित करती है:-

क) वस्तु या सेवा (या वस्तु या सेवाओं का एक बंडल) जो विशेष है; या

ख) विशेष वस्तु या सेवाओं की एक श्रृंखला है, जो काफी हद तक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का एक ही तरह का पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन देन मूल्य का निर्धारण:

कंपनी लेन देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और उसके व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन का मूल्य उस प्रतिफल की राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार है। ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय प्रतिफल ;
- परिवर्तनीय प्रतिफल के आकलन पर बाधा;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर - नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिपूर्ति।

छूट, रिबेट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है, यदि कंपनी को प्रतिफल की हकदारी भविष्य में घटना होने या घटना न होने पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में अर्थदण्ड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के अनुसार अर्थदण्ड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेन देन के मूल्य के निर्धारण में अर्थदण्ड निर्धारित है, वह परिवर्तनीय प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी में कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि के कुछ या सभी लेन देन के मूल्य शामिल करती है, जिसकी यह अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण रिवरसल तब तक नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल के साथ जुड़ी अनिश्चितता बाद में होती है ।

अनुबंध के शुरूआत में अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए वादा की गई प्रतिफल की राशि को कंपनी समायोजित नहीं करती है तो ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवा

स्थानांतरित करने और उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करने के बीच की अवधि एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल की कुछ राशि या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को मान्यता देती है। धनवापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की राशि गणना की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। धनवापसी दायित्व (और लेनदेन की कीमत में तद्नुरूप परिवर्तन तथा अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव होने पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपडेट किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जिससे प्रतिफल की राशि में परिवर्तन होता हैं जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए वस्तु या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4: लेन देन की कीमत का आवंटन:

लेन-देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या विशेष वस्तु या सेवा) में लेनदेन की कीमत आवंटित करना होता है, जिसमें प्रतिफल की राशि जिसे कंपनी, ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवाएं हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

एक रिलेटिव स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए लेन देन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी विशेष वस्तु या सेवा के लिए अनुबंध करते समय ही स्टैण्ड अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जोकि अनुबंध में प्रत्येक कार्य-निष्पादन के दायित्व को दर्शाती है और स्टैण्ड अलोन विक्रय मूल्य को अनुमान में लेन देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना:

कंपनी राजस्व को तब चिह्नित करती है, जब (या उस रूप में) कंपनी ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवा का हस्तांतरण कर कार्य-निष्पादन के दायित्व से संतुष्ट होती है। वस्तु या सेवा का हस्तांतरण तब किया जाता है जब (या उस रूप में) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी ओवर टाईम वस्तु या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, कार्य-निष्पादन के दायित्व से संतुष्ट होती है और समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के कार्य- निष्पादन के द्वारा प्रदान किए गए लाभों को एक साथ प्राप्त करता है और उपभोग करता है।

ख) कंपनी का कार्य- निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक उस संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है जिसे बढ़ाया जाता है;

ग) कंपनी का कार्य- निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ परिसंपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूरा किए गए कार्य- निष्पादन के भुगतान को लागू करने का अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक कार्य- निष्पादन के दायित्व के लिए, कंपनी उस कार्य- निष्पादन के दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रगति का ऑकलन समय के साथ राजस्व को चिह्नित करती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक कार्य- निष्पादन के दायित्व के लिए प्रगति के ऑकलन का एक एकल तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान कार्य- निष्पादन के दायित्वों और समान परिस्थितियों में

लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट कार्य- निष्पादन के दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का फिर से ऑकलन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष ऑकलन के आधार पर राजस्व को चिह्नित करने के लिए आउटपुट तरीके लागू करती है। आउटपुट विधियों में कार्य-निष्पादन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, लक्ष्य पूर्ति, समय बीतने और उत्पादित इकाइयाँ या डिलिवर की गई इकाइयाँ शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी के कार्य- निष्पादन के दायित्व के परिणाम में किसी भी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी प्रगति के ऑकलन को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के ऑकलन में इस तरह के बदलावों को **Ind AS 8**, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट कार्य- निष्पादन के दायित्व के लिए राजस्व को चिह्नित करती है, यदि कंपनी यथोचित रूप से कार्य- निष्पादन के दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का ऑकलन कर सकती है। जब (या के उस में) एक कार्य- निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में चिह्नित करती है (जो कि परिवर्तनीय दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस कार्य- निष्पादन के दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि कार्य- निष्पादन के दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में कार्य- निष्पादन के दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक वादा किया हुआ वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी कार्य- निष्पादन के दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;

ई) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने कार्य- निष्पादन दिया है, तो कंपनी के कार्य- निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के रिश्ते के आधार पर अनुबंध शीट को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में विचार करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति :

एक अनुबंध संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो संविदा परिसंपत्ति अर्जित विचार के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य:

एक प्राप्य कंपनी के प्रतिफल के बिना राशि के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध दायित्व एक ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले ग्राहक पर प्रतिफल करता है, तो भुगतान या देय (जो भी पहले हो) होने पर अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य- निष्पादन करती है।

ब्याज

ब्याज के आय को प्रभावी ब्याज पद्धति अपनाकर स्वीकार किया जाता है।

लाभांश

भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश की आय को स्वीकार किया जाता है।

अन्य दावे

जब राशि प्राप्त होना निश्चित हो जाती है तब अन्य दावों (उपभोक्ताओं से विलंब से प्राप्त होने वाली राशि पर ब्याज सहित) को लेखा में लिया जाता है, जिसका विश्वास के साथ आकलन किया जाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब बात का आश्वासन हो कि कंपनी उसके साथ जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होने की निश्चितता होगी। लाभ एवं हानि विवरण में क्रमबद्ध आधार पर सरकारी अनुदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित उस खर्चों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिसके लिए अनुदानों की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित कर परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों/सहायता को तुलन पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर क्रमबद्ध आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। आय से संबंधित अनुदानों(अर्थात अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ एवं हानि विवरण के भाग के रूप में दर्शाया गया है। सरकारी अनुदान जो कि पहले ही खर्च किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्तयोग्य राशि बनती है या भविष्य से संबंधित खर्च के साथ कंपनी को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए है, को उस अवधि की लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वह प्राप्तयोग्य बनती है। सरकारी अनुदानों या प्रमोटरों के योगदान को सीधे 'कैपिटल रिजर्व' में मान्यता दी जाती है, जो कि 'अंशधारकों की निधि' का भाग है।

2.5 लीज

लीज वह लीज है एक अनुबंध है या शामिल है, अगर अनुबंध के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 लीजी के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि में, लीजधारी लागत पर एक सही-उपयोग की संपत्ति और लीज के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को पहचानता है जो उस तिथि में भुगतान नहीं किया जाता है।

इसके बाद, राइट-टू-यूज़ एसेट को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज़ देनदारी पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ली जाने वाली राशि को बढ़ाकर लीज़ देयता को मापा जाता है। भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करने और ले जाने की राशि को फिर से मापने के लिए किसी भी पुनर्मूल्यांकन या लीज संशोधनों को प्रतिबिंबित करना है ।

2.5.2 लिसर के रूप में कंपनी
सभी लीज या तो एक परिचालन लीज या एक वित्त लीज हैं।

एक लीज को एक वित्त लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। एक लीज को एक ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

ऑपरेटिंग लीज - ऑपरेटिंग लीज से लीज भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि नहीं होता है जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम होता है।

वित्त लीज - एक वित्त लीज के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है और लीज में शुद्ध निवेश को मापने के लिए लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके लीज में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करता है।
इसके बाद, लीज की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो लीज में लीजधारी के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

2.6 बिक्री के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है और (या डिस्पोजल ग्रूप) जिसे बिक्री के लिए रखा जाता है यदि उनकी राशि का निरंतर उपयोग करने के बजाय मुख्यतः बिक्री के माध्यम से उनकी कैरिंग राशि की वसूली की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए कार्रवाइयों की आवश्यकता है, जो यह दर्शाता है कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है या बेचने के निर्णय को वापस लिया जाएगा। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जिसे वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर करना अपेक्षित है।
इस प्रयोजनों हेतु, बिक्री के लेन-देन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है, जब विनिमय में वाणिज्यिक वस्तु आती है। बिक्री वर्गीकरण के मानदंड को तब पूरा किया गया माना जाता है जब परिसंपत्तियां या डिस्पोजल ग्रूप अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं, जो इन शर्तों के अधीन होगी कि वे ऐसी परिसंपत्तियों (या डिस्पोजल ग्रूप) के लिए सामान्य एवं प्रचलित हैं, उनकी बिक्री की अधिक संभावना है, और उन्हें बेचा ही जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति की बिक्री या डिस्पोजल ग्रूप को तब अधिक संभावना वाली मानती है जबः-(पीपीई)

- उपयुक्त स्तर का प्रबंधन परिसंपत्ति (या डिस्पोजल ग्रूप) की बिक्री की योजना के लिए प्रतिबद्ध है।
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने के लिए सक्रिय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

- उस मूल्य पर बिक्री के लिए परिसंपत्ति (या डिस्पोजल ग्रुप) का सक्रियता से विपणन किया जा रहा है जो उसके वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में उचित है।
- वर्गीकरण की तारीख से एकवर्ष के अंदर बिक्री के पूर्ण हुई बिक्री के रूप में मान्यता के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद है और
- योजना को पूरा करने के लिए कार्रवाइयों की आवश्यकता है, जो यह दर्शाता है कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना नहीं है या योजना को वापस लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

ऐतिहासिक मूल्य पर भूमि ली जाती है। ऐतिहासिक मूल्य में वे खर्च शामिल हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनःस्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों आदि को नौकरी के बदले प्रदान किया गया मुआवजा। मान्यता के बाद अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु के मूल्य से संचित मूल्य-ह्रास कम किया जाता है और कास्ट मॉडेल के तहत संचित क्षति भी कम की जाती है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लागत में निम्नलिखित का समावेश हैः-

(क) उसका क्रय मूल्य, व्यापार की छूट एवं रियायत की कटौती पश्चात आयात शुल्क तथा नॉन-रिफंडेबल क्रय कर सहित।

(ख) निर्धारित स्थान पर परिसंपत्ति को लाने के लिए लगने वाला खर्च और जैसा प्रबंधन चाहता है उस तरह से संचालित करने के लिए आवश्यक स्थिति।

(ग) वस्तु को खोलने (डिसमेंटल) एवं हटाने के लिए लगने वाला प्रारंभिक अनुमानित खर्च और जिस स्थान पर उसे रखा गया है उसे बहाल करने और जब वस्तु को प्राप्त किया जाता है या अवधि के दौरान वस्तुसूचियों को प्रस्तुत करने के अलावा प्रयोजनों के लिए विशिष्ट अवधि के दौरान उपयोग किए गए वस्तु के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने के लिए राशि व्यय की जाती है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु का प्रत्येक भाग का मूल्य अलग से मूल्य-ह्रास किए गए वस्तु की कुल कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण है। तथापि, समान उपयोगी जीवनकाल एवं मूल्य-ह्रास पद्धति रखने वाली संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वस्तु के महत्वपूर्ण पुर्जे को मूल्य-ह्रास के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक साथ ग्रूप किया जाता है। 'मरम्मत एवं रखरखाव' के लिए वर्णित सर्विसिंग के दिन प्रतिदिन के खर्चों को उसी अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें उसे खर्च किया गया है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वस्तु की कुल कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण पुर्जों को बदलने की कीमत को वस्तु की कैरिंग राशि में स्वीकार किया जाता है, यदि इस बात की संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भावी आर्थिक लाभों को कंपनी को दिया जाता है और वस्तु के मूल्य का विश्वास के साथ आकलन किया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित डी-रेकगनिशन पॉलिसी के अनुसार, बदले गए पुर्जों की कैरिंग राशि की मान्यता रद्द की जाती है। जब निरीक्षण किया जाता है, बदलाव के रूप में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वस्तु की कैरिंग राशि में उसके मूल्य को मान्यता दी जाती है, यदि इस बात की संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भावी आर्थिक लाभों को कंपनी को दिया जा सकता है और वस्तु के मूल्य का विश्वास के साथ आकलन किया जा सकता है। पिछले निरीक्षण (प्रत्यक्ष पुर्जों से अलग) के लागत की शेष कैरिंग राशि की मान्यता रद्द की जाती है। निपटान करने पर संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की वस्तु की मान्यता रद्द की जाती है या परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभों की उम्मीद नहीं है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मान्यता रद्द होने से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है। परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन

आधार पर कॉस्ट मॉडेल के अनुसार, फ्री होल्ड भूमि छोड़कर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्य-ह्रास प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

अन्य भूमि (लीज होल्ड भूमि सहित): प्रोजेक्ट का जीवनकाल पर लीज की अवधि, जो भी कम हो

भवनें : 3-60 वर्ष

सड़कें: 3-10 वर्ष

दूरसंचार: 3-9 वर्ष

रेलवे साइडिंग: 15 वर्ष

संयंत्र एवं उपकरण: 5-30वर्ष

कंप्यूटर एवं लैपटॉप: 3 वर्ष

कार्यालय उपकरण: 3-6 वर्ष

फर्नीचर एवं फिक्चर्स: 8-10 वर्ष

वाहन: 8-10 वर्ष

स्थान बहाली की लागत: खान का जीवनकाल

अन्य खनन बुनियादी संरचनाएं: प्रोजेक्ट का 20 वर्ष का जीवनकाल, जो भी कम हो तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का विश्वास है कि ऊपर उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल सबसे अच्छी अवधि है, जिसके दौरान प्रबंधन परिसंपत्ति के उपयोग की उम्मीद करता है। अतः परिसंपत्ति का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के भाग 'सी' के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवनकाल से अलग हो सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाती है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की रिजिड्यूअल वैल्यू परिसंपत्ति के मूल्य का 5% माना गया है, जबकि परिसंपत्ति की कुछ वस्तुएं जैसे कोल ट्यूब, वाइंडिंग रोप, हॉलेज रोप, स्टोविंग पाइप एवं सेफ्टी लैंप आदि के लिए शून्य रिजिड्यूअल वैल्यू के साथ एक वर्ष का तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निर्धारित किया गया है। हाई वैक्यूम रिस्पारेटरी डस्ट सैम्पलर्स के मामले में तीन वर्ष का तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निर्धारित किया गया है। वृद्धि/ निपटान के माह के संदर्भ में, वर्ष के दौरान वृद्धि हुई परिसंपत्तियों/ निपटान की गई परिसंपत्तियों पर मूल्य-ह्रास प्रो-राटा आधार पर दिया जाता है। अन्य भूमि' को मूल्य में कोल बेअरिंग एरिया [अधिग्रहण एवं विकास (सीबीसी)] एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि, भूमि अधिनियम 1984, उचित मुआवजा का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास व पुनःस्थापन अधिनियम 2013, सरकारी भूमि की लंबी अवधि के लिए हस्तांतरण आदि का समावेश है, जिसका प्रोजेक्ट के शेष जीवनकाल के आधार पर परिशोधन किया जाता है और लीजहोल्ड भूमि के मामले में, यह परिशोधन प्रोजेक्ट की लीज अवधि या प्रोजेक्ट के शेष जीवनकाल पर आधारित है, जो भी कम हो। सक्रिय उपयोग से हटाई गई पूर्णतः मूल्य-ह्रास की गई परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत उसके रिजिड्यूअल वैल्यू पर सर्वेड ऑफ परिसंपत्तियों के रूप में अलग से दर्शाया जाता है और जिसकी क्षति का आकलन किया जाता है। कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा खर्च किए गए पूंजीगत व्यय, जो कि उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी को किसी भी वर्तमान परिसंपत्तियों की सुगमता के लिए अनिवार्य है, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत समर्थ परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन

भारतीय लेखाकरण मानक में परिवर्तन की तारीख तक वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की कॉस्ट मॉडेल के अनुसार कैरिंग वैल्यू को जारी रखने के लिए कंपनी का चयन किया गया है, जिसका विगत जीएएपी के अनुसार आकलन किया गया है।

2.8 खान बंद करना, स्थान की बहाली एवं दायित्व की डीकमिशनिंग

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि उद्धार तथा स्ट्रक्चर की डीकमिशनिंग के लिए कंपनी के दायित्व में सरफेस और भूमिगत खान-दोनों के लिए होने वाले व्यय का समावेश है। विस्तृत गणना तथा राशि के तकनीकी निर्धारण और अपेक्षित कार्य को पूरा करने के लिए भविष्य में खर्च होने वाली राशि के समय निर्धारण के आधार पर कंपनी खान बंद करने, स्थान की बहाली एवं डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्व का आकलन करती है। खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार खान बंद करने का व्यय प्रदान करती है। मूल्य वृद्धि होने पर अनुमानित खर्चों की राशि में बढोतरी होती है और उसके बाद छूट की दर में कटौती की जाती है, जो धनराशि के समय मूल्य के वर्तमान मार्केट निर्धारण को दर्शाता है और जोखिम इस तरह है कि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित खर्चों का वर्तमान मूल्य राशि का प्रावधान दर्शाता है। कंपनी अंतिम भूमि उद्धार एवं खान बंद करने के दायित्व से संबद्ध, तदनुरूप परिसंपत्ति का रिकॉर्ड रखती है। दायित्व एवं तदनुरूप परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें देयता के लिए खर्च किया जाता है। खान बंद करने की योजना के अनुसार परिसंपत्ति जो स्थान बहाली की कुल लागत(जो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा अनुमानित राशि है) का प्रतिनिधित्व करती है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में अलग वस्तु के रूप में मान्यता दी जाती है और प्रोजेक्ट/ खान के जीवनकाल पर परिशोधन किया जाता है। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता है क्योंकि डिस्काउंटिंग अनविंड का प्रभाव, खर्च को वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस प्रयोजन हेतु विशेष इस्क्रो फंड बनाए रखा जाता है। वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर प्रगामी खान बंद करने के खर्चों, जो कि खान को पूरी तरह बंद करने के दायित्व का भाग है, को प्रारंभ में इस्क्रो खाते से प्राप्तयोग्य राशि के रूप में मान्यता दी जाती है और इसके पश्चात उसे उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है, जिसमें सर्टिफाइंग एजेंसी की सहमति से राशि वापस ली जाती है।

2.9 गवेषण एवं परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

गवेषण एवं परिसंपत्तियो, के मूल्यांकन में पूंजीगत लागत का समावेश है, जो कोयले के लिए खोज तथा संसाधनों से संबंधित व्यय है। तकनीकी व्यवहार्यता का निर्धारण और चिन्हित संसाधन की व्यापारिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन लंबित है, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का समावेश हैः-

- अन्वेषण के अधिकारों को प्राप्त करना
- ऐतिहासिक गवेषण डाटा का अनुसंधान एवं विश्लेषण
- टोपोग्राफिकल, जिओ केमिकल एवं जियो फिजिकल अध्ययनों के माध्यम से गवेषण का डाटा एकत्र करना
- एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं सैम्पलिंग
- संसाधन की वैल्यूम एवं ग्रेड ग्रेड का निर्धारण तथा जांच
- परिवहन एवं बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का सर्वेक्षण
- विपणन एवं वित्त अध्ययन करना
- उपरोक्त में कर्मचारी का पारिश्रमिक, सामग्रियों की लागत एवं उपयोग किया गया इंधन तथा ठेकेदारों आदि को भुगतान।

अमूर्त घटक व्यय की जाने वाली समग्र अपेक्षित मूर्त लागत का निरर्थक/ अदृश्य भाग दर्शाता है और भावी उपयोग से पूर्ति की जाती है। इन लागतों को अन्य पूंजीगत गवेषण की लागतों के साथ गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रोजेक्ट की तकनीकी व्यवहार्यता व्यापारिक व्यवहार्यता का निर्धारण लंबित रखते हुए प्रोजेक्ट आधार पर गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को प्रोजेक्ट पर कैपिटलाइज किया जाता है और गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत अलग मद के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका बाद में लागत लेस संचित क्षति/ प्रावधान पर आकलन किया जाता है। प्रूव्ड रिजर्व का निर्धारण होने तथा खान/ प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्वीकृत होने के बाद गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तहत 'डेवलपमेंट' में हस्तांतरित किया जाता है। तथापि, यदि प्रूव्ड रिजर्व का निर्धारण नहीं होता है तो गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.10 डेवलपमेंट व्यय

प्रूव्ड रिजर्व का निर्धारण होने तथा खान/प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्वीकृत होने पर पूंजीगत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत को निर्माण के तहत परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती लै और 'डेवलपमेंट' शीर्ष के अंतर्गत कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के घटक के रूप में दर्शाया जाता है। बाद के सभी डेवलपमेंट व्यय को भी कैपिटलाइज किया जाता है. कैपिटलाइज डेवलपमेंट व्यय डेवलपमेंट चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त लाभ की निवल राशि है।

वाणिज्यिक प्रचालन

प्रोजेक्ट/खानों को रेवन्यू में लाया जाता है, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लिखित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर, सतत आधार पर उत्पादन करने की प्रोजेक्ट/खान की वाणिज्यिक तैयारी स्थापित हो जाती हैः-

(क) अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ष में प्रोजेक्ट निर्धारित क्षमता का 25 % प्रत्यक्ष उत्पादन प्राप्त कर लेता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष शुरू होने से या

(ख) कोयला लगने के 2 वर्षों से या

(ग) जिस वित्तीय वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक होता है, उस वित्तीय वर्ष के शुरू होने से, जो भी घटना पहले होती है। रेवेन्यू में लाने पर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तहत परिसंपत्तियों की 'अन्य खनन बुनियादी संरचना' नामावली के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के घटक के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। खान को 20 वर्षों में रेवन्यू के अंतर्गत लाए जाने के वर्ष से या प्रोजेक्ट का जीवनकाल, जो भी कम हो, अन्य खनन बुनियादी संरचना का परिशोधन किया जाता है।

2.11 अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन लागत की प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उनका उचित मूल्य है। निम्नलिखित प्रारंभिक मान्यता, अमूर्त परिसंपत्ति को लागत लेस संचित परिशोधित (उनके उपयोगी जीवनकाल के लिए स्ट्रेट लाइन आधार पर गणना की गई) और संचित क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता हैः-

आंतरिक रूप में उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों, कैपिटलाइज डेवलपमेंट लागत छोड़कर, को कैपिटलाइज नहीं किया जाता है। इसके बजाय जिस अवधि में खर्च किया जाता है, उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में संबंधित खर्च और अन्य विस्तृत आय को मान्यता दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन निश्चित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। जब कभी यह संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति की क्षति हो

सकती है, निश्चित जीवनकाल की अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवनकाल के लिए परिशोधित किया जाता है और क्षति का मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन की अवधि और निश्चित उपयोगी जीवनकाल की अमूर्त परिसंपत्ति की परिशोधन पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक सूचना अवधि की समाप्ति पर की जाती है। परिसंपत्ति में सम्मिलित अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल में बदलाव या भावी आर्थिक लाभों के उपभोग का अपेक्षित पैटर्न पर उपयुक्त तरीके से परिशोधन अवधि या पद्धति को संशोधित करने के लिए विचार किया जाता है और लेखाकरण अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। निश्चित जीवनकाल की अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन खर्च को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अनिश्चित उपयोगी जीवनकाल की अपूर्ण परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है किंतु उसका प्रत्येक सूचना की तारीख पर क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से प्राप्त होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान लाभ और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर के रूप में आकलन किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। बिक्री के लिए चिन्हित या बाहरी एजेंसियों को बिक्री के लिए प्रस्तावित ब्लाकों (सीआईएल के लिए नहीं रखे गए ब्लॉक) से संबंधित गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसका क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है। कानूनी अधिकार के प्रयोग की अवधि या तीन वर्षों के लिए, जो भी कम हो, शून्य रिजिड्यूअल मूल्य के साथ स्ट्रेट लाइन पद्धति पर अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन किया जाता है।

2.12 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक सूचना अवधि की समाप्ति पर आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत है तो समूह परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि परिसंपत्ति के मूल्य से अधिक है या उपयोग में आने वाली कैश जनरेटिंग यूनिट का मूल्य है और उसका उचित मूल्य लेस लागत का निपटान है और उसका हर एक परिसंपत्ति के लिए निर्धारण किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति कैश इनफ्लो जनरेट नहीं करती जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र है, जिसमें कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए वसूलीयोग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी क्षति के परीक्षण के प्रयोजन के लिए हर एक खान को अलग कैश जनरेटिंग यूनिट मानती है। यदि परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि उसकी कैरिंग राशि से कम होने का अनुमान है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उसकी वलूलीयोग्य राशि से कम की जाती है और लाभ एवं हानि विवरण में क्षति को मान्यता दी जाती है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति का उपयोग उत्पाद या माल की आपूर्ति या सेवाओं या प्रशासनिक प्रयोजनों या व्यवसाय के दौरान बिक्री के लिए करने के बजाय किराए या पूंजीगत मूल्यांकन या दोनों के लिए रखी गई संपत्ति को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्ति का आकलन संबंधित लेन-देन की लागत एवं जहां लागू हो वहां उधारी लागतों सहित प्रारंभिक तौर पर उसकी लागत पर किया जाता है। निवेश संपत्तियों का मूल्य-ह्रास उनकी अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग कर किया जाता है।

2.14 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

किसी भी संविदा में वित्तीय इंस्ट्रूमेंट वह होता है जो एक कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयता या दूसरी कंपनी की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा देता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता एवं आकलन

जिस मामले में लाभ या हानि, प्लस वित्तीय परिसंत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित लेन-देन लागत के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों को दर्ज नहीं किया जाता है, वहां सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीदी या बिक्री जिसके लिए विनिमय या मार्केट स्थान (नियमित, तरीके से व्यापार) की परंपरा द्वारा निर्धारित समयावधि में डिलिवरी अपेक्षित है, को व्यापार की तारीख अर्थात कंपनी जिस तारीख पर परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध है, उस तारीख पर मान्यता दी जाती है।

2.14.2 बाद का आकलन

बाद के आकलन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता हैः-

-परिशोधन लागत पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट

-अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट

-लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट, डिरिवेटिव एवं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट

-अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का आकलन

2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण इंस्ट्रूमेंट

निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किए जाने पर 'ऋण इन्स्ट्रूमेंट' का आकलन परिशोधन लागत पर किया जाता हैः-

(क) बिजनेस मॉडेल के दायरे में परिसंपत्ति को रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक कैश फ्लो को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है।

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें उस कैश फ्लो की विशिष्ट तारीखों पर है, जिस पर मूल बकाया राशि का केवल मूल और ब्याज भुगतान होता है।

प्रारंभिक आकलन के पश्चात, इन वित्तीय परिसंपत्तियों का बाद में प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग कर परिशोधित लागत पर आकलन किया जाता है। अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर परिशोधित लागत की गणना की जाती है। प्रभावी ब्याज दर का परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति से होने वाली हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण इंस्ट्रूमेंट

निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किए जाने पर एफवीटीओसीआई पर 'ऋण इन्स्ट्रूमेंट' को वर्गीकृत किया जाता हैः-

(क) संविदात्मक कैश फ्लो को एकत्रित कर तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर बिजनेस मॉडेल के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक कैश फ्लो एसपीपीआई दर्शाता है।

एफवीटीओआईसी की श्रेणी में शामिल ऋण इंस्ट्रूमेंट का प्रारंभ में तथा प्रत्येक सूचना तारीख पर उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य को अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति एवं उसके विपरीत और लाभ एवं हानि में विदेशी मुद्रा का लाभ या हानि को मान्यता देती है।

परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर, ओसीआई में पूर्व में मान्यता दी गई संचित लाभ या हानि को लाभ एवं हानि की इक्विटी से पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण इन्स्ट्रूमेंट रखते हुए प्राप्त लाभ को प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग कर ब्याज आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट

एफवीटीपीसी ऋण इन्स्ट्रूमेंट के लिए रिजिड्यूअल कैटेगरी है। कोई भी ऋण इन्स्ट्रूमेंट, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी ऋण इन्स्ट्रूमेंट को नामित करने के लिए चुन सकती है जो, अन्यथा एफवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। तथापि, इस चयन की तभी अनुमति दी जाएगी जब ऐसा करते समय आकलन को कम किया जाता है या समाप्त किया जाता है या असंगति को मान्यता दी जाती है (जिसे लेखाकरण बेमेल के रूप में उल्लेख किया गया है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किसी भी ऋण इन्स्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण इन्स्ट्रूमेंट का आकलन लाभ एवं हानि में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी कंपनियों, सहायक एवं संयुक्त उद्यम में इक्विटी लेखाकरण मानक 101(भारतीय मानक में पहली बार अपनाया गया) के अनुसार, परिवर्तन की तारीख तक विगत जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की कैरिंग राशि को लागत राशि माना जाता है। बाद में अनुषंगी कंपनियों, सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का आकलन लागत पर किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 के दायरे में सभी अन्य इक्विटी निवेशों का आकलन लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य विस्तृत आय के बाद के बदलावों में अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी का यह चयन इंस्ट्रूमेंटल प्रति इंस्ट्रूमेंट आधार पर करती है। प्रारंभिक मान्यता पर वर्गीकरण किया जाता, जो अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट वर्गीकृत करने का निश्चय करती है तो, लाभांश छोड़कर इन्स्ट्रूमेंट पर उचित मूल्य के सभी बदलावों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी लाभ एवं हानि में ओसीआई की राशि की रीसाइक्लिंग नहीं होती है। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि का हस्तांतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट का आकलन लाभ एवं हानि में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू है वहां, वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक भाग) की मान्यता रद्द की जाती है(अर्थात तुलन पत्र से हटाया जाता है) जबः-

- परिसंपत्ति से कैश फ्लो प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं; या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से कैश फ्लो प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं; या कंपनी ने यह मान लिया है कि 'पास थ्रू' व्यवस्था के तहत तृतीय पक्ष को बिना किसी विलंब के प्राप्त हुई पूरी कैश फ्लो का भुगतान करना उसका दायित्व है और

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों तथा रिवार्ड का हस्तांतरण कर दिया है या
(ख) कंपनी ने न तो परिसंपत्ति के सभी जोखिमों तथा रिकार्ड का हस्तांतरण कर दिया है और न ही उसे अपने पास रखा है परंतु परिसंपत्ति के नियंत्रण का हस्तांतरण कर दिया है।
जब कंपनी ने परिसंपत्ति से कैश फ्लो प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या पास थ्रू व्यवस्था के लिए सहमति दी है, तो वह इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या और किस सीमा तक उसने स्वामित्व के जोखिम तथा रिवार्ड अपने पास रखे हैं। जब कंपनी ने न तो परिसंपत्ति के सभी जोखिमों तथा रिवार्ड को हस्तांतरित किया है और न ही उसे उसने अपने पास रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है तो, कंपनी हस्तांतरित परिसंपत्ति की मान्यता समूह के निरंतर समावेश की सीमा तक जारी रखती है। इस मामले में कंपनी संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध दायित्व का आकलन उस आधार पर किया जाता है जो कंपनी के अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। निरंतर समावेश जो हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में है, का आकलन परिसंपत्ति की मूल कैरिंग राशि के निम्नतर और कंपनी द्वारा अदा किए जाने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि पर किया जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

लेखाकरण मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर क्षति के आकलन तथा मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडेल लागू करती हैः-
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण इंस्ट्रूमेंट हैं और जिनका परिशोधन लागत पर आकलन किया जाता है, जैसे ऋण, प्रतिभूतियां, ट्रेड रिसिवेबल्स तथा बैंक में जमा राशि
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हैं और जिनका आकलन एफवीटीओसीआई पर किया जाता है।
(ग) भारतीय लेखाकरण मानक 17 के तहत लीज रिसिवेबल्स
(घ) भारतीय लेखाकरण मानक 11 तथा भारतीय लेखाकरण मानक 18 के दायरे में होने वाले लेन-देन के परिणामस्वरूप ट्रेड रिसिवेबल्स या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने के किसी भी संविदात्मक अधिकार कंपनी निम्नलिखित पर क्षति भत्ता को मान्यता देने के लिए सरल तरीका अपनाती हैः-
-ट्रेड रिसिवेबल्स या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रसिवेबल्स और
-भारतीय लेखाकरण मानक 17 के दायरे में होने वाले लेन-देन के परिणामस्वरूप सभी लीज रिसिवेबल्स सरल तरीका अपनाने से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कंपनी अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक सूचना तारीख पर जीवनकाल के आधार पर क्षति भत्ते को मान्यता देती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं आकलन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड तथा अन्य देय राशि, ऋण एवं बैंक ओवरड्राफ्ट समेत उधारी शामिल है। सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण एवं उधारी तथा देय राशि के मामले में, सीधे लेन-देन लागत की निवल राशि ली जाती है।

2.14.3.2 अनुवर्ती आकलन

वित्तीय देयताओं का आकलन उनके वर्गीकरण पर निर्भर है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया हैः-

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यवसाय की वित्तीय देयताएं और लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को

व्यवसाय के लिए वर्गीकृत किया जाता है, यदि उन्हें निकट अवधि में पुनः खरीद के प्रयोजन के लिए व्यय किया जाता है। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा किए गए डिरिवेटिव फाइनान्स इन्स्ट्रूमेंट का भी समावेश है, जिन्हें लेखाकरण मानक 109 में परिभाषित हेज रिलेशनशिप में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग हुए इमबेडेड डिरिवेटिव्स को भी व्यवसाय के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यवसाय के लिए निर्धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताओं को उसी रूप में भारतीय लेखाकरण मानक 109 में दिए गए मानदंडों को पूरा करने पर ही मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देयताओं के लिए, स्वयं की क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों के फलस्वरूप उचित मूल्य के लाभ/ हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभों/ हानि को बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कंपनी संचित लाभ या हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। इस देयता के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, इनका आकलन प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग कर परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ या हानि में लाभ एवं हानि को मान्यता दी जाती है, जब प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से देयताओं को रद्द किया जाता है। अधिग्रहण पर छूट या प्रीमियम तथा फीस या लागत जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर परिशोधन लागत की गणना की जाती है। प्रभावी ब्याज दर के परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधारी में लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता रद्द होना

जब देयता के तहत दायित्व से मुक्ति होती है या रद्द होती है या समाप्त होती है, तब वित्तीय देयता की मान्यता रद्द होती है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को विभिन्न अवधि पर समान उधारदाता से दूसरी देयता से बदला जाता है या मौजूदा देयता की अवधि को संशोधित किया जाता है, तब इस विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता रद्द होना और नई देयता को मान्यता देना माना जाता है। वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक भाग) की कैरिंग राशि के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है या दूसरे पक्ष को हस्तांतरित होता है और हस्तांतरित हुईं गैर-नकद परिसंपत्तियों या मानी गई देयताओं सहित भुगतान किए गए प्रतिफल को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं हैं, के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों, जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हैं, के लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब इन परिसंपत्तियों के प्रबंध के लिए बिजनेस मॉडेल में परिवर्तन होता है। बिजनेस मॉडेल में परिवर्तन विरले ही होते हैं। बाहरी या आंतरिक परिवर्तन, जो कि कंपनी के प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, होने पर कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बिजनेस मॉडेल में परिवर्तन निर्धारित करता है। यह परिवर्तन बाहरी पक्षों को दिखाई देते हैं।

बिजनेस मॉडेल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी या तो अपनी वह गतिविधि शुरू करती है या गतिविधि को निष्पादित करना बंद कर देती है, जो उसके प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करता है, तो पुनर्वर्गीकरण की तारीख जो कि बिजनेस मॉडेल में परिवर्तन होने से तुरंत अगली सूचना अवधि का पहला दिन है, से पूर्व प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण लागू किया जाता है। कंपनी विगत में मान्यता दी गई किसी लाभ, हानि (क्षति या हानि सहित) या ब्याज को पुनः दर्शाती नहीं है।

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण तथा उन्हें किस तरह लेखा में लिया गया, इसकी जानकारी देती हैः

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखाकरण की प्रक्रिया
परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का आकलन पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर किया जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है।
एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई कुल कैरिंग राशि बनती है। नई कुल कैरिंग राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है
परिशोधन लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य का आकलन पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर किया जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधन लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधन लागत कैरिंग राशि बनती है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ या हानि उचित मूल्य के मुकाबले समायोजित की जाती है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति का आकलन ऐसे किया जाता है जैसे कि परिशोधन लागत पर उसका आकलन हमेशा किया जाता था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई कैरिंग राशि बनती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर आकलन किया जाना जारी है। विगत में ओसीआई में मान्यता दी गई संचित लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और तुलन पत्र में निवल राशि दर्ज की जाती है, यदि वहां मान्यता दी गई राशि के ऑफसेट के लिए वर्तमान में लागू होने वाला कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों को प्राप्त करने तथा देयताओं को एकसाथ निपटाने के लिए निवल आधार पर उन्हें निपटाने का इरादा है।

2.14.6 नकद और नकद सम

तुलन पत्र में नकद और नकद सम में बैंकों में जमा राशि तथा हाथ रोकड़ और तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल तथा परिवक्वता के साथ अल्पावधि जमा राशियों का समावेश है, जो कि मूल्य में बदलावों के महत्वहीन जोखिम के अधीन है। केश फ्लो के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद सम में नकद तथा अल्पावधि जमा राशियों, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बैंक ओवर ड्राफ्ट के बकाया का निवल शामिल है जिसे कंपनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंक माना जाता है।

2.15 उधारी लागत

जहां आवश्यकता हो वहां उधारी लागत व्यय की जाती है, उस मामले को छोड़कर जहां वे सीधे क्वालिफाइंग संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित हो अर्थात वे परिसंपत्तियां जो उसके उपयोग के लिए तैयार होने के लिए अनिवार्यतः पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक के परिसंपत्ति के लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाइज किया जाता है, जब क्वालिफाइंग संपत्ति उसके उपयोग के लिए तैयार है।

2.16 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर का योग दर्शाता है।

अवधि के लिए करयोग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय आयकर राशि (वसूलीयोग्य) चालू कर है। करयोग्य लाभ 'आयकर पूर्व लाभ' से भिन्न है, जैसा कि लाभ या हानि और अन्य विस्तृत आय में दर्ज है क्योंकि यह आयकर या व्यय के उन मदों को अलग करती है, जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौतीयोग्य है और यह उन मदों को अलग करती है, जो कभी भी करयोग्य या कटौतीयोग्य नहीं रहे।

चालू कर के लिए कंपनी की देयता की गणना कर उस कर दरों का उपयोग कर की जाती है जिसे अधिनियमित किया गया है या सूचना अवधि की समाप्ति तक अधिनियमित किया गया।

आस्थगित कर को वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कैरिंग राशि और करयोग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए तदनुरूप कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी गई। सामान्यतः सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। सामान्यतः सभी कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना हो कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विपरीत उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके। इन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से आता है या लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं की उस प्रारंभिक मान्यता (बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा) से आता है, जो न तो करयोग्य लाभ है और न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

अनुषंगी कंपनियों तथा सहयोगी कंपनियों में निवेश से संबंद्ध करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है, उस मामले को छोड़कर जहां कंपनी अस्थायी अंतर के रिवरसल को नियंत्रित करती है और इस बात की संभावना है कि भविष्य में अस्थायी अंतर रिवर्स नहीं होगा। इन निवेशों तथा ब्याज से संबद्ध कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से होने वाले आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना हो कि वहां पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे, जिसके विपरीत अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग हो। प्रत्येक सूचना अवधि की समाप्ति पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि की समीक्षा की जाती है और उसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि जहां इस बात की कोई संभावना नहीं रहती है कि सभी परिसंपत्तियों या परिसंपत्ति के एक भाग की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध

होंगे। प्रत्येक सूचना वर्ष की समाप्ति पर मान्यता नहीं दी गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनः निर्धारण किया जाता है और उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां इस बात की संभावना रहती है कि सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों या आस्थगित कर परिसंपत्ति के एक भाग को वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का आकलन उन कर देयों पर किया जाता है, जिन्हें अवधि में लागू करना अपेक्षित है, जिसमें उस कर दर (और कर कानून) के आधार पर देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है, जिन्हें सूचना अवधि की समाप्ति तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों का आकलन दर परिणाम दर्शाते हैं, जिससे कंपनी को सूचना अवधि की समाप्ति तक अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कैरिंग राशि वसूली या निपटान करने की उम्मीद है। चालू एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, उस मामले को छोड़कर जहां वे उस मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। इस मामले में चालू एवं आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। जहां बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए चालू कर या आस्थगित कर प्रारंभिक लेखाकरण से उत्पन्न होता है, वहां बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए कर प्रभाव को लेखाकरण में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी लाभ

2.17.1 अल्पावधि लाभ

सभी अल्पावधि के कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें उन्हें व्यय किया गया।

2.17.2 रोजगार पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजना यह भविष्य निधि तथा पेंशन के लिए एक रोजगार पश्चात लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी निधि में निर्धारित अंशदान जमा करती है। इस निधि का रखरखाव कानून के तहत गठित अलग सांविधिक निकाय (कोल माइन्स प्रोविडंट फंड) द्वारा किया जाता है और कंपनी को और राशि अदा करने का कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान करने के दायित्वों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना यह एक रोजगार पश्चात लाभ योजना है, जो परिभाषित अंशदान योजना से अलग है। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएं हैं (लाभों पर उच्चतम सीमा के साथ)। कर्मचारियों द्वारा चालू तथा पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले प्राप्त भविष्य के लाभों की राशि का आकलन कर परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना की जाती है। लाभ के वर्तमान मल्य को निर्धारित करने के लिए उसे घटाया जाता है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से कम किया जाता है। छूट की दर उस सूचना तारीख तक भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित मार्केट उत्पन्न पर आधारित है, जिसमें कंपनी के दायित्वों की अनुमानित अवधि की परिपक्वता तारीखें हैं और जिसे समान मुद्रा में डिनामिनेट किया जाता है, जिसमें लाभों के भुगतान अपेक्षित है। एक्चुरिअल मूल्यांकन के लागू होने में छूट दर, परिसंपत्तियों पर अपेक्षित दर का रिटर्न, भविष्य में वेतनवृद्धि, मृत्युदर आदि के बारे में पूर्वानुमान शामिल है। इन योजनाओं की लंबी अवधि की प्रकृति के कारण अनुमान अनिश्चितता के अधीन होते हैं। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट प्रणाली का

उपयोग कर प्रत्येक तुलन पत्र में गणना की जाती है। जब इस गणना से कंपनी को फायदा होता है, तब मान्यता दी गई परिसंपत्ति को योजना या योजना के भावी अंशदानों में कमी से होने वाले किसी भी भविष्य के रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित किया जाता है। कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि इसे योजना के जीवनकाल या योजना की देयताओं के निपटान पर प्राप्त किया जाता है। निवल परिभाषित लाभ देयता के पुनः आकलन में योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर रिटर्न और परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा (यदि कोई हो, ब्याज छोड़कर) के प्रभाव पर विचार कर एक्चुरिअल लाभ एवं हानि का समावेश है, को तुरंत अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती है। अंशदान तथा लाभ के भुगतानों के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तनों को ध्यान में रखकर, उस समय के निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) तक वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व के आकलन के लिए उपयोग की गई छूट की दर लागू करते हुए कंपनी अवधि के लिए निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि में मान्यता दी जाती है। जब योजना के लाभों में सुधार होता है, तब कर्मचारियों की विगत की सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के एक हिस्से को तुरंत लाभ एवं हानि वितरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 कर्मचारी के अन्य लाभ

कर्मचारी के कुछ लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, ग्रूप पर्सनल एक्सिडेंट इन्शुरंस स्कीम, सेटलमेंट एलाउंस, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम तथा खान दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा आदि को भी परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित आधार पर मान्यता दी जाती है। इन लाभों के लिए कोई विशेष निधि नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की उसके अधिकतर प्रचालनों के लिए रिपोर्टेड करंसी तथा फंक्शनल करंसी भारतीय रुपए में है, जो कि उस आर्थिक मामले में प्रमुख करंसी है, जिसमें उसका चलन है। लेन-देन की तारीख के समय प्रचलित विनिमय दर का उपयोग कर विदेशी मुद्रा में लेन-देन को कंपनी की रिपोर्टेड करंसी में परिवर्तित किया जाता है। सूचना अवधि की समाप्ति पर बकाया विदेशी मुद्रा में डिनॉमिनेट हुई मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को सूचना अवधि की समाप्ति के समय प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के निपटान से अवधि के दौरान या विगत वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किए गए दरों से अलग दरों पर मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को जिस अवधि में वे उत्पन्न हुए थे उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा में डिनॉमिनेट किए गए गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

ओपनकास्ट माइनिंग के मामले में, माइन वेस्ट मटेरियल (ओवरबर्डन) जिसमें मिट्टी तथा कोयला सीम के शिखर की चट्टान का समावेश होता है, को कोयले तक पहुंचने तथा उसे निकालने के लिए हटाने की आवश्यकता है। इस वेस्ट रिमूवल गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' कहा जाता है। खुली खानों में कंपनी को खान के जीवनकाल (तकनीकी रूप से अनुमानित) तक यह व्यय करना है। अतः नीति के रूप में, प्रति वर्ष एक मिलियन टन एवं उससे अधिक की क्षमता वाले खानों में खानों को रेवन्यू में लाने के बाद स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशो-वेरिएन्स एकाउन्ट के विधिवत समायोजन के साथ प्रत्येक खान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग

अनुपात (ओबी:कोल) पर स्ट्रिपिंग की लागत का चार्ज लगाया जाता है। तुलन पत्र की तारीख पर स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशो वेरिएन्स के निवल शेष को गैर-चालू प्रावधान/ गैर-चालू परिसंपत्तियों, जैसी स्थिति हो, शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दर्शाया जाता है। रिकार्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्टेड मात्रा पर ओबीआर लेखाकरण के लिए अनुपात की गणना करते समय विचार किया जाता है, जहां रिपोर्टेड मात्रा और आकलन की गई मात्रा के बीच का अंतर दो वैकल्पिक अनुज्ञेय सीमाओं के निम्नतर के दायरे में है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

खान की ओबीआर की वार्षिक मात्रा	अंतर की अनुज्ञेय सीमा(प्रतिशत)
1 मिलियन क्यू.मीटर से कम	+/- 5%
1 और 5 मिलियन क्यू.मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन क्यू.मीटर से अधिक	+/- 2%

तथापि, जहां अंतर उपर्युक्त अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक है, वहां आकलन की गई मात्रा पर विचार किया जाता है। एक मिलियन टन से कम क्षमता की खानों के मामले में उपर्युक्त नीति लागू नहीं होती है और वर्ष के दौरान स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.20 वस्तुसूची

2.20.1 कोयले का स्टॉक

कोयला/कोक की वस्तुसूचियों को लागत के निम्नतर तथा निवल प्राप्तियोग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। वस्तुसूचियों की गणना फस्ट इन फस्ट आउट प्रणाली का उपयोग कर की जाती है। निवल प्राप्तियोग्य मूल्य वस्तुसूचियों के लिए बिक्री मूल्य लेस पूर्व होने की सभी अनुमानित लागत एवं बिक्री के लिए आवश्यक लागत दर्शाता है।

कोयले की बुक स्टॉक को लेखा में लिया जाता है, जहां बुक स्टॉक और आकलन किए गए स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक है और जहां अंतर +/-5% से अधिक है, वहां आकलन किए गए स्टॉक को लिया जाता है। इस प्रकार के स्टॉक का मूल्यांकन निवल प्राप्तियोग्य मूल्य या लागत जो भी कम है, पर किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के एक हिस्से के रूप में विचार किया जाता है। कोक एवं कोक-फाइन्स का मूल्यांकन लागत के निम्नतर या निवल प्राप्तियोग्य मूल्य पर किया जाता है और उसे कोयले के स्टॉक के एक हिस्से के रूप में विचार किया जाता है।

स्लरी (कोकिंग/ सेमी कोकिंग) वाशरियों की मिडलिंग और उत्पादों का मूल्यांकन निवल प्राप्तियोग्य मूल्य पर किया जाता है और उसे कोयले के स्टॉक के एक हिस्से के रूप में विचार किया जाता है।

2.20.2 स्टोर्स एवं पुर्जे

केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में स्टोर्स व पुर्जों का स्टॉक (इसमें लूज टूल्स भी शामिल हैं) को प्राइस स्टोर्स लेजर में दिख रहे शेष के अनुसार विचार किया जाता है और उसका मूल्यांकन वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर की गई गणना से होने वाली लागत पर किया जाता है। कॉलरियों/ उप स्टोर्स/ ड्रिलिंग कैंप/ उपभोग केंद्रों में रखे गए स्टोर्स एवं पुर्जों की वस्तुसूची को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित स्टोर्स के अनुसार केवल वर्ष की समाप्ति पर ही विचार किया जाता है और उसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त एवं अप्रचलित स्टोर्स तथा पुर्जों के लिए 100 % की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं हुए स्टोर्स एवं पुर्जों के लिए 50 % की दर से प्रावधान किए जाते हैं।

2.20.3 अन्य वस्तुसूचियां

वर्क इन प्रोग्रेस समेत वर्कशॉप के कार्यों का मूल्यांकन लागत किया जाता है। प्रेस के कार्यों (वर्क इन प्रोग्रेस सहित), प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केंद्रीय अस्पताल में औषधियों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। तथापि, स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में रखी स्टेशनरी के अलावा), ईंटों, रेती, औषधियों (केंद्रीय अस्पतालों की औषधियों को छोड़कर) तथा स्क्रैप के स्टॉक को उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं मानकर वस्तुसूची में शामिल नहीं किया जाता है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जब विगत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है और इस बात की संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगी तथा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

जहां धन का समय मूल्य मटेरियल है, वहां प्रावधानों को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर दर्शाया जाता है।

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहां इस बात की संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगी या विश्वसनीय रूप से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहां दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की संभावना बहुत कम है। संभावित दायित्वों, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कि कंपनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है, के घटित होने या घटित नहीं होने से होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लो की संभावना बहुत कम है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। तथापि, जब आय की प्राप्ति वस्तुतः निश्चित है, तब संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक देयता नहीं होती है और उसकी मान्यता उचित होती है।

2.22 प्रति शेयर अर्जन

अवधि के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज नंबर द्वारा कर पश्चात निवल लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मूल अर्जन को कम्प्यूट किया जाता है। इक्विटी शेयरों का वेटेड एवरेज नंबर, जिसे प्रति शेयर मूल अर्जन को प्राप्त करने तथा इक्विटी शेयरों के वेटेड एवरेज नंबर को भी ध्यान में रखा जाता है, जिन्हें सभी डाइलूटिव पोटेंशल इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किया गया होता, द्वारा कर पश्चात लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर डाइलूटेड अर्जन को कम्प्यूट किया जाता है।

2.23 निर्णय, आकलन एवं पूर्वानुमान

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने से प्रबंधन को आकलन करना, निर्णय लेना तथा पूर्वानुमान लगाना आवश्यक हो जाता है, जो लेखाकरण की नीतियों को लागू करने और परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्टेड राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटन तथा सूचना अवधि के दौरान राजस्व व व्यय की राशि पर प्रभाव डालता है। लेखाकरण नीति लागू होने, जिसमें जटिल एवं व्यक्तिपरक निर्णयों का समावेश है और इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमानों के उपयोग को दर्शाया गया है। लेखाकरण आकलन में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। वास्तविक परिणाम इन

आकलनों से अलग हो सकता है। आकलनों एवं अंडरलाइंग पूर्वानुमानों की समीक्षा वर्तमान आधार पर की जाती है। लेखाकरण आकलन में संशोधन उस अवधि में किए जाते हैं, जिसमें आकलनों का संशोधन किया जाता है और उन्हें लागू किए जाने पर उनका प्रभाव वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखाकरण नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिसका अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई राशि पर पड़ता हैः-

2.23.1.1 लेखाकरण नीतियां बनाना

लेखाकरण नीतियों को इस तरह से बनाया गया जाता है, जिससे वित्तीय विवरण बनते हैं, जिसमें लेन-देन के बारे में संबंधित एवं विश्वसनीय जानकारी, अन्य घटनाएं एवं शर्तें जिसके लिए वे लागू होती हैं, का समावेश होता है। इन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब उन्हें लागू करने का कोई प्रभाव नहीं होता है।

भारतीय लेखाकरण मानक की अनुपस्थिति में, जो विशेष रूप से लेन-देन, अन्य घटना या स्थिति को लागू है, प्रबंधन अपने निर्णय का उपयोग लेखाकरण नीति विकसित तथा लागू करने में करती है, जिससे निम्नलिखित की जानकारी मिलती हैः-

(क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता संबंधी और

(ख) उन वित्तीय विवरणों की विश्वसनीय जहां :-

(i) वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन तथा कंपनी के कैश फ्लो को निष्ठापूर्वक दर्शाया जाता है (ii) लेन-देन की आर्थिक वस्तु, अन्य घटनाएं एवं स्थिति जो केवल कानूनी रूप में नहीं हैं, दर्शाते हैं, (iii) जो तटस्थ अर्थात पक्षपात रहित है, (iV) जो बुद्धिमान हैं और (V) एकरूप आधार पर सभी पहलुओं से पूर्ण है। निर्णय करते समय प्रबंधन उपयुक्तता पर विचार कर अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों को रेफर करती हैः-

(क) समान एवं संबंधित मामलों संबंधी भारतीय लेखाकरण मानकों में आवश्यकताएं और

(ख) फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता के मानदंड तथा आकलन अवधारणा निर्णय करते समय प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड के हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उसकी अनुपस्थिति में मानक निर्धारित करने वाले अन्य निकाय लेखाकरण मानकों को विकसित करने, अन्य लेखाकरण साहित्य तथा स्वीकृत उद्योग प्रथाओं के समान अवधारणा फ्रेमवर्क का उस सीमा तक उपयोग करते हैं कि वे उपर्युक्त पैराग्राफ के स्रोतों के साथ परस्पर विरोधी न हों।

कंपनी माइनिंग सेक्टर में काम करती है (वह सेक्टर जहां गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन की स्थितियां दशकों तक चलने वाली लीज अवधि की विभिन्न टोपोग्राफिकल एवं भू-खनन भूभाग पर आधारित है और उसमें निरंतर संभावना है), उसकी लेखाकरण नीतियां विशेष उद्योग प्रथाओं पर विकास आधारित है, जिसे अनुसंधान समितियों का समर्थन है तथा विगत कई दशकों तक उसके निरंतर प्रयोग के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष लेखाकरण साहित्य, मार्गदर्शन तथा मानकों की अनुपस्थिति में वे विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखाकरण साहित्य के विकास के अनुरूप लेखाकरण नीतियों को विकसित करने के लिए प्रयास करती है और उसमें किसी भी विकास को उपर्युक्त लेखाकरण मानक 8 में विशेष रूप से निर्धारित कार्यविधि के अनुसार पूर्व प्रभाव से हिसाब में लिया जाएगा।

लेखाकरण के एक्रूअल आधार का उपयोग कर वर्तमान महत्व के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 मटेरिअलिटी

भारतीय लेखाकरण मानक उन मदों को लागू होता है जो मटेरिअल है। प्रबंधन यह निश्चय करने में निर्णय का उपयोग करती है कि क्या एक-एक मद या मदों के समूह वित्तीय विवरणों में मटेरिअल है। मटेरिअलिटी का आकलन मद के आकार एवं स्वरूप के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक फैक्टर यह है कि क्या त्रुटि या गलत विवरण व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों प्रभावित करती है, जिन्हें उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखाकरण मानक की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने के लिए मटेरिअलिटी के निर्णय का भी उपयोग करती है। किसी भी विशेष परिस्थिति में प्रकृति या मद की राशि या मदों का कुल निर्धारण फैक्टर नहीं हो सकता है। कंपनी को कानून के अनुसार आवश्यकता होने पर अलग से इममटेरिअल मदों को भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

पूर्व अवधि से संबंधित मौजूदा वर्ष में 01.04.19 से पाई गई त्रुटियों / चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जाता है, अगर कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं हैं (सांविधिक करारोपण निवल) कंपनी के पिछले वित्तीय विवरण को समेकित किया गया।

2.23.1.3 प्रचालन लीज

कंपनी ने लीज अनुबंध किए हैं। अनुबंधों के नियमों एवं शर्तों जैसे, लीज की अवधि जो वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवनकाल का प्रमुख अंग नहीं है तथा परिसंपत्ति का उचित मूल्य, के मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने दृढ़ निश्चय किया है कि वह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों तथा इन संपत्तियों के स्वामित्व के रिवार्ड अपने पास रखेंगी और संविदाओं को प्रचालन लीज के रूप में लिया जाएगा।

2.23.2 आकलन एवं पूर्वानुमान

सूचना अवधि में भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान और आकलन अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि एवं देयताओं का मटेरिअल समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, का वर्णन नीचे किया गया है। जब वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है, तब कंपनी उपलब्ध पैरामीटरों पर अपने पूर्वानुमानों एवं आकलनों को आधार बनाती है। तथापि, वर्तमान परिस्थितयों एवं भावी विकास के बारे में पूर्वानुमान मार्केट में आए बदलावों या उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बदल सकते हैं, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। जब इस प्रकार के बदलाव होते हैं तो वे पूर्वानुमानों में दिखाई देते हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

यदि परिसंपत्ति का कैरिंग मूल्य या कैश जनरेटिंग यूनिट उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है तो वहां क्षति का संकेत होता है, जो कि उसके उचित मूल्य का उच्चतम है, लेस निपटान लागत तथा उपयोग में लाया गया उसका मूल्य है। कंपनी क्षति के परीक्षण के प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत खान को अलग कैश जनरेटिंग यूनिट के रूप में विचार करती है। उपयोग में लाए गए मूल्य की गणना डीसीएफ मॉडेल पर आधारित है। अगले पांच वर्षों के लिए बजट से कैश फ्लो प्राप्त किया जाता है और उसमें रिस्ट्रक्चरिंग गतिविधियों का समावेश नहीं है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वूर्ण भावी निवेश परीक्षण किए जा रही सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्य निष्पादन को बढ़ाएगी। वसूलीयोग्य राशि डीसीएफ मॉडेल तथा अपेक्षित भावी कैश इनफ्लो के लिए प्रयुक्त छूट की दर के लिए संवेदनशील है और एक्स्ट्रापोलेशन प्रयोजनों के लिए वृद्धि दर का उपयोग किया जाता है। ये आकलन अन्य खनन बुनियादी संरचनाओं से संबंधित हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूलीयोग्य राशि निर्धारित

करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमानों को दर्शाया गया है और उसे आगे संबंधित टिप्पणियों में स्पष्ट किया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानि को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जब तक कि इस बात की संभावना होती है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विपरीत हानि का उपयोग किया जा सकता है। महत्पूर्ण प्रबंधन निर्णय आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए आवश्यक है, जिसे संभावित समय निर्धारण तथा भावी कर योजना की रणनीतियों के साथ भावी करयोग्य लाभों के स्तर के आधार पर मान्यता दी जा सकती है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक्चुरिअल मूल्यांकनों का उपयोग कर परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा नौकरी के पश्चात अन्य चिकित्सा लाभों एवं ग्रेच्युटी देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण किया जाता है। एक्चुरिअल मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान लगाना शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास भिन्न हो सकता है। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि तथा मृत्युदर का समावेश है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं तथा उसकी दीर्घावधि प्रकृति के कारण इन पूर्वानुमानों में होने वाले बदलावों के परिभाषित लाभ दायित्व ज्यादा संवेदनशील हैं। प्रत्येक सूचना तारीख पर सभी पूर्वानुमानों की समीक्षा की जाती है। पैरामीटर जो सबसे ज्यादा परिवर्तन के अधीन है, वह है छूट दर। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने के लिए प्रबंधन नौकरी पश्चात लाभ दायित्व की करंसी के अनुरूप करंसी में सरकारी बांड के ब्याज दर पर विचार करती है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्युदर तालिकाओं पर आधारित है। ये मृत्युदर तालिकाएं जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर केवल समय के अंतराल पर बदलती है। वेतनवृद्धि तथा ग्रेच्युटी में वेतनवृद्धि भविष्य की मूल्य वृद्धि दर पर आधारित है।

2.23.2.4 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य का आकलन

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य तथा वित्तीय देयताओं का आकलन सक्रिय मार्केट में कोटेड मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडेल सहित सामान्यतः स्वीकृत मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाता है। जहां संभव है वहां इन मॉडलों का इनपुट मार्केट का अवलोकन कर लिया जाता है, परंतु जहां यह व्यवहार्य नहीं है, वहां उचित मूल्य निर्धारित करने में निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में इनपुट पर विचार करना जैसे लिक्विडिटी जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं अस्थिरता तथा अन्य संबंधित इनपुट/ प्रतिफल । इन फैक्टरों के बारे में पूर्वानुमानों में परिवर्तन वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट की रिपोर्टेड उचित मूल्य को प्रभावित कर सकती है।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

लेखाकरण नीति के अनुसार कंपनी प्रोजेक्ट के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को कैपिटलाइज करती है। लागत का प्रारंभिक कैपिटलाइजेशन प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है, जिसकी टेक्नोलॉजिकल एवं वित्तीय व्यवहार्यता की पुष्टि हुई है, जब सामान्यतः प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है तथा अनुमोदित की जाती है।

2.23.2.6 खान बंद करने, स्थान बहाली तथा डिकमिशनिंग दायित्व के लिए प्रावधान

खान बंद करने, स्थान बहाली एवं डिकमिशनिंग दायित्व के प्रावधान का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दर, स्थान बहाली व डिसमैंटलिंग की अपेक्षित राशि तथा इन लागतों का अपेक्षित समय में पूर्वानुमान एवं

आकलन किया जाता है। कंपनी निम्नलिखित के आधार पर प्रोजेक्ट/ खान के जीवनकाल को ध्यान में रखकर डीसीएफ प्रणाली का उपयोग कर प्रावधान का आकलन करती हैः-

-प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत जैसा कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट है।

-छूट दर (कर दर पूर्व) जो धनराशि के समय मूल्य तथा देयता के जोखिम विशेष के वर्तमान मार्केट निर्धारण को दर्शाता है।

2.24 प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

क.	सीजीयू	कैश जनरेटिंग यूनिट
ख.	डीसीएफ	डिस्काउंटेड कैश फ्लो
ग.	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू थ्रू अदर काम्प्रिहेंसिव इनकम
घ.	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू थ्रू प्राफिट एंड लॉस
ङ.	जीएएपी	जनरली एक्सेप्टेड एकाउंटिंग प्रिंसपल
च	इंडियन एएस	इंडियन एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड्स
छ	ओसीआई	अदर काम्प्रीहेंसिव इनकम
ज.	पी एंड एल	प्राफिट एंड लॉस
झ	पीपीई	प्रापर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट
ञ.	एसपीपीआई	सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट
ट.	ईआईआर	इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट
ठ.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ढ.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
ण.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
त.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
थ.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
द.	डब्लूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ध.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइंन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
न.	एनईसी	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
प.	आईआईसीएम	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कोल मैनेजमेंट
फ.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण का नोट

नोट-3-संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फ्रीहल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमिपुनरुद्धार/स्थल पुनःस्थापन लागत	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्सर्स	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन ढाँचे	अन्य	सर्वेड ऑफ एसेट्स	कुल
सकल ले जाई गई राशि :														
1अप्रैल 2018 तक	140.17	1,859.76	828.61	427.20	1,250.73	2.69	15.88	33.65	21.87	4.36	230.08	0.01	28.55	**4,843.56**
अतिरिक्त	4.23	401.96	78.43	31.06	275.95	0.45	4.94	10.68	2.54	0.38	65.85	-	14.43	**890.90**
विलोपन/व्ययन	-	-	-	-	(279.76)		(0.70)	(12.74)	(0.02)	-	(0.08)	-	(13.34)	**(306.64)**
समायोजन	0.08	-	-	0.01	(0.08)	0.01	-	(0.04)	0.01	-	0.06	-	1.16	**1.21**
31 मार्च 2019 तक	**144.48**	**2,261.72**	**907.04**	**458.27**	**1,246.84**	**3.15**	**20.12**	**31.55**	**24.40**	**4.74**	**295.91**	**0.01**	**30.80**	**5,429.03**
1अप्रैल 2019 तक	144.48	2,261.72	907.04	458.27	1,246.84	3.15	20.12	31.55	24.40	4.74	295.91	0.01	30.80	**5,429.03**
अतिरिक्त	3.05	205.21	30.56	47.18	197.27	0.67	3.20	4.82	4.20	12.33	61.76	-	7.36	**577.61**
विलोपन/व्ययन	-	-	-	-	(143.84)	(0.04)	(1.44)	(0.79)	(0.01)	-	(12.77)	-	(8.80)	**(167.69)**
समायोजन	(0.90)	0.90	-	0.03	(0.79)	-	0.34	(0.17)	0.27	-	(0.01)	-	-	**(0.33)**
31 मार्च 2020 तक	**146.63**	**2,467.83**	**937.60**	**505.48**	**1,299.48**	**3.78**	**22.22**	**35.41**	**28.86**	**17.07**	**344.89**	**0.01**	**29.36**	**5,838.62**
संचित ह्रास एवं हानि														
1अप्रैल 2018 तक	-	279.51	266.71	68.32	331.92	0.24	3.07	22.17	2.68	1.29	65.81	-	-	**1,041.72**
अवधि के लिए प्रभार	-	138.84	104.99	19.63	186.08	0.30	1.86	8.25	2.98	0.25	23.49	-	-	**486.67**
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47	-	-	**4.47**
विलोपन/व्ययन	-	-	-	-	(265.98)		(0.67)	(12.03)	(0.02)	-	(0.17)	-	-	**(278.87)**
समायोजन	-	-	-	-	0.08	(0.01)	(0.03)	(0.01)	-	-	-	-	-	**0.03**
31 मार्च 2019 तक	-	**418.35**	**371.70**	**87.95**	**252.10**	**0.53**	**4.23**	**18.38**	**5.64**	**1.54**	**93.60**	-	-	**1,254.02**
1अप्रैल 2019 तक	-	418.35	371.70	87.95	252.10	0.53	4.23	18.38	5.64	1.54	93.60	-	-	**1,254.02**
अवधि के लिए प्रभार	-	175.02	73.19	25.29	209.63	0.37	2.57	5.52	3.41	1.10	36.43	-	-	**532.53**
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.50	-	-	**20.50**
विलोपन/व्ययन	-	-	-	-	(136.67)	(0.08)	(1.37)	(0.59)	(0.01)	-	(12.80)	-	-	**(151.52)**
समायोजन	-	-	-	-	(0.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	**(0.13)**
31 मार्च 2020 तक	-	**593.37**	**444.89**	**113.24**	**324.93**	**0.82**	**5.43**	**23.31**	**9.04**	**2.64**	**137.73**	-	-	**1,655.40**
निवल ले जाई गई राशि														
31 मार्च 2020 तक	**146.63**	**1,874.46**	**492.71**	**392.24**	**974.55**	**2.96**	**16.79**	**12.10**	**19.82**	**14.43**	**207.16**	**0.01**	**29.36**	**4,183.22**
31 मार्च 2019 तक	**144.48**	**1,843.37**	**535.34**	**370.32**	**994.74**	**2.62**	**15.89**	**13.17**	**18.76**	**3.20**	**202.31**	**0.01**	**30.80**	**4,175.01**

3.1 कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसार अधिग्रहित भूमि को संबंधित भूमि के लिए अलग से टाइटल डीड की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर सभी अन्य टाइटल डीड वाली अधिग्रहित भूमि कंपनी के अधिपत्य में हैं और, जहां नहीं है वहा कानूनी प्रक्रिया चल रहा है।

3.2 भवन में जलापूर्ति, सड़कें एवं पुलिया शामिल हैं।

3.3 प्लांट और मशीनरी में प्लांट और मशीनरी, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और स्टोर एवं पुर्जों को जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंड को संतुष्ट करता है शामिल हैं, लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किया गया है।

3.4 अन्य माइनिंग आधारिक संरचना में खानों के लिए डेवलपमेंट एवं प्रोस्पेक्टिंग बोरिंग एक्टिविटी शामिल है, जिसे राजस्व में लाया गया है।

3.5 अन्य में कंपनी द्वारा वेस्टर्न डिवीजन ऑफ कोल माइन्स एथॉरिटी लि.कोल माइन्स के राष्ट्रीयकरण के निहित परिणाम-स्वरूप में ली गई परिसंपत्तियां शामिल हैं जो 'राष्ट्रीयकरण' पर ली गई 'परिसंपत्तियां' के रूप में दर्शायी गई है। पूर्व वर्षों की अवधि में मूल्य ह्रास ज्यों का त्यों है एवं लेखा में 0.01 करोड़ रुपए कुल अवशेष मूल्य में दर्शायी गई है।

3.6 कंपनी ने भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर स्थित कोल माइन्स वेलफेयर ऑरगनाइजेशन (निरस्त होने के बाद से) एवं कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन पेंच से क्रमशः 1984 एवं 1986 में परिसंपत्तियां ली हैं। ये परिसंपत्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा खरीद के लंबित निर्णय के कारण लेखा में शामिल नहीं की गई है। अंतिम निर्धारण के बाद लेखा में समायोजन किया जाएगा।

3.7 वर्ष के दौरान डीएफडी प्लांट एवं सीबीई प्लांट अप्रचालित रहा। डीएफडी प्लांट की पट्टाधारक भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर परिशोधित की जा रही है। इन दोनों प्लांटों की अन्य परिसंपत्तियां उनकी लागत के 5 प्रतिशत अवशेष मूल्य पर लेखा में लाई गई है।

3.8 परिसंपत्तियों की कीमत के साथ ली साथ अंतिम सर्वे ऑफ परिसंपत्तियां (ग्राउंडेड ऑफ) पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान समग्र खंड तथा मूल्य ह्रास के लिए क्रमशः प्रावधान में से लिया गया है तथा बुक वैल्यू के 5 प्रतिशत पर अवशेष मूल्य सर्वेड ऑफ परिसंपत्तियों के रूप में सेपरेट लाइन आइटम के रूप में दर्शाया गया है। असामयिक सर्वे ऑफ के मामले में डब्ल्यूडीवी तथा अवशेष मूल्य का 5 प्रतिशत के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में सर्वेड ऑफ परिसंपत्तियों की क्षति के रूप में प्रभारित किया गया है।

3.9 डेवलपमेंट माइंस में संपत्ति पर मूल्यह्रास के रूप में रु 7.98 करोड़ की राशि चार्ज हो गई है और इस तरह के मूल्यह्रास को डेवलपमेंट माइंस में राजस्व व्यय की प्रकृति में होने के लिए सीडब्ल्यूआईपी में 'विकास व्यय' के रूप में कैपिटल किया गया है।

वित्तीय विवरण का नोट

नोट – 4: कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग्स	विकास	अन्य	कुल
	समग्र आगे ले जाई गई राशि:						
	1 अप्रैल 2018 तक	41.98	15.40	3.64	260.38	39.28	360.68
	अतिरिक्त	21.81	7.39	7.72	53.27	39.68	129.87
	पूंजीकरण/लोप	(24.41)	(10.19)	(0.38)	(62.66)	(52.92)	(150.56)
	31 मार्च 2019 तक	**39.38**	**12.60**	**10.98**	**250.99**	**26.04**	339.99
	1 अप्रैल 2019 तक	39.38	12.60	10.98	250.99	26.04	339.99
	अतिरिक्त	21.89	21.41	-	44.89	68.76	156.95
	पूंजीकरण/लोप	(39.37)	(19.84)	(10.98)	(67.84)	(66.47)	(204.50)
	31 मार्च 2020 तक	**21.90**	**14.17**	**-**	**228.04**	**28.33**	292.44
	संचित प्रावधान एवं हानि						
	1 अप्रैल 2018 तक	-	-	-	0.01	-	0.01
	अवधि के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-
	क्षति	-	0.67	-	-	-	0.67
	लोप/समायोजन	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2019 तक	**-**	**0.67**	**-**	**0.01**	**-**	0.68
	1 अप्रैल 2019 तक	-	0.67	-	0.01	-	0.68
	अवधि के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-
	क्षति	-	-	-	-	-	-
	लोप/समायोजन	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2020 तक	**-**	**0.67**	**-**	**0.01**	**-**	**0.68**
	निवल लाई गई राशि						
	31 मार्च 2020 तक	**21.90**	**13.50**	**-**	**228.03**	**28.33**	**291.76**
	31 मार्च 2019 तक	**39.38**	**11.93**	**10.98**	**250.98**	**26.04**	**339.31**
4.1	भवन में जलापूर्ति, सड़कें, पुलिया शामिल हैं।						
4.2	अन्य में ट्रांजिट में कैपिटल स्टोर्स और पीएंडएम शामिल हैं						
4.3	वर्षांत वस्तुसूची में दी हुई स्टील, सीमेंट, केबल कन्वोर्स आदि पूंजीगत कार्य प्रगति में का भाग बनाती है।						
4.4	नॉन मूविंग पूंजीगत भंडारों एवं पुर्जे जो 5 वर्षों से संचालित नहीं हैं, के लिए कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 50 प्रतिशत की दर से एवं अप्रयोज्य खराब एवं अप्रचलित भंडारों के लिए 100 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।						

नोट- 5: पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	कुल
	समग्र आगे ले जाई गई राशि	
	1 अप्रैल 2018 तक	841.75
	अतिरिक्त	31.28
	पूंजीकरण/लोप	(6.12)
	31 मार्च 2019 तक	**866.91**
	1 अप्रैल 2019 तक	866.91
	अतिरिक्त	25.14
	पूंजीकरण/लोप	-
	31 मार्च 2020 तक	**892.05**
	संचित प्रावधान एवं हानि	
	1 अप्रैल 2018 तक	-
	अवधि के लिए प्रभार	-
	क्षति	-
	लोप/समायोजन	-
	31 मार्च 2019 तक	**-**
	1 अप्रैल 2019 तक	-
	अवधि के लिए प्रभार	-
	क्षति	-
	लोप/समायोजन	-
	31 मार्च 2020 तक	-
	निवल लाई गई राशि	
	31 मार्च 2020 तक	**892.05**
	31 मार्च 2019 तक	**866.91**

5.1 वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां पूंजीगत लागत में शामिल हैं जो कोयले की खोज एवं संबंधित संसाधनों, तकनीकी संभाव्यता एवं चिन्हित संसाधनों को वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान करती है।

नोट-6 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	बिक्री के लिए कोल ब्लॉक्स	कम्प्यूटर शाफ्टवेयर	कुल
समग्र आगे ले जाई गई राशि			
1 अप्रैल 2018 तक	9.99	0.05	**10.04**
अतिरिक्त	-	-	**-**
पूंजीकरण/लोप	-	-	**-**
31 मार्च 2019 तक	**9.99**	**0.05**	**10.04**
1 अप्रैल 2019 तक	9.99	0.05	**10.04**
अतिरिक्त	0.22	-	**0.22**
पूंजीकरण/लोप	-	-	**-**
31 मार्च 2020 तक	**10.21**	**0.05**	**10.26**
संचित प्रावधान एवं हानि			
1 अप्रैल 2018 तक	-	0.02	**0.02**
अवधि के लिए प्रभार	-	0.01	**0.01**
क्षति	-	-	**-**
लोप/समायोजन	-	-	**-**
31 मार्च 2019 तक	**-**	**0.03**	**0.03**
1 अप्रैल 2019 तक	-	0.03	**0.03**
अवधि के लिए प्रभार	-	-	**-**
क्षति	-	-	**-**
लोप/समायोजन	-	-	**-**
31 मार्च 2020 तक	**-**	**0.03**	**0.03**
निवल लाई गई राशि			
31 मार्च 2020 तक	10.21	0.02	**10.23**
31 मार्च 2019 तक	9.99	0.02	**10.01**

नोट-7 – निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष (गत वर्ष के) यूनिटों की संख्या	एन ए वी (रुपए में)	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
चालू				
म्युच्युअल फंड निवेश				
यूटीआई म्युच्युअल फंड	0	-	-	4.29
	(42,138)			
एसबीआई म्युच्युअल फंड	0	-	-	0.82
	(8,161)			
कैनरा रोबैको म्युच्युअल फंड			-	-
यूनियन केबीसी म्युच्युअल फंड			-	-
बीओआई एक्सए म्युच्युअल फंड			-	-
कुल:			-	-
उद्धृत निवेश का पूर्णयोग:			-	5.11
अनुद्धृत का पूर्णयोग:			-	5.11
उद्धृत निवेश का बाजार भाव:				-
निवेश के रूप में हानि का पूर्णयोग			-	-

नोट- 8 : ऋण

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
नॉन करेंट			
	अन्य ऋण		
	- प्रतिभूति, विचारणीय सामग्री	3.40	3.54
	- अप्रतिभूति, अविचारणीय सामग्री	-	-
	- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
	- क्रेडिट इम्पैयर्ड	0.01	0.03
		3.41	**3.57**
	घटाव-संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.01	0.03
	कुल	**3.40**	**3.54**

8.1 8.1 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण देय नहीं है और न ही फर्मों या निजी कंपनियों इसमें निदेशकगण भागीदार, निदेशक या सदस्य हैं, से कोई ऋण देय है।

नोट- 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
नॉन-करंट			
	बैंक जमा	151.46	143.43
	माइन क्लोजर प्लान के तहत बैंक में जमा	1,733.83	1,960.20
	अन्य जमा (माइन क्लोजर व्यय के लिए)	13.61	6.69
	माइन क्लोजर व्यय के लिए निलंबन लेखा से प्राप्य	130.92	125.54
	कुल	**2,029.82**	**2,235.86**
करंट			
	माइन क्लोजर व्यय के लिए निलंबन लेखा से प्राप्य	-	-
	सीआईएल के पास अतिरिक्त कोष	-	-
	प्राप्त ब्याज	37.63	40.25
	प्राप्य दावे एवं अन्य	93.45	143.01
	घटावःसंदेहात्मक दावों के लिए भत्ता	13.19	13.24
		80.26	129.77
	कुल	**117.89**	**170.02**
9.1 निलंबन लेखा शेष पर पुनर्विचार			
	प्रारंभिक तिथि में एस्क्रो अकाउंट (करंट / गैर करंट) में शेष	**1960.20**	**1799.43**
	जोड़ें: चालू वर्ष में शेष जमा	**158.96**	**170.95**
	जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज जमा	**109.51**	**114.34**
	कम: चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	**(494.84)**	**(124.52)**
	समापन तिथि पर निलंबन लेखा (गैर चालू) में शेष	**1733.83**	**1960.20**

नोट-10: अन्य नॉन-करेंट परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
(i) कैपिटल अग्रिम	1.47	1.33
घटावः संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.90	0.86
	0.57	**0.47**
(ii) कैपिटल अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	76.30	72.54
घटावःसंदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	0.29	0.29
	76.01	**72.25**
कुल	**76.58**	**72.72**

10.1 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण देय नहीं है और न ही फर्मों या निजी कंपनियों इसमें निदेशकगण भागीदार, निदेशक या सदस्य हैं, से कोई ऋण देय है।

नोट-11: अन्य चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
(ए)	राजस्व के लिए अग्रिम	18.22	10.93
	घटावःसंदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.26	0.37
		17.96	**10.56**
(बी)	संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(सी)	अन्य अग्रिम एवं जमा	146.90	145.61
	घटावःसंदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	1.37	1.37
		145.53	**144.24**
(डी)	इनपुट पर क्रेडिट प्राप्य	578.67	404.44
(ई)	मेट क्रेडिट पात्रता	29.97	26.92
	कुल	**772.13**	**586.16**

11.1 अग्रिम अन्यों में भूमि के लिए भू-स्वामियों को दिए गए भुगतान शामिल हैं, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है।

11.2 बिक्री कर प्राधिकारियों को 21.37 करोड़ रुपए पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट अन्य अग्रिम एवं जमा में शामिल है।

नोट- 12 : वस्तुसूची

(प्रबंधन द्वारा लिया गया, मूल्यांकित एवं प्रमाणित) (रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
(a)	तैयार माल का स्टॉक(लोअर ऑफ कास्ट एवं एनआरवी)		
	कोयले का भंडार - राजस्व खानें	1,313.70	769.69
	- विकसित खानें	28.42	21.53
	कोयले का भंडार(निवल)	**1,342.12**	**791.22**
(b)	भंडारों एवं पुर्जों का स्टॉक(लागत पर)	65.08	64.87
	जोड़ःपारगमन में भंडार	7.43	5.93
	भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक(लागत पर)	**72.51**	**70.80**
(c)	वर्कशॉप जॉब्स: लागत पर	22.78	21.02
	वर्कशॉप जॉब्स का निवल भंडार	**22.78**	**21.02**
		1,437.41	**883.04**

12. **<u>प्रावधानः भंडार</u>** लेखा नीति के अनुसार अप्रयोज्य, खराब एवं अप्रचलित भंडारों एवं पुर्जों के लिए 100 प्रतिशत एवं भंडारों एवं पुर्जे, जो 5 साल से प्रचालन में नहीं हैं, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

नोट-12 का अनुलग्नक

(रुपए करोड़ में)

(मात्रा '000 टनों में) (मूल्य करोड़ में) टेबल:ए

वर्षांत लेखाओं के लिए क्लोजिंग स्टॉक का बुक स्टॉक के साथ समायोजन **31.03.2020**

	कुल स्टॉक		नॉन-वेंडेबल स्टॉक		वेंडेबल स्टॉक	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1((ए). प्रारंभिक स्टॉक 1.4.18	9,241.39	791.22			9,241.39	791.22
(बी). प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	-	-	-	-	-	-
2. वर्ष में उत्पादन	57,636.08	9,748.72	-	-	57,636.08	9,748.72
3. उप-योग (1+2)	66,877.47	10,539.94	-	-	66,877.47	10,539.94
4. वर्ष के लिए ऑफटेक						
(ए)-बाहरी प्रेषण	52,301.01	9,135.99	-	-	52,301.01	9,135.99
(बी)-वॉशरीज के लिए खपत	-	-	-	-	-	-
(सी)-आंतरिक खपत	4.09	2.39	-	-	4.09	2.39
(डी)-डेवलपमेंट डिस्पैच	275.95	59.44			275.95	59.44
कुल(ए)	52,581.05	9,197.82	-	-	52,581.05	9,197.82
5.प्राप्त स्टॉक	14,296.42	1,342.12	-	-	14,296.42	1,342.12
6.परिमित स्टॉक	14,037.57	1,316.38	-	-	14,037.57	1,316.38
7.अंतर (5-6)	258.85	25.74	-	-	258.85	25.74
8. अंतर का ब्यौरा:						
(ए).अधिक 5% के भीतर	28.68	2.82	-	-	28.68	2.82
(बी). कमी 5% के भीतर	287.53	28.56	-	-	287.53	28.56
(सी). 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(डी). 5% से कम	-	-	-	-	-	-
9.लेखा में अंतिम स्टॉक (6-8ए+8बी)	14,296.42	1,342.12	-	-	14,296.42	1,342.12

क्लोजिंग स्टॉक का सारांश							टेबल: बी	
	कच्चा कोयला नॉन कोकिंग		वॉश्ड/डीशेल्ड कोयला नॉन कोकिंग		अन्य उत्पाद		कुल	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
प्रारंभिक स्टॉक (परीक्षित)	9,126.38	767.25	0.25	0.27	1.07	2.17	9,127.70	769.69
राजस्व में लाया गया डेवलपमेंट स्टॉक	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रारंभिक स्टॉक (डेवलपमेंट)	113.69	21.53					113.69	21.53
घटाव-अबिक्री योग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित प्रारंभिक कोयला (बिक्रीयोग्य)	9,240.07	788.78	0.25	0.27	1.07	2.17	9,241.39	791.22
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन	57,286.08	-		-		-	57,286.08	-
उत्पादन (डेवलपमेंट माइन्स)	350.00	-	-	-	-	-	350.00	-
ऑफ टेक							-	-
(क) बाहरी प्रेषण	52,299.97	9,135.70	-	-	1.04	0.29	52,301.01	9,135.99
(ख) वॉशरियों में खपत	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) आंतरिक खपत	4.09	2.39	-	-	-	-	4.09	2.39
ऑफ टेक (डेवलपमेंट माइन्स)	275.95	59.44	-	-	-	-	275.95	59.44
अंतिम स्टॉक	14,108.40	1,313.55	0.25	0.14	0.03	0.01	14,108.68	1,313.70
अंतिम स्टॉक (डेवलपमेंट)	187.74	28.42	-	-	-	-	187.74	28.42
अंतिम स्टॉक (परीक्षित)	14,296.14	1,341.97	0.25	0.14	0.03	0.01	14,296.42	1,342.12

नोट-13 :प्राप्य ट्रेड

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
करेंट			
	प्राप्य ट्रेड		
	- सुरक्षित विचारणीय माल	-	-
	- असुरक्षित विचारणीय माल	1,349.94	360.17
	- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
	- क्रेडिट इम्पैयर्ड	26.95	27.39
		1,376.89	**387.56**
	घटावः अशोध्य, संदिग्ध ऋण/ गुणवत्ता कटौती	26.95	27.39
		1,349.94	**360.17**

13. कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ट्रेड या अन्य प्राप्य देय नहीं है और न ही फर्मों या निजी कंपनियाँ इसमें निदेशकगण भागीदार, निदेशक या सदस्य है, से कोई ट्रेड या अन्य प्राप्त देय है।

13.2 ऊपर दिखाई गई राशि से नमूने से परिणाम की प्रतीक्षा के लिए कोल क्वालिटी वेरिएंस के प्रावधान से 295.33 करोड़ (408.00 करोड़) से कम कर दिया गया है।

नोट-14: नकद एवं नकद समकक्ष

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
(क)	बैंकों में बैलेंस		
	- जमा खातों में	37.38	47.12
	- चालू खातों में		
	(अ) ब्याज के साथ (आटो स्वीप)	87.32	16.84
	(ब) बिना ब्याज के	104.28	12.65
(ख)	चेक, ड्राफ्ट एवं स्टैंप ऑन हैंड	-	-
(ग)	कैश ऑन हैंड	0.06	0.04
(घ)	अन्य	-	-
	कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**229.04**	**76.65**

नोट-15 : अन्य बैंक बैलेंस (रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
	बैंकों में बैलेंस		
	-जमा खातों में		
	(अ) सावधि जमा-	705.46	875.98
	(ब) सीएलटीडी खाते आदि-	34.75	31.28
	कुल	**740.21**	**907.26**

(रुपए करोड़ में)

15.1	बैंकों में बैलेंस, इन जमा खाते में निम्न शामिल है:	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
ए)	बैंक गारंटी	7.56	7.45
बी)	अवितरित वेतन	-	2.04
सी)	यूनियन कोष, राहत कोष,एमपीजीएटीएसवीए के लिए कोर्ट केस	39.21	35.44

नोट-16 : इक्विटी शेयर कैपिटल (रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
	प्राधिकृत		
	1000 रुपए प्रति फेस वैल्यू के 80,00,000 इक्विटी शेयर	800.00	800.00
		800.00	**800.00**
	<u>जारी, सब्सक्राइब और पूर्ण पेड-अप</u>		
	1000 रुपए प्रति फेस वैल्यू के 29,71,000 इक्विटी शेयर, पूर्णतः पेडअप	297.10	297.10
		297.10	**297.10**
16.1	बकाया शेयरों का समायोजन:		
	विवरण	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019 तक**
	अवधि के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	29,71,000	29,71,000
	(+)अवधि के दौरान जारी शेयर्स	-	-
	अवधि के अंत में शेयरों की संख्या	29,71,000	29,71,000
16.2	कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के 1000/- प्रति शेयर पार वैल्यू के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश के हकदार हैं तथा शेयर होल्डरों की बैठक में उनके शेयरों के अनुपात में वोटिंग अधिकार के पात्र हैं।		
16.3	5% शेयरों से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:		

	शेयर होल्डर का नाम	31.03.2020 तक		31.03.2019 तक	
		शेयर संख्या	% हेल्ड	शेयर संख्या	% हेल्ड
	कोल इंडिया लि.-होल्डिंग कंपनी	29,71,000.00	100	29,71,000.00	100
16.4	होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डिंग का विवरण :				
	विवरण	**31.03.2020 तक**		**31.03.2019 तक**	
		शेयर संख्या	% हेल्ड	शेयर संख्या	% हेल्ड
	कोल इंडिया लि.-होल्डिंग कंपनी	29,71,000.00	100	29,71,000.00	100

नोट-17: अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	सामान्य आरक्षित	रीटेन्ड अर्जन	अदर कम्प्रेसिव	कुल
01.04.2018 तक शेष	**2,224.96**	**(1,819.35)**	**166.04**	**571.65**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	**-**
पूर्व अवधि त्रुटि	-	-	-	**-**
01.04.2018 तक पुनः दर्शाया गया शेष	**2,224.96**	**(1,819.35)**	**166.04**	**571.65**
अवधि के लिए लाभ	-	269.33	-	**269.33**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन(कर का निवल)	-	-	(13.19)	**(13.19)**
विनियोजन	-	-	-	
सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित	-	-	-	**-**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	**-**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	**-**
31.03.2019 तक शेष	**2,224.96**	**(1,550.02)**	**152.85**	**827.79**
01.04.2019 तक शेष	2,224.96	(1,550.02)	152.85	**827.79**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	-	-	-	**-**
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	**-**
01.04.2019 तक पुनः दर्शाया गया शेष	**2,224.96**	**(1,550.02)**	**152.85**	**827.79**
अवधि के लिए लाभ	-	(528.28)		**(528.28)**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन(कर का निवल)			(215.32)	**(215.32)**
विनियोजन				
सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित	-	-	-	**-**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	**-**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	**-**
31.03.2020 तक शेष	**2,224.96**	**(2,078.30)**	**(62.47)**	**84.19**

नोट-18: उधारी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
चालू		
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान		
- बैंकों से	-	-
- अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		-
प्रतिभूति	-	-
प्रतिभूति रहित	-	-

नोट- 19 : देय ट्रेड

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
चालू			
	माइक्रो, लघु एवं मध्यम प्रतिष्ठानों को देय हेतु (नोट : 19.1 और 19.2 देखें)	1.17	2.84
	निम्न के लिए अन्य देय ट्रेड		
	- स्टोर्स और कलपूर्जे	240.65	213.05
	- विदयुत एवं ईंधन	35.06	33.95
	- वेतन और भत्ते	363.03	364.04
	- अन्य (नोट : 19.3 देखें)	693.29	**579.61**
	उप कुल	***1,332.03***	**1,190.65**
	कुल	1333.20	1,193.49

19.1 एमएसएमआई को 31.03.2020 तक मूलधन के 1.17 करोड़ रूपए एवं ब्याज के लिए निल राशि देय/प्राप्त होनी है।

19.2 देय ट्रेड- माइक्रो, लघु एवं मध्यम प्रतिष्ठानों को देय हेतु	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019 तक**
(क) मूल और ब्याज राशि शेष अदत्त है , लेकिन अवधि समाप्त होने के कारण बकाया नहीं है ।	1.17	2.84
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया ब्याज और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन इस अवधि के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत ब्याज को जोड़कर।	-	-
घ) अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अदत्त	-	-
ई) आगे के वर्षों में बकाया ब्याज और देय, जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	-	-

19.3 अन्य में कोयला परिवहन के लिए 71.10 करोड़ रूपये, मरम्मत और रख-रखाव के लिए 21.58 करोड़ रूपए, डैमरेज के लिए 29.80 करोड़ रूपये तथा अन्य राजस्व कार्यों के लिए 570.86 करोड़ रूपए का भुगतान शामिल है।

नोट-20: अन्य वित्तीय देय प्रावधान (रुपए करोड़ में)

	विवरण	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019 तक**
गैर चालू			
	अन्य (नोट 20.1 देखें)	3.96	3.56
	कुल	**3.96**	**3.56**
चालू			
	चालू खाता - होल्डिंग कंपनी	174.84	79.52
	-आरएसओ	0.01	-
	-सीआईएल डेस्क कार्यालय	0.27	-
	सुरक्षित जमा	150.10	110.29
	बयाना राशि	49.61	50.34
	पूंजीगत व्यय के लिए देय	108.25	103.33
	अन्य (नोट 20.1 देखें)	0.73	1.19
	कुल	**483.81**	**344.67**
20.1	अन्य में रोजगार अनुबंध के अनुसार कर्मचारियों से कटौती की गई सुरक्षित जमा शामिल है।		

नोट-21: प्रावधान (रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
- ग्रेच्युटी	812.25	316.37
- लीव एनकेशमेंट	227.64	203.44
- अन्य कर्मचारी लाभ	268.17	160.44
साइट रिस्टोरेशन/माइन क्लोजर (नोट 21.2 देखें)	1,622.66	2,017.19
स्ट्रिपिंग एक्टिविटी/समायोजन	5,648.69	4,254.52
कुल	**8,579.41**	**6,951.96**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
- ग्रेच्युटी	527.57	564.38
- लीव एनकेशमेंट	63.51	60.04
- एक्स-ग्रेशिया	229.38	227.49
- परफारमेंस रिलेटेड पे	226.20	156.01
- अन्य कर्मचारी लाभ (नोट 21.1 देखें)	86.94	149.33
- रा.को.वे.स X	-	25.24
- अधिकारी वेतन पुनरीक्षण	-	3.75
कुल	**1,133.60**	**1,186.24**

21.1 वर्ष के दौरान अधिकारियों के अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, वेतन (मूल वेतन प्लस डीए) का 45.99 करोड़ रूपए (11.48 करोड़ रूपये) की राशि का प्रावधान रखा गया है। 31.03.2020 तक कुल प्रावधान 29.62 करोड़ रूपए है जिसमें उपरोक्त "अन्य कर्मचारी लाभ" शामिल है।

21.2 माइन क्लोजर के लिए प्रावधान: माइन क्लोजर प्लान की तैयारी के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखा में प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान सीएमपीडीआईएल (सीआईएल की अनुषंगी कंपनी) के तकनीकी निर्धारण के अनुसार है। प्रत्येक माइन के माइन क्लोजर व्यय के लिए देयता (सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमोदित) पर 8 प्रतिशत की दर से छूट दी गई है एवं पूंजीकृत किया गया है, ताकि ऐसे प्रावधान करने के एक वर्ष तक माइन क्लोजर देयता पर पहुंचा जा सके। तदुपरांत प्रावधान तक पहुंचने के लिए बाद के वर्षों में छूट को अनवाइंड कर प्रावधान का पुनर्निधारण किय गया है।.

भूमि सुधार/ साइट बहाली/ माइन क्लोजर की पुनःस्थापन:		
	31.03.2020	**31.03.2019**
01.04.2019/01.04.2018 को साइट बहाली एसेट का सकल मूल्य	2,017.19	978.55
जोड़ें: चालू वर्ष का एसेट एडिशन	30.56	560.53
जोड़ें:प्रोविजनिंग अनविंडिंग चार्ज (पूंजी सहित) 31.03.2019/31.03.2018 तक	-	517.20
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के लिए प्रोविज़न चार्ज की अनुपलब्धता (पूंजी सहित)	69.75	85.43
घटाए: एस्क्रो से आहरण के बाद वापसी का प्रावधान	(494.84)	(124.52)
माइन क्लोजर प्रावधान	1,622.66	2,017.19

नोट- 22 : अन्य चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
सांविधिक देय	681.25	652.06
उपभोक्ताओं/अन्यों से अग्रिम	887.50	1,086.68
अन्य देयताएं (नोट : 22.1 देखें)	303.54	304.09
कुल	**1,872.29**	**2,042.83**

22.1 अन्य विविध देयताओं में कोर्ट के मामलों हेतु जमा से 115.74 करोड़ रूपये, अवैतनिक ग्रेच्युटी 84.60 करोड़ और अन्य देनदारियों 103.20 करोड़ शामिल है।

नोट-23 : प्रचालनों से राजस्व

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए			
		31.03.2020		31.03.2019	
ए.	कोयला और उप-उत्पादों की बिक्री:		13,465.97		13,514.24
	(-): लेवी ((उत्पाद शुल्क छोड़कर))		4,326.75		4,491.91
	कोयला और उप-उत्पादों की बिक्री **(निवल)(ए)**		**9,139.22**		**9,022.33**
बी.	अन्य प्रचालन राजस्व				
	सैंडस्टोइंग एवं प्रोटेक्टिव कार्यों हेतु प्रतिभूति		-		-
	लोडिंग एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	365.96		388.38	
	(-): लेवी	17.42	**348.54**	18.51	**369.87**
	इवैक्युएशन फेसिलिटेटिंग चार्ज	274.58		291.75	
	(-): लेवी	13.07	**261.51**	13.89	**277.86**
	अन्य प्रचालन राजस्व **(निवल) (बी)**		**610.05**		**647.73**
	प्रचालनों से राजस्व **(ए+बी)**		**9,749.27**		**9,670.06**

23.1 **<u>कोयला और उप-उत्पादों की बिक्री:</u>** कोयला और उप-उत्पादों की बिक्री में, स्लरी की बिक्री से 0.29 करोड़ और रेत की बिक्री से 3.23 करोड़ रुपये शामिल हैं।

23.2 Ind AS 115 के अनुसार असमान राजस्व के बारे में जानकारी 5 में है।

23.3 112.67 करोड़ रुपए (गत वर्ष 106.33 करोड़) कोयले की बिक्री द्वारा कोयला गुणवत्ता विचरण राशि के उन्नयन / (गिरावट) के प्रावधान का शुद्ध है।

नोट- 24 : अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		31.03.2020	**31.03.2019**
	ब्याज आय	204.44	471.06
	लाभांश आय	1.38	9.26
	अन्य नॉन-ऑपरेटिंग आय		
	परिसंपतियों की बिक्री पर लाभ	0.96	1.18
	लीज रेंट	0.01	0.02
	देयता वापस लिखा गया (नोट24.2 देखें)	588.71	294.02
	प्रावधान वापस लिखा गया (नोट24.3 देखें)	23.68	664.79
	विविध आय (नोट24.4 देखें)	59.59	77.51
	कुल	**878.77**	**1,517.84**

24.1 अन्यों से ब्याज आय में, एस्क्रो खाते से ब्याज 121.68 करोड़ और आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज` 8.80 करोड़ है।

24.2 **<u>देयता वापस लिखें:</u>** इस अवधि के दौरान, 6.55 करोड़ की राशि के ठेकेदारों से निर्विवाद और अन-क्लेम की गई धनराशि और जमानत राशि, खदान बंद करने की गतिविधि के खिलाफ एस्क्रो से प्राप्त होने वाली राशि 508.80 करोड़ और अन्य 73.36 करोड़ की राशि वापस लिखी गई है।

24.3 **<u>प्रावधान वापस लिखें:</u>** अधिकारी और गैर अधिकारी के बकाया राशि के एरियस के अतिरिक्त प्रावधान 21.95 करोड़ की राशि भी वापस लिखी गई है।

24.4 विविध आय में ठेकेदारों से वसूला गया जुर्माना, कोयले की शॉर्ट लिफ्टिंग एवं ई-ऑक्शन ईएमडी जब्ती से जुर्माना वसूली शामिल है।

नोट- 25 : उपभोज्य सामग्रियों की लागत

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
	एक्सप्लोसिव	222.30	222.27
	टिंबर	9.71	11.80
	ऑइल एवं लुब्रिकेंट्स	488.29	515.96
	एचईएमएम पुर्जे	174.15	151.59
	अन्य खपत योग्य(नोट 25.1 देखें)	111.02	111.01
	कुल	**1,005.47**	**1,012.63**

25.1 अन्य उपभोज्य में सुरक्षा मदत वाहनों के लिए भंडार, वाशरी स्टोर पूर्जों और भंडार, वेब्रिज के पूर्जे।

नोट- 26 : तैयार माल, स्टॉक इन ट्रेड एवं पूंजीगत कार्य प्रगति में की सूची में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
ए	**तैयार माल**		
	कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	769.69	1,197.33
	राजस्व में लाया गया डेवलपमेंट स्टॉक	-	42.79
		769.69	**1,240.12**
	Less: कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	1313.70	**307.07**
	कोयले की सूची में परिवर्तन	**(544.01)**	**470.43**
बी	**वर्कशॉप सूची:**		
	वर्कशॉप का प्रारंभिक स्टॉक	21.03	18.87
	वर्कशॉप का क्लोजिंग स्टॉक	**22.79**	21.03
	वर्कशॉप की सूची में परिवर्तन	**(1.76)**	**(2.16)**
	तैयार माल, स्टॉक इन ट्रेड एवं पूंजीगत कार्य प्रगति में (ए+बी) {(घटत/बढ़त)}	**(545.77)**	**468.27**

नोट- 27: कर्मचारी लाभ व्यय

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
	वेतन एवं मजदूरी (भत्ते, बोनस आदि)	4,251.44	4,254.95
	पीएफ एवं अन्य निधियों हेतु अंशदान	1,090.16	1,097.66
	स्टाफ कल्याण व्यय	297.45	231.79
	कुल (ए+बी+सी)	**5,639.05**	**5,584.40**

27.1 कर्मचारियों के अन्य लाभों में अवकाश यात्रा छूट (एल.टी.सी.), सेवानिवृत्ति पर सेटलिंग अलाउंस तथा कर्मचारियों को एलपीजी के व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।

नोट- 28 : सामुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
	सीएसआर व्यय	9.59	4.25
	कुल	9.59	**4.25**
28.1	सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर अनुशंसित व्यय ठीक पिछले तीन वर्षों के कंपनी के निवल लाभ के 2 प्रतिशत की दर से निल या पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का दो रुपए प्रति टन जोकि 10.64 करोड़ आता है। चालू वर्ष के दौरान मार्च 2020 तक वास्तविक व्यय 9.59 करोड़ रुपए है।		

28.2	**अवधि के दौरान खर्च की गई राशि**	**भुगतान किया गया**	**भुगतान शेष**	**कुल**
	परिसंपत्ति निर्माण/अधिग्रहण	3.04	1.24	4.28
	अन्य	4.35	0.96	5.31

नोट – 29 : मरम्मत

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
	भवन	28.30	39.38
	संयंत्र एवं मशीनरी	19.39	19.12
	अन्य (नोट 29.1 देखें)	21.55	20.82
	कुल	**69.24**	**79.32**

29.1 अन्य में वाहनों की मरम्मत एवं अन्य विविध शामिल है।

नोट-30 : सांविधिनिक व्यय (रुपए करोड़ में)

विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019
परिवहन प्रभार	353.04	373.57
बेगन लोडिंग	18.59	14.71
संयंत्र एवं उपकरणों का किराया	1,184.28	977.45
अन्य संविदात्मक कार्य	116.46	95.63
कुल	**1,672.37**	**1,461.36**

नोट- 31: वित्तीय लागत (रुपए करोड़ में)

विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019
ब्याज व्यय		
उधार	1.74	1.92
अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट्स	66.48	79.59
अन्य	0.97	(14.15)
कुल	**69.19**	**67.36**

नोट- 32 : प्रावधान (रिवर्सल का निवल) (रुपए करोड़ में)

	विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
	(ए) निम्न के लिए प्रावधान/ भत्ता		
	संदिग्ध ऋण	-	-
	संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
	भंडार एवं पुर्जे	-	-
	अन्य	-	0.67
	कुल **(ए)**	-	**0.67**
	(बी) प्रावधान(रिवर्सल)		
	संदिग्ध ऋण	-	-
	संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
	भंडार एवं पुर्जे	-	-
	अन्य	-	0.51
	कुल **(बी)**	-	**0.51**
	कुल **(ए-बी)**	-	**0.16**

नोट – 33 : बट्टे खाते में डालना (विगत प्रावधानों का निवल) (रुपए करोड़ में)

विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019
संदिग्ध ऋण	-	38.20
(-)पहले प्रदान किया गया	-	38.20
संदिग्ध अग्रिम	-	-
(-)पहले प्रदान किया गया	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट – 34 : अन्य व्यय (रुपए करोड़ में)

विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019
यात्रा खर्च	25.72	25.26
प्रशिक्षण व्यय	4.34	4.08
दूरभाष एवं डाक	3.78	3.12
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	1.63	1.81
परिवहन प्रभार	0.13	0.03
क्षति	21.57	14.88
सुरक्षा व्यय	50.97	36.34
सीआईएल का सेवा प्रभार	57.64	53.18
भाड़ा	53.52	58.06
सीएमपीडीआई प्रभार	82.67	73.91
विधि खर्च	3.34	1.89
परामर्श प्रभार	4.59	4.08
अंडर लोडिंग प्रभार	23.36	52.67
बिक्री पर हानि/डिस्कार्ड/परिसंपत्तियां सर्वेड ऑफ	2.91	3.93
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक एवं व्यय		
- लेखा परीक्षक शुल्क	0.46	0.20
- अन्य सेवाओं के लिए	0.23	0.38
- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.13	0.03
आंतरिक एवं अन्य खर्च	1.87	1.84
पुनर्वास प्रभार	31.55	33.33
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
भाड़ा	0.84	1.24
दर एवं कर	5.94	16.25
बीमा	0.39	0.49
लीज रेंट	-	-
बचाव/सुरक्षा व्यय	2.84	1.20
डेड रेंट/सरफेस रेंट	2.15	4.32
साइडिंग रखरखाव प्रभार	2.85	3.05
आर एंड डी व्यय	0.27	0.02
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	27.00	39.82
विविध खर्च (नोट 34.1 देखें)	58.63	51.85
कुल	**471.32**	**487.26**

34.1 विविध खर्चों में कोयला सैम्पलिंग शुल्क 16.72 करोड़ रुपए, अनुचित जीएसटी 11.02 करोड़ रुपए, ई नीलामी में ब्रोकरेज और कमिशन 3.30 करोड़ रुपए, बैठक और सम्मेलन पर व्यय 3.38 करोड़ रुपए, मुद्रण और स्टेशनरी 2.97 करोड़ रुपए और अन्य विविध व्यय 21.24 करोड़ रुपए शामिल हैं।

नोट-35: कर व्यय (रुपए करोड़ में)

विवरण	**को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए**	
	31.03.2020	**31.03.2019**
चालू वर्ष (एमएटी)	-	26.92
एमएटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट	(3.05)	(26.92)
आस्थगित कर	536.03	(75.61)
पूर्व वर्षों के कर	7.42	-
कुल	**540.40**	**(75.61)**

भारत के घरेलू कर की दर से कर व्यय और लेखा लाभ का गुणा	**को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए**	
	31.03.2020	**31.03.2019**
कर से पहले लाभ / (हानि)	12.12	193.72
34.944% की आयकर दर (मार्च 18 के लिए 34.608%)	3.05	67.69
घटाए: छूट वाली आय पर कर	(0.35)	(13.10)
जोड़ें: गैर कटौती योग्य व्यय पर कर	49.14	(174.33)
सामान्य प्रावधानों के अनुसार आय कर व्यय (ए)	51.84	(119.74)
एमएटी प्रावधान के तहत आयकर (बी)	-	26.92
कर देय (ए और बी से अधिक)	51.84	26.92
अग्रेनीत नुकसान के विरुद्ध पृथक करना	(51.84)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति के लिए समायोजन	536.03	(75.61)
मेट क्रेडिट एंटाइटलमेंट	(3.05)	(26.92)
आयकर लाभ और हानि में रिपोर्ट किए गए व्यय	**532.98**	**(75.61)**
प्रभावी आयकर दर	**4397.36%**	**-39.03%**

आस्थगित कर की पुनः प्राप्ति	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019
(क) आस्थगित कर देयताएँ- मूल्यह्रास	208.68	253.24
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति		
आयकर अधिनियम और अन्य क़ानून के तहत अस्वीकृति	51.77	59.49
संदिग्ध ऋण, अग्रिम और दावों के लिए प्रावधान	10.82	15.22
अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों का प्रावधान	607.52	634.34
शॉर्टेज के लिए प्रावधान, स्टॉक की अप्रचलन	6.23	9.07
कोयला गुणवत्ता विचरण का प्रावधान	74.33	142.57
भूमि सुधार का प्रावधान	91.60	0.26
कर योग्य हानि पर कर प्रभाव	816.02	1,305.51
कुल	**1,658.29**	**2,166.46**
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**1,449.61**	**1,913.22**

35.1 कारण कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 20.09.19 के द्वारा कॉरपोरेट टैक्स दर में बदलाव से आस्थगित कर परिसंपत्ति पिछले वर्ष से 535.25 करोड़ कम हो गई है।

नोट- 36: अन्य व्यापक आय (रुपए करोड़ में)

विवरण	को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
	31.03.2020	31.03.2019
मद जो लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(287.74)	(20.27)
	(287.74)	(20.27)
घटाए:		
मदों से संबंधित आय कर जो लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(72.42)	(7.08)
	(72.42)	(7.08)
कुल	**(215.32)**	**(13.19)**

नोट- 37

मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1. उचित मूल्य आंकलन

(क) कैटगरी द्वारा वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

(रुपए करोड़ में)

	31st मार्च 2020			31st मार्च 2019		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
म्युचुअल फंड	-	-	-	5.11	-	-
ऋण	-	-	3.40	-	-	3.54
जमा एवं प्राप्य	-	-	2147.71	-	-	2405.88
ट्रेड प्राप्य	-	-	1349.94	-	-	360.17
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	229.04	-	-	76.65
अन्य बैंक जमा	-	-	740.21	-	-	907.26
वित्तीय देयताएं						
उधारी	-	-	-	-	-	-
ट्रेड देय	-	-	1330.20	-	-	1193.49
सुरक्षा जमा एवं बयाना राशि	-	-	204.40	-	-	165.38
अन्य देयताएं	-	-	283.37	-	-	182.85

(ख) उचित मूल्य का क्रम

निम्नलिखित तालिका वित्तीय इंस्ट्रूटमेंट का उचित मूल्य निर्धारित करने में किए गए निर्णय एवं अनुमान दर्शाते हैं, जिसे (क) उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा आकलन किया जाता है और (ख) परिशोधित लागत आकलन किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित

करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय इंस्ट्रूमेंट को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है जिसका वर्णन लेखाकरण मानक के अंतर्गत किया गया है।

प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण निम्नलिखित तालिका का पालन करता है:-

(रुपए करोड़ में)

उचित मूल्य पर आकलन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं-आवर्ती उचित आकलन	**31st मार्च 2020**			**31st मार्च 2019**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश	-	-	-	-	-	-
म्युच्युअल फंड	-	-	-	5.11	-	-
वित्तीय देयताएं						
यदि कोई मद है तो	-	-	-	-	-	-

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं परिशोधित मूल्य पर आकलन की गई हैं जिसके लिए 31 मार्च 2018 तक उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।	**31st मार्च 2020**			**31st मार्च 2019**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश	-	-	-	-	-	-
जेवी में इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
म्युच्युअल फंड	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	3.40	-	-	3.54
जमा एवं प्राप्य	-	-	2147.71	-	-	2405.88
ट्रेड प्राप्य	-	-	1349.94	-	-	360.17
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	229.04	-	-	76.65
अन्य बैंक जमा	-	-	740.21	-	-	907.26
वित्तीय देयताएं						
उधारी	-	-	-	-	-	-
ट्रेड देय	-	-	1330.20	-	-	1193.94
सुरक्षा जमा एवं बयाना राशि	-	-	204.40	-	-	165.38
अन्य देयताएं	-	-	283.37	-	-	182.85

स्तर 1 - स्तर एक पदानुक्रम में दर्शाई गई कीमतों का उपयोग कर वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन किया गया है, इसमें म्यच्युअल फंड भी शामिल है, जिनकी कीमतें दर्शाई गई हैं तथा उन्हें क्लोजिंग एनएवी का उपयोग करके मूल्यांकित किया गया है।

स्तर 2 - वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य को एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं किया गया है, को मूल्यांकन तकनीकी पद्धति द्वारा सुनिश्चित किया गया है जो आबजरवेबल मार्केट डाटा के प्रयोग को उच्चतम सीमा तक बढ़ाता है और एनटिटि स्पेसिफिक एस्टीमेट पर कम से कम निर्भर रहता है। यदि सभी महत्वपूर्ण इनपुट उचित मूल्य के लिए आवश्यक हैं तथा इंस्ट्रूमेंट आबजवेबल है,इंस्ट्रूमेंट स्तर 2 में शामिल है।

स्तर 3 - यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण अंश बाजार ऑब्जरवेशन के आधार पर नहीं है तो उसे स्तर 3 में लिया गया है। यह अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, प्राथमिकता वाले अंश, उधार, जमा तथा अन्य देनदारियों के संबंध में है जिसे स्तर 3 में लेते हैं।

(ग) - **उचित मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु उपयोग की गई मूल्यांकन तकनीक**

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के मूल्य निर्धारित करने हेतु उपयोग की गई मूल्यांकन तकनीक म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में इंस्ट्रूमेंट के उद्धृत बाजार भावों का प्रयोग शेष वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य को डिस्काउंटेड कैश फ्लो का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

(घ) - **उचित मूल्य साधनों में महत्वपूर्ण अनआबजरवेबल इनपुट का उपयोग**

वर्तमान में ऐसे कोई उचित मूल्य आकलन नहीं हैं जिसमें महत्वपूर्ण अनआबजरवेबल इनपुट का उपयोग किया गया हो।

(ड) - परिशोधित लागत पर आकलन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य

(रुपए करोड़ में)

	31st मार्च 2020		**31st मार्च 2019**	
	उचित मूल्य	उचित मूल्य	उचित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्ति				
ऋण	3.40	3.40	3.54	3.54
वित्तीय देयताएं				
उधारी	-	-	-	-
सुरक्षा जमा एवं बयाना राशि	204.40	204.40	165.38	165.38

- ट्रेड प्राप्य, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, नकद एवं नकद समकक्ष, ट्रेड देय की ले जाई गई राशि को उनके शॉर्ट टर्म प्रकार के कारण उनकी फेस वैल्यू के रुप में ही लिया गया है।
- कंपनी का विचार है कि प्रतिभूति जमा में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। माइलस्टोन पैमेंट (प्रतिभूति जमा कंपनी के कार्य निष्पादन के अनुरूप है और वित्त के प्रावधान के अलावा कारणों के लिए संविदा के लिए राशि रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक माइलस्टोन पेमेंट के विशिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का आशय संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करने में विफल रहने वाले ठेकेदार से कंपनी के हित को सुरक्षित रखना है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की ट्रैजेक्शन कॉस्ट पर प्रारंभिक मान्यता पर फेयर वैल्यू के रूप में विचार किया जाता है और बाद में संशोधित लागत पर मापा जाता है।

- **महत्वपूर्ण आकलन**- वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू जो एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं की गई है, को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके सुनिश्चित किए गए हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पद्धति के चयन एवं उपयुक्त पूर्वानुमानों के लिए इसके निर्णय को उपयोग में लाया गया है।

2. दायित्व विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय दायित्व प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालन से संबंधित ऋण एवं उधार, ट्रेड एवं अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों को वित्तीय सहायता देना एवं उसके प्रचालनों को सहयोग देने की गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, ट्रेड एवं अन्य प्राप्य एवं नकद एवं नकद समकक्ष जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालन से लिए गए हैं, शामिल हैं।

कंपनी मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एवं लिक्विडिटी रिस्क के लिए एक्सपोस्ड है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन रिस्कों के प्रबंधन का निरीक्षण करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन रिस्क समिति द्वारा सपोर्टेड है जो कंपनी के वित्तीय रिस्क एवं उपयुक्त वित्तीय रिस्क गवरनेन्स फ्रेमवर्क पर सलाह भी देती है। रिस्क समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय रिस्क गतिविधियां उपयुक्त नीतियों द्वारा संचालित हैं एवं प्रक्रियाएं एवं वित्तीय रिस्कों को कंपनी की नीतियों एवं रिस्क उद्देश्यों के अनुसार पहचान लिया गया है, आकलन किया गया है एवं प्रबंधित किया गया है। निदेशक मंडल ने इन में से प्रत्येक रिस्क को प्रबंधित करने के लिए नीतियों की समीक्षा कर अनुमोदन किया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है।

यह नोट रिस्क के स्रोत तथा कौन सी कंपनी किस के लिए एक्सपोस्ड है एवं कंपनी रिस्क को कैसे मैनेज करती है तथा वित्तीय विवरणिका में बचाव लेखांकन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

रिस्क	से उत्पन्न प्रकटन	आकलन	प्रबंधन
क्रेडिट रिस्क	कैश एवं कैश समकक्ष प्राप्य ट्रेड परिशोधित मूल्य पर आकलन की गई परिसंपत्तियां	एजिंग एनालिसिस	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस(डीपीई)गाइडलाइन्स। बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट लिमिट्स एवं अन्य सुरक्षा जमा का विविधिकरण
लिक्विडिटी रिस्क	उधारी एवं अन्य देयताएं	आवधिक कैश फ्लो	कमिटेड क्रेडिट लाइन्स एवं उधार सुविधाओं की उपलब्धता
मार्केट रिस्क-विदेशी मुद्रा	फ्यूचर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मान्य वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं जो आईएनआर में अंकित नहीं हैं	कैश फ्लो फोरकास्ट सेन्सिटिविटी एनालिसिस	वरिष्ठ प्रबंधन एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं समीक्षा
मार्केट रिस्क इंटरेस्ट दर	कैश एवं कैश समकक्ष, बैंक डिपॉजिट्स एवं म्युच्युअल फंड्स	कैश फ्लो फोरकास्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस(डीपीई दिशानिर्देश) वरिष्ठ प्रबंधन एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं समीक्षा

कंपनी रिस्क मैनेजमेंट भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। बोर्ड समग्र रिस्क मैनेजमेंट साथ ही अतिरिक्त नीतियों, जिसमें लिक्विडिटी के निवेश शामिल हैं, के लिए रिटन प्रिंसिपल्स प्रदान करता है।

(क) क्रेडिट रिस्क –क्रेडिट रिस्क नकद एवं नकद समकक्ष परिशोधित मूल्य पर किए गए निवेशों एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के साथ ही साथ बकाया प्राप्यों से उत्पन्न होता है।

क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट :

मुख्यत: कोयले की बिक्री में से प्राप्य उत्पन्न होते हैं। कोयले की बिक्री को मुख्यत: ईंधन आपूर्ति अनुबंधों (एफएसए) और ई-ऑक्शन के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

माक्रो इकॉनॉमिक सूचना (जैसे विनियामक परिवर्तन) फ्यूल सप्लाय एग्रीमेंट्स (एफएसए) तथा ई-ऑक्शन शर्तों के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है।

फ्यूल सप्लाय एग्रीमेंट्स

जैसा कि अपेक्षित है एवं एनसीडीपी के उपबंधों के अनुसार है, हम उपभोक्ताओं या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू फ्यूल सप्लाय एग्रीमेंट्स (एफएसए) करते हैं, जिसके बाद उपभोक्ताओं के साथ उपयुक्त वितरण व्यवस्था करते हैं। हमारे एफएसए को मुख्यतः इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- पावर यूटिलिटी सेक्टर, स्टेट पावर यूटिलिटी, प्राइवेट पावर यूटिलिटी (पीपीयू) तथा इंडिपेंडेंट पावर प्रोडूसर्स (आईपीपी) के उपोक्ताओं के साथ एफएसए।
- नॉन पावर उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट्स सहित(सीपीपी) के उपभोक्ताओं के साथ एफएसए तथा राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।
- इसके अतिरिक्त ऊपर दर्शाये गए एफएसए फार्मों के अतिरिक्त डबल्यूसीएल वर्तमान में कुछ 'कॉस्ट प्लस' कोयला आपूर्ति अनुबंध के तहत कोयला आपूर्ति कर रही है।

ई-ऑक्शन योजना

कोयले की ई-ऑक्शन योजना उन उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने के लिए शुरू की गई है, जो विभिन्न कारणों जैसे एनसीडीपी के तहत उनके नियामक आवश्यकताओं को पूर्ण आबंटन से कम होने, उनके कोयला आवश्यकता की समयानुकूलता तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घ अवधि लिंकेज को वारंट नहीं करती है, के कारण एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत मैकेनिजम के माध्यम से अपने कोयले की आवश्यकता का स्रोत नहीं पा सक रहे थे। ई-ऑक्शन के तहत प्रस्तावित कोयले की गुणवत्ता की समीक्षा कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्षीय संविदात्मक दायित्वों पर चूक होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधानः कंपनी जीवनकाल अनुमानित क्रेडिट हानि (सरल अप्रोच) द्वारा संदिग्ध/क्रेडिट क्षति परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि प्रदान करती है।

सरल अप्रोच के तहत ट्रेड प्राप्यों के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि

दिनांक 31.3.2020 तक

(रुपए करोड़ में)

एजिंग	2 महीने के लिए देय	6 महीने के लिए देय	एक वर्ष के लिए देय	2 वर्षों के लिए देय	3 वर्षों के लिए देय	3 वर्षों से अधिक के लिए देय	कुल
कुल ले जाई गई राशि	1199.13	113.53	12.53	-	2.72	48.98	1376.89
अनुमानित हानि दर	-	-	-	-	100%	49.47%	1.96%
अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	2.72	24.23	26.95

दिनांक 31.3.2019 तक

(रुपए करोड़ में)

एजिंग	2 महीनों के लिए देय	6 महीनों के लिए देय	एक वर्ष के लिए देय	2 वर्षों के लिए देय	3 वर्षों के लिए देय	3 वर्षों से अधिक के लिए देय	कुल
कुल ले जाई गई राशि	321.90	8.95	3.92	3.36	30.67	18.76	387.56
अनुमानित हानि दर	-	-	-	-	28.14%	100%	7.07%
अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	8.63	18.76	27.39

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान- ट्रेड प्राप्य (रुपए करोड़ में)

31.3.2019 के हानि भत्ता	27.39
हानि भत्ते में परिवर्तन	(0.44)
31.3.2020 तक हानि भत्ता	26.95

वित्तीय परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण अनुमान एवं हानि संबंधी निर्णय

उपरोक्त में दर्शाए वित्तीय संपत्ति के लिए क्षति प्रावधान रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एवं अपेक्षित हानि दर के अनुमान पर आधारित है। कंपनी ने प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इन पूर्वानुमानों तथा कंपनी के पूर्ववृत्त, वर्तमान बाजार स्थिति, साथ ही आगामी अनुमानों के आधार पर क्षति की गणना के इनपुट्स चयन के लिए अनुमान का प्रयोग करती है।

लिक्विडिटी रिस्क

विवेकपूर्ण लिक्विडिटी रिस्क प्रबंधन में, देय दायित्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के द्वारा पर्याप्त नकद एवं विक्रेय प्रतिभूतियों तथा निधिकरण की उपलब्धता समाविष्ट है। अंडरलाइन्ग बिजनेस के

गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन्स के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए कोष निधिकरण (फंडिंग) में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति का पूर्वानुमान(नीचे दर्शाई अनड्रॉन बोरोइंग सुविधाओं को मिलाकर) तथा अनुमानित कैश फ्लो के आधार पर नकद एवं नकद समकक्ष का मॉनीटर करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका में अनुबंधित बिना रियायत वाले भुगतानों के आधार पर समूह की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश दिया गया है।

	31.03.2020 तक			**31.03.2019** तक		
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व	-	-	-	-	-	-
ब्याज दायित्वों सहित उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	1330.20	-	-	1193.49	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	487.77	-	-	348.23	-	-

मार्केट रिस्क

क) विदेशी मुद्रा रिस्क

ख) कैश फ्लो एवं फेयर वैल्यू इंटरेस्ट रेट रिस्क

कंपनी की मुख्य ब्याज दर रिस्क, ब्याज दर में परिवर्तन के साथ ही साथ बैंक जमा से उत्पन्न होती है जो कंपनी को कैश फ्लो ब्याज दर रिस्क पर जोखिम में डालती है। कंपनी की नीति फिक्स दर उसके अधिकतर जमा का रखरखाव करता है।

कंपनी, डिपार्टमेंट से ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस(डीपीई) के विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों का प्रयोग करते हुए बैंक जमा क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों से, रिस्क का प्रबंधन करती है।

कैपिटल मैनेजमेंट

कंपनी चूंकि एक सरकारी कंपनी है अतः वित्त मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एवं पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी कैपिटल प्रतिबंधित करती है।

कंपनी की कैपिटल संरचना इस प्रकार से है: -

	31.3.2020	31.3.2019
इक्विटी शेयर कैपिटल	297.10	297.10
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल	-	-
लॉग टर्म ऋण	-	-

3. कर्मचारी लाभ, मान्यता एवं आकलन (भारतीय लेखाकरण मानक-19)

क) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में परिभाषित है और भारतीय जीवन बीमा निगम में अंशदान दिया जाता है। परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। अनुभव समायोजन से होने वाले पुनआकलन लाभ और हानि और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं।

ख) लीव इनकैशमेंट

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है।इसलिए उन्हें अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में आकलन किया जाता है और जिसका भुगतान अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के परिणाम का उपयोग करके लाभ में छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है।अनुभव समायोजन और बीमांकिक मन्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः आकलन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

ग) भविष्य निधि

कंपनी पूर्व निश्चित दर पर एक अलग ट्रस्ट कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड(सीएमपीएफ) को भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में फिक्स अंशदान देती है, जो अनुज्ञप्त प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करती है। वर्ष के दौरान अंशदान 675.30 करोड़ रुपए(680.53 करोड़ रुपए) है, जिसे लाभ एवं हानि विवरण (नोट 27) में मान्यता दी गई है।

घ) कंपनी कुछ लाभ परिभाषित योजनाओं को निम्न प्रकार से प्रचालित करती है, जिसको एक्चुरियल आधार पर मूल्यांकित किया गया है:-

i) निधिबद्ध

-ग्रेच्यूटी

-लीव इनकैशमेंट

- चिकित्सा लाभ

-पेंशन योजना

ii) अ-निधिबद्ध

-लाइफ कवर स्कीम

-सेटलमेंट भत्ता

-ग्रूप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस

-छुट्टी यात्रा रियायत(एलटीसी)

-खान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा

एक्चुरियल द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर दि.31.3.2020 तक कुल देयताएं, जिसका विवरण नीचे दर्शाएनुसार 4,296.93 करोड़ रुपए है।

31 मार्च 2020 को एक्चुरियल लायबिलिटी :

शीर्ष	1.04.2019 तक प्रारंभिक एक्चुरियल देयताएं	वर्ष के दौरान इनक्रीमेंट देयताएं	31.3.2020 तक अंतिम एक्चुरियल देयताएं
ग्रेच्युटी	3274.01	-4.01	3270.00
अर्जित अवकाश	478.53	39.80	518.33
हाफ पे लीव	79.35	8.86	88.21
लाइफ कवर स्कीम	10.87	0.19	11.06
सेटलमेंट भत्ता अधिकारी	8.68	0.59	9.27
सेटलमेंट भत्ता कर्मचारी	21.95	-0.66	21.29
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम	0.16	0.00	0.16
छुट्टी यात्रा रियायत	40.67	-0.18	40.49
चिकित्सा लाभ-अधिकारी	145.84	61.58	207.42
चिकित्सा लाभ- कर्मचारी	49.66	65.93	115.59
खान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा	24.13	-9.02	15.11
कुल	4133.85	163.08	4296.93

ड)एक्चुरी के प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटन

ग्रेच्यूटी (निधिबद्ध) के लिए कर्मचारी के लाभों के लिए एक्चुरी के प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटन तथा छुट्टी नकदीकरण (निधिबद्ध) नीचे दिए गए हैं:-

दि. 31.3.2020 तक ग्रेच्यूटी देयता का एक्चुरियल मूल्यांकन भारतीय लेखाकरण मानक 19(2015) के अनुसार प्रमाणपत्र

(रुपए करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.3.2020 तक	31.3.2019 तक
अवधि के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3274.01	3362.06
चालू सेवा लागत	146.98	134.53
ब्याज लागत	195.27	235.36
योजना संशोधन अवधि के अंत में निहित भार (विगत सेवा)		

वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि	169.95	28.07
अनपेक्षित अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	114.42	3.48
भुगतान किए गए लाभ	630.63	489.49
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3270.00	3274.01

(रुपए करोड़ में)

प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.3.2020 तक**	**31.3.2019 तक**
अवधि के प्रारंभ में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2393.26	2296.03
ब्याज आय	157.96	173.35
नियोक्ता का अंशदान	12.97	402.10
भुगतान किए गए लाभ	630.63	489.49
ब्याज आय के अलावा प्लान परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-3.37	11.27
अवधि के अंत में प्लान परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1930.19	2393.26

(रुपए करोड़ में)

तुलन पत्र में समाधान दर्शाने वाला विवरण	ग्रेच्युटी	
	31.3.2020 तक	**31.3.2019 तक**
निधिबद्ध स्थिति	-1339.81	-880.75
अवधि के अंत में अमान्य एक्चिरयल (लाभ)/हानि		
निधि परिसंपत्तियां	1930.19	2393.26
निधि देयताएं	3270.00	3274.01

(रुपए करोड़ में)

योजना पूर्वानुमान दर्शाने वाला विवरण	**31.3.2020 तक**	**31.3.2019 तक**
रियायती दर	6.60%	7.55%
प्लान परिसंपत्तियों पर अनुमानित रिटर्न	6.60%	7.55%
मुआवजा वृद्धि की दर(वेतन मुद्रा स्फीति)	अधिकारियों के लिए 9.00% और गैर-अधिकारियों के लिए 6.25%	अधिकारियों के लिए 9.00% और गैर-अधिकारियों के लिए 6.25%
औसत अपेक्षित भावी सेवा (कामकाजी जीवन शेष)	11,11	11,11
देनदारियों की औसत अवधि	11,11	11,11
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृत्ति की आयु (पुरुष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं शारीरिक अक्षमता	0.30%	0.30%

(रुपए करोड़ में)

लाभ हानि के विवरण में मान्य व्यय	ग्रेच्युटी	
	31.3.2020 तक	**31.3.2019 तक**
चालू सेवा लागत	146.98	134.53
विगत सेवा (निहित)	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत	37.32	62.01
लाभ लागत (लाभ/हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय)	184.30	196.54

(रुपए करोड़ में)

अन्य व्यापक व्यय	**ग्रेच्युटी**	
	31.3.2020 तक	**31.3.2019 तक**
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि	169.95	28.07
अनपेक्षित अनुभव के कारण दायित्वों पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि	114.42	3.47
कुल एक्चुरियल (लाभ)/हानि	284.37	31.54
ब्याज आय के अलावा प्लान एसेट	-3.37	11.27
अवधि के अंत में शेष	287.74	20.27
अन्य व्यापक आय में मान्य अवधि के लिए निवल व्यापक (आय)/ व्यय	287.74	20.27

मृत्यु दर तालिका	
आयु	**मृत्यु (प्रति वर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020 तक		31.03.2019 तक	
	कमी	कमी	कमी	कमी
छूट दर (-/+ 0.5%)	3178.82	3367.22	3187.87	3364.92
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	-2.805%	2.973%	-2.631%	2.777%
वेतन वृद्धि(-/+ 0.5%)	3311.27	3225.79	3321.02	3223.68
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	1.262%	-1.352%	1.436%	-1.537%
एट्रीशन दर(-/+ 0.5%)	3272.13	3267.88	3276.00	3272.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	0.065%	-0.065%	0.061%	-0.061%
मृत्यु दर(-/+ 0.10%)	3286.58	3253.42	3290.21	3257.80
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	0.507%	-0.507%	0.495%	-0.495%

कैश फ्लो की सूचना दर्शाने वाला विवरण	रुपए करोड़ में
अगले वर्ष का कुल(अनुमानित)	3049.16
न्यूनतम फंडिंग की आवश्यकता	1553.97
कंपनी का स्वनिर्णय	-

लाभ सूचना संबंधी अनुमानित भावी भुगतान (पिछली सेवा) दर्शाने वाला विवरण	
वर्ष	रुपए करोड़ में
1	544.70
2	469.88
3	471.34
4	412.88
5	373.75
6से10	1349.38
10 वर्षों से अधिक	1651.64
कुल अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स पास्ट एवं फ्यूचर सेवा	
विगत की सेवा से संबंधितकुल अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स	5273.56
(-): ब्याज के लिए छूट	2003.56
अनुमानित लाभ दायित्व	3270.00

अगले वर्ष के भावी कंपोनेंट निवल आवर्ती लाभ लागत दर्शाने वाला विवरण	
	रुपए करोड़ में
वर्तमान सेवा लागत	142.20
ब्याज लागत अगली अवधि	197.85
प्लांट एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	215.82
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	
अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त एक्चुरियल लाभ / हानि	
सेटलमेंट कॉस्ट	
Curtailment लागत	
अन्य (बीमांकिक लाभ / हानि)	
लाभ लागत	124.23

(रुपए करोड़ में)

अंतिम आकलन में प्लान परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न दर्शाने वाला विवरण	31.3.2020 तक	31.3.2019 तक
चालू देयताएं	527.57	564.38
नॉन-करेंट देयताएं	2742.43	2709.63
निवल देयताएं	3270.00	3274.01

31.3.2020 तक छुट्टी नकदीकरण लाभ (अर्जित अवकाश/एचपीएल) का एक्चुरियल मूल्यांकन भारतीय लेखाकरण मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.3.2020 तक	31.3.2019 तक
अवधि के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	557.88	510.56
चालू सेवा लागत	43.45	39.77
ब्याज लागत	32.42	34.23
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण दायित्व पर एक्चुरियल (लाभ/हानि)	39.78	6.04
अनपेक्षित अनुभव के कारण एक्चुरियल (लाभ/हानि)	66.37	81.78
भुगतान किए गए लाभ	133.36	114.50
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	606.54	557.88
प्लान परिसंपत्तियों की उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.3.2020 तक**	**31.3.2019 तक**
अवधि के प्रारंभ में प्लान परिसंपत्ति का उचित मूल्य	294.40	275.14
ब्याज आय	19.43	20.77
नियोक्ता का अंशदान	133.38	114.52
भुगतान किए गए लाभ	133.36	114.50
ब्याज आय के अलावा प्लान परिसंपत्तियों पर रिटर्न	1.54	(1.53)
अवधि के अंत में प्लान परिसंपत्ति का उचित मूल्य	315.39	294.40

तुलन पत्र में समाधान दर्शाने वाला विवरण	31.3.2020 तक	31.3.2019 तक
निधिबद्ध स्थिति	(291.15)	(263.48)
अवधि के अंत में अमान्य एक्चुरियल लाभ/हानि	-	-
निधि परिसंपत्ति	315.39	294.40
निधि देयताएं	606.54	557.88

(रुपए करोड़ में)

प्लान पूर्वानुमान दर्शाने वाला विवरण	31.3.2020 तक	31.3.2019 तक
रियायती दर	6.60%	7.55%
प्लान परिसंपत्तियों पर अनुमानित रिटर्न	6.60%	7.55%
मुआवजा वृद्धि की दर(वेतन मुद्रा स्फीति)	अधिकारियों के लिए 9.00% और गैर-अधिकारियों के लिए 6.25%	अधिकारियों के लिए 9.00% और गैर-अधिकारियों के लिए 6.25%
औसत अपेक्षित भावी सेवा (कामकाजी जीवन शेष)	11,11	11,11
देनदारियों की औसत अवधि	11,11	11,11
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	
सेवानिवृत्ति की आयु (पुरुष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं शारीरिक अक्षमता	0.30%	0.30%
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	अज्ञात	अज्ञात

(रुपए करोड़ में)

लाभ हानि विवरण में मान्य व्यय	31.3.2020 तक	31.3.2019 तक
चालू सेवा लागत	43.45	39.77
निवल ब्याज लागत	12.99	13.45
निवल एक्चुरियल लाभ/हानि	104.61	89.35
लाभ लागत (लाभ)/ हानि के विवरण में मान्य व्यय	161.05	142.57

आयु	मृत्यु (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020 तक		31.03.2019 तक	
	कमी	कमी	कमी	कमी
छूट दर (-/+ 0.5%)	584.95	629.74	539.41	577.59
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	-3.560%	3.825%	-3.310%	3.534%
वेतन वृद्धि(-/+ 0.5%)	629.34	585.11	577.43	539.39
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	3.759%	-3.534%	3.504%	-3.313%
एट्रीशन दर(-/+ 0.5%)	607.78	605.31	558.97	556.78
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	0.203%	-0.203%	0.196%	-0.196%
मृत्यु दर(-/+ 0.10%)	609.66	603.42	560.77	554.98
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत	0.514%	-0.514%	0.519%	-0.519%

भविष्य के भुगतानों के लाभ की जानकारी दर्शाने वाला विवरण	
वर्ष	रुपए करोड़ में
1	65.57
2	67.79
3	70.99
4	72.29
5	70.94
6 से 10	282.02
10 वर्षों से अधिक	513.74
कुल अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स पास्ट एवं फ्यूचर सेवा	-
विगत की सेवा से संबंधितकुल अनडिस्काउंटेड पेमेंट्स	1143.33
(-): ब्याज के लिए छूट	536.79
अनुमानित लाभ दायित्व	606.54

(रुपए करोड़ में)

अंतिम आकलन में प्लान परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न दर्शाने वाला विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
चालू देयताएं	63.51	60.04
नान-करेंट देयताएं	543.03	497.84
निवल देयताएं	606.54	557.88

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ:

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल सुविधा प्रदान करती है। अधिकारी और गैर-अधिकारी वर्ग के लिए अलग पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम द्वारा इस सुविधा को कवर किया गया है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ के लिए योजना अलग से " कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट" के माध्यम से संचालित की जाती है। चिकित्सीय लाभों के लिए देयता को एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए - 31 मार्च 2020 तक वित्त पोषित स्थिति 8.32 करोड़ (10.40 करोड़) के रूप में है और 31 मार्च 2020 को 25.23 करोड़ (19.23 करोड़) देयता है।

पेंशन:

कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम -2017 ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। 31 मार्च 2020 को 267.78 करोड़ (147.93 करोड़) और 31 मार्च 2020 को उसी के लिए देयता 297.40 करोड़ (251.41 करोड़) है।

4. अमान्य मद:

क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में मान नहीं लिया गया है (ब्याज सहित, जहां लागू है)

(रुपए करोड़ में)

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे						
क्रं सं	विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य स्थानीय	सीपीए सई	अन्य	कुल
1.	दि. 01.04.2019 तक प्रारंभिक शेष	2829.16	710.76	9.47	665.65	4215.04
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	88.78	13.05	-	106.26	208.09
3.	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे					
	(क) प्रारंभिक शेष से	87.10	9.88	-	84.30	181.28
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि में से	-	8.66	-	0.20	8.86
	(ग) वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे	87.10	18.54	-	84.50	190.14
4.	दि. 31.03.2020 तक अंतिम शेष	2830.84	705.27	9.47	687.41	4232.99

(रुपए करोड़ में)

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे			
		31.03.2020	**31.03.2019**
1	केंद्र सरकार	2830.84	2829.16
2	राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण	705.27	710.76
3	केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यम	9.47	9.47
4	अन्य	687.41	665.65
	कुल	**4232.99**	**4215.04**

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे			
क्रं सं	विवरण	**31.03.2020** को राशि	**31.03.2019** को राशि
1.	केंद्र सरकार		
	आयकर	80.73	52.31
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2427.12	2457.99
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
	केंद्रीय बिक्री कर		
	सेवा कर	322.91	318.78
	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)	0.09	0.09
	उप- कुल	**2830.84**	**2829.16**
2.	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	16.09	16.09
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण क्लीयरेंस	501.35	508.06
	बिक्री कर / वैट		
	प्रवेश कर		
	बिजली शुल्क		
	माडा	187.83	186.61
	अन्य (एनएए और भूतल किराए आदि)	**705.27**	**710.76**
	उप- कुल	16.09	16.09
3.	केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस		
	मध्यस्थता की कार्यवाही		
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	9.47	9.47
	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप-कुल	**9.47**	**9.47**
4.	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि	114.59	109.17
	कर्मचारी संबंधी	32.06	17.23
	ठेकेदार आदि से दावा	540.76	539.25
	उप-कुल	**687.41**	**665.65**
	कुल योग	**4232.99**	**4215.04**

कंपनी के विरुद्ध 4232.99 करोड़ रुपए के दावे, जिन्हें 31 मार्च 2020 तक ऋण के रूप में मान नहीं लिया गया है (पिछले वर्ष 4215.04 करोड़ रुपए), में निम्न शामिल है:-

1. <u>आयकर, विक्रय कर, सेवा कर एवं अन्य अधिनियमों के तहत दावेः</u>

i. आयकर प्राधिकारियों द्वारा कारपोरेट कर के रूप में 79.61 करोड़ रुपए एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 जे के तहत 1.11 करोड़ रुपए की मांग।

ii. जिला प्राधिकारियों द्वारा सरफेस रेंट के लिए 114.63 करोड़ रुपए एवं 73.17 करोड़ रुपए के गैर-कृषि निर्धारण कर कोयले पर रायल्टी 16.09 करोड़ रूपये तथा रॉयल्टी/एसईजी के लिए 2427.12 करोड़ रुपए की मांग की गई।

iii. बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा बिक्री कर के लिए 378.30 करोड़ रुपए, सीएसटी पर सरफेस परिवहन प्रभार के लिए 3.86 करोड़ रुपए की एवं एचईएमएम पर प्रवेश कर के लिए 114.52 करोड़ रुपए एवं कोयले पर 4.67 करोड़ रुपए की मांग।

iv. सेवा कर प्राधिकारियों की 322.91 करोड़ रुपए की मांग।

v. व्यावसायिक कर के कारण 0.03 करोड़ रूपये की मांग।

नोट: अपील के विरुद्ध विरोध स्वरूप अदा की गई राशि को ऋण एवं अग्रिम/प्राप्य दावों के तहत रखा गया है।

2. <u>अन्य दावे:</u>

i. भू-स्वामियों द्वारा मुआवजा वृद्धि के दावों हेतु 114.59 करोड़ रुपए।

ii. कर्मचारियों द्वारा पारिश्रमिक संबंधी मामलों के दावों हेतु 32.06 करोड़ रुपए।

iii. ठेकेदारों एवं अन्यों द्वारा मध्यस्थता/न्यायालयों द्वारा लंबित निर्णयों के दावों हेतु 246.94 करोड़ रुपए।

iv. उपभोक्ताओं द्वारा दावों हेतु 303.29 करोड़ रुपए।

v. साइडिंग रखरखाव प्रभार के लिए रेलवे द्वारा दावे 0.09 करोड़ रुपए।

vi. कर्मचारियों एवं अन्यों द्वारा ब्याज सहित अन्य दावे, जहां राशि उल्लिखित नहीं है। अतः आकस्मिक देयताएं निर्धारित नहीं की जा सकी हैं।

vii. कोल माइन्स लेबर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन एवं कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, पेंच ने क्रमशः वर्ष 1984 एवं 1986 में ली गई परिसंपत्तियों के समय अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा खरीद के लंबित अंतिम निर्णय के कारण राशि अभिनिश्चित नहीं है।

3. द कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने कुछ कोयला उपभोक्ताओं(मामले में 'इन्फॉर्मेंट' कहा गया है) द्वारा मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि., मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लि.(मामले में अपोज़िट पार्टी कहा गया है) के कुछ कार्य संचालन के विरुद्ध शिकायत के आधार पर केस की सुनवाई की तथा उसके साथ आदेश दि. 9.12.2013 द्वारा 1773.05 करोड़ रुपए का दंड आरोपित किया। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल की गई तथा दि.17.5.2016 के निर्णय के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की अपील को अनुमति दी गई। सीसीआई ने प्रतिवाद आदेशों को अलग रख दिया गया तथा मामलों को नई जानकारी प्राप्त मामलों के निर्णय हेतु कमिशन को वापिस भेज दिया गया। सीसीआई ने दिनांक 24मार्च 2017 को नए प्रतिवाद आदेश पारित कर दंड की राशि कम कर 591.01 करोड़ रूपये की। कोल इंडिया लिमिटेड ने नए प्रतिवाद आदेश के विरुद्ध एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर की है और प्रतिवाद आदेश के संचालन पर रोक लगाई गई है।

<u>(ख) वचनबद्धता</u>

बैंकों की अनुमानित राशि को कैपिटल अकाउंट पर निष्पादित किया जाता है और जिसे 434.31 करोड़ रूपये, 5116.63 करोड़ रूपये अन्य (राजस्व लेखा) के लिए नहीं दिया गया है। ओडिसा में अधिग्रहित चार कोयला

खानों/ब्लॉकों के खान योजना की तैयारी को लंबित रखते हुए अपफ्रंट पेमेंट के विरूद्ध पूंजीगत प्रतिबद्धताएं जानने योग्य नहीं हैं।

(ग) क्रेडिट पत्र एवं बैंक गारंटी

दि. 31.3.2020 तक क्रेडिट के बकाया जमा निल (निल करोड़ रूपये) है एवं जारी बैंक गारंटी 7.56 करोड़ रुपए (7.45 करोड़) है।

अन्य सूचनाएं

(क)सरकारी सहायता

सैंड स्टोइंग एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी में सैंड स्टोइंग एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोल माइन्स (कन्जरवेशन एवं डेवलपमेंट अधिनियम) 1974 के अनुसार कोयला मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त शून्य रुपए शामिल है।

(ख) प्रावधान

कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचलन जिन्हें 31.3.2020 तक एक्चुरियल रूप से मूल्यांकित किया है- को नीचे दर्शाया गया है:-

(रुपए करोड़ में)

प्रावधान	1.4.2019 तक ओपनिंग बैलैंस	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान राइटबैक/ समायोजन	अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट	31.3.2020 तक अंत शेष
नोट-3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण परिसंपत्तियों की क्षतिः	25.10	20.50	-	-	45.60
नोट-4:पूंजीगत कार्य प्रगति में सीडब्ल्यूआईपी के विरुद्धः	0.68	-	-	-	0.68
नोट-5:गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां प्रावधान एवं क्षतिः	-	-	-	-	-
नोट-6:अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	0.03	-	-	-	0.03
नोट-8: ऋण अन्य ऋण	0.03	-	0.02	-	0.01
नोट-9:अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	13.24	-	0.05	-	13.19
नोट-10:अन्य और गैर-चालू परिसंपत्तियां गवेषण ड्रिलिंग कार्य:	-	-	-	-	-
अग्रिम पूंजी	0.86	0.04	-	-	0.90
उपयोगिता के लिए सुरक्षा जमा के एवज में	0.29	-	-	-	0.29
नोट-11: अन्य चालू परिसंपत्तियां:					
राजस्व के लिए अग्रिम	0.37	-	0.11	-	0.26
अन्य अग्रिम एवम् जमा	1.37	-	-	-	1.37
नोट-12:वस्तुसूचियां: कोयले का भंडार:	0.01	-	-	-	0.01
स्टोर्स एवं पुर्जों का भंडार:	15.94	-	1.11	-	14.83
नोट-13: प्राप्य ट्रेड: खराब एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	27.39	-	0.44	-	26.95
कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान	408.00	234.22	346.89	-	295.33
नोट-21 : गैर-चालू एवं चालू प्रावधान:					
कार्य निष्पादन संबंधी वेतन	156.01	88.66	18.47	-	226.20
रा.को.व.स. X	25.24	-	25.24	-	-
अधिकारी तृतीय पीआरसी	3.75	-	3.75	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ(अधिकारी)	103.48	45.99	119.85		29.62
बंद हुई खानें	2017.19	30.56	494.84	69.75	1622.66

(ग) सेगमेंट रिर्पोटिंग:

कंपनी मुख्यत: कोयले के उत्पादन तथा बिक्री सिंगल सेगमेंट व्यवसाय में लगी हुई है। ब्याज से आय तथा अन्य आय कुल राजस्व से 10 प्रतिशत कम हैं। अत: जिसके लिए कोई अलग सेगमेंट को मान्यता नहीं दी गई है।

भारतीय मानक 108 'प्रचालन विभाजन(ओपरेटिंग सेगमेंट)' के प्रावधानों के अनुसार विभाजन सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए गए प्रचालन विभाग बीओडी द्वारा विभाजनों को संसाधनों का आबंटन एवं उनके निष्पादन का मूल्यांकन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर चिन्हित गए हैं। बीओडी भारतीय लेखाकरण मानक 108 के तहत निर्णय करने वाले मुख्य प्रचालन का समूह है।

निदेशक मंडल महत्वपूर्ण उत्पाद ऑफर करने वाले के संभावित ग्राहकों के व्यापार का ध्यान रखता है तथा यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में केवल एक कोयले की बिक्री ही सूचना योग्य विभाजन है। वित्तीय निष्पादन एवं निवल परिसंपत्ति लाभ/ हानि के समेकित सूचना एवं तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

डेस्टिनेशन से राजस्व इस प्रकार से है:

(रुपए करोड़ में)

	अन्य देश	अन्य देश
प्रचालनों से राजस्व	9749.27	NIL

उपभोक्ताओं से राजस्व इस प्रकार से है

(रुपए करोड़ में)

उपभोक्ता के नाम	राशि करोड़ में	देश
निवल बिक्री मूल्य के 10 % से अधिक बिक्री वाली पार्टी का नाम एमएसपीजीसीएल	4293.34	भारत
अन्य	5455.93	भारत
कुल निवल बिक्री	9749.27	भारत

स्थल द्वारा निवल चालू परिसंपत्ति इस प्रकार से है

(रुपए करोड़ में)

	अन्य देश	अन्य देश
निवल चालू परिसंपत्ति	4850.89	NIL

अलग अलग राजस्व जानकारी

	31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	**31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए**
वस्तु या सेवा का प्रकार		
- कोल	9138.93	9015.96
- अन्य	0.29	6.37
प्रचालन से कुल राजस्व	**9139.22**	**9022.33**

उपभोक्ताओं के प्रकार		
- उर्जा क्षेत्र	6172.21	6081.84
- गैर उर्जा क्षेत्र	2967.01	2940.49
- अन्य या सेवा (सीएमपीडीआईएल)	-	-
प्रचालन से कुल राजस्व	**9139.22**	**9022.33**
अनुबंध के प्रकार		
- एफएसए(कास्ट प्लस सहित)	6443.92	6662.33
- ई नीलामी	2692.07	2359.64
- अन्य	3.23	0.36
प्रचालन से कुल राजस्व	**9139.22**	**9022.33**
वस्तुया सेवा का समय		
- समय में हस्तांतरित वस्तु	9139.22	9022.33
- अधिक समय में हस्तांतरित वस्तु	-	-
- समय में हस्तांतरित सेवा	-	-
- अधिक समय में हस्तांतरित सेवा	-	-
प्रचालन से कुल राजस्व	**9139.22**	**9022.33**

(घ) प्रति शेयर अर्जन

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	**विवरण**	**31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
i	इक्विटी शेयर धारकों को प्रदत्त कर उपरांत शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	(743.60)	256.14
ii	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2971000	2971000
iii	मूल एवं डायलूटेड अर्जन प्रति शेयर रु. में (फेस वैल्यू 1000 रु.प्रति शेयर)	(2502.85)	862.13

(ड) संबंधित पार्टी प्रकटन

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव आर. मिश्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डॉ. संजय कुमार	निदेशक(कार्मिक)
श्री एस.एम.चौधरी	निदेशक (वित्त)
श्री मनोज कुमार	निदेशक (तकनीकी)-प्रचालन
श्री अजीत कुमार चौधरी	निदेशक (तकनीकी)- परियोजना एवं योजना)
श्री रामेहर	सचिव

शासकीय निदेशक (अंशकालीन)

श्री भबानी प्रसाद पति	संयुक्त सचिव , कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री आर.पी. श्रीवास्तव	निदेशक (कार्मिक और औ.सं.), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दर्शना सी. देशमुख

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	**अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं कंपनी सचिव का वेतन**	**31.3.19 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.3.18 को समाप्त वर्ष के लिए**
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ समग्र वेतन अनुलब्धियां चिकित्सा लाभ	 1.63 0.41 0.02	 2.38 0.31 0.02
ii)	रोजगार उपरांत लाभ भविष्य निधि, अन्य निधि में अंशदान	 0.29	 1.11
iii)	**सेवा निवृत्ति लाभ**(सेवा निवृत्ति पर किया गया भुगतान) छुट्टी नकदीकरण ग्रेच्यूटी	 0.00 0.00	 0.00 0.00
	कुल	**2.35**	**3.82**

नोट: दिनांक 31.03.2020 तक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए परिभाषित लाभों का एक्चुरियल मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	नाम	पद	ग्रेच्युटी देयता	अर्जित अवकाश देयता	अर्द्ध वेतन अवकाश देयता
1.	श्री राजीव आर. मिश्र	सी.एम.डी.	0.19	0.12	0.15
2.	डॉ. संजय कुमार	निदेशक(कार्मिक)	0.12	0.04	0.06
3.	श्री मनोज कुमार	निदेशक(तकनीकी) प्रचालन	0.15	0.21	0.06
4.	श्री अजीत कुमार चौधरी	निदेशक(तकनीकी) परि./यो.	0.17	0.16	0.10
5.	श्री रामेहर	कंपनी सचिव	0.17	0.07	0.12

(II)उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार अपनी निजी यात्रा के लिए 1000 किलोमीटर की उच्चतम सीमा तक प्रति माह 2000/- रुपए के भुगतान पर कारों के उपयोग हेतु अनुमति दी गई है।

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	सिटिंग फीस	0.16	0.16

दिनांक **31.03.2020 तक बकाया राशि**

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	31.3.2020 तक	31.3.2019 तक
i)	देय राशि	कुछ नहीं	0.25
ii)	प्राप्य राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

संबंधित पक्ष के साथ ग्रुप में लेनदेन

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपनी अनुषंगी कंपनियों ओर नियंत्रक कंपनी (सी.आई.एल.) के साथ लेन-देन संबंधी करार किया है, जिसमें अपैक्स प्रभार, पुनर्वास प्रभार, लीज रेंट, अनुषंगी कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज , आई.आई.सी.एम. प्रभार और चालू लेखाओं के माध्यम से अन्य अनुषंगी कंपनियों एवं सीआईएल द्वारा या उनकी ओर से व्यय किये गये अन्य व्यय।

भारतीय लेखाकरण मानक 24 के अनुसार स्वरूप तथा महत्वपूर्ण लेन-देन की राशि से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन (रुपए करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों से ऋण	संबंधित पक्षों को ऋण	अपैक्स प्रभार	पुनर्वास प्रभार	लीज रेंट आय	सीआईएल के साथ पार्कड फंड पर ब्याज	आई.आई.सी.एम. प्रभार	चालू खाता शेष
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)								
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)								
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)								
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	-	-	57.64 (53.18)	31.55 (33.33)	-	- (0.05)	2.25 (231.95)	-174.84 (-79.52)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)								
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)								
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)								
कोल माइंस प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)								-88.09 (-52.61)
कोल इंडिया अफ्रीकन लिमिटेड मोजांबिक्यू (सीआईएएल)								
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)								
सीआईएल एनटीपीसी उर्जा प्राइवेट लिमिटेड								
तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)								
हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)								

एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी को संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन तथा नियंत्रण सरकार के पास बकाया राशि एवं उसी सरकार के अधीन दूसरी कंपनी के संबंध में सामान्य प्रकटन की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेनदेन को एक ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के साथ आर्म्स लेंथ प्राइस पर दर्ज किया गया है।

इकाई का नाम	लेन-देन	**31.03.2020** तक	**31.03.2019** तक
एनटीपीसी	कोयला विक्रय	596.08	503.57

(च)बीमा एवं मूल्य वृद्धि दावे

प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा एवं मूल्य वृद्धि दावों का हिसाब किया जाता है।

(छ) लेखा में किए गए प्रावधान

स्लो मूविंग/नॉन-मूविंग /अप्रचलित स्टोर्स, दावों, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण आदि के लिए लेखा में किए गए प्रावधानों को संभावित हानि की भरपाई के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ज) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय है कि स्थायी परिसंपत्तियों के अलावा परिसंपत्तियों तथा गैर-वर्तमान निवेश का मूल्य उसकी प्राप्ति पर व्यवसाय के सामान्य कामकाज मे कम से कम राशि के बराबर, जहां वे दर्शाए जाते हैं, होगी।

(झ) चालू देयताएं

जहां वास्तविक देयता का आकलन नहीं किया जाता है, वहां अनुमानित देयता दी जाती है।

(ञ) अन्य

1. मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम 2005 (एमपीजीएटीएसवीए 2005) के अंतर्गत लेवी के विरुद्ध कुछ उपभोक्ताओं तथा डब्ल्यूसीएल ने मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की है, जिसमें न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 15.2.2006 में कंपनी को निर्देश दिया गया कि इस कर को राज्य सरकार के पास जमा न करें, बल्कि सावधि जमा में राशि रखें। बाद में मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में निर्णय दिया, जिसके विरुद्ध डब्ल्यूसीएल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की है। मामला अभी भी न्यायाधीन है। माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अंतरिम आदेश दि 02.08.2010 में कंपनी को निर्देश दिया कि एमपीजीएटीएसवीए 2005 के अनुसार विरोध के अधीन सभी वर्षों के लिए अपने रिटर्न दायर करें और निर्धारण अधिकारी को भी निर्देश दिया कि कंपनी द्वारा दायर किए गए रिटर्न का निर्धारण पूर्ण करें।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारण अधिकारियों ने दिनांक 31.3.2020 तक कंपनी के 650.59 करोड़ रुपए के मुकाबले कुल (617.26 करोड रुपए) की मांग प्रस्तुत की है, जिसे कानूनी सलाह के अनुसार पूरी राशि अदा की गई। तथापि, कंपनी ने निर्धारण आदेशों/ डिमांड नोट के विरुद्ध सक्षम अपील प्राधिकारी, जबलपुर तथा भोपाल में अपील दायर की है।

दिनांक 31.3.2020 तक एमपीजीएटीएसवीए कर के लिए 683.50 करोड़ रुपए (651.25 करोड़ रुपए) की राशि उपभोक्ताओं को प्राप्त की है (31 मार्च 2016 तक उस पर वैट/ सीएसटी सहित)। इसके मुकाबले दिनांक 31.3.2020 तक निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मांग के विरुद्ध 650.59 करोड़ रुपए विरोध के अधीन अदा किए गए (वैट/ सीएसटी के लिए 33.33 करोड़ रुपए सहित)।

शेष राशि 32.25 करोड़ रुपए में से 29.43 करोड़ रुपए की राशि जमा में रखी गई है और शेष 3.48 करोड़ रुपए जमा की जानी है। इसके लिए किए गए सावधि जमा पर प्राप्त संचित ब्याज को देयता में जोड़ा गया है, जिसका एक हिस्सा अभी जमा किया जाना है।

2. खनिज वैधीकरण अधिनियम 1992 के बन जाने से कंपनी ने सेस एवं अन्य करों के कारण दिनांक 04.04.1991 तक 3.21करोड़ रुपए (3.21 करोड़ रुपए) के अनुपूरक बिल उपभोक्ताओं को दिए हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय की रांची खंडपीठ द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च् न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पिटिशन का परिणाम लंबित रहने तक, उसे अन्य चालू देयताएं शीर्ष के अंतर्गत रॉयल्टी पर सेस के लिए देयता के रूप में दर्शाया गया है।

3. विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विस्फोटकों की आपूर्ति का रेट कॉन्ट्रैक्ट (आरसी) दिनांक 28 फरवरी 2006 को समाप्त हो गया और आर.सी का नवीनीकरण होने तक आपूर्तिकर्ताओं को समान प्रचलित दरों पर आपूर्ति जारी रखने को कहा गया, जो इस शर्त के अधीन होगी कि इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान आपूर्ति नई आर.सी. में निर्धारित दरों से नियंत्रित होगी। यह दिनांक 28 जुलाई 2006 तक जारी रहेगी।

नई आर.सी. को अंतिम रूप दिया गया तथा जिसे विस्फोटकों के कम हुए मूल्य के साथ 29 जुलाई 2006 से लागू किया गया और आपूर्तिकर्ताओं से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की गई, जिसके विरुद्ध कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने माननीयकलकत्ता उच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर किया है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2006 में रोक लगाई है।तदनुसार सीआईएल ने छह आपूर्तिकर्ताओं से कटौती की गई राशि वापस करने का निर्देश डब्ल्यूसीएल को दिया है।

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन आपूर्तिकर्ताओं को खाते में विवादास्द राशि जमा करने को कहा है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। परंतु आपूर्तिकर्ता ऐसा करने में नाकाम रहे और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जुलाई 2008 में इन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की रोक को हटा दिया।

अतः सीआईएल ने न्यायालय के निर्देशानुसार आपूर्तिकर्ताओं के चालू बिलों से उक्त राशि की वसूली पुनः शुरू करने का निर्देश दिया है। तथापि, वर्ष 2008-09 से मामले को लंबित रखते हुए 2.58 करोड़ रुपए की वसूली को खाता बही में देयता के अंतर्गत रखा जाता है।

4. डब्लूसीएल और पॉवर यूटिलिटीज़ कंपनियों की थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसी,सीएसआईआर –सीआईएमआर के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, सीआईएमएफआर द्वारा कोयला सैंपलिंग की जाती है। सीआईएमएफआर के परिणाम के आधार पर जिसे डब्लूसीएल और पॉवर यूटिलिटिज द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया , पॉवर यूटिलिटिज को क्रेडिट / डेबिट नोट जारी किया जाता है और इसका हिसाब किया जाता है। सीआईएमएफआर द्वारा किए गए कोयले के नमूने की गुणवत्ता के कारण विगत के रूझान के आधार पर, चालू वर्ष के लिए 295.33 करोड़ रूपये की राशि के ग्रेड स्लिपेज के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके लिए रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और न ही विवाद के मामले में रेफरी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

5. दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात वर्ष के दौरान मूल्य-ह्रास के प्रावधान समेत 12.77 करोड़ रुपए(0.08 करोड़ रुपए) के संभावित बोरिंग एवं डेवलपमेंट व्यय को खातों से बाहर किया गया। इसके आगामी वर्ष में इनका पूर्णतः परिशोधन किया गया।

6. कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भारत सरकार के निदेशों के अनुसार डब्ल्यूसीएल ने दिनांक 1.4.2015 से गोटिटोरिया ओसी और मंगोली ओसी खानों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। चालू वर्ष के दौरान व्यय की गई 2.05 करोड़ रुपए की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में चार्ज किया गया।

7. विभिन्न कराधान कानूनों के तहत देयताएं संबंधित अधिकारियों द्वारा रिटर्न की जांच मूल्यांकन आदि के अधीन हैं।

8. ईएसएम एजेंसियों की दर में संशोधन दिनांक 01/07/2017 से होना है, जिसे अभी तक सीआईएल द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्तमान में आईआईटी , खड़गपुर नॉर्मेटिव रेट की समीक्षा कर रहा है।

9. एक्यूमूलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य 578.67 करोड़ रूपये है जिसे वित्तीय विवरण के नोट 11 के 'अन्य करंट एसेट्स' के अंतर्गत दर्शाया गया है । यह संचय मुख्य रूप से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण है। वर्तमान जीएसटी कानून के अनुसार राशि का उपयोग केवल आउटपुट कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है और रिफंड के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। कंपनी को इस राशि का निकट भविष्य में उपयोग करने की उम्मीद है।

10. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 30 मार्च 2019 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज़) 116 को अधिसूचित किया है, लीज़ कंपनी के लिए अप्रैल 2019 की 1 तारीख से इंडस्ट्रीज़ 17 की जगह ले लीज़ के लिए प्रभावी हो गई है। पट्टों पर लेखांकन नीति को इंडस्ट्रीज़ 116 के अनुसार बदल दिया गया है। भारतीय लेखा मानक 116 के रूप में इंडस्ट्रीज़ का प्रधान परिवर्तन, पट्टों के लेखांकन उपचार में पट्टों के परिवर्तन को वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लीज समझौते ने कंपनी के मामले में राइट-ऑफ-यूज एसेट की मान्यता और भविष्य के लीज भुगतान के लिए लीज देनदारी देय है। बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार कोई ऑपरेटिंग लीज़ नहीं है, इसलिए खातों के स्टेटमेंट में शून्य प्रभाव पड़ता है।

11. उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए FIFO विधि से आविष्कार की गणना का तरीका भारित औसत विधि में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018-19 के क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन पर नगण्य प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को दोबारा नहीं लिया गया है।

12. 20 सितंबर, 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019, भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115BAA डाला, जो घरेलू कंपनियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कारपोरेट कर का भुगतान करने के लिए गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। कुछ शर्तों के अधीन कंपनी ने वित्तीय विवरण में कम कर दर का विकल्प चुना है।

13. कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

(ट)अपेक्स ऑफिस प्रभार एवं नियंत्रक कंपनी को ब्याज

i) कोयला उत्पादन के आधार पर नियंत्रक कंपनी का अपेक्स ऑफिस प्रभार रेवन्यू खातों को आवंटित किया गया।

ii) सीआईएल की सलाह के अनुसार बीसीसीएल/ ईसीएल के झरिया और रानीगंज क्षेत्रों के पुनर्वास एवं फायर फाइटिंग व्यय को पूरा करने के लिए कोयला प्रेषण के प्रति टन 6.00 रुपए की दर से अतिरिक्त अपेक्स प्रभार की 31.55 करोड़ रुपए (33.33 करोड़ रुपए) की राशि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया।

(ठ) शेष राशि की पुष्टि

i) नकद एवं बैंक में शेष राशि, कुल ऋण व अग्रिम, दीर्घावधि देयताओं और चालू देयताओं की शेष राशि की पुष्टि/समाधान किया गया। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया।

ii) प्रमुख विविध देनदारों के साथ समय-समय पर संयुक्त समाधान किया गया। वर्ष 2018-19 की अंतरिम अवधि तक पॉवर हाउस जैसे एमएसपीजीएल, एमपीपीजीसीएल, जीएसईबी, एचएसपीजीसीएल और केपीसीएल के साथ संयुक्त समाधान किया गया।

(ड)कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, कुल बिक्री तथ अंतिम स्टॉक का वितरण

(रुपए करोड़ में तथा मात्रा '000मिलियन टन में)

	31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक : राजस्व खाने	**9127.70**	**769.69**	**11285.29**	**1197.33**
रेवेन्यू में लाया गया डेवलेपमेंट स्टॉक	**-**	**-**	**353.20**	**42.79**
कैपिटल खाने	**113.69**	**21.53**	**-**	**-**
प्रारंभिक स्टॉक में समायोजित	9241.39	791.22	11638.49	1240.12
उत्पादन- राजस्व खानें	57286.08	-	53066.13	-
- कैपिटल खानें	350.00	-	113.69	-
- समायोजन				
बिक्री- राजस्व खानें	52301.01	9135.99	55572.77	9128.81
- कैपिटल	275.95	59.44	-	-
स्वयं की खपत	4.09	2.39	4.15	1.02
अंतिम स्टॉक – राजस्व खानें	**14108.68**	**1313.70**	**9127.70**	**769.69**
- कैपिटल खानें	**187.74**	**28.42**	**113.69**	**21.53**
अंतिम स्टॉक (अंकेक्षित)	**14296.42**	**1342.12**	**9241.39**	**791.22**

(ढ) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति

विगत अवधि में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति (नोट-2) का उपयुक्त तरीके से संशोधन किया गया/ पुनः मसौदा बनाया गया, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखाकरण नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक पाई गई।

(ण) विविध

i. भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः दर्शाया गया है तथा जहां आवश्यकता हुई वहां पुनः समूहित एवं पुनः व्यवस्थित किया गया।

ii. नोट-1 और 2 कारपोरेट संबंधी जानकारी एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां दर्शाता है, नोट 3 से 22 -31 मार्च 2020 तक की तुलन पत्र का भाग है और नोट 23 से 36 उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण का भाग है। नोट-37 वित्तीय विवरणों का अतिरिक्त नोट्स दर्शाता है।

नोट 1 से 37 पर हस्ताक्षर

सीए एम.के. बालुका महाप्रबंधक वित्त	रामेहर कंपनी सचिव	एस.एम.चौधरी निदेशक, वित्त एवं सीएफओ (डीआईएन 07478302)	राजीव आर.मिश्र अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (डीआईएन 05103300)

दिनांकः10.06.2020
स्थानः नागपुर

कृते लक्ष्मी तृप्ति एंड
असोशीएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एन 009189 सी

सीए संजय कुमार
पार्टनर (एम नं 093434)

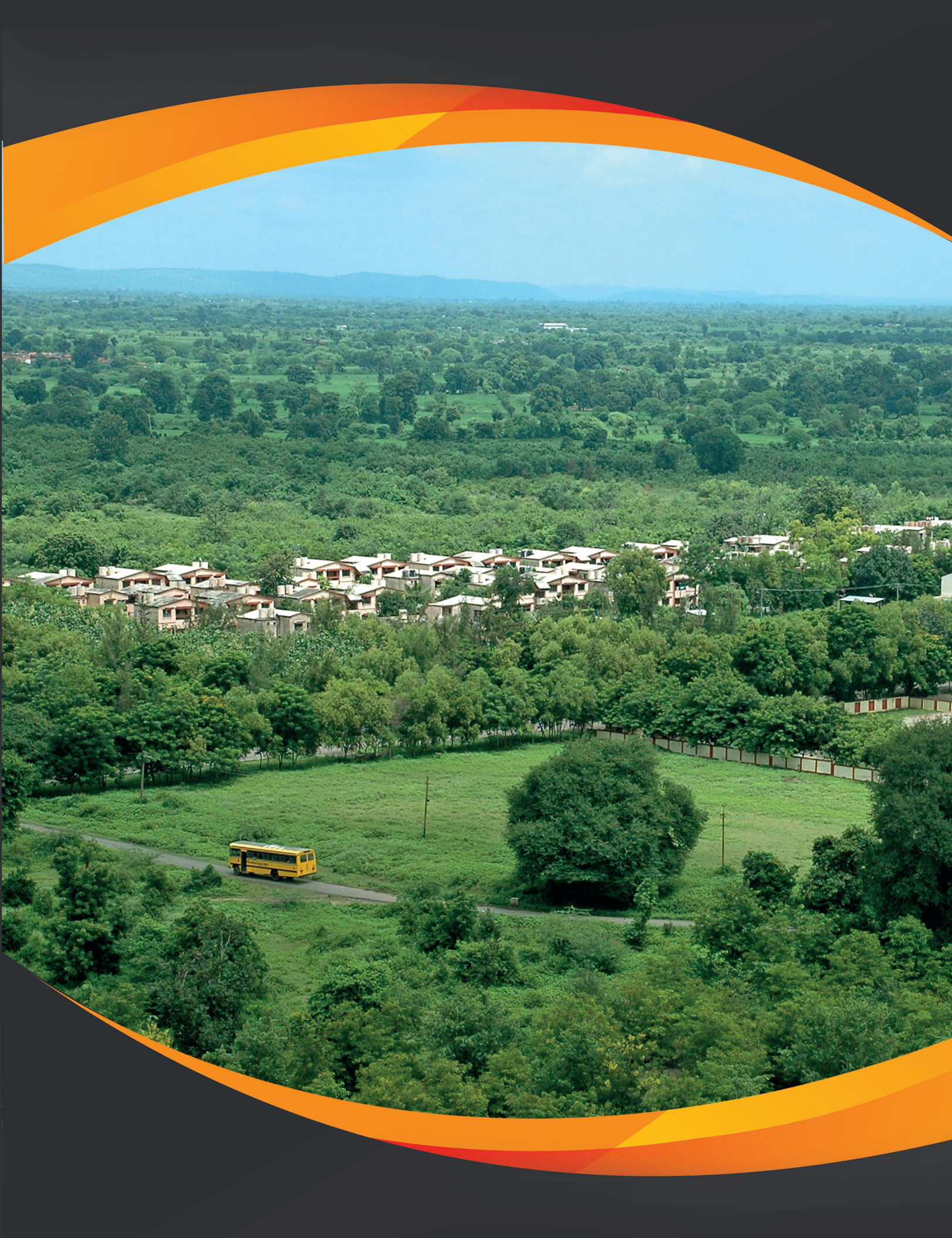

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)
एक मिनिरत्न (कैट-I) कंपनी
कोल इस्टेट, सिविल लाइंस,
नागपूर – 440001

www.westerncoal.in